राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 22.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

मध्य प्रदेश सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 1

विषय–सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii से xi
	अध्याय–1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5
1.2	बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं	8
1.3	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	9
1.4	निर्धारण का बकाया	10
1.5	कर अपवंचन	11
1.6	वापसियां	11
1.7	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर	12
1.8	लेखापरीक्षा द्वारा मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के सम्बंध में उठाये गये मुद्दों से निपटने हेतु प्रणाली का विश्लेषण	18
1.9	लेखापरीक्षा का प्रभाव	20
	अध्याय–2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	कर प्रशासन	25
2.2	विक्रय, व्यापार आदि पर करों से राजस्व की प्रवृत्ति	26
2.3	बकाया का विश्लेषण	27
2.4	निर्धारण का बकाया	27
2.5	संग्रहण की लागत	28
2.6	लेखापरीक्षा का प्रभाव	29
2.7	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	31
2.8	**"मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत वापसी"**	32
2.9	कर की गलत दर लागू किया जाना	50
2.10	शास्ति का कम आरोपण	55

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
2.11	अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति	57
2.12	टर्नओवर का गलत निर्धारण	60
2.13	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	63
2.14	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/ कम आरोपण	65
2.15	गलत कटौती की अनुमति दिये जाने के कारण कर का कम आरोपण	68
2.16	गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण	69
अध्याय–3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	कर प्रशासन	73
3.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	73
3.3	संग्रहण की लागत	74
3.4	बकाया राजस्व	75
3.5	लेखापरीक्षा का प्रभाव	76
3.6	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	78
3.7	**मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान हानियाँ**	79
3.8	बेसिक लायसेंस फीस की कम प्राप्ति	95
3.9	विदेशी मदिरा/बीयर का अनियमित निर्यात/परिवहन तथा अभिस्वीकृत प्राप्त न की गई मदिरा पर आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना	97
3.10	बीयर का अनियमित निर्यात एवं कमी	98
3.11	होटल बार अनुज्ञप्तियों पर अनुज्ञप्ति फीस का कम आरोपण	100
3.12	पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना/कम वसूली	101
3.13	स्पिरिट के कम लेखांकन के कारण आबकारी शुल्क की हानि	102
3.14	परिवहन शुल्क की वसूली न होना	104

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	अध्याय–4 : वाहनों पर कर	
4.1	कर प्रशासन	109
4.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	109
4.3	संग्रहण की लागत	110
4.4	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	111
4.5	लेखापरीक्षा का प्रभाव	111
4.6	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	114
4.7	**सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों की कार्यप्रणाली**	115
4.8	वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना	124
4.9	मोटर वाहनों पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण	127
4.10	अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना	128
4.11	व्यापार शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होना	129
4.12	आधिक्य भार को ले जाने वाले मालयानो से शमन शुल्क की कम वसूली	130
4.13	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना	131
4.14	स्लीपर/डीलक्स वाहनों में बैठक क्षमता के गलत निर्धारण के कारण कम वसूली होना	132
	अध्याय–5 : भू–राजस्व	
5.1	कर प्रशासन	135
5.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	136
5.3	आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण	136
5.4	भू–राजस्व का बकाया	137
5.5	लेखापरीक्षा का प्रभाव	137
5.6	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	139
5.7	सेवा प्रभारों का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना	140
5.8	ब्याज का अनारोपण/वसूली न किया जाना	141

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
5.9	भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना	142
5.10	नजूल प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण	143
	अध्याय – 6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
6.1	कर प्रशासन	147
6.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	148
6.3	संग्रहण की लागत	149
6.4	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	149
6.5	राजस्व का बकाया	150
6.6	लेखापरीक्षा का प्रभाव	150
6.7	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	152
6.8	**"विकास अनुबन्धों तथा विकासशील भूमि के बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण"**	153
6.9	पट्टा विलेखों की लिखतों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/शास्ति का अनारोपण	163
6.10	नजूल भूमि के पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	166
6.11	उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों का निराकरण न होना/बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	168
6.12	मुखत्यारनामा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	171
	अध्याय–7 खनन प्राप्तियां	
7.1	कर प्रशासन	175
7.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	176
7.3	बकाया राजस्व	176
7.4	लेखापरीक्षा का प्रभाव	177
7.5	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	179
7.6	**"मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियों"** एक समीक्षा	180
	परिशिष्ट	215 से 269

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत निष्पादित की जाती है। यह मध्य प्रदेश सरकार की वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की प्राप्तियों, अन्य कर एवं कर भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करती है ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो अवधि 2012–13 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत हुए तथा जो विगत वर्षों में दृष्टिगत हुए थे लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे; वर्ष 2012–13 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी, जहां आवश्यक हैं, सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित एक समीक्षा सहित 35 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 343.19 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 62,604.08 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 70,427.28 करोड़ थीं । इस राशि का 53 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 30,581.70 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 7,000.22 करोड़) के रूप में वसूल किया गया । शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 20,805.16 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 12,040.20 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, मनोरंजन शुल्क, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा खनन प्राप्तियों की 378 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2012–13 के दौरान की गई नमूना जाँच में 8,98,782 प्रकरणों में ₹ 764.89 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.9.3)

II. वाणिज्यिक कर

''मध्य प्रदेश मूल्यवर्द्धित कर (वैट) अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत वापसी'' की लेखापरीक्षा से पता चला कि :

वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 के अन्त में वापसी प्रकरणों की बकाया राशि 74.07 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करती थी।

(कंडिका 2.8.6)

वापसी कार्यवाही को प्रारम्भ करने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 20 प्रकरणों में ₹ 91.79 लाख की वापसी राशि का अनुचित संचयन हुआ ।

(कंडिका 2.8.7.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 21 प्रकरणों में वापसी की स्वीकृति की सीमा को पार कर ₹ 2.57 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की ।

(कंडिका 2.8.7.6)

27 कार्यालयों में 42 प्रकरणों में कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण 37 व्यवसाईयों से ₹ 4.37 करोड़ के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.9)

12 कार्यालयों में, 12 प्रकरणों में आगत कर छूट की अनियमित अनुमति के कारण 12 व्यवसाईयों से ₹ 3.70 करोड़ के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.11.1 से 2.11.3)

18 कार्यालयों के 25 प्रकरणों में टर्नओवर के गलत निर्धारण के कारण 25 व्यवसाईयों से ₹ 1.10 करोड़ के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.12)

27 कार्यालयों के 43 प्रकरणों में 37 व्यवसाईयों पर₹ 1.14 करोड़ के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 2.67 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.13)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

"निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान मदिरा की छीजन" की लेखापरीक्षा में पता चला कि:

कार्यालय प्रभारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन केलिए प्रकरणों को भेजने में विलम्ब के कारण ₹ 9.56 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 3.7.9.2)

बोतल बंद देशी मदिरा की अतिरिक्त छीजन पर राशि ₹ 1.24 करोड की शास्ति का अनारोपण हुआ/वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.7.10.1)

विदेशी मदिरा की अतिरिक्त छीजन पर राशि ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना ।

(कंडिका 3.7.10.2)

2699 प्रकरणों में आठ से 64 माह व्यतीत होने के बाद ₹ 3.76 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 3.7.12)

विभाग द्वारा अनियमित रूप से निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्रों को जारी किये जाने तथा ऐसे निर्यात/परिवहन के परिणामस्वरूप जिनके विरूद्ध आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, ₹ 4.58 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.9)

चार जिलों के छः विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों में पर्यवेक्षण प्रभार ₹ 54.80 लाख की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 3.12)

IV. वाहनों पर कर

परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा इकाई कार्यालयों के मध्य समन्वय की कमी तथा अपर्याप्त परिवीक्षण के कारण मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित अन्य राज्यों के लोकसेवा वाहन/मालवाहन कर के भुगतान से बचने की संभावना के साथ संचालित किये जा रहें हैं ।

(कंडिका 4.7.6)

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों को प्राधिकार प्रदान करने के सम्बंध में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों (मई 2010) का अनुपालन नहीं करने के कारण राशि ₹ 5.87 लाख के समेकित शुल्क की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 4.7.8)

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे मालवाहनों पर राशि ₹ 68.78 लाख के कर तथा शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.7.9)

मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित किये जा रहे अन्य राज्यों के मालवाहनों पर ₹ 148.26 लाख के वाहन कर एवं शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.7.10)

27 कार्यालयों में 2487 वाहनों के सम्बंध में ₹ 12.83 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.8.1)

17 कार्यालयों में व्यवसाईयों से ₹ 3.95 करोड़ के व्यापार शुल्क की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

(कंडिका 4.9)

V. भू–राजस्व

एक नजूल में विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 26.41 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 5.8)

अक्टूबर 2011 और सितम्बर 2012 के मध्य सात तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर की राशि₹ 85.28 लाख मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के अंतर्गत कोषालय में जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा की गई ।

(कंडिका 5.9)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

180 प्रकरणों में विकास/निर्माण अनुबंधों पर ₹ 82.17 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम आरोपित की गयी ।

(कंडिका 6.8.3)

155 प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 5.48 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया ।

(कंडिका 6.8.4)

845 प्रकरणों में कॉलोनाइजरों/विकासकर्ताओं द्वारानिष्पादित किये गये बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 59.05 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.8.5)

पांच प्रकरणों में पट्टा विलेखों की लिखतों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण एवं शास्ति के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 15.17 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.9)

नजूल भूमि के पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन मेविलम्ब के कारण ₹ 15.09 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई ।

(कंडिका 6.10)

340 प्रकरणों में उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक संग्राहक को बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण न होने तथा बाजार मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 4.33 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ/ वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.11)

VII. खनन प्राप्तियाँ

"मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ" की समीक्षा में पता चला कि :

सात पट्टाधारकों द्वारा अनुमोदित खनन योजना से अधिक खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन एवं निष्कासन के परिणामस्वरूप ₹ 8.01 करोड़ के खनिजों की कीमत वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 7.6.17)

अवैध खनन के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हुई ।

(कंडिका 7.6.18)

राज्यांश एवं अनिवार्य किराये के विलम्बित भुगतानों पर ₹ 1.43 करोड़ की संविदा राशि एवं ₹ 1.94 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई/वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 7.6.19 एवं 7.6.20)

विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप₹ 6.88 करोड़ के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 7.6.21 एव 7.6.22)

₹ 28.97 करोड़ के ग्रामीण अवसंरचना एवं सडक विकास करतथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण एवं संग्रहण हुआ ।

(कंडिका 7.6.23 एवं 7.6.24)

अध्याय – 1

सामान्य

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में, हमने राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं, लेखापरीक्षा के प्रति शासन का प्रत्युत्तर, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की स्थिति, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु शासन/विभागों द्वारा किये गये अनुपालन की स्थिति, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित कंडिकाओं की स्थिति तथा वर्ष 2012–13 के दौरान निष्पादित लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया है ।
राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	मध्य प्रदेश शासन की राजस्व प्राप्तियों में राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित है । वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व ₹ 37,581.92 करोड़ था जो कुल प्राप्तियों का 53 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के दौरान, प्राप्तियों का शेष 47 प्रतिशत ₹ 32,845.36 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों का अनुपालन न किया जाना	दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 3,695 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 14,752 कंडिकायें, जिनमें ₹ 6,783.96 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, अनुपालन के अभाव में जून 2013 के अंत तक लम्बित रहीं । निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर दिसम्बर 2012 तक जारी 327 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए थे (30 जून 2013)। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य को इंगित करते हैं कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभाग प्रमुखों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की

	गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की ।
लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध न कराना	वर्ष 2012–13 के दौरान, पांच विभागों (वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्व, खान एवं भौमिकी तथा राज्य उत्पाद शुल्क) के 124 कार्यालयों ने 2,331 कर निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये ।
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	हमने देखा कि वर्ष 2012–13 के दौरान, केवल वाणिज्यिक कर विभाग ने दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकें संयोजित की थीं जिनमें ₹ 11.82 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 224 कंडिकाएं निराकृत की गई थीं जबकि अन्य विभागों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की । यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण हेतु सभी विभागों द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकें संयोजित की जाएं ।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12 तक)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, शासन/विभागों ने ₹ 1,146.13 करोड़ मौद्रिक मूल्य के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से मार्च 2013 तक ₹ 253.57 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी ।
हमारा निष्कर्ष	अवधि 2012–13 के दौरान ₹ 764.89 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से सन्निहित लेखापरीक्षा प्रेक्षण जारी किये गये । विभागों/शासन ने ₹ 372.31 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया । विभाग द्वारा 2012–13 के दौरान 293 प्रकरणों में ₹ 3.18 करोड़ वसूल किया गया । यह अनुशंसा की जाती है कि स्वीकार किये गये प्रकरणों में अंतर्निहित राशियों को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए शासन द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये । पाँच वर्षों से अधिक समय से राजस्व के बकाया के रूप में लंबित राशि कुल बकाया राशि का 13.90 प्रतिशत थी । बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये ।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति त्वरित एवं उपयुक्त प्रत्युत्तर तथा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में अधिकारियों की विफलता के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई न करने के लिए भी एक प्रभावी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिये।

अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012–13 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े तालिका क्र. 1.1 में दर्शाये गये हैं :

तालिका क्र. 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	13,613.50	17,272.77	21,419.33	26,973.44	30,581.70
	• कर–भिन्न राजस्व	3,342.86	6,382.04	5,719.77	7,482.73	7,000.22
	योग	**16,956.36**	**23,654.81**	**27,139.10**	**34,456.17**	**37,581.92**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	10,767.14	11,076.99	15,638.52	18,219.14	20,805.16[1]
	• सहायक अनुदान	5,853.71	6,662.87	9,076.56	9,928.77	12,040. 20
	योग	**16,620.85**	**17,739.86**	**24,715.08**	**28,147.91**	**32,845.36**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**33,577.21**	**41,394.67**	**51,854.18**	**62,604.08**	**70,427.28**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**50**	**57**	**52**	**55**	**53**

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' का अवलोकन करें । शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

राज्य शासन का राजस्व विगत पांच वर्षों में 16.90 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 55 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 70,427.28 करोड़) का 53 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1.1.2 तालिका क्र. 1.2 वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका क्र. 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 की तुलना में 2012–13 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,842. 99	7,723.82	10,256.76	12,516.73	14,856.30	(+) 18.69
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,301. 95	2,951.94	3,603.42	4,316.49	5,078.06	(+) 17.64
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1,479.29	1,783.15	2,514.27	3,284.41	3,944.24	(+) 20.09
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,332. 57	1,332.88	1,746.20	2,047.46	2,395.03	(+) 16.98
5.	वाहनों पर कर	772. 56	919.01	1,198.38	1,357.12	1,531.25	(+) 12.83
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	343. 06	2,146.49	1,476.32	1,773.32	1,477.71	(-) 16.67
7.	भू–राजस्व	338. 84	180.03	360.81	279.06	443.59	(+) 58.96
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	172. 29	203.92	217.89	248.90	254.52	(+) 2.26
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	20. 28	19.21	29.42	52.29	188.10	(+) 259.72
10.	होटल प्राप्तियां	9. 67	12.20	15.85	18.33	-	-
11.	कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	-	0.12	0.01	1,079.33	412.90	(-) 61.74
योग		**13,613. 50**	**17,272.77**	**21,419.33**	**26,973.44**	**30,581.70**	

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

विक्रय, व्यापार आदि पर कर – कर के बेहतर अनुपालन के कारण 18.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

राज्य उत्पाद शुल्क – मदिरा दुकानों की नीलामी से प्राप्त निष्पादन राशि में वृद्धि के कारण 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – अधिक दस्तावेजों के पंजीयन होने एवं अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण 20.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वाहनों पर कर – प्रभावी कम्प्यूटरीकरण के कारण 12.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क – 2011–12 में विगत वर्षों से सम्बन्धित विद्युत शुल्क एवं ब्याज के बकाया की प्राप्ति के कारण 16.67 प्रतिशत की कमी हुई ।

अनुरोध के बावजूद (जुलाई 2013) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (जनवरी 2014) ।

1.1.3 तालिका क्र.1.3 वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका क्र.1.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2008–09**	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2011–12 की तुलना में 2012–13 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,361.08	1,590.47	2,121.49	2,038.31	2,443.39	(+) 19.87
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	685.60	802.00	836.61	878.81	910.38	(+) 3.59
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	380.17	399.12	143.00	145.44	30.40	(-) 79.10
4.	ब्याज प्राप्तियां	163. 29	1,284.03	298.56	1,571.41	301.47	(-) 80.82
5.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	55.58	80.94	85.14	106.05	239.15	(+) 125.51
6.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	37.08	56.75	194.89	263.15	137.74	(-) 47.66
7.	पुलिस	23.63	41.98	62.55	63.19	83.59	(+) 32.28
8.	लोक निर्माण	21.74	27.37	36.77	47.92	33.22	(-) 30.68
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.88	21.84	22.77	30.16	44.83	(+) 48.64
10.	सहकारिता	13.25	9.08	17.05	11.65	13.02	(+) 11.76
11.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	580.56	2,068.46	1,900.94	2,326.64	2,763.03	(+) 18.76
योग		**3,342.86**	**6,382.04**	**5,719.77**	**7,482.73**	**7,000.22**	

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

सम्बंधित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग – वित्तीय वर्ष 2011–12 में कोयले के राज्यांश में वृद्धि तथा बड़ी कम्पनियों पर बकाया राशि की वसूली के कारण 19.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वानिकी एवं वन्य जीवन – विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण 3.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

सहकारिता – ऋण पर ब्याज की वसूली में वृद्धि के कारण 11.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अनुरोध के बावजूद (जुलाई 2013), अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (जनवरी 2014) ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताऐं

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल (मैन्युअल) की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों की बकाया देय राशि तथा वर्ष के दौरान उनकी वसूली की प्रायिकता सहित वास्तविक माँग भी सम्मिलित/प्रक्षेपित की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग/शासन से वांछित जानकारी /आँकड़े प्राप्त करने के पश्चात राजस्व अनुमान तैयार किया जाना अपेक्षित है।

कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताऐं तालिका क्र. 1.4 में दर्शायी गयी हैं :

तालिका क्र.1.4

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (–)	प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	14,500.00	14,856.30	(+) 356.30	(+) 2.46
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	5,000.00	5,078.06	(+) 78.06	(+) 1.56
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	3,450.00	3,944.24	(+) 494.24	(+) 14.33
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,370.00	1,477.71	(+) 107.71	(+) 7.86
5.	वाहनों पर कर	1,500.00	1,531.25	(+) 31.25	(+) 2.08
6.	भू–राजस्व	550.00	443.59	(–)106.41	(–) 19.35
7.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,400.00	2,395.03	(–) 4.97	(–) 0.21
कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,350.00	2,443.39	(+) 93.39	(+) 3.97
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	201.78	301.47	(+) 99.69	(+) 49.41
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	960.32	910.38	(–) 49.94	(–) 5.20

केवल मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा भिन्नता के कारण सूचित किये गये :

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – 14.33 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः अधिक दस्तावेजों का पंजीयन होने तथा अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई ।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2013 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 913.47 करोड़ थी जिसमें से ₹ 126.95 करोड़ की राशि तालिका क्र.1.5 में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका क्र.1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	न्यायालय में लंबित राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	557.75	––	56.93
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	71.08	63.40	5.25
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	85.32	34.25	32.67
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	14.19	14.19	––
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	185.13	15.11	39.72
योग		**913.47**	**126.95**	**134.57**

अनुरोध के बावजूद (जुलाई 2013) अन्य विभागों के सम्बंध में वर्ष 2012–13 के अंत में राजस्व के बकाया की स्थिति शासन/विभाग से प्राप्त नहीं हुई ।

1.4 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर/वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण तालिका क्र.1.6 में वर्णित है :

तालिका क्र.1.6

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2.	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2010-11	2,44,922[2]	2,53,990	4,98,912	3,74,824	1,24,088	75.13
	2011-12	1,24,088	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
	2012-13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
वृत्ति कर	2010-11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248	65.49
	2011-12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
	2012-13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19

[2] संख्या का विगत वर्ष के अंतिम शेष से मिलान नहीं हो रहा था जिसमें इसे 2,47,922 दर्शाया गया था। अब विभाग ने संख्याओं का मिलान कर लिया है तथा प्रारम्भिक शेष की संख्या 2,44,922 प्रतिवेदित की है।

1	2.	3	4	5	6	7	8
प्रवेश कर	2010-11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361	74.61
	2011-12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
	2012-13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
विलासिता कर	2010-11	638	3,619	4,257	3,234	1,023	75.97
	2011-12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
	2012-13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
निर्माण संविदाओं पर कर	2010-11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742	70.63
	2011-12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53
	2012-13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11

इस प्रकार, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान विक्रय कर/वैट, प्रवेश कर तथा विलासिता कर से सम्बंधित निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में कमी हुई है ।

1.5 कर अपवंचन

विभागों द्वारा प्रतिवेदित कर अपवंचन के विवरण का उल्लेख तालिका क्र. 1.7 में किया गया है :

तालिका क्र. 1.7

स.क्र.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2012 को लंबित प्रकरण	2012–13 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2013 का लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	253	239	492	220	122.81	267[3]
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	29	निरंक	29	निरंक	निरंक	29
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	13,685	10,734	24,419	8,025	32.20	16,394

इस प्रकार, विक्रय, व्यापार आदि पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बन्धित लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

1.6 वापसियां

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2012–13 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2012–13 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख तालिका क्र. 1.8 में किया गया है :

[3] विभाग ने प्रारम्भिक तथा अंत शेष में अंतर के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताया।

तालिका क्र. 1.8

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत पर कर एवं शुल्क		मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	548	8.74	129	2.58	1,676	2.97	22	0.28
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,462	438.07	111	3.25	845	4.13	18	0.73
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	5,350	352.12	39	2.58	779	2.61	26	0.91
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	660	94.69	200	2.81[4]	1,742	4.49	14	0.11

इस प्रकार, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को छोड़कर वर्ष के अन्त में सभी विभागों के वापसी प्रकरणों की संख्या तथा राशि में वृद्धि देखी गई ।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

अग्रलिखित कंडिकाएं 1.7.1 से 1.7.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/अनुशंसाओं के प्रति विभागों/शासन के प्रत्युत्तर की विवेचना करती हैं ।

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये जाते हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

हमने दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा पाया कि 3,695 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 14,752 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 6,783.96 करोड़

[4] विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत स. क्र.–1 तथा 4 के बीच अन्तर विभाग द्वारा प्रतिवेदित मिलान (अगस्त 2013) के कारण है।

अन्तर्निहित थी, जून 2013 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित तालिका क्र. 1.9 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 1.9

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,690	3,465	3,695
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	13,285	13,506	14,752
अन्तर्निहित (करोड़ ₹ में)	9,355.55	6,834.02	6,783.96

30 जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण तालिका क्र. 1.10 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 1.10

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	वाणिज्यिक कर	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	1038	5172	1012.21
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	48	161	309.95
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	मनोरंजन कर	200	392	19.41
		राज्य उत्पाद शुल्क	224	850	675.91
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1070	3374	2534.35
5.	परिवहन	वाहनों पर कर	425	2264	361.18
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	471	1422	211.08
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	219	1117	1659.87
योग			**3695**	**14752**	**6783.96**

जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं का वर्षवार एवं अवधिवार विवरण तालिका क्र. 1.11 में दिया गया है:

तालिका क्र. 1.11

निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (अवधिवार)
1.	2.	3.	4.
2005–06 तक	1219	3656	7 वर्ष
2006–07	289	920	6 वर्ष
2007–08	352	1047	5 वर्ष
2008–09	387	1599	4 वर्ष
2009–10	403	1968	3 वर्ष
2010–11	397	1988	2 वर्ष
2011–12	339	1782	1 वर्ष
2012–13	309	1792	.

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2012 तक जारी 327 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे । यद्यपि इसे 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं समुचित प्रत्युत्तर हेतु एवं साथ ही कर्मचारियों/अधिकारियों, जो निर्धारित समय–सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं करते हैं और समयबद्ध ढंग से हानि/लम्बित माँग की वसूली के लिए कार्रवाई करने में भी असफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु एक प्रभावशाली प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायें ।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्ध में आहूत लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों का विवरण तालिका क्र. 1.12 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 1.12

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि	निराकृत निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**
2005-06 तक	8	18	0.69
2006-07	1	7	0.15
2007-08	1	35	0.33
2008-09	-	64	5.80
2009-10	-	70	3.93
2010-11	-	21	0.73
2011-12	-	9	0.19
योग	**10**	**224**	**11.82**

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

1.7.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर/कर –भिन्न प्राप्तियों से सम्बंधित कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें ।

वर्ष 2012–13 के दौरान, 124 कार्यालयों से सम्बन्धित कुल 2331 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण तालिका क्र. 1.13 दिया गया है:

तालिका क्र. 1.13

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम कार्यालयों की संख्या	प्राप्तियों की प्रकृति	लेखापरीक्षित नहीं हुए कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतर्निहित राजस्व निर्धारित हो सका	अन्तर्निहित राजस्व
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
वाणिज्यिक कर 64	बिक्री कर/वैट	1951	-	-
मुद्रांक एवं पंजीयन 10	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	22	-	-
भू–राजस्व 32	भू–राजस्व	315	-	-
खनन एवं भौमिकी 15	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	37	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क 13	राज्य उत्पाद शुल्क	6	-	-
योग		**2331**	**-**	**-**

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं हमारे द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं । विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 50 कंडिकाऐं (35 कंडिकाओं में संयोजित) सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2013 के मध्य प्रेषित की गयी थीं । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2014) ।

इन विभागों से सम्बन्धित कण्डिकाओं को विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है ।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

राज्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसाओं के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित कंडिकाओं पर चर्चा की जा चुकी है तथा पी.ए.सी. के स्तर पर 46 कंडिकाएं चर्चा हेतु अभी भी लम्बित हैं, 76 कंडिकाओं से सम्बन्धित विभागीय उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं। विवरण तालिका क्र. 1.14 में दिया गया है ।

तालिका क्र. 1.14

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या जिनका उत्तर प्रतीक्षित है।	चर्चा हेतु लंबित प्रकरणो की संख्या
1.	2.	3.
2006–07	–	1
2007–08	2	–
2008–09	10	20
2009–10	12	18
2010–11	52	7
योग	**76**	**46**

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के ए.टी.आर. प्राप्त हो चुके हैं । 1993–94 से 2007–08 तक के ए.टी.आर. आंशिक रूप से प्राप्त हुए हैं तथा इसके पश्चात सम्बंधित विभागों से ए.टी.आर. प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रस्तुत किये गये तथा प्रस्तुत न किये गये ए.टी.आर. की स्थिति का विवरण तालिका क्र. 1.15 में दिया गया है:

तालिका क्र. 1.15

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाएं	कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसाएं की गयी	कंडिकाओं की संख्या जिनके ए.टी.आर. प्रस्तुत किये गये	कंडिकाओं की संख्या जिनके ए.टी.आर. प्रस्तुत नहीं किये गये
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1993-94	54	39	24	15
1994-95	70	70	37	33
1995-96	83	83	52	31
1996-97	93	93	53	40
1997-98	77	77	21	56
1998-99	69	67	29	38
1999-00	65	65	23	42
2000-01	64	55	13	42
2001-02	49	49	13	36
2002-03	58	58	21	37
2003-04	42	42	23	19
2004-05	38	13	7	6
2005-06	47	8	0	8
2006-07	41	3	1	2
2007-08	55	1	1	0
योग	**905**	**723**	**318**	**405**

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के संबंध में उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किसी एक विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है ।

अग्रलिखित कण्डिकायें 1.8.1 से 1.8.2.2 पिछले छः वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2002–03 से 2011–12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में **मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन** विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है ।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2013 को इनकी अवस्था की संक्षिप्त स्थिति तालिका क्र. 1.16 में दर्शाई गई है :

तालिका क्र.1.16

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष			लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (अवधिवार)
	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2008-09 तक	769	1864	85.63	80	315	26.03	133	397	15.95	716	1782	95.72	4 वर्ष से अधिक
2009-10	716	1782	95.72	88	290	33.76	223	643	27.83	581	1429	101.65	3 वर्ष
2010-11	581	1429	101.65	65	264	62.16	237	477	20.41	409	1216	143.39	2 वर्ष
2011-12	409	1216	143.39	53	203	60.13	53	232	28.78	409	1187	174.73	1 वर्ष
2012-13	409	1187	174.73	98	344	49.01	69	169	10.88	438	1362	212.86	

1.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों पर विभागों/शासन द्वारा दिय गये आश्वासन

1.8.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं, इनमें से मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति तालिका क्र. 1.17 में दर्शाई गई है :

तालिका क्र. 1.17

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.13 तक वसूल की गई राशि	स्वीकृत राशि में से वसूली का प्रतिशत 5 से 7 का
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2002-03	06	17.17	05	2.79	05	2.79	100.00
2003-04	04	1.86	02	1.36	02	1.36	100.00
2004-05	05	8.65	02	2.87	02	2.87	100.00
2005-06	03	1.32	03	0.53	03	0.53	100.00
2006-07	06	2.45	04	0.55	04	0.51	92.73
2007-08	01	91.57	01	45.76	01	8.58	18.75
2008-09	11	16.81	08	16.35	08	2.15	13.15
2009-10	09	14.72	07	14.11	07	2.06	14.60
2010-11	13	34.22	07	11.21	04	0.14	1.25
2011-12	10	32.71	10	28.11	01	0.08	0.28

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकार किए गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है ।

1.8.2.2 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं । इन निष्पादन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है ।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण एवं आरोपण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनमें पांच अनुशंसायें थीं, सम्मिलित थी । विभाग ने इनमे से किसी भी अनुशंसाओं पर अपनी विशिष्ट टिप्पणियां नहीं दी ।

1.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 से 2011–12 के अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, विभागों/शासन ने ₹ 1,146.13 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से 31 मार्च 2013 तक केवल ₹ 253.57 करोड़ की वसूली की गई थी जैसा कि तालिका क्र. 1.18 में उल्लेख किया गया है:

तालिका क्र. 1.18

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन का कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किया गया मौद्रिक मूल्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार वसूली	संचयी वसूली	स्वीकार की गई राशि मे से वसूली का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2007-08	623.43	367.16	4.89	82.32	22.42
2008-09	1,339.50	134.32	2.88	12.80	9.53
2009-10	1,469.91	418.83	2.67	156.13	37.28
2010-11	291.79	110.29	1.99	1.99	1.80
2011-12	247.82	115.53	0.33	0.33	0.29
योग	**3,972.45**	**1,146.13**	**12.76**	**253.57**	

विगत पाँच वर्षों में स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए ।

1.9.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने वाणिज्यिक कर, पंजीयन, भू–राजस्व, परिवहन, राज्य उत्पाद शुल्क, खनिज संसाधन, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वन विभाग की 2,053 इकाईयों की लेखापरीक्षा की थी । हमने, अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹ 9,540.65 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित 18,65,709 प्रकरणों को इंगित किया था । विभाग/शासन ने ₹ 4,146.97 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से 36,548 प्रकरणों में ₹ 234.28 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी (31 मार्च 2013 की स्थिति)। विवरण तालिका क्र. 1.19 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र. 1.19

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.
2007-08	508	4,48,574	1,069.85	3,16,179	327.83	456	135.61
2008-09	377	2,96,745	2,342.15	77,791	804.20	1,426	18.95
2009-10	449	28,674	3,366.12	18,071	1,738.52	1,940	4.64
2010-11	398	4,36,829	1,955.06	1,75,021	737.07	31,204	70.50
2011-12	321	6,54,887	807.47	24,385	539.35	1,522	4.58
योग	**2,053**	**18,65,709**	**9,540.65**	**6,11,447**	**4,146.97**	**36,548**	**234.28**

1.9.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस तथा खनन प्राप्तियों की 378 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 8,98,782 प्रकरणों में ₹ 764.89 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला । वर्ष के दौरान, विभागों ने वर्ष 2012–13 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 36,183 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 372.31 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2012–13 के दौरान विभागों ने 293 प्रकरणों में ₹ 3.18 करोड़ संग्रहीत किये ।

1.9.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज तथा शास्ति आदि के कम आरोपण/अनारोपण से सम्बन्धित ₹ 343.19 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित मध्य प्रदेश में "खनन प्राप्तियाँ" पर एक समीक्षा सहित 35 कंडिकाएं (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 181.88 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 2.62 करोड़ की वसूली की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों II से VII में की गई है ।

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है।	इस अध्याय में हमने वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालयों में वाणिज्यिक कर के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 23.75 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित **मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत वापसी** पर एक कंडिका तथा अन्य अनियमितताओं को प्रस्तुत किया हैं, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षो के दौरान हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में, विक्रय, व्यापार आदि से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 18.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विभाग द्वारा जिसका कारण बेहतर कर अनुपालन बताया गया ।
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से गलत छूट, टर्न ओवर को छिपाने/कम बताने, कर की गलत दर लागू करने, गलत गणना आदि के कारण 5,360 प्रकरणों में ₹ 920.05 करोड़ के राजस्व प्रभाव के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 239.57 करोड़ के 2,478 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया हैं तथा 434 प्रकरणों में ₹ 3.98 करोड़ की वसूली की है।
निरीक्षण प्रतिवेदनों (2012–13) के अनुपालन की स्थिति	वर्ष 2012–13 में हमने वाणिज्यिक कर से सम्बंधित 115 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 1,067 प्रकरणों में राशि ₹ 91.56 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला तथा तीन प्रकरणों में ₹ 7.53 लाख की राशि वसूल की गई । विभाग ने 14 प्रकरणों में ₹ 55 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2012–13 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किया गया था।

हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रवेश कर/क्रय कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर मुक्ति की गलत स्वीकृति, बंद इकाईयों से कर की वसूली न होना, व्यवसाय कर की वसूली न होना, शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, परिवहनकर्ताओं पर कर का अनारोपण, बिना घोषणा पत्रों के विक्रय पर कर का अनारोपण/कम आरोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिये त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है ।

अध्याय – 2
वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समग्र नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिये संचालक होता है। विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 15 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख संभागीय उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत 80 वृत्त कार्यालय एवं 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय हैं। वाणिज्यिक कर जिसमें विक्रय कर/मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, व्यवसाय कर तथा विलासिता कर सम्मिलित है, का आरोपण एवं संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है:

- मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002;
- मध्य प्रदेश वैट नियम, 2006;
- मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, (1995 का क्रमांक 5);
- मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर नियम, 1995;
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीयन एवं टर्नओवर) नियम, 1957;
- मध्य प्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम 1957;
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976;
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976;
- मध्य प्रदेश व्यवसाय कर अधिनियम, 1995;
- मध्य प्रदेश व्यवसाय कर नियम, 1995;
- मध्य प्रदेश विलासिता कर अधिनियम, 1988; एवं
- मध्य प्रदेश विलासिता कर नियम, 1988;

2.2 विक्रय, व्यापार आदि पर कर से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्यूअल (मैन्यूअल), 2012 की कंडिका ए-15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में पिछले वर्षों के बकाया देय तथा वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक मांग को शामिल करना चाहिये। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सम्बंधित विभाग/ सरकार से आवश्यक जानकारी/आँकड़े प्राप्त करने के बाद राजस्व के अनुमानों को तैयार किया जाना अपेक्षित है।

अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों से वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका क्र. 2.1 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वैट/विक्रय, व्यापार पर कर की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	6,700.00	6,842.99	(+) 142.99	(+) 2.13	13,613.50	50.27
2009-10	7,894.11	7,723.82	(-) 170.29	(-) 2.16	17,272.77	44.72
2010-11	10,020.00	10,256.76	(+) 236.76	(+) 2.36	21,419.33	47.89
2011-12	12,000.00	12,516.73	(+) 516.73	(+) 4.31	26,973.44	46.40
2012-13	14,500.00	14,856.30	(+) 356.30	(+) 2.46	30,581.70	48.58

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (-) 2.16 प्रतिशत से 4.31 प्रतिशत के मध्य रहा।

वर्ष 2012–13 में, विक्रय, व्यापार आदि से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 18.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विभाग द्वारा जिसका कारण बेहतर कर अनुपालन बताया गया ।

2.3 बकाया का विश्लेषण

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि से करों के बकाया की स्थिति तालिका क्र. 2.2 में दर्शायी गई है :

तालिका क्र. 2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अंत शेष	वसूली का लक्ष्य
2008-09	571.54	1,086.23	1,657.77	1,111.73	546.04	विभाग ने बताया कि पिछले वर्ष के बकाया की वसूली के लिये वसूली अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।
2009-10	546.04	1,206.32	1,752.36	1,165.41	586.95	
2010-11	586.95	1,214.02	1,800.97	1,271.17	529.80	
2011-12	529.80	1,667.19	2,196.99	1,679.06	517.93	
2012-13	517.93	1,748.39	2,266.32	1,708.57	557.75	

(स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

मार्च 2013 की स्थिति में लंबित ₹ 557.75 करोड़ में से राशि ₹ 56.93 करोड़ न्यायालय में तथा ₹ 5.05 करोड़ अपील में लंबित थी। हमने अवलोकित किया कि बकाया राशि को समाप्त करने के लिये निर्धारण प्राधिकारियों के पास वसूली के लक्ष्य निर्धारित करने की कोई प्रणाली नहीं है।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर बकाया राशि को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए ।

2.4 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय, व्यापार आदि पर कर, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण तालिका क्र. 2.3 में दर्शाया है :

तालिका क्र. 2.3

कर का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किये जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिये कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2010-11	2,44,922[1]	2,53,990	4,98,912	3,74,824	1,24,088	74.68
	2011-12	1,24,088	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
	2012-13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
व्यवसाय कर	2010-11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248	65.49
	2011-12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
	2012-13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19
प्रवेश कर	2010-11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361	74.61
	2011-12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
	2012-13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
विलासिता कर	2010-11	638	3,619	4,257	3,234	1,023	75.97
	2011-12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
	2012-13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
निर्माण संविदाओं पर कर	2010-11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742	70.63
	2011-12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53
	2012-13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11

इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान विक्रय पर कर, प्रवेश कर तथा विलासिता कर से सम्बंधित निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में कमी रही।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को प्रकरणों के निराकरण में वृद्धि के लिये उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

2.5 संग्रहण की लागत

वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान, विक्रय, व्यापार आदि से करों का सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किये गये ऐसे व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ तालिका क्र. 2.4 में दर्शाया गया है :

[1] संख्या का विगत वर्ष के अंतिम शेष से मिलान नहीं हो रहा था जिसमें इसे 2,47,922 दर्शाया गया था। अब विभाग ने संख्याओं का मिलान कर लिया है तथा प्रारंम्भिक शेष की संख्या 2,44,922 प्रतिवेदित की है।

तालिका क्र. 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पिछले वर्ष के संग्रहण पर व्यय का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2010-11	10,256.76	98.10	0.96	0.96
2011-12	12,516.73	111.36	0.89	0.75
2012-13	14,856.30	129.32	0.87	0.83

(स्त्रोत : मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे)

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक था।

2.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 72 कंडिकाओं में ₹ 377.05 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित गलत छूट, टर्न ओवर को छिपाने/कम बताने, कर की गलत दर लागू करने, गलत गणना आदि के कारण राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/हानि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 55 कंडिकाओं में ₹ 70.05 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 32 कंडिकाओं में ₹ 9.18 करोड़ वसूल किये। विवरण तालिका क्र. 2.5 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 2.5

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	मार्च 2013 तक वसूल की गई राशि
2007-08	16	98.69	13	11.10	11	4.43
2008-09	16	19.48	13	5.90	11	2.62
2009-10	15	112.71	11	4.00	8	2.02
2010-11	14	85.11	10	1.53	निरंक	निरंक
2011-12	11	61.06	8	47.52	2	0.08
योग	**72**	**377.05**	**55**	**70.05**	**32**	**9.18**

विगत पांच वर्षो के दौरान स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों के विरूद्ध वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

2.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, गलत छूट, टर्नओवर को छिपाने/कम बताने, कर की गलत दर लागू करने, गलत गणना आदि के कारण 5,360 प्रकरणों में ₹ 920.05 करोड़ के राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 239.57 करोड़ के 2,478 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 434 प्रकरणों में ₹ 3.98 करोड़ की वसूली की (31 मार्च 2013 की स्थिति में)। विवरण तालिका क्र. 2.6 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 2.6

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकार की गई राशि के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2007-08	106	1,002	55.99	519	12.12	27	0.51	4.20
2008-09	102	1,234	181.03	497	39.97	20	0.87	2.17
2009-10	90	1,237	365.51	551	122.70	111	2.14	1.74
2010-11	100	1,015	189.50	570	59.48	272	0.44	0.74
2012-13	102	872	128.02	341	5.30	4	0.02	0.38
	योग	**5,360**	**920.05**	**2,478**	**239.57**	**434**	**3.98**	

विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमारे द्वारा इस मुद्दे को विभाग प्रमुख तथा शासन के वित्त सचिव के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2013) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2014) ।

2.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों 2012–13 के अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्यिक कर से सम्बंधित 133 इकाईयों में से 115 इकाईयों, जिनमें कुल राजस्व ₹ 12,552.38 करोड़ अंतर्निहित था, के अभिलेखों की नमूना जांच में 1,067 प्रकरणों में ₹ 91.56 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हे तालिका क्र. 2.7 में निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

तालिका क्र. 2.7

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत वापसी**	1	4.14
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	262	14.83
3.	कर की गलत दर लागू किया जाना	232	15.03
4.	कर योग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण	134	7.19
5.	कर मुक्ति/ कटौती की गलत स्वीकृति	158	13.10
6.	अन्य अनियमिततायें	280	37.27
	योग	**1,067**	**91.56**

वर्ष के दौरान विभाग ने 14 प्रकरणों में ₹ 55 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा तीन प्रकरणों में ₹ 7.53 लाख वसूल किये ।

"मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत वापसी" पर एक कंडिका तथा अन्य अनियमितताओं, जिनमें ₹ 23.75 करोड़ का वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

2.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर आदि के निर्धारण अभिलेखों की जांच की जिसमें अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन न किये जाने, कर/शास्ति/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने, करयोग्य टर्नओवर से गलत कटौती, गलत छूट तथा अन्य अनियमितताओं के कई प्रकरणों का पता चला जिनका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है । ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गई ऐसी चूकों को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया जा चुका है । इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं तथा पूर्व में लिए गये इसी प्रकार के प्रेक्षणों का संदर्भ **परिशिष्ट–1** में दिया गया है, लेकिन न केवल ये अनियमितताएं बनी हुई हैं, बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं चलता । शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे ऐसी चूकों से बचा जा सके ।

2.8 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अन्तर्गत वापसी

2.8.1 प्रस्तावना

प्रतिदाय (वापसी) का निराकरण, कर प्रशासन द्वारा व्यवसाईयों को गुणवत्तायुक्त सेवायें प्रदाय करने के लिये उनके प्रक्रियात्मक दक्षता को मापने का महत्वपूर्ण सूचक है, समय सीमा में प्राप्तियों की वापसी का आदेश, दक्षता के अस्तित्व की यथार्थता की माप है। वापसियों का त्वरित निराकरण शासन पर ब्याज की देयता को कम करता है और विश्वास जागृत कर उन्हें बेहतर कर अनुपालन हेतु प्रोत्साहित करता है।

2.8.2 प्रतिदाय की कार्यविधि

प्रतिदाय का प्रावधान 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002, अधिनियम की धारा 37 में निहित है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार यदि आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष के लिए किसी व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से चुकाया गया कर या शास्ति या दोनों या ब्याज, उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या देय ब्याज की रकम से अधिक होती है, या यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी (या रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति) धारा –14 के अधीन प्रतिदाय या रिबेट के लिए हकदार है तो वह (आयुक्त) ऐसी रकम जिसका कि अधिक भुगतान किया जाना पाया जाए, या तो नगदी में या व्यापारी से किसी अन्य वर्ष के सम्बंध में देय कर के छूट के रूप में ऐसे आधिक्य का समायोजन करके विहित रीति में प्रतिदाय करेगा।

निर्धारित प्रतिदाय के प्रकरणों को प्रतिदाय की मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर कर निर्धारण अधिकारी जिम्मेदार हैं।

वाणिज्यिक कर अधिकारी (सी.टी.ओ.), सहायक आयुक्त (ए.सी.), उपायुक्त (डी.सी.), अपर आयुक्त (एडी.कमि.), वाणिज्यिक कर तथा संचालक को प्रतिदाय (वापसियां) की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

2.8.2.1 स्वीकृति की मौद्रिक सीमा

आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 08 मई 2007 और 04 अगस्त 2009 के द्वारा प्रतिदाय की स्वीकृति के लिए सारिणी क्रमांक 2.8 में दर्शाए अनुसार मौद्रिक सीमा की शक्ति तय की गई है :

तालिका क्र. 2.8

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी	मौद्रिक सीमा
वाणिज्यिक कर अधिकारी	₹ एक लाख से अनधिक
सहायक आयुक्त	₹ पॉच लाख से अनधिक
उप आयुक्त	₹ दस लाख से अनधिक
अपर आयुक्त	₹ 1.5 करोड़ से अनधिक
संचालक	शेष सभी प्रकरणों में

2.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस विषय के सम्बंध में विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था कि :

- क्या कर के प्रतिदाय की प्रणाली प्रभावकारी एवं दक्ष है;
- क्या धन के प्रतिदाय की समयबद्धता एवं शुद्धता के बारे में अधिनियम में विहित नियमों और क्रियाविधि तथा निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया गया; और
- क्या प्रतिदाय के लिए त्वरित कार्यवाही और निर्धारित जांच हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र विद्यमान है।

2.8.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

समीक्षा में तीन वर्ष की अवधि 2010–11 से 2012–13 तक प्रतिदाय के लिए विभाग में प्रचलित प्रणाली और क्रियाविधि की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए यादृच्छिक तरीके से चयनित 121 इकाईयों में से 31 इकाईयों[2] की लेखापरीक्षा की गई । आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ 18 जून 2013 को इकाईयों के चयन, लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। आयुक्त वाणिज्यिक कर के साथ 4 सितम्बर 2013 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें समीक्षा में इंगित सभी मुद्दों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और उपचारात्मक और निवारक कदम उठाने और कमियों को कम्प्यूटर आधारित मॉड्यूल के माध्यम से दूर किये जाने का आश्वासन दिया गया ।

[2] 17 वृत्त कार्यालय – भिण्ड, भोपाल (3), देवास, ग्वालियर (2), हरदा, इन्दौर (4), इटारसी, जबलपुर, रीवा, सागर और सतना, नौ क्षेत्रीय कार्यालय – भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, धार, इन्दौर (2), खण्डवा, सागर और सतना, पांच संभागीय कार्यालय – ग्वालियर (2), इंदौर, सतना और उज्जैन

2.8.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग वापसियों की लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक जानकारी और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

2.8.6 राजस्व और प्रतिदाय की प्रवृति

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कर निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित प्रतिदाय के प्रकरण को सीधा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए सात दिवस के अंदर प्रेषित करेगा और सक्षम प्राधिकारी प्रकरण के संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त होने पर 15 दिवस के अंदर प्रतिदाय पर मंजूरी देगा अथवा निर्देशों के साथ आगे की कार्यवाही के लिए कर निर्धारण अधिकारी को वापस करेगा। सारिणी 2.9 अवधि 2010–11 से 2012–13 तक मूल्य संवर्धित कर (वैट)/वाणिज्यिक कर संग्रहण, अधिनियम/मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिदाय और राजस्व की स्थिति को दर्शाती है। यह जानकारी चयनित इकाइयों से लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित की गई। सम्पूर्ण विभाग के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त जानकारी हेतु 27 मई 2013 को अनुरोध किया गया उसके बाद छः अनुस्मारक[3] भेजे गये। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा पत्र दिनांक 10 जुलाई 2013 के माध्यम से सूचित किया गया कि जानकारी को अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित किया जा रहा है एवं प्राप्त होते ही यथाशीघ्र लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । यही जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2014)

तालिका क्र. 2.9

(**₹ करोड़ में**)

वर्ष	इकाईयों की कुल संख्या	निर्धारण की कुल संख्या	वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति	वर्ष के आरंभ में प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या	प्रतिदाय प्रकरणों की प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान सृजित प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान सृजित प्रतिदाय संदर्भित प्रकरणों की राशि	योग कॉलम 5 तथा 7	योग कॉलम 6 तथा 8	प्रकरणों की संख्या जिनमें प्रतिदाय हुआ	प्रतिदाय के भुगतान राशि का योग	शेष प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या	शेष प्रतिदाय प्रकरणों की राशि योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2010-11	**31**	66138	606890	42	38	1646	5024	1688	5062	1585	4633	103	429
2011-12	**31**	66424	862030	103	429	1478	3897	1581	4326	1486	4002	95	324
2012-13	**31**	49127	407848	55	41	1718	8266	1773	8307	1664	7743	109	564

उपर्युक्त सारिणी से हमने निम्नलिखित अवलोकन किया,

[3] 20 सितम्बर 2013 तक

- कि राजस्व 2011–12 में ₹ 8620.30 करोड़ से 2012–13 में ₹ 4078.48 करोड़ तक तेजी से घटा, वहीं समान अवधि में प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या एवं राशि में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई।

- 2011–12 के अंत में लंबित प्रतिदाय प्रकरणों की राशि वर्ष 2010–11 का 75.52 प्रतिशत थी और लंबित प्रतिदाय प्रकरणों की राशि वर्ष 2012–13 के अंत में वर्ष 2011–12 का 174.07 प्रतिशत थी। वर्ष 2012–13 के अंत में लंबित प्रतिदाय प्रकरणों की राशि प्रवृति प्रतिशतता की सीमा में सारभूत वृद्धि पायी गयी। लेखापरीक्षा में पाया, वस्तुओं के राज्य से निर्यात में स्थिर वृद्धियों को प्रतिदाय की वृद्धि में एक सहयोगी कारण रहा। कच्चे माल पर संग्रहित आगत कर प्रतिदाय के योग्य था।

2.8.7 प्रणाली संबंधी कमियां

लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है :

2.8.7.1 प्रतिदाय कार्यवाही शुरू करने में विलंब

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा परिपत्र दिनांक 8 मई 2007 में निर्देशित किया गया है कि कराधान प्राधिकारी निर्धारण आदेश दिनांक से सात दिवसों के भीतर प्रतिदाय प्रकरण संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को भेजेंगे तथा संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी प्रतिदाय स्वीकृति या निर्देश अनुपालन के लिए इसकी प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर वापस करेंगे ।

चयनित 31 इकाईयों के अवधि 2010–11 के 2012–13 के 4620 प्रतिदाय प्रकरणों में से विभाग द्वारा 4455 प्रकरण प्रस्तुत किये गए। हमने 1307 प्रकरणों में प्रतिदाय कार्यवाही शुरू करने में विलंब अवलोकित किया। इनमें से 45 प्रकरणों[4] में प्रतिदाय की संस्वीकृति के लिए प्रकरणों को प्रेषित किये जाने में 1 वर्ष से अधिक अवधि का

[4] संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को प्रकरणों को भेजे जाने में दिनों के विलंब की श्रेणी

15 तक	15 से 30	30 से 90	90 से 180	180 से 365	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
3	7	18	53	56	24	19	2

संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा कराधान प्राधिकारियों को प्रकरण वापस किये जाने में दिनों के बिलम्ब की श्रेणी

15 तक	15 से 30	30 से 90	90 से 180	180 से 365	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
8	11	45	40	45	44	24	1

विलंब रहा, प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस करने में 69 प्रकरणों में 1 वर्ष से अधिक अवधि का विलंब रहा। इसके अतिरिक्त, व्यवसायियों को भुगतान करने के लिए प्रतिदाय भुगतान आदेश कोषालय प्रेषित किये जाने में 118 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक अवधि और तीन प्रकरणों में पाँच वर्ष से अधिक अवधि का विलंब हुआ।

विभाग द्वारा प्रतिदाय प्रकरणों के सटीक और समय से निष्पादन की निगरानी के लिए विहित पंजियों का नियमित रखरखाव और विवरणियों के नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारात्मक उपाय किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

2.8.7.2 प्रतिदाय कार्यवाही शुरू करने में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना

आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 8 मई 2007 के निर्देशों के अनुपालन में प्रतिदाय के लिए समस्त प्रक्रियायें 60 दिनों में पूर्ण हो जानी आवश्यक हैं ।

चयनित इकाईयों में 4455 प्रकरणों की नमूना जॉच के दौरान हमने पाया कि तीन इकाईयों[5] में 2005–06 और 2009–10 के मध्य की अवधि हेतु 20 व्यवसाईयों के 20 प्रकरणों में मई 2010 और नवम्बर 2012 के बीच राशि ₹ 91.79 लाख के प्रतिदाय का निर्धारण/पुनः निर्धारण किया गया। विभाग की निष्क्रियता के कारण प्रतिदाय कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी तथा ये प्रकरण बिना किसी कार्यवाही लंबित रहे । इसके फलस्वरूप ₹ 91.79 लाख के प्रतिदाय प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित रहे जिसका विवरण **परिशिष्ट–2** में दिया गया है।

विभाग की निष्क्रियता के कारण 20 प्रकरणों में प्रतिदाय प्रक्रिया शुरू नहीं हुई ।

निर्गम सम्मेलन में विभाग तथ्यों पर सहमत हुआ और सही प्रतिदाय के समय सीमा में कार्यवाही के अनुसरण के लिए कम्प्यूटर आधारित माड्यूल लाये जाने का आश्वासन दिया गया।

विभागीय कर्मचारियों को स्वयं को, सेवा प्रदान करने के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमीनार/कार्यशालाओं में यह समाहित किया जाये।

[5] ग्वालियर (2) और इन्दौर

2.8.7.3 प्रतिदाय के भुगतान के पूर्व देयताओं का समायोजन नहीं किया जाना

अधिनियम में समाहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिदाय संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को अधिकार होगा कि प्रदाय किये जाने वाले प्रतिदाय में से इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरसन किये गये अधिनियम या मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी वर्ष से सम्बंधित वसूली योग्य कर, शास्ति, ब्याज या उसके किसी भाग को वापिसी योग्य राशि से समायोजन के लिए उपयोग करेगा और तब यदि कोई शेष हो, रहने पर उसका प्रतिदाय करेगा।

चयनित इकाईयों में नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि एक क्षेत्रीय कार्यालय[6] एवं दो वृत्त कार्यालय[7] में चार व्यवसायियों के अवधि 2007–08 और 2010–11 के मध्य के पॉच प्रकरणों में राशि ₹ 2.39 लाख का प्रतिदाय अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य निर्धारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायियों के या तो समान अवधि या ब्लॉक अवधि के अन्य प्रकरणों में लंबित मांग राशि के समायोजन किये बिना प्रतिदाय भुगतान आदेश जारी किया गया। यह अनियमित था जिसके कारण अधिक प्रतिदाय हुआ ।

व्यवसाईयों के अन्य प्रकरणों में लंबित मांग का समायोजन किये बिना प्रतिदाय भुगतान आदेश जारी करने के फलस्वरूप अधिक प्रतिदाय हुआ

निर्गम सम्मेलन में विभाग प्रतिदाय के भुगतान के पूर्व देयताओं के समायोजन नहीं किये जाने के तथ्यों पर सहमत हुआ एवं यह बताया गया कि कम्प्यूटर आधारित मॉड्यूल के द्वारा कमियां दूर हो जायेंगी ।

व्यवसायी को प्रतिदाय देने के लिए पहले लंबित मांगों के समायोजन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु विभाग ध्यान दे।

[6] सागर

[7] सागर और इटारसी

2.8.7.4 स्वकर निर्धारण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकार किये गये प्रकरणों का अनियमित पुनः कर निर्धारण

जब पंजीकृत व्यवसाई वर्ष की किसी अवधि के लिए निर्धारित तरीके से सभी विवरणियां या संशोधित विवरणियां विहित समयावधि में या ऐसे व्यवसायी के प्रकरण में जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 40 लाख से अधिक नहीं है, के लिए, अगले वर्ष के 31 जुलाई के पहले, विवरणी या संशोधित विवरणी के अनुसार देय कर का ब्याज के साथ, यदि कोई हो, भुगतान किया गया है और आदेश द्वारा आवश्यक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है तब, उसके निर्धारण को स्वकर निर्धारण के अन्तर्गत मान्य किया जायेगा, इस प्रकार के निर्धारण के लिए प्रत्येक व्यवसायी के लिए, जिसे अंकेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत ही मान्य किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश वैट एक्ट, 2002 की धारा 20–ए (2) के प्रावधान के अनुसार आयुक्त, व्यवसाईयों के मान्य किये गये स्वकर निर्धारणों में से कुछ व्यवसाईयों का, जैसा कि वह उचित सम्मेलन, पुनः कर निर्धारण हेतु चयन करेगा ।

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी जबलपुर एवं सहायक आयुक्त इन्दौर की जून 2013 नमूना जांच के दौरान हमने पाया चार व्यवसायियों के प्रकरणों में प्रतिदाय के लिए पुनः निर्धारण किया गया जबकि व्यवसायियों द्वारा पहले ही इन प्रकरणों में स्वकर निर्धारण के तहत् प्रतिदाय हेतु आवेदन किया गया जिसे विभाग द्वारा मान्य किया गया । जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक प्रतिदाय सृजित हुआ।

व्यवसायी के प्रमाण का चयन पुनः कर निर्धारण के अंतर्गत नहीं किया जाना था। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु नहीं चुना जाना चाहिए था ।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने इन तथ्यों पर सहमति व्यक्त की एवं प्रकरण में जांच एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

2.8.7.5 मंजूरी की सीमा से बढ़कर प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा मई 2007 एवं अगस्त 2009 में संदर्भित निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रतिदाय स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों को मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई अर्थात् वाणिज्यिक कर अधिकारी के लिए ₹ एक लाख से अनधिक, सहायक आयुक्त के लिए ₹ पांच लाख से अनधिक, उपायुक्त के लिए ₹ दस लाख से अनधिक, अपर आयुक्त के लिए ₹ 1.5 करोड़ से अनधिक एवं शेष प्रकरणों के लिए निदेशक को प्राधिकृत किया गया है ।

चयनित 31 इकाइयों में से एक क्षेत्रीय कार्यालय[8] एवं सात वृत्त कार्यालयों[9] में प्रतिदाय प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में प्रस्तुत 4455 प्रकरणों में से प्रतिदाय राशि ₹ 2.57 करोड़ के 21 प्रकरणों में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मंजूरी की सीमा से अधिक प्रतिदाय संस्वीकृत किया गया। प्राधिकारियों के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारण के निर्देशों में विहित प्राधिकारियों से निम्नतर प्राधिकारियों द्वारा प्रतिदाय संस्वीकृत किये गये । इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–3** में दर्शित विवरण के अनुसार राशि ₹ 2.57 करोड़ का अनियमित प्रतिदाय संस्वीकृत किया गया।

निर्गम सम्मेलन में विभाग तथ्य से सहमत हुआ तथा बताया कि प्रकरणों में कार्योत्तर स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त की जा चुकी है तथा निर्धारित वापसी की उचित स्वीकृति हेतु एक प्रणाली विकसित करने का आश्वासन दिया । विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह कार्योत्तर स्वीकृति का प्रश्न नहीं बल्कि स्वीकृति की सीमा से बाहर जाने का है ।

2.8.7.6 प्रतिदाय के समायोजन में असाधारण विलम्ब

आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 8 मई 2007 के अनुपालन में प्रतिदाय की समस्त प्रक्रिया 60 दिवस के अंदर पूर्ण की जानी होती है ।

निर्धारित प्रतिदाय के समायोजन करने में तीन वर्ष से अधिक का असाधारण विलम्ब हुआ ।

संभागीय कार्यालय–I, ग्वालियर की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि एक व्यवसायी[10] के वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के प्रकरणों में वापसी राशि क्रमशः ₹ 5.50 लाख और ₹ 10.81 लाख का निर्धारण क्रमशः मार्च 2009 और अप्रैल 2009 में किया गया । दोनों प्रतिदायों का वित्तीय वर्ष 2009–10 के सम्बंध में मई 2012 में समायोजन किया गया । इस प्रकार, निर्धारित वापसी तीन वर्ष से अधिक समायोजन हेतु अवशेष रही । इसके परिणामस्वरूप निर्धारित वापसी के

8 धार
9 ग्वालियर (2), हरदा, इंदौर (3) एवं जबलपुर
10 ग्वालियर डिस्टीलरीज

समायोजन में तीन वर्ष का असाधारण विलम्ब हुआ । यह प्रतिदाय प्रकरणों पर नियन्त्रण की कमी दर्शाता है ।

2.8.8 विभाग का आंतरिक नियंत्रण

2.8.8.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक अंग है और यह विभागीय निर्देशों, नियमों और कानून को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था को दुरूस्त और अच्छी सेवाएं, कर अपवंचन की संभावनाएं, अधिक वापसी को रोकना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण के लिए विभाग के वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का आवश्यक अंग है।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है । वित्त विभाग द्वारा भी प्रतिदाय की लेखापरीक्षा नहीं की गयी ।

आयुक्त वाणिज्यिक कर से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना एवं कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया था (मई 2013), आयुक्त वाणिज्यिक कर ने बताया (जुलाई 2013) कि विभाग में अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2010–11 से 2012–13 की अवधि के लिए वापसी की लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

निर्गम सम्मेलन में पृथक लेखापरीक्षा शाखा न होने के बारे में लेखापरीक्षा की चिन्ता से की विभाग द्वारा सहमति जतायी गयी और बताया गया कि विभाग द्वारा वापसी की लेखापरीक्षा के लिए विभाग में विद्यमान कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने के प्रयास किये जायेंगे ।

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना हेतु शासन विचार कर सकता है ।

2.8.8.2 निर्धारित रजिस्टरों का रखरखाव न करना/अनियमित रखरखाव

वापसी की प्रक्रियाओं तथा समयबद्धता से सम्बंधित आयुक्त वाणिज्यिक कर के निर्देशों के अनुपालन में निर्धारण प्राधिकारी तथा/या स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों द्वारा वापसी पर देय ब्याज के आदेश की फाइल तथा प्रपत्र डी डी (4) तथा 4 (ए) के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप में वापसी प्रकरणों की पंजी, वापसी प्रकरणों की निराकरण पंजी, स्वीकृति पंजी हेतु भेजे गये वापसी प्रकरण, वापसी पर भुगतान किये गये ब्याज की पंजी, आस्थगित ब्याज की पंजी, प्रोसिस सर्वर* पंजी, कोषालय को भेजी जाने वाली वापसी भुगतान आदेश (आर.पी.ओ.) की पंजी तथा मासिक डायरी संधारित किया जाना अपेक्षित है ।

* व्यवसायी को निर्धारण आदेश तथा मांग पत्र पहुंचाने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ।

लेखापरीक्षा के लिए अवधि मई से जुलाई 2013 में चयनित 31 इकाईयों में हमने प्रारूपित रजिस्टरों के रखरखाव की समीक्षा की। 31 इकाईयों की नमूना जांच में पाया गया कि 29 इकाईयों के निर्धारित प्रारूप के रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित 31 इकाईयों में से 23 इकाईयों में वापिसी भुगतान ओदश रजिस्टर और 30 इकाईयों में प्रोसेस सर्वर रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवसाइयों के देयों की समय से वापसी के लिए इन रजिस्टरों की समीक्षा महत्वपूर्ण है, रजिस्टरों के सही रखरखाव के अभाव में, स्वीकृति के बाद भी वापसी परिणामस्वरूप विलम्ब से हुई। इसी प्रकार मासिक डायरी और फार्म डी.डी. (4) का संधारण भी क्रमशः 15 और 9 इकाईयों में नहीं किया गया।

समय से प्रतिदाय हेतु आवश्यक निहित रजिस्टर संधारित नहीं किये गये थे ।

निर्गम सम्मेलन में विभाग तथ्य से सहमत हुआ तथा बताया कि समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए एक कम्प्यूटर आधारित मॉडयूल संस्थापित किया जायेगा जो समय पर सही वापसी सुनिश्चित करने में मदद करेगा ।

निर्धारित प्रारूप में पंजियों/अभिलेखों का संधारण न किये जाने से वापसियों के सामायिक निराकरण पर निगरानी एवं नियंत्रण को बाधित करेगा ।

2.8.8.3 रजिस्टर और विवरणियों के संधारण पर नियंत्रण का अभाव

समीक्षा वापसी के समय से निष्पादन हेतु रजिस्टर/ विवरणियों में उचित प्रारूप में रख रखाव पर नियंत्रण हेतु कोई कार्य प्रणाली नहीं थी ।

विभाग से समय से और सुनिश्चित वापसी के लिए कोई अलग से वापसी तन्त्र की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में, वापसी हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी, वापसी प्रकरण का निर्धारण कर, कर निर्धारण आदेश के 7 दिन के अंदर, वापसी स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास भेजते है और सक्षम प्राधिकारी 15 दिन के अंदर या तो वापसी स्वीकृत कर अथवा प्रकरण को निर्देशों के साथ वापस करते है। समय से वापसी प्रकरण की देखरेख हेतु विभाग द्वारा निर्धारित रजिस्टर और विवरणियों का रखरखाव कर, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। तथापि, हमने देखा कि विभाग के अंदर वापसी प्रकरणों के बारे में विहित रजिस्टर तथा समय से विवरणियों के प्रस्तुतिकरण और वापिसी निर्धारण में नियमों के पालन पर निगरानी हेतु कोई कार्यप्रणाली नहीं थी । परिणामस्वरूप समय पर वापसी प्रकरणों के निराकरण पर निगरानी के लिए नियन्त्रण रजिस्टर एवं विवरणियां विहित करने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अपूर्ण रहा ।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग वापसी के लिए पृथक तन्त्र न होने के तथ्य से सहमत था ।

शासन रजिस्टरों/विवरणियों के संधारण हेतु आदेशों/निर्देशों के पालन को लागू एवं उस पर निगरानी हेतु कार्यप्रणाली संस्थापित करने पर विचार कर सकता है ।

2.8.9 अनुपालन सम्बंधी कमियां

2.8.9.1 कर की गलत दर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप अमान्य वापसी

टर्नओवर गलत अवधारित करने के कारण 22 प्रकरणों में अनियमित वापसी ।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय [11] और तीन वृत्त कार्यालयों[12] में, मई और जुलाई 2013 के मध्य अवलोकित किया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 की अवधि के लिए अप्रैल से नवम्बर 2012 के मध्य पांच व्यवसाइयों के पॉच प्रकरणों में कर योग्य टर्नओवर ₹ 1.63 करोड़ पर गलत दर से करारोपण तथा ₹ 2.73 लाख की वापसी निर्धारित की गयी। परिणामस्वरूप न केवल ब्याज/शास्ति ₹ 20.68 लाख सहित ₹ 28.20 लाख का कम आरोपण हुआ बल्कि ₹ 2.73 लाख अमान्य वापसी का भुगतान भी हुआ जो कि अन्यथा देय नहीं था जिसका विवरण **परिशिष्ट–4** में दर्शाया गया है ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा तीन प्रकरणों में बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि रेत और गिट्टी का सीमेंट के साथ उपयोग किया गया और सीमेण्ट अंतिम स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में थी। उत्तर सुसंगत नहीं हैं क्योंकि व्यापारिक खाते के अनुसार

[11] सतना

[12] ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर

सीमेण्ट के उपयोग के बारे में और क्रय सूची के अनुसार स्पष्टतः सीमेण्ट के उपयोग पर करारोपण गलत दर से किया गया था ।

शेष एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि माल जिसका उपयोग रक्षा विभाग की इकाई, केन्द्र सरकार संस्थान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है द्वारा किया गया; पर करारोपण की दर 5 प्रतिशत है। रक्षा विभाग को बिक्री किये गये माल को घटाने के बाद शेष बिक्री पर गलत दर से करारोपण करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

2.8.9.2 टर्नओवर का गलत निर्धारण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अंतर्गत किसी अवधि के टर्नओवर का अर्थ व्यवसायी द्वारा माल की बिक्री में से निश्चित अवधि में विक्रय वापसी की राशि को घटाने के बाद कुल बिक्री मूल्य प्राप्त करना या प्राप्ति योग्य कुल बिक्री मूल्य है । करयोग्य टर्नओवर प्राप्त करने के लिए धारा (नियम) के अनुसार, बिक्री मूल्य में कर की राशि घटाते है। यदि वह कुल बिक्री मूल्य में शामिल है, पैकिंग मैटीरियल पर उसी दर से कर देय है जिस दर से उसके अंदर की सामग्री पर कर देय है।

हमने दो क्षेत्रीय कार्यालय[13] और सात वृत्त कार्यालयों[14] में मई और जुलाई 2013 के मध्य अवलोकित किया कि 2008–09 और 2011–12 के मध्य अवधि के 1621 प्रकरणों में से 22 व्यवसाइयों के 22 प्रकरणों का निर्धारण अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य हुआ जिनमें ₹ 56.39 लाख की वापसी निर्धारित की गयी। हमने देखा कि व्यवसाइयों के अंकेक्षित खातों/विक्रय सूची/ संबंधित आंकड़ों के अनुसार कुल टर्नओवर ₹ 22.56 करोड़ कम अवधारित हुआ । कर निर्धारण प्राधिकारी ने 22 प्रकरणों में कुल टर्नओवर ₹ 63.92 करोड़ अवधारित किया। इस प्रकार, ₹ 22.56 करोड़ के कुल टर्नओवर पर कर निर्धारण नहीं किया गया और परिणामस्वरूप ब्याज/शास्ति ₹ 31.20 लाख सहित ₹ 1.61 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसके कारण इन 22 प्रकरणों में ₹ 56.39 लाख की वापसी अनियमित निर्धारित की गई ।

गलत दर से कर लागू करने के कारण कर कम प्रभारित हुआ तथा अमान्य वापसी भी हुई ।

मई 2013 और जुलाई 2013 में हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ने मई और जुलाई 2013 में 17 प्रकरणों के बारे में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। एक व्यवसायी के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने सुसंगत जवाब नहीं दिया जबकि बाकी चार व्यवसाइयों के प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी के जवाब **परिशिष्ट–5** में विस्तृत दिए गए हैं ।

13 इन्दौर, सतना

14 देवास, ग्वालियर (2), हरदा, इन्दौर (2), जबलपुर

2.8.9.3 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 और उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अंतर्गत ''स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए इस क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर निर्दिष्ट दरों से प्रवेश कर आरोपणीय है ।

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर लागू कर या तो आरोपित नहीं किया गया अथवा गलत दर लागू कर आरोपित किया गया परिणामस्वरूप अनियमित वापसी भुगतान हुआ ।

हमने संभागीय कार्यालय सतना, दो क्षेत्रीय कार्यालय[15] और पॉंच वृत्त कार्यालयों[16] में मई और जून 2013 के मध्य, अवलोकित किया कि 2008–09 और 2010–11 के मध्य की अवधि के अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के मध्य निर्धारित/पुनः निर्धारित नौ व्यवसाइयों के नौ प्रकरणों में, स्थानीय क्षेत्र में उत्पाद जैसे कोल्ड ड्रिंक, आयरन और स्टील और दूर संचारीय टावर सामान, सीमेण्ट और रेत आदि जिसका मूल्य ₹ 19.35 करोड़ था, पर प्रवेश कर या तो नहीं लगाया गया या कम दर से लगाया गया । परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति ₹ 45.65 लाख सहित ₹ 67.48 लाख के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ/कम आरोपण हुआ ।

हमने आगे अवलोकित किया कि इसी अवधि में 9 व्यवसाइयों को ₹ 0.47 लाख प्रवेश कर की, ₹ 53.48 लाख के वैट तथा ₹ 1.28 लाख के केन्द्रीय कर की वापसी स्वीकृत की गयी थी । यदि उचित दर से व्यवसाइयों पर प्रवेश कर आरोपित किया गया होता तो व्यवसायी को दी जाने वाली वापसी ₹ 55.23 लाख कम होती जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** में दर्शाया गया है।

कर निर्धारण प्राधिकारी ने सभी 9 प्रकरणों के बारे में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।

[15] धार, सतना

[16] भोपाल, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर और सागर

2.8.9.4 आगत कर पर अमान्य वापसी की छूट

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा–14 के अनुसार जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अधिनियम की अनुसूची II में उल्लिखित (अनुसूची में भाग –III को छोड़कर) माल, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से कर का भुगतान करने के पश्चात क्रय करता है तो उसे इस आगत कर की राशि के बराबर आगत कर रिबेट की पात्रता होगी । आगत कर रिबेट की असमायोजित राशि को अग्रवर्ती वर्ष में देय कर के लिए समायोजित किया जायेगा ।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय[17] और दो वृत्त कार्यालयों[18] में जून 2013 में अवलोकित किया कि चार व्यवसाइयों के 2006–07 और 2010–11 के मध्य की अवधि के लिए 2009–10 और 2012–13 के मध्य निर्धारित प्रकरणों में अमान्य वापसी स्वीकृत की गयी। विवरण निम्नलिखित है :

आगत कर रिबेट की गलत छूट देने के कारण अमान्य वापसी का भुगतान हुआ।

- **दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा असमायोजित आगत कर रिबेट ₹ 1.04 लाख को अगले वर्ष में समायोजित करने के बजाय ₹ 1.19 लाख की आगत कर की वापसी स्वीकृत की गयी।**
- **एक दूसरे प्रकरण में वापसी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में ₹ 20.11 लाख का आगत कर रिबेट (छूट) को सत्यापित करने के बजाय निर्देशों को प्राप्त करते ही अगले दिन देय प्रवेश कर ₹ 3.66 लाख का समायोजन करने के बाद ₹ 16.44 लाख का वापसी भुगतान आदेश जारी किया गया।**
- **एक प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने आयात पर गलत आगत कर छूट ₹ 40.76 प्रदान की तथा वापसी ₹ 1.47 लाख निर्धारित की ।**

चार व्यवसायियों को **₹** 4.67 लाख की आगत कर छूट की अनियमित वापसी स्वीकृत की गयी। प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–7** में है।

सभी चार प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

[17] धार

[18] भिण्ड और ग्वालियर

2.8.9.5 'ई–1 एवं सी' के अनियमित घोषणापत्र के आधार पर कटौती की स्वीकृति

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अनुसार जहां किसी माल का विक्रय अंतर्राज्यीय विक्रय या वाणिज्य के अनुक्रम में या तो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य या ऐसे सामान का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर स्वत्व दस्तावेजों का स्थानांतरण होने पर, इसी तरह की बिक्री पर माल की आवाजाही से सम्बंधित दस्तावेजों पर इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को कर से छूट प्राप्त होगी। आगे, सी.एस.टी. (आर एण्ड टी) नियमों के नियम 12(1) के प्रावधानों के अनुसार, दो व्यवसाइयों के मध्य किसी वित्तीय वर्ष की एक त्रैमासिकी के लिए बिक्री के सभी लेन देन एक घोषणापत्र से मान्य है।

जबलपुर और सागर के वृत्त कार्यालयों की जून 2013 में नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि :

- कर निर्धारण प्राधिकारी ने ई–1 एवं सी[19] घोषणा पत्र के आधार पर संबंधित बिक्री की छूट प्रदान की। बिक्री सूची तथा संबंधित ई–1 एवं सी घोषणा पत्र जिस पर छूट मांगी गयी वहां ऐसी बिक्री क्रय करने के पहले ही की गयी। छूट तभी संभव थी जब बिक्री क्रय के बाद हो, टर्नओवर के लिए छूट की पात्रता नहीं थी। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरण का गलत कर निर्धारण करते हुए शास्ति ₹ 3.27 लाख सहित निर्धारित कर ₹ 4.36 लाख के बजाय ₹ 62,638 की वापसी निर्धारित की ।

अनियमित घोषणापत्रों के आधार पर छूट प्रदान करने के कारण अनियमित वापसी हुई ।

- कर निर्धारण अधिकारी ने एक त्रैमासिकी से अधिक लेन देनों से सम्बंधित 'सी' फार्म पर रियायती दर से करारोपण किया जो कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार गलत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7,050 की कर राशि का कम आरोपण हुआ। व्यवसायी को इसी अवधि में प्रवेश कर प्रकरण में ₹ 10,108 की वापसी निर्धारित की गयी।

एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने क्रय के पूर्व विक्रय से सम्बंधित प्रकरण के बारे में बताया कि सही तिथि 30.05.2006 के स्थान पर गलत तिथि 30.06.2006 अंकित हो गयी, अतः कर का कम आरोपण नही हुआ है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि 30.05.2006 को 'सी' फार्म पर दूसरे व्यवसायी को माल बेचा गया, अतः व्यवसायी को अनियमित कटौती की छूट दी गयी।

[19] केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के अनुसार 'ई–1' रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिससे माल क्रय किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और 'सी 'प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसे माल बेचा गया से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है।

दूसरे प्रकरण के बारे में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी ।

2.8.9.6 कर निर्धारण में अनियमित टी.डी.एस. का समायोजन

अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार, क्रेता, संकर्म संविदा के निष्पादन में व्यवसायी के खाते में नकद, चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भुगतान करने से पहले, क्रेता व्यवसायी को भुगतान किए जाने वाली राशि से कर के रूप में घटा देगा तथा उस राशि को कोषालय में बतायी गयी रीति और विहित कालावधि में जमा करेगा। धारा 26–ए के प्रावधान के अनुसार, अधिसूचित वस्तुएं जैसे मस्टर्ड का क्रेता फार्म 31–ए में कर कटौती का एक प्रमाण पत्र विक्रेता को जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र एक कैलेण्डर माह में होने वाले लेनदेनों के लिए प्रभावी है।

जून 2013 में दो क्षेत्रीय कार्यालय[20] और दो वृत्त कार्यालयों[21] में नमूना लेखापरीक्षा में हमने देखा कि तीन प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने टी.डी.एस. समायोजन की छूट प्रदान की जबकि वह उस वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं थे जिसमें समायोजन किया जाना था। हमने आगे देखा कि तीन प्रकरणों में सरकारी कोषालय में टी.डी.एस. से कर के भुगतान (जमा) होने का कोई प्रमाण नहीं था और एक माह से अधिक मस्टर्ड की बिक्री के लेन देन के लिए टी.डी.एस. प्रमाणपत्र का उपयोग किया गया जो संबंधित प्रावधान का उल्लंधन था । परिणामस्वरूप, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कर के विरूद्ध ₹ 63.37 लाख के अनियमित टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों के आधार पर ₹ 58.99 लाख की वापसी की छूट प्रदान की गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** के अनुसार है।

सभी प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

[20] भोपाल और सतना

[21] ग्वालियर और सतना

2.8.9.7 शास्ति आरोपित न करना

अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, जहां इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरसित किये गये अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी का कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण किया जा चुका है और कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से, किसी कालावधि के दौरान कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है या कर निर्धारण करते समय आगत कर की गलत रिबेट दी गयी है, तो आयुक्त व्यवसायी का कर के लिए निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कर सकेगा। आगे, जहां कर निर्धारण व्यापारी की गलती के कारण हुआ वहां आयुक्त इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित कर के 3.5 गुने से अनधिक किन्तु निर्धारित कर के तीन गुना से कम नहीं, शास्ति आरोपित करेगा ।

जून 2013 में, चयनित इकाईयों में से वृत्त कार्यालय ग्वालियर और सतना की नमूना जांच में, हमने अवलोकित किया कि चार व्यवसायी के चार प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने 2007–08 से 2009–10 की अवधि के लिए अप्रैल और अगस्त 2012 के मध्य पुनः कर निर्धारण में ₹ 61.32 लाख की वापसी निर्धारित की ।

पुनः कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने तीन प्रकरणों में व्यवसायियों को गलत आगत कर रिबेट (छूट) का दावा करने का दोषी पाया। एक प्रकरण में, व्यवसायी को आयात क्रय छिपाने का दोषी पाया गया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ₹ 70.07 लाख की शास्ति आरोपित करने में असफल रहे जिसका विवरण **परिशिष्ट–9** में दर्शाया गया है ।

सभी चार प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

2.8.10 निष्कर्ष

वापसी (प्रकरणों) का निष्पादन कर प्रशासन की संकार्य दक्षता को मापने का सूचक है। आयुक्त वाणिज्यिक कर को वापसी के कर निर्धारण प्रकरणों में वापसी हेतु नियमों के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इस संदर्भ में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । हमने अवलोकित किया कि लम्बित वापसी प्रकरणों के संचयन को रोकने के लिए वापसी हेतु कार्यप्रणाली पर नियन्त्रण की आवश्यकता थी । विभाग में पृथक से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। हमने देखा कि वापसी प्रकरणों के लिए रखे गये रजिस्टरों का उचित रखरखाव और समय पर वापसी प्रक्रिया को करने के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त निगरानी नहीं की गई ।

हमने वापसी के भुगतान के समय बकाया देयों का समायोजन न करने के, वापसी स्वीकृत करने की सीमा को अनदेखी करते हुए वापसी की अनियमित स्वीकृति, वापसी के समायोजन में असाधारण विलम्ब के प्रकरण अवलोकित किये । हमने यह भी देखा कि वापसी के कर निर्धारण प्रकरणों में सम्बंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इन कारणों से व्यवस्था की कमजोरियाँ उजागर होती हैं जिसके लिए वापसी प्रकरणों हेतु सशक्त प्रणाली एवं उपयुक्त स्तरों पर निगरानी की जाना अपेक्षित है ।

2.9 कर की गलत दर लागू किया जाना

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वैट कर तथा वैट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 18 (4) के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी आवधिक विवरणियों में दर्शाये गये अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का दायी होगा और यदि व्यवसायी द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण किया जाता है तब धारा 21 (2) के तहत निर्धारित कर की राशि के न्यूनतम 3 गुना किन्तु 3.5 गुने से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

हमने सितम्बर 2010 और फरवरी 2013 के मध्य दो संभागीय कार्यालयों[22] , 11 क्षेत्रीय कार्यालयों[23] तथा 14 वृत्त कार्यालयों[24] में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं, क्रयसूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि 2006–07 से 2009–10 की अवधि से सम्बंधित एवं जनवरी 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारित 37 व्यवसाईयों के 42 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 33.95 करोड़ के विक्रय टर्नओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.19 लाख ब्याज तथा शास्ति ₹ 1.38 करोड़ सहित ₹ 4.37 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरणों का उल्लेख तालिका क्र. 2.10 में किया गया है :

22 ग्वालियर, इन्दौर

23 भोपाल, देवास, ग्वालियर, इन्दौर (2), जबलपुर, मुरैना, सतना, सागर, शाजापुर तथा रतलाम

24 भोपाल (2), देवास, ग्वालियर, इन्दौर (4), जबलपुर (2), मुरैना, नीमच,शहडोल तथा उज्जैन

तालिका क्र. 2.10

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	कर की लागू दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कर के कम आरोपण की राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वा. क.अ.–I, भोपाल	2009–10 जनवरी 2011	फ्लस डोर	2.31	12.5	4/5	72.11 {(₹ 54.08 लाख शास्ति सहित (निर्धारित कर की तीन गुना)}
2	क्षे. स. अ.–II सतना	2009–10 नवम्बर 2011	प्लांट एवं मशीनरी और ट्रक	3.17	12.5	5/1.5	25.97
3.	क्षे. स. आ.–III, इन्दौर	2009–10 फरवरी 2012	एल्युमिनियम एफ. आर.पी. शीट, स्टील शीट और रिफरेक्टरीज	4.32	12.5/4/1.5	4/5/ निरंक	33.15
4.	क्षे. स. आ.–II, ग्वालियर	2008–09 जून 2011	रेडियल क्रेस्ट गेट	3.32	12.5	4	39.39 (₹ 11.16 लाख ब्याज सहित)

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच प्रकरणों[25] में ₹ 18.41 लाख की मांग (नवम्बर 2012 तथा जून 2013 के मध्य) सृजित की । अन्य दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 30.68 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (क्रमशः फरवरी तथा जुलाई 2012 में) । 14 व्यवसाईयों के 17 प्रकरणों में (सितम्बर 2010 और फरवरी 2013 के मध्य) कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन/ परीक्षण उपरान्त कार्रवाई हेतु सहमति दी गई।

17 व्यवसाईयों के 18 प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियां तालिका क्र. 2.11 के अनुसार हैं :

[25] क्षे.स.आ. जबलपुर (2), क्षे.स.आ. देवास (2), वा.क.का.–III जबलपुर

तालिका क्र. 2.11

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ लाख में)	कर की दर आरोपणीय/ आरोपित	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वा.क.अ.–II उज्जैन 1 (2 प्रकरण)	48.87	12.5 4/5	एक्वाशील्ड	वाटर प्रूफिंग में प्रयुक्त माल पर चार एवं पांच प्रतिशत की दर से कर देय है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि एक्वाशील्ड, वाटर प्रूफिंग कम्पाउण्ड/ ट्रीटमेंट मटेरियल है और अनुसूची में कोई विशिष्ट प्रविष्टि न होने से 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।
2.	क्षे.स.आ.–II ग्वालियर 1	39.39	12.5 4	रेडियल क्रेस्ट गेट	संविदा के अन्तर्गत जिस दर की वस्तु का स्थानान्तरण हुआ है उसी दर से कर निरूपित किया है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि दिया गया उत्तर कर की गलत दर के सन्दर्भ में लिये गये आडिट आक्षेप की व्याख्या नहीं करता।
3.	वा.क.अ. नीमच 1 वा.क.अ.–V भोपाल 1	36.68	12.5 4	होम यू.पी.एस.	व्यवसायी ने यू.पी.एस. (आई.टी.सामग्री) का विक्रय किया है जो कि चार प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	हम कर निर्धारण प्राधिकारी के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अंकेक्षित लेखे, क्रय सूची विक्रय के मात्रात्मक विवरणों के अनुसार विक्रित सामग्री आई.टी. सामग्री के बजाय यू.पी. एस. इनवर्टर प्रमाणित होती है जिस पर परिपत्र क्र. 292 दिनांक 31 जुलाई 2006 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	वा.क.अ. नीमच 3	17.36	12.5 4	फेल्ट कम्पोनेंट	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आयुक्त वा. क. मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2010[26] का संदर्भ देते हुए कथन किया कि फेल्ट कम्पोनेंट पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सन्दर्भित आदेश फेब्रिक से सम्बंधित है। फेल्ट कम्पोनेंट एक मशीनरी पार्ट है जिस पर आयुक्त वा.क. मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 29 मार्च 1995[27] के तहत 12.5 प्रतिशत कर देय है।
5.	वा.क.अ.–I उज्जैन 2	13.89	12.5 4	पेपर दोना एवं प्लेट्स	दोना एवं प्लेट्स खाकरा पत्तों से निर्मित होने से 4 प्रतिशत की दर से कर देय है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योकि अंकेक्षित लेखे, घोषणा पत्र (प्रपत्र–88) आदि में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि व्यवसायी द्वारा पेपर दोना एवं पेपर प्लेट्स का विक्रय किया है।
6.	क्षे.स.अ.–II इन्दौर 1 संभागीय उपायुक्त–II ग्वालियर 1	9.68	12.5 4	प्लान्ट एवं मशीनरी	कर निर्धारण प्राधिकारी इन्दौर ने बताया कि व्यवसायी द्वारा प्लांट एवं मशीनरी का स्क्रेप विक्रय किया है, जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी, ग्वालियर द्वारा प्रारम्भ में बताया गया कि व्यवसायी द्वारा सी.आई. मोल्ड का विक्रय किया है। बाद में उन्होंने बताया कि व्यवसायी द्वारा मशीनरी स्क्रेप विक्रय किया गया है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्यों कि अंकेक्षित खातों में स्पष्टतः पुराने प्लांट एवं मशीनरी का विक्रय दर्शाया गया है।

[26] मै. शान्ति टैक्सटाइल (2010)–17 एस.टी.जे, 485

[27] मै. सीलवैल नीमच (1995) 14 टी.एल.डी.–237

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	क्षे.स.अ.–VI इन्दौर 1	8.56	12.5 4	सी.आर. जी.ओ., लेमिनेशन	सी.आर.जी.ओ., लेमिनेशन ट्रांसफार्मर का पार्ट है अतः निरूपित कर सही दर से आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आयुक्त वा. क. के परिपत्र क्र. 292 दिनांक 29 जुलाई 2006 के अनुसार सी.आर.जी.ओ. लेमिनेशन 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
8.	क्षे.स.आ. रतलाम	6.48	12.5 4	इनवर्टर	व्यवसाई द्वारा यू.पी.एस. का विक्रय किया गया जो कि 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सन्दर्भित दस्तावेजों जैसे बैलेंसशीट, क्रय सूचियों से स्पष्टतः इनवर्टर्स का विक्रय स्थापित होता है।
9.	क्षे.स.आ. शाजापुर 1 क्षे.स.आ. सागर 1	4.54	12.5 4/5	ट्रैक्टर ऐसेसरीज	कर निर्धारण प्राधिकारी शाजापुर ने बताया कि विक्रीत माल ट्रैक्टर पार्ट्स थे जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी सागर ने बताया कि व्यवसायी द्वारा ट्रैक्टर पार्ट्स एसेसरीज के रूप में वारंटी वैलेंस पर प्रदान किया गया है और इसे व्यवसाय के लिये क्रय नहीं किया गया, इसलिये आरोपित कर सही था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उपलब्ध सन्दर्भित साक्ष्यों के दस्तावेजों जैसे क्रयसूची, अंकेक्षित लेखों से स्पष्ट है कि विक्रय ट्रैक्टर एसेसरीज का हुआ है।
10.	वा.क.अ.–V, इन्दौर 1	2.75	12.5 4	होर्डिंग	सत्यापन के पश्चात सही दर से कर निरूपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि होर्डिंग्स की कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है, इसलिये 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	क्षे.स.आ.–I भोपाल 1	0.89	12.5 4/5	एडहिसिव	एडहिसिव एक रासायनिक अवयव होने के कारण आरोपित कर सही था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अनुसूची में एडहेसिव की विशिष्ट प्रविष्टि न होने एवं आयुक्त वा.क. के परिपत्र क्र. 292 दिनांक 29 जुलाई 2006 के अनुसार एडहेसिव 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को फरवरी और अप्रैल 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

2.10 शास्ति का कम आरोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 21(2) के अनुसार जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, व्यवसायी की चूक के कारण हुआ हो, वहां इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के 3.5 गुने से अनधिक परन्तु 3 गुने से कम नहीं की, शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

2.10.1 हमने जून तथा अक्टूबर 2012 के मध्य संभागीय कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा दो क्षेत्रीय कार्यालयों[28] में अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखाओं, क्रय सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि चार व्यवसाईयों ने 2006–07 से 2008–09 की अवधि से सम्बंधित अपना कर योग्य टर्नओवर छिपाया था या निम्नतर दरों से कर का भुगतान किया था । कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य पुनः कर निर्धारण करते समय ₹ 2.06 करोड़ की न्यूनतम आरोपणीय शास्ति के विरूद्ध विभिन्न दरों से केवल ₹ 26.52 लाख की शास्ति आरोपित की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.80 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (जून और अक्टूबर 2012 के मध्य), कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक प्रकरण में ₹ 67.86 लाख अतिरिक्त मांग सृजित की गई (मई 2013) । शेष तीन प्रकरणों में (जून और अक्टूबर 2012 के मध्य) कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया

[28] छिंदवाड़ा तथा इन्दौर

कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को फरवरी और अप्रैल 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 52 के प्रावधान के अनुसार, यदि आयुक्त या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय बोर्ड को यह समाधान हो जाये कि व्यवसायी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा अपने विक्रय का गलत विवरण उपलब्ध कराया है तो वह अपवंचित कर की राशि के तीन गुने से कम नहीं किन्तु 3.5 गुने से अनधिक शास्ति आरोपित कर सकता है । मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार भी व्यवसायी पर शास्ति अधिरोपण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही होगी।

2.10.2 हमने जून 2012 में वृत्त–9, इन्दौर में अवधि 2007–08 के, अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं, क्रय सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि 2 प्रकरणों[29] में व्यवसायी द्वारा वैट निर्धारण और प्रवेश कर (ई.टी.) निर्धारण के अंतर्गत विक्रय के गलत विवरण प्रस्तुत किये। फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने पुनः कर निर्धारण के समय अप्रैल 2011 में छिपाये गये टर्न ओवर ₹ 22 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से आरोपणीय ₹ 88 लाख के स्थान पर ₹ 8.80 लाख का करारोपण निर्धारित किया, साथ ही मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अनुसार तीन गुना शास्ति के स्थान पर समान राशि की शास्ति आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

उसी व्यवसाई के प्रवेश कर के प्रकरण में ₹ 63 लाख के न्यूनतम निर्धारित कर के 3 गुने के स्थान पर ₹ 21 लाख के निर्धारित कर के बराबर शास्ति लगाई गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 42 लाख की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

[29] दो प्रकरणों में कर के बराबर शास्ति आरोपित की गई, एक प्रकरण में आगत कर छूट की राशि समायोजित करने के पश्चात शास्ति आरोपित की गई तथा एक अन्य प्रकरण में, एक मुश्त शास्ति आरोपित की गई ।

2.11 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहां कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात अधिनियम की अनुसूची–II के भाग–III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किन्हीं वस्तुओं का क्रय करता है तो उसे उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर की राशि के बराबर आगत कर छूट (आई.टी.आर.) प्रदान की जायेगी ।

2.11.1 हमने मार्च और नवम्बर 2012 के मध्य तीन क्षेत्रीय कार्यालयों[30], वृत्त कार्यालय इन्दौर में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि 2008–09 से 2009–10 की अवधि हेतु अप्रैल 2010 और फरवरी 2012 के मध्य कर निर्धारित चार व्यवसाईयों के चार प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 3.19 करोड़ की अमान्य आई.टी.आर. स्वीकृत की जैसा कि तालिका क्र. 2.12 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र. 2.12

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसाईयों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि/कर निर्धारण माह	हमारा प्रेक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षे.स.आ.–II सतना 1	2008–09 अप्रैल 2011	व्यवसायी को ₹ 71.82 करोड़ के क्रय मूल्य पर ₹ 5.06 करोड़ की आगत कर छूट प्रदान की गई, जबकि इसमें ₹ 42.94 करोड़ का क्रय अवधि 2006–07 एवं 2007–08 से सम्बंधित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ की अधिक आई. टी.आर की छूट प्रदान की गई।
इसे इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.49 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 4.50 करोड़ की मांग सृजित की गई थी (मई 2013) ।			
2.	वा.क.अ.–X इन्दौर 1	2009–10 फरवरी 2012	व्यवसायी ने ₹ 21.50 लाख का सेनेटरी सामान एवं टाईल्स मध्य प्रदेश के बाहर से क्रय किया। फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस पर ₹ 2.69 लाख की अमान्य आई.टी.आर. छूट स्वीकृत की गई।
इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितम्बर 2012) कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2014)।			

[30] भोपाल, जबलपुर तथा सतना

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	क्षे.स.आ.–I, भोपाल 1	2008–09 अप्रैल 2010	व्यवसायी द्वारा ₹ 16.12 की ट्रेड डिसकांउट प्राप्त की गई जिस पर आई.टी.आर. की पात्रता नहीं थी। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ट्रेड डिसकांउट की राशि सहित समस्त क्रय पर आई.टी.आर. स्वीकृत की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.01 लाख के आई.टी.आर. की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इसे इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मार्च 2012) कि सत्यापन पश्चात कार्यवाई की जायेगी ।			
4.	क्षे.स.आ.–I जबलपुर 1	2009–10 अक्टूबर 2011	व्यवसायी ने ₹ 5.74 लाख के आगत कर का भुगतान करने के पश्चात ₹ 71.46 लाख के मोबाईल और सिमकार्ड क्रय किये । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 6.39 लाख आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 65,470 की अमान्य आई.टी.आर. स्वीकृत की गई ।
इसे इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवसाई द्वारा चालानों के माध्यम से जमा किये गये ₹ 31,075 के समायोजन के पश्चात ₹ 34,395 की अतिरिक्त मांग सृजित की (जनवरी 2013) वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।			

हमने प्रकरण विभाग और शासन को फरवरी और मार्च 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 26–ए (4) के अनुसार, कथित धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो वस्तुएं स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के सम्बंध में अधिसूचित है, उन पर कोई आगत कर रिबेट का दावा नहीं किया जायेगा या स्वीकार नहीं किया जायेगा। सरसों और कपास को दिनांक 4 जनवरी 2008 तथा 3 अगस्त 2009 की अधिसूचना द्वारा उपरोक्त उपधारा के प्रावधानों के अंतर्गत टी.डी.एस. हेतु अधिसूचित किया गया है। आगे, कथित अधिनियम की धारा 21 (1)(डी) और (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान आगत कर रिबेट की गलत छूट व्यवसायी के कारण दी गई है तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जायेगी ।

2.11.2 हमने फरवरी 2011 और नवम्बर 2012 के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर तथा जबलपुर के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखे, क्रय सूची की नमूना जांच में पाया कि अवधि 2007–08 और 2009–10 के लिये फरवरी 2010 और फरवरी 2011 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाईयों के 2 प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा काटन बेल्स और सरसों के क्रय मूल्य पर ₹ 10.45 लाख की गलत आगत कर छूट प्रदान की (जनवरी से मार्च 2010)। चूंकि ये वस्तुएं टी.डी.एस. की कटौती हेतु

अधिसूचित थीं, इन प्रकरणों में आई.टी.आर. मान्य नहीं थी इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.26 लाख[31] की न्यूनतम शास्ति सहित ₹ 38.71 लाख की अमान्य आई.टी.आर. की स्वीकृति प्रदान की गई।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को अप्रैल 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहां एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की अनुसूची–II के भाग–III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न उक्त अनुसूची की वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के निर्माण में अथवा धारा–16 के अन्तर्गत कर मुक्त घोषित वस्तुओं के निर्माण में उपभोग या खपत हेतु क्रय करता है और व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के सम्बंध में आई.टी.आर. (आगत कर छूट) का दावा किया जाता है तो राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर माल के अन्यथा निवर्तन किये जाने की स्थिति में उस राशि की सीमा तक आई. टी. आर स्वीकृत की जायेगी जो राज्य के भीतर भुगतान की गई राशि से चार प्रतिशत अधिक है ।

2.11.3 हमने अक्टूबर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य दो संभागीय कार्यालयों[32], तीन क्षेत्रीय कार्यालया[33] तथा वृत्त कार्यालय, देवास में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच की । हमने पाया कि 2007–08 से 2008–09 और अप्रैल से दिसम्बर 2009 की अवधि हेतु अप्रैल 2010 और जून 2011 के मध्य कर निर्धारित छः व्यवसाईयों के छः प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 27.62 लाख आई.टी.आर. स्वीकृत की जबकि व्यवसाईयों को करमुक्त वस्तुओं के विक्रय या अन्यथा माल के निवर्तन पर चार प्रतिशत से अधिक राशि की गणना करने पर केवल ₹ 15.12 लाख की आगत कर छूट की पात्रता थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.50 लाख अमान्य आई. टी.आर. की छूट प्रदान की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में बताया (मई 2013) कि छिन्दवाड़ा ₹ 3.20 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है । शेष पांच व्यवसाईयों के पांच प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2012 और

31 एक प्रकरण में ₹ 9.42 लाख के आगत कर की अमान्य छूट की तीन गुना, एक अन्य प्रकरण में, जिसमें ₹ 1.03 लाख का कर प्रभाव सन्निहित था, शास्ति आरोपणीय नहीं थी ।

32 छिन्दवाड़ा, सागर

33 खण्डवा, खरगोन, सतना

जनवरी 2013 के मध्य) कि प्रकरणों के सत्यापन/परीक्षण के पश्चात कार्यवाही की जायेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को फरवरी और अप्रैल 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

2.12 टर्नओवर का गलत निर्धारण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अनुसार, किसी अवधि के टर्नओवर से तात्पर्य व्यवसाई द्वारा उस अवधि में वस्तुओं के किसी विक्रय या आपूर्ति के सम्बंध में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय वापसी की राशि को छोड़कर प्राप्त किये गये या प्राप्त करने योग्य विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग से है । कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार, यदि कर प्रदत्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा कर की राशि को विक्रय मूल्यों के कुल योग में सम्मिलित किया गया है, तो उसे टर्न ओवर से घटाया जाना चाहिए ।

हमने मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य संभागीय कार्यालय सागर, छः क्षेत्रीय कार्यालय[34] और 11 वृत्त कार्यालयों[35] में अभिलेखों जैसे निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं, क्रय सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि दिसम्बर 2008 तथा मार्च 2012 के मध्य 2006–07 एवं 2010–11 के मध्य की अवधि हेतु कर निर्धारित 25 व्यवसायियों के 25 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय ₹ 174 करोड़ का करयोग्य टर्न ओवर निर्धारित किया। हालांकि, हमने देखा कि इन व्यवसायियों के अंकेक्षित लेखाओं में दर्ज कुल टर्न ओवर ₹ 216 करोड़ था । इस प्रकार टर्न ओवर ₹ 42 करोड़ कम निर्धारित किया गया जिसे कर की गणना में नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

कुछ उदाहरणों का उल्लेख तालिका क्र. 2.13 में किया गया है :

34 भोपाल, ग्वालियर (2), जबलपुर, खण्डवा तथा मुरैना

35 भोपाल (2), ग्वालियर (2), इन्दौर (3), जबलपुर, सतना, रीवा तथा वैढ़न

तालिका क्र. 2.13

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर
1.	क्षे.स.आ.–V, भोपाल	कर निर्धारण प्राधिकारी ने कुल टर्नओवर से अंतर्राज्यीय विक्रय बावत् ₹ 15.32 करोड़ की कटौती की अनुमति प्रदान की। तथापि, उसी अवधि के लिए व्यवसायी के केन्द्रीय प्रकरण के निर्धारण आदेश से पता चला कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कुल टर्नओवर निरंक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.28 लाख के कर का अनारोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (नवम्बर 2011) कि प्रकरणों के सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।
2.	वा.क.अ.–I, जबलपुर	कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाये अनुसार करयोग्य टर्नओवर ₹ 10.91 करोड़ के विरूद्ध करयोग्य टर्नओवर ₹ 8.30 करोड़ निर्धारित किया। आगे कर निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय वापसी बावत् ₹ 19.23 लाख की गलत कटौती स्वीकार की जबकि अंकेक्षित लेखों में शुद्ध विक्रय दर्ज था। इसके परिणामस्वरूप 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 34.98 लाख के कर का अनारोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि प्रकरणों के सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।
3.	वा.क.अ., वैढ़न	एक स्व–निर्धारित प्रकरण में व्यवसायी ने अंकेक्षित लेखों में दर्शाये ₹ 5.05 करोड़ के वास्तविक टर्नओवर के विरूद्ध ₹ 4.07 करोड़ का टर्नओवर निर्धारित किया। आगे कर निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2011 में स्व–निर्धारण को स्वीकार किया । इस प्रकार ₹ 98 लाख का कम करयोग्य टर्नओवर निर्धारित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 13 प्रतिशत की दर से ₹ 12.74 लाख के कर का कम करारोपण हुआ। साथ ही, इस प्रकार अपवंचित कर की कम से कम तीन गुना शास्ति ₹ 38.22 लाख भी आरोपणीय थी ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि चालानों के सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य), कर निर्धारण प्राधिकारी ने क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, जबलपुर से सम्बन्धित दो प्रकरणों में ₹ 45.13 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की (मार्च 2013)। अन्य 21 व्यवसाईयों के 21 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) कि सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी जबकि दो व्यवसाईयों के शेष दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर तालिका क्र. 2.14 में दिये गये हैं :

तालिका क्र. 2.14

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	अवधि निर्धारण का माह	संक्षेप में हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/हमारी टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वा. क.अ.–III, भोपाल	2010–11 मार्च 2012	मार्च 2012 में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये स्व–निर्धारण प्रकरण में, अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक टर्नओवर ₹ 6.60 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.28 करोड़ का करयोग्य टर्नओवर निर्धारित किया गया। इस प्रकार करयोग्य टर्नओवर ₹ 31.41 लाख कम निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि निर्धारित टर्नओवर कुल विक्रय टर्नओवर था न कि शुद्ध टर्नओवर। तथ्यों के तारतम्य में हम सहमत नहीं हैं क्योंकि विक्रय पर वैट पृथक से दर्शाया गया है तथा अंकेक्षित लेखों में विक्रय ₹ 6.60 करोड़ दर्ज है जो केवल शुद्ध विक्रय को दर्शाता है।
2.	उपायुक्त, सागर	2009–10 नवम्बर 2011	कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने उर्वरकों का आयात क्रय ₹ 47.86 लाख कुल आयात क्रय में सम्मिलित नहीं किया और तदनुसार उस सीमा तक कुल विक्रय कम निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.18 लाख की शास्ति सहित ₹ 9.57 लाख के कर का अनारोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि आयात सूची में सभी आयात क्रय सम्मिलित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झांसी (उ.प्र.) से ₹ 47.86 लाख के उर्वरकों के क्रय को कुल आयात क्रय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (ज

2.13 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत, खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों से प्रवेश कर आरोपणीय है । अधिनियम तथा मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार, यदि कोई व्यवसाई आवधिक विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा और कर निर्धारण में चूक व्यवसाई के कारण हुई है तो वह शास्ति के भुगतान का भी दायी होगा ।

हमने सात संभागीय कार्यालयों[36], ग्यारह क्षेत्रीय कार्यालयों[37], नौ वृत्त कार्यालयों[38] में अगस्त 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य अभिलेखों जैसे निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं क्रय–सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि मार्च 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य 2005–06 से 2009–10 अवधि के लिये कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित 37 व्यवसाईयों के 43 प्रकरणों में, ₹ 86.14 करोड़ मूल्य के लोहा एवं इस्पात, मोटर पार्ट्स, हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.), कोयला, फरनेस ऑयल, हेक्सेन, एच.डी.पी.ई./पी.पी. वोवन बैग इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर ₹ 86.14 करोड़ या तो आरोपित नहीं किया गया या गलत दर से आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 11.09 लाख और शास्ति ₹ 1.03 करोड़ सहित ₹ 2.67 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य), कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 13 प्रकरणों में ₹ 1.19 करोड़ की अतिरिक्त मांग (मार्च 2012 एवं जुलाई 2013 के मध्य) सृजित की, जिसमें से तीन प्रकरणों में ₹ 7.53 लाख (जून 2012 एव मई 2013 के मध्य) चालान के माध्यम से जमा किये गये । अन्य 28 प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य) कि सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। शेष दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर और हमारी टिप्पणियां तालिका क्र. 2.15 में दी गई हैं :

36 भोपाल (2), ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना तथा उज्जैन

37 भोपाल (2),ग्वालियर (2), इन्दौर (2), जबलपुर, खंडवा, मुरैना, सागर एवं सतना

38 धार, देवास, ग्वालियर (2), इन्दौर, रतलाम, सतना, उज्जैन एवं वैढ़न

तालिका क्र. 2.15

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसाइयों की संख्या	निर्धारण अवधि/ निर्धारण का माह	सामग्री का नाम/वस्तुओं का मूल्य (₹ लाख में)	लागू/लागू की गई कर की दर	विभागीय उत्तर	हमारी टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	उपायुक्त–I भोपाल 1	2008–09 अप्रैल 2011	लाइमस्टोन 326	10 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने चूना पत्थर के साथ मिट्टी का खनन किया था जो एक प्रतिशत की दर से करारोपण के योग्य है ।	लेखापरीक्षित लेखे के परिशिष्ट–XI के दृष्टिकोण से हम उत्तर से सहमत नहीं हैं जहां चूना पत्थर का क्रय दर्शाया गया न कि खनन।
2.	उपायुक्त–II भोपाल 1	2007–08 जुलाई 2010	फरनेस ऑयल 23.44 रेफ्रिजरेटर 37.10	1 निरंक 2 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि यह वास्तविक रूप से लाइट डीजल ऑयल का क्रय था, न कि फरनेस ऑयल का, जो अनुसूची–II का माल है और पंजीकृत व्यवसाई से क्रय किया गया । अतः इस पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था। आगे कर निर्धारण प्राधिकारी ने रेफ्रिजरेटर के विक्रय पर ₹ 37,105 की अतिरिक्त मांग सृजित की।	सम्बंधित दस्तावेजों, जैसे क्रय सूची और कर गणना शीट आदि में उपलब्ध तथ्यों जो फरनेस ऑयल के क्रय की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर से सहमत नहीं हैं।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी और मार्च 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

2.14 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में क्रेता व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित श्रेणियों का माल किसी पंजीयत व्यवसायी को विक्रय करता है, ऐसे टर्नओवर पर चार प्रतिशत की रियायती दर से (1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत तथा 1 जून 2008 से दो प्रतिशत) कर के भुगतान का दायी होगा यदि ऐसा विक्रय प्रपत्र 'सी' में घोषणा पत्रों से समर्पित है। आगे, उपरोक्त धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक विक्रेता व्यवसायी जो पंजीयत क्रेता व्यवसाई द्वारा निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एवं उसके द्वारा विधिवत पूरित एवं हस्ताक्षरित 'सी' फार्म में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह घोषित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में कर की रियायती दर के बजाय विर्निष्ट कर की दुगुनी दर से तथा अन्य वस्तुओं के सम्बंध में 31 मार्च 2007 तक दस प्रतिशत या निर्दिष्ट दर से, जो अधिक हो तथा 1 अप्रैल 2007 से अनुसूची दर से कर के भुगतान का दायी होगा।

2.14.1 हमने तीन क्षेत्रीय कार्यालयों[39], तीन वृत्त कार्यालयों[40] में मार्च एवं नवम्बर 2012 के मध्य अभिलेखों जैसे कि निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखाओं क्रय सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि जनवरी तथा दिसम्बर 2011 के मध्य 2006–07 से 2009–10 की अवधि हेतु कर निर्धारित आठ व्यवसाईयों के 10 प्रकरणों में ₹ 3.15 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय या तो रियायती दर से कर आरोपित किया या कर आरोपित ही नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.94 लाख के ब्याज सहित ₹ 36.42 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ/कम आरोपण हुआ। हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकरी ने क्षेत्रीय सहायक आयुक्त देवास से सम्बंधित एक प्रकरण में ₹ 1.18 लाख की मांग सृजित की (नवम्बर 2013) तथा एक व्यवसायी के अन्य दो प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा तदनुसार कर आरोपित किया जायेगा। दो व्यवसाईयों के दो अन्य प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों के सत्यापन/परीक्षण उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

चार व्यवसाईयों के शेष पांच प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों एवं हमारी टिप्पणियां तालिका क्र. 2.16 में दी गई है :

39 देवास, जबलपुर, उज्जैन

40 मुरैना, नीमच, उज्जैन

तालिका क्र. 2.16

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अवधि निर्धारण का माह	वस्तु टर्नओवर (₹ लाख में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गयी कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित/कम आरोपित कर की राशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वा.क.अ.–I उज्जैन 2	2008–09 जनवरी 2011 2008–09 फरवरी 2011	पेपर दोना एवं प्लेट्स 38.06	12.5	4	3.24
व्यवसायी ने अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया था । तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने चार प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया। हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि दोना और प्लेटें घोषणा–पत्र पर विक्रय किये गये थे। कर निर्धारण प्राधिकारी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विक्रय 'सी' फार्म से समर्थित नहीं था जैसा कि निर्धारण आदेश में उल्लिखित है।						
2.	वा.क.अ.–नीमच 2 (3 प्रकरण)	2008–09 एवं 2009–10 अप्रैल एवं नवम्बर 2011 2009–10 नवम्बर 2011	फैल्ट कम्पोनेंट 25.59 9.24	12.5 12.5	4 5	2.18 0.69
व्यवसायी ने अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने चार और पांच प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि फैल्ट कम्पोनेन्ट आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2010 के अनुसार चार प्रतिशत की दर से करयोग्य है। हम कर निर्धारण प्राधिकारी के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि संदर्भित आदेश फेब्रिक्स से सम्बंधित है एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 29 मार्च 1995 में सीलवेल नीमच (1995) 14 टी.एल.डी. -237 के अनुसार, फेल्ट कम्पोनेंट एक मशीनरी पार्ट है।						

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी और अप्रैल 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

1 अप्रैल 2007 से प्रभावशील अधिसूचना क्र. 1/2007 सीएसटी–एफ. क्र.–34/135/2005 दिनांक 29 मार्च 2007 के अनुसार, प्रत्येक व्यवसायी सी फार्म द्वारा समर्थित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बन्ध में तीन प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का दायी होगा। अधिसूचना क्र. 1277 दिनांक 30 मई 2008 के द्वारा कर की दर घटाकर दो प्रतिशत कर दी गई जो जून 2008 से प्रभावी है ।

2.14.2 हमने संभागीय कार्यालय सतना, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल और वृत्त कार्यालय सतना में फरवरी तथा अगस्त 2012 के मध्य अभिलेखों जैसे निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखों, क्रय सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि जनवरी तथा जून 2011 के मध्य 2008–09 की अवधि के लिये कर निर्धारित तीन व्यवसाईयों के तीन प्रकरणों में, ₹ 5.65 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रयों (सी फार्म से समर्थित) पर कर या तो आरोपित नहीं किया गया या गलत दर से आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्र. 2.17 में दर्शाये अनुसार ₹ 1.22 लाख के ब्याज सहित ₹ 8.75 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ/कम आरोपण हुआ।

तालिका क्र. 2.17

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अवधि निर्धारण का माह	वस्तु टर्नओवर (₹ लाख में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गयी कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित/कम आरोपित कर की राशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वा.क.अ., वृत्त–II, सतना 1	2008–09 जुलाई 2011	चूना पत्थर 73.02	3	-	2.19
व्यवसायी ने दिनांक 31 मई 2008 तक के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में सी फार्म प्रस्तुत किया था, जिस पर 3 प्रतिशत की रियायती दर पर कर आरोपणीय था। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने उस पर कर आरोपित नहीं किया। हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।						
2.	क्षे.स.आ.–I, भोपाल 1	2008–09 जनवरी 2011	कॉपर स्ट्रिप्स 41.94 79.93	3 2	1 1	0.83 0.80
कर निर्धारण प्राधिकारी ने सी फार्म से समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रय पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।						
3.	उपायुक्त, सतना 1	2008–09 जून 2008	भारी मशीनरी 3.70	3	2	3.70 1.21 (ब्याज)
व्यवसायी ने दिनांक 31 मई 2008 तक के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में सी फार्म प्रस्तुत किया था, किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी ने उस पर तीन प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2012 में ₹ 2.78 लाख के ब्याज सहित ₹ 6.48 लाख की मांग सृजित की । वसूली का आगामी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।						

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी 2013 में प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)

2.15 गलत कटौती की अनुमति दिये जाने के कारण कर का कम आरोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2 (x)(iii) के अनुसार, विक्रय मूल्य के योग में शामिल कर की राशि घटाने के बाद करयोग्य टर्नओवर निर्धारित किया जाता है।

हमने क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन तथा नौ वृत्त कार्यालयों[41] में मई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य अभिलेखों जैसे निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखों, क्रय–सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि अप्रैल 2009 तथा जनवरी 2012 के मध्य 2006–07 से 2009–10 की अवधि हेतु कर निर्धारित 10 व्यवसाईयों के 11 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने टर्नओवर निर्धारित करते समय कुल विक्रय मूल्य में शामिल कर की राशि में ₹ 22.14 लाख की कटौती स्वीकार की। हालांकि हमने पाया कि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं था और इसलिए कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए थी । कटौती की इस अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 6.41 लाख के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 22.14 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मई 2012 एवं जनवरी 2013 के मध्य), वाणिज्यिक कर अधिकारी–IV, जबलपुर के एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने जुलाई 2012 में ₹ 81,142 की अतिरिक्त मांग सृजित की । 9 व्यवसाइयों के 10 अन्य प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (मई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य) कि प्रकरणों के सत्यापन उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी और अप्रैल 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

[41] भोपाल (2), देवास, ग्वालियर, इन्दौर (2), जबलपुर, खरगोन एवं मुरैना

2.16 गलत ढंग से करमुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची–I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से करमुक्त की गयी वस्तुओं को छोडकर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गयी हैं।

हमने संभागीय कार्यालय, इन्दौर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सागर में जुलाई एवं दिसम्बर 2012 के मध्य अभिलेखों जैसे निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, क्रय सूची आदि की नमूना जांच की और पाया कि दो व्यवसाईयों ने ₹ 1.59 करोड़ मूल्य के कीटनाशक, रेडीमेड वस्त्र तथा होजरी जैसी करयोग्य वस्तुओं का विक्रय किया था । तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य अवधि 2009–10 के लिये कर निर्धारण करते समय उन्हें गलत ढंग से करमुक्त मानकर उन पर कर आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.60 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (जुलाई एवं दिसम्बर 2012 के मध्य), एक प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी । दूसरे प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने दावा किया (दिसम्बर 2012) कि निर्धारण लेखा पुस्तकों एवं क्रय इनवाइस एवं विक्रय सूची के उचित सत्यापन के बाद किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अंकेक्षित लेखों में कीटनाशक का विक्रय स्पष्ट रूप से दर्ज है और यह वैट अधिनियम की अनुसूची–II की प्रविष्टि क्र. 24 के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को फरवरी एवं मार्च 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रवेश कर/क्रय कर के अनारोपण/कम आरोपण, करमुक्ति की गलत छूट, बन्द इकाईयों के कर की वसूली न होना, वृत्ति कर की वसूली न होना, शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, परिवहनकर्ताओं पर कर का अनारोपण, बिना घोषणा–पत्रों के विक्रय पर कर का अनारोपण/कम आरोपण की वसूली करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है ।

अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.)/सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.) के कार्यालयों में राज्य आबकारी राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच में पाये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 16.15 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अन्तर्निहित **"मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं निर्माण के दौरान हानियाँ"** पर एक प्रारूप कंडिका तथा ₹ 26.32 करोड़ की राशि से अन्तर्निहित उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहाँ हमने बेसिक लायसेंस फीस की कम वसूली, विदेशी/देशी मदिरा का अनियमित निर्यात/परिवहन, पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना/कम वसूली होना आदि, पाया जिनमें अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में राज्य आबकारी से करों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विभाग द्वारा जिसका कारण निष्पादन राशि में वृद्धि होना बताया गया।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, हमने 53,092 प्रकरणों में ₹ 675.38 करोड राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/राजस्व हानि आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 38,633 प्रकरणों में अन्तर्निहित राशि ₹ 440 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था एवं 4,568 प्रकरणों में ₹ 2.92 करोड़ की वसूली की ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों 2012–13 के अनुपालन की स्थिति	वर्ष 2012–13 में हमने राज्य आबकारी प्राप्तियों से सम्बंधित 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा 29,979 प्रकरणों में ₹ 191.78 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की हानि, शास्ति का अनारोपण आदि पाया।

	विभाग ने 19,810 प्रकरणों में ₹ 43.20 करोड़ की वसूली न होना/कम वसूली होना, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि आदि को स्वीकार किया, जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान इंगित किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान दो प्रकरणों में ₹ 2.83 करोड़ की राशि वसूल की गई।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को वसूल न की गई/कम वसूल की गई शुल्क, शास्ति तथा वार्षिक फीस को वसूल करने के लिये त्वरित कार्रवाई प्रारंभ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय–3
राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित या आदेशित किसी शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियाँ सन्निहित होती हैं। इसमें विक्रय के लिए मदिरा का विनिर्माण, आधिपत्य तथा प्रदाय, माँग एवं पापीस्ट्रा से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

राज्य आबकारी से प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं इनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं।

- मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम)
- मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 (एम.पी.एफ.एल. नियम)
- मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 (एम.पी.डी. नियम)
- मध्य प्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995 (एम.पी.सी.एस. नियम)
- मध्य प्रदेश यवासवनी एवं मद्य नियम (एम.पी.बी. एण्ड डब्लू नियम)
- औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 {एम.एण्ड टी.पी. (ई.डी.) अधिनियम}

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्यूअल (मैन्यूअल), 2012 की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों की देय बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान उसकी प्राप्ति की संभावना सहित वास्तविक माँग सम्मिलित/प्रक्षेपित की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा, सम्बन्धित विभाग/शासन से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त कर राजस्व अनुमानों को तैयार किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका क्र. 3.1 में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका क्र. 3.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-) (3–2) के मध्य	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2008-09	2,150.00	2,301.95	(+) 151.95	(+) 7.06	13,613.50	16.91
2009-10	2,850.00	2,951.94	(+) 101.94	(+) 3.58	17,272.77	17.09
2010-11	3,525.00	3,603.42	(+) 78.42	(+) 2.22	21,419.33	16.82
2011-12	4,200.00	4,316.49	(+) 116.49	(+) 2.77	26,973.44	16.00
2012-13	5,000.00	5078.06	(+) 78.06	(+) 1.56	30,581.70	16.60

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2008–09 में राजस्व संग्रहण ₹ 2301.95 करोड़ था जो 17.67 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 5,078.06 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 में राज्य उत्पाद शुल्क से कर संग्रहण में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा वृद्धि का कारण मदिरा दुकानों की नीलामी से निष्पादन राशि[1] में वृद्धि होना बताया गया। वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व में राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों का प्रतिशत 16.00 प्रतिशत से 17.09 प्रतिशत के मध्य रहा।

3.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान राज्य आबकारी से सम्बंधित सकल संग्रहण, संग्रहण पर व्यय तथा सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के सकल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ तालिका क्र. 3.2 में दर्शाया गया है :

[1] फुटकर मदिरा दुकानों का वार्षिक निष्पादन मूल्य

तालिका क्र. 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष के लिये राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1	2	3	4	5
2008-09	2,301.95	442.74	19.23	3.27
2009-10	2,951.94	685.12	23.21	3.66
2010-11	3,603.42	819.44	22.74	3.64
2011-12	4,316.49	973.88	22.56	3.05
2012-13	5,078.06	1,187.68	23.39	2.98

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है। हमने अवलोकित किया कि वित्त लेखे में 'वसूली प्रभारों' को दर्शाने वाला कोई पृथक लघु शीर्ष नहीं है, जैसा कि विक्रय/व्यापार पर कर, वाहनों पर कर आदि जैसे अन्य करों के प्रकरण में है, तथा विनिर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत भी अन्य व्यय के साथ–साथ शीर्ष ''2039–राज्य आबकारी'' के अंतर्गत लेखांकित की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में पूर्व में इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि विगत पांच वर्षो के दौरान विनिर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत को कम करके संग्रहण पर लागत 1.61 एवं 1.90 प्रतिशत के मध्य रही थी, जो राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कम थी।

शासन द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन के प्रभावी परिवीक्षण के लिये, जैसा कि अन्य करों के लिए किया जा रहा है ''वसूली प्रभार'' के रूप में एक पृथक उप शीर्ष खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। यद्यपि इसे 31 मार्च 2011 एवं 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, इस सम्बंध में सुधारात्मक उपाय अभी किये जाने हैं।

3.4 बकाया राजस्व

01 अप्रैल 2008 को बकाया आबकारी राजस्व ₹ 58.75 करोड़ था। विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान केवल ₹ 3.70 करोड़[2] ही वसूल किये गये। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग द्वारा बकाया की वसूली हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया और 31 मार्च 2013 को बकाया राशि बढ़कर ₹ 71.08 करोड़ हो गई जैसा कि तालिका क्र. 3.3 में दर्शाया गया है, इसमें से ₹ 5 .25 करोड की राशि न्यायालय में विचाराधीन है :

[2] विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी

तालिका क्र. 3.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अन्त शेष
1	2	3	4	5	6
2008-09	58.75	0.57	59.32	0.40	58.92
2009-10	58.92	4.76	63.68	1.18	62.50
2010-11	62.50	3.90	66.40	0.34	66.06
2011-12	66.06	0.98	67.04	0.37	66.67
2012-13	66.67	5.82	72.49	1.41	71.08

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग द्वारा वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित कर बकाया राजस्व को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने 48 कंडिकाओं में ₹ 122.77 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया था। इनमें से, विभाग/शासन ने 25 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 13.45 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था और केवल ₹ 80.50 लाख वसूल किये (31 मार्च 2013 की स्थिति)। विवरण तालिका क्र. 3.4 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 3.4

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनमें वसूली की गई	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	11	7.95	6	2.26	3	0.21
2008-09	18	21.68	10	1.71	5	0.23
2009-10	9	5.09	7	0.51	5	0.35
2010-11	8	38.74	1	6.73	1	0.007
2011-12	2	49.31	1	2.24	1	0.008
योग	**48**	**122.77**	**25**	**13.45**	**15**	**0.805**

विगत पांच वर्षों में स्वीकार किये गये प्रकरणों में से वसूल की गई राशि अत्यंत कम है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

3.5.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011 –12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 53,092 प्रकरणों में ₹ 675.38 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया था। इन प्रकरणों में से विभाग/शासन ने 38,633 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 440 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था और ₹ 2.92 करोड़ की वसूली की गई (31 मार्च 2013 की स्थिति)। विवरण तालिका क्र. 3.5 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 3.5

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	40	12,185	88.06	9,520	24.73	513	0.41	1.66
2008-09	50	12,489	115.01	10,677	99.14	1,971	0.65	0.66
2009-10	36	10,606	201.88	7,566	167.51	1,280	0.74	0.44
2010-11	20	14,151	155.25	9,079	99.46	665	0.90	0.90
2011-12	26	3,661	115.18	1,791	49.16	139	0.22	0.45
	योग	**53,092**	**675.38**	**38,633**	**440.00**	**4,568**	**2.92**	

विगत पाँच वर्षों में स्वीकार किये गये प्रकरणों में से वसूल की गई राशि अत्यंत कम है।

शासन द्वारा कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशियों की त्वरित वसूली हेतु उपयुक्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों से सम्बंधित 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 29,979 प्रकरणों में ₹ 191.78 की राशि के राजस्व की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, शास्ति का अनारोपण तथा हानि का पता चला जिनको तालिका क्र. 3.6 में वर्गीकृत किया गया है :

तालिका क्र. 3.6

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	**मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं निर्माण के दौरान हानियां**	1	16.15
2.	सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति न होने पर शुल्क की वसूली न होना	658	16.03
3.	स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का अनारोपण	10,977	10.72
4.	मदिरा दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना	2,473	35.87
5.	देसी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	487	3.07
6.	लायसेंस की शर्तो के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	4,268	0.57
7.	अन्य प्रेक्षण	11,115	109.37
योग		**29,979**	**191.78**

वर्ष के दौरान विभाग ने 19,810 प्रकरणों में ₹ 43.20 करोड़ की वसूली न होना/कम वसूली, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि आदि को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2012–13 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किया गया था। वर्ष 2012–13 में 160 प्रकरणों में ₹ 2.83 करोड़ की राशि वसूल की गई।

"मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं निर्माण के दौरान हानियाँ" पर एक कंडिका, जिसमें ₹ 16.15 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, एवं ₹ 26.32 करोड़ की राशि से सन्निहित कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

3.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने आबकारी आयुक्त, उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में उत्पाद शुल्क, फीस एवं अन्य प्रभारों के निर्धारण अभिलेखों की जॉच की और शुल्क, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के प्रकरण पाये गये और अनेक प्रकरणों में अधिनियम/नियमों तथा परिपत्रों के प्रावधानों का पालन न किये जाने सम्बंधी कई प्रकरण पाये, जिनका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। कार्यपालन प्राधिकारियों के स्तर पर पाई गयी ऐसी चूकों को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं एवं पूर्व में लिये गये ऐसे ही प्रेक्षणों का सन्दर्भ **परिशिष्ट–1** में दिया गया है किन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल लगातार बनी हुई हैं, बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं चलता। शासन को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे ऐसी चूकों से बचा जा सके।

3.7 "मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान हानियाँ"

3.7.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आबकारी आयुक्त मदिरा के विनिर्माण, वितरण तथा विक्रय को वार्षिक अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रदान कर नियंत्रित करते हैं। लायसेंस का वार्षिक नवीनीकरण आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार विहित फीस के भुगतान पर किया जाता है। राज्य में मदिरा के उत्पादन, आधिपत्य, विक्रय, निर्यात, आयात तथा परिवहन पर विभिन्न प्रकार के शुल्कों एवं फीस का आरोपण और संग्रहण आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। मदिरा के विनिर्माण, परिवहन एवं निर्यात के दौरान, नियमानुसार सीमा तक मदिरा की हानियों (छीजन) की मात्रा अनुज्ञेय है। अनुज्ञेय सीमा से अधिक मदिरा की हानियों पर शास्ति आरोपणीय है।

मदिरा से तात्पर्य है, मादक मदिरा और इसके अंतर्गत स्पिरिट, मद्य, ताड़ी, बीयर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हैं या जिनमें अल्कोहल है, और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित करे, सम्मिलित किये जाते हैं। मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान अनुज्ञेय सीमा से अधिक हानियों पर शास्ति के आरोपण हेतु उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता को संभागीय स्तर पर अधिकार प्रदान किये गये हैं।

"मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान हानियाँ" पर हमने एक समीक्षा की जिसमें बहुत सी प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी कमियां पाई गई।

3.7.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, तीन उपायुक्त आबकारी, संभागों में सात उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी[3] होते हैं। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिये भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई संयत्रों (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परिवीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई

[3] आसवनियों में पदस्थ चार जिला आबकारी अधिकारियों सहित

संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उप निरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

3.7.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई थी कि क्या :

- मदिरा के निर्यात/परिवहन के सम्बंध में आयातक राज्य/मध्य प्रदेश राज्य से आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त (ई.वी.सी.) कर लिये गये थे और निर्यातकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा विभाग को प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं प्राप्त की गई मदिरा एवं हानियों की मात्रा उचित तरीके से अभिलेखों में दर्ज की गई थी।
- मदिरा के निर्यात/परिवहन एवं निर्माण में हुई हानियाँ अनुज्ञेय सीमा में थीं एवं अनुज्ञेय सीमा से अधिक हानियों के प्रकरण शास्ति के आरोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजे गये थे एवं शास्ति की नियमानुसार वसूली की गई थी।
- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों एवं मदिरा की हानियों के सम्बंध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये परिपत्रों का विभाग द्वारा उचित अनुपालन किया जाता है।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विभाग में विद्यमान है एवं यह पर्याप्त और प्रभावशील है।

3.7.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किये गये थे :

- मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम);
- मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 (एम.पी.एफ.एल. नियम);
- मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 (एम.पी.डी. नियम);
- मध्य प्रदेश देसी मदिरा नियम, 1995 (एम.पी.सी.एस. नियम);
- मध्य प्रदेश यवासवनी तथा मद्य नियम (एम.पी.बी. एण्ड डब्लू नियम) एवं
- शासन /आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र ।

3.7.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

हमने अक्टूबर 2012 और जून 2013 के मध्य राज्य के 50 जिला आबकारी कार्यालयों में से 13[4], संभागीय स्तर के सात उपायुक्त आबकारी कार्यालयों में से चार[5] एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय के वर्ष 2008–09 से 2012–13 के अभिलेखों की नमूना जांच की। नमूना जांच के लिये हमने राज्य में आठ आसवनियों में से छः[6], सात यवासवनियों में से पांच[7], विदेशी मदिरा की 20 बोतल भराई इकाईयों में से 15[8], 10 विदेशी मदिरा भाण्डागारों में से चार[9] एवं 107 देसी मदिरा भाण्डागारों में से 33[10] का चयन किया। इसके अतिरिक्त, हमने वर्ष 2012–13 में, अन्य इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मदिरा के परिवहन, निर्यात एवं विनिर्माण आदि के दौरान मदिरा की हानि के प्रकरणों को भी शामिल किया है।

3.7.6 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा की कार्य प्रणाली में, लेखापरीक्षा निष्कर्षो को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना, अभिलेखों की जांच करने हेतु इकाईयों का निरीक्षण करना, विभाग से आंकड़े एकत्रित करना, लेखापरीक्षा ज्ञापनों एवं प्रश्नावलियाँ जारी करना, लेखापरीक्षा इकाईयों से उत्तर प्राप्त करना शामिल है।

4 बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, खरगोन, रायसेन, सतना, शाजापुर, शिवपुरी एवं विदिशा

5 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं उज्जैन

6 मै. ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा. लि., ग्वालियर, मै. एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लि., खरगोन, मै. अग्रवाल डिस्टीलरी लि., खरगोन, मै. ग्रेट गैलियन लि. धार, मै. ओएसिस डिस्टीलरी लि., धार एवं मै. सोम डिस्टीलरी प्रा. लि., रायसेन

7 मै. लीलासन्स ब्रेवरीज लि. भोपाल, मै. एम.पी. बीयर प्रोडक्टस प्रा.लि. इंदौर, मै. माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि. इंदौर, मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि., रायसेन एवं मै. रीजेन्ट बीयर एण्ड वाईन लि.,शाजापुर

8 मै. ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि. ग्वालियर, मै. परनार्ड रिकार्ड इण्डिया प्रा.लि. ग्वालियर, मै. विनायक डिस्टीलरी प्रा. लि. ग्वालियर, मै. एसोसिएटेड अल्कोहल एण्ड बेवरीज लि. खरगोन, मै. सिल्वर ओक इण्डिया लि. धार, मै. ग्रेट गैलियन लि. धार, मै. ओयसिस डिस्टीलरी लि. धार, मै. सोम डिस्टीलरी प्रा. लि. रायसेन, मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि. रायसेन, मै. ग्वालियर डिस्टीलरी प्रा.लि. भिण्ड, मै.गोल्ड वाटर ब्रेवरीज प्रा.लि., भिण्ड, मै. यूनाईटेड स्पिरिट लि., सरवर, भोपाल, मै. यूनाईटेड स्प्रिट लि., गोविंदपुरा, भोपाल, मै. जुबली ब्रेवरीज लि. भोपाल एवं मै. नर्मदा डिस्टीलरी प्रा.लि., सतना

9 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं उज्जैन

10 आगर, बड़नगर, बालाघाट, बडवाह, बरेली, बैतूल, भैंसदेही, भिण्ड, भोपाल, डबरा, धार, धरमपुरी, गैरतगंज, गंजबासौदा, ग्वालियर, इंदौर, करैरा, खरगोन, कुक्षी, लहार, महू, मुलताई, अब्दुल्लागंज, पिछोर, रायसेन, सतना, सरदारपुर, शाजापुर, शुजालपुर, शिवपुरी, सिरौंज, सुसनेर एवं विदिशा

समीक्षा हेतु, प्रमुख सचिव/सचिव (वाणिज्यिक कर विभाग) आबकारी आयुक्त एवं विभाग के अन्य अधीनस्थों के साथ 14 मई 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन एवं 4 सितम्बर 2013 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था।

3.7.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के सहयोग को स्वीकार करता है।

3.7.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की कार्यप्रणाली

आबकारी आयुक्त कार्यालय में आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आई.ए.सी.) की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है जो छः अधिकारियों की सहायता से विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य निष्पादित करता है।

लेखापरीक्षा हेतु योजनाबद्ध, लेखापरीक्षित इकाईयों एवं ली गई, निराकृत एवं लम्बित आपत्तियों की संख्या का विवरण तालिका क्र. 3.7 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 3.7

वर्ष	रोस्टर के अनुसार इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	रोस्टर के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित कंडिकायें
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	48	38	10	20.83	50	-	50
2009-10	48	26	22	45.83	14	-	64
2010-11	50	41	09	18.00	60	07	117
2011-12	50	16	34	68.00	64	12	169
2012-13	50	16	34	68.00	111	10	270

(विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार 2008–09 से 2012–13 के मध्य इन पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष में विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों में अंतर्निहित मौद्रिक मूल्य तथा वसूल की गई राशि आदि का विवरण आई.ए.सी. के पास उपलब्ध नहीं था। विभाग ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2013) कि अन्य कार्यो में संलग्न रहने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना अनुसार निष्पादित नहीं हो सकी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा

आई.ए.सी. का प्राथमिक कार्य था जिसकी अन्य कार्यों में संलग्न रहने के कारण उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये थी।

विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष के बेहतर कार्य निष्पादन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा रोस्टर का अनुसरण किया जाता है, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियाँ

3.7.9 मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान अधिक हानियों पर नियंत्रण की कमी

आबकारी आयुक्त के परिपत्र दिनांक 15 मई 2008 के अधीन, आसवनियों, विदेशी मदिरा निर्माण इकाईयों, यवासवनियों, मद्यशालाओं एवं देसी/विदेशी मदिरा भाण्डागारों के सभी प्रभारी आबकारी अधिकारियों को मदिरा के निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान अधिक हानियों के सम्बंध में निर्धारित प्रपत्र में एक पंजी संधारित किये जाने के अनुदेश दिये गये थे । प्रभारी अधिकारियों द्वारा अधिक हानियों के प्रकरण उनकी जानकारी में आते ही (संपूर्ण अभिलेखों एवं जानकारी के साथ) सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना तथा माह की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 5 तारीख तक इस सम्बंध में मासिक जानकारी भी आबकारी आयुक्त तथा सम्बंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी कार्यालय को अपने हस्ताक्षर से प्रेषित किया जाना अपेक्षित था ।

3.7.9.1 हमने अक्टूबर 2012 और जून 2013 के मध्य नमूना जांच की गई इकाईयों[11] के अभिलेखों से अवलोकित किया कि 63 विनिर्माणकर्ता इकाईयों और भाण्डागारों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान न तो निर्धारित पंजी संधारित की गई और न ही उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अधिक हानियों की मासिक जानकारी उपायुक्त आबकारी एवं आबकारी आयुक्त कार्यालयों को प्रेषित की गई । आगे, उपायुक्त आबकारी/ आबकारी आयुक्त कार्यालयों द्वारा वांछित जानकारी मँगाने

[11] जिला कार्यालय बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, खरगोन, रायसेन, सतना, शाजापुर, शिवपुरी तथा विदिशा; उपायुक्त आबकारी कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर तथा उज्जैन एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय

के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने यह भी देखा कि उपायुक्त आबकारी कार्यालयों में प्रभारी अधिकारियों से प्रकरणों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रणाली निर्धारित नहीं थी। अतः उपायुक्त आबकारी उज्जैन कार्यालय को छोड़कर, जहाँ प्रकरणों की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए पंजियाँ संधारित की गईं थीं, विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त, निराकृत एवं शेष प्रकरणों का विवरण लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका । **इस प्रकार, विनिर्माणकर्ता इकाईयों एवं मद्य भाण्डागारों द्वारा जानकारी की नियमित प्रस्तुति को सुनिश्चित करने में उपायुक्त आबकारी एवं आबकारी आयुक्त कार्यालयों के साथ ही आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आई.ए.सी.) की विफलता के कारण अधिक हानियों पर शास्ति के आरोपण एवं वसूली तथा विलम्बित देय राशि से सम्बंधित जानकारी न तो उपायुक्त आबकारी और न ही आबकारी आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध थी ।** आई.ए.सी. ने भी अधिक हानियों से सम्बंधित अभिलेखों की जांच नहीं की एवं आई.ए.सी. द्वारा नमूना जांच किये गये जिलों के प्रतिवेदनों में भी इस सम्बंध में कोई प्रेक्षण नहीं पाया गया ।

हानियों के अभिलेखों के संधारण का परिवीक्षण करने में विभाग तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की विफलता ।

हमने यह भी अवलोकित किया कि आबकारी कार्यालयों में प्राप्त हुए अधिक हानियों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर निगरानी हेतु कोई कार्यविधि एवं उपायुक्त आबकारी/आबकारी आयुक्त कार्यालयों में हानियों के प्रकरणों में, मासिक विवरणियों/पंजियों के माध्यम से, वसूली पर निगरानी रखे जाने हेतु कोई पद्धति नहीं है। ऐसी प्रणाली के अभाव में विभाग द्वारा निर्यात, परिवहन और विनिर्माण में हुई हानियों पर आवश्यक नियंत्रण नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा उपायुक्त आबकारी द्वारा प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने एवं आबकारी आयुक्त को आवधिक विवरणियों के प्रस्तुतिकरण हेतु समय सीमा पर विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा अधीनस्थ इकाईयों द्वारा पंजी के संधारण तथा मासिक विवरणियों की प्रस्तुति पर बेहतर निगरानी रखे जाने हेतु उपायुक्त आबकारी तथा आबकारी आयुक्त कार्यालयों में एक पंजी निर्धारित किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

3.7.9.2 अधिक हानियों के प्रकरणों को शास्ति आरोपण हेतु भेजे जाने में विलंब

कार्यालय प्रभारियों द्वारा प्रकरणों को भेजने में विलम्ब के कारण ₹ 9.56 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी ।

हमने उपायुक्त आबकारी कार्यालय ग्वालियर में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई अधिक हानियों की प्रकरण नस्तियों से अवलोकित किया (अप्रैल 2013) कि मार्च 2012 तक की अवधि से सम्बंधित अधिक मार्ग हानियों के 4109 प्रकरण उपायुक्त आबकारी कार्यालय द्वारा मार्च 2013 तक, प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त किये गये थे जिन पर शास्ति ₹ 9.56 करोड़ आरोपणीय थी। मार्च 2012 के बाद के अधिक हानियों के प्रकरण मार्च 2013 तक उपायुक्त आबकारी कार्यालय

में प्राप्त नहीं हुए थे। आगे हमने अवलोकित किया कि चार विनिर्माणकर्ता इकाईयों[12] एवं दो मद्य भाण्डागारो[13] के प्रभारी अधिकारियों द्वारा शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण, सात से 32 माहों के बाद उपायुक्त आबकारी कार्यालय में भेजे गये थे एवं उपायुक्त आबकारी कार्यालय द्वारा सम्बंधित अनुज्ञप्तिधारियों को 'कारण बताओ नोटिस इन प्रकरणों की प्राप्ति के दिनांक से तीन से 20 माह बाद जारी किये गये थे। इस प्रकार ₹ 9.56 करोड़ की शास्ति 10 से 52 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अधिरोपित नहीं की जा सकी ।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2013) कि 4109 प्रकरणों में से 3176 प्रकरणों में राशि ₹ 6.78 करोड़ की शास्ति आरोपित की जा चुकी है जिसमें से 2024 प्रकरणों में राशि ₹ 34.93 लाख की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद की गई है। विभाग ने आगे बताया कि शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रगति पर है।

विभाग द्वारा हानियों के प्रकरणों की प्राप्ति के दिनांक से शास्ति के आरोपण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने एवं प्रकरणों की प्राप्ति, निराकरण और शास्ति की वसूली को दर्शाने वाले अभिलेख/पंजी का संधारण निर्धारित किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

12 प्रभारी अधिकारी मै. स्कॉल ब्रेवरीज लि., उप पट्टेदार मै. तृप्ति एल्कोब्रू लि., मुरैना, प्रभारी अधिकारी मै. परनोड रिकार्ड इण्डिया लि., ग्वालियर, प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भाण्डागार ग्वालियर तथा प्रभारी अधिकारी मै. ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा. लि., ग्वालियर

13 प्रभारी अधिकारी देशी मदिरा भाण्डागार ग्वालियर तथा डबरा

अनुपालन में कमियाँ

3.7.10 सक्षम प्राधिकारी को प्रकरण न भेजे जाने के कारण अधिक हानियों पर शास्ति का अनारोपण

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि बोतल बंद विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों पर दूरी को ध्यान में लाये बिना अधिकतम छीजन की छूट 0.25 प्रतिशत होगी । परिवहन के सभी प्रकरणों में, विक्रेता और क्रेता लायसेंसधारक एक ही जिले के होने पर यह 0.1 प्रतिशत होगी तथा उनके विभिन्न जिलों के होने पर 0.25 प्रतिशत होगी । बोतल बंद देशी मदिरा के परिवहन के प्रकरण में, यह दूरी का विचार किये बिना 0.5 प्रतिशत होगी । आगे राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2012 को किये गये संशोधन के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल 2011 से यह प्लास्टिक बोतलों में परिवहन के प्रकरण में 0.1 प्रतिशत होगी तथा कांच की बोतलों में परिवहन में 0.25 प्रतिशत । आर.एस./ई.एन.ए. के प्रकरण में, नियमों में एक आसवनी/भाण्डागार से दूसरे आसवनी/भाण्डागार को टैंकरों से परिवहन या निर्यात की गई स्पिरिट/ई.एन.ए. पर उनकी दूरी के अनुसार रिसाव या वाष्पीकरण के लिये 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है । अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन की स्थिति में लायसेंसधारक शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दर से शास्ति भुगतान के दायित्वाधीन होगा ।

3.7.10.1 परिवहन के दौरान देशी मदिरा की अधिक हानियां

बोतलबंद देशी मदिरा की अधिक हानियों पर ₹ 1.24 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/ प्राप्ति न होना ।

आबकारी आयुक्त ने 28 जुलाई 2011 को जारी अनुदेशों के तहत देशी मदिरा के परिवहन में छीजन के लिए अनुज्ञेय सीमा 0.5 प्रतिशत से घटाकर प्लास्टिक बोतलों के लिये 0.1 प्रतिशत एवं कांच की बोतलों के लिये 0.25 प्रतिशत कर दी थी। शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2012 की अधिसूचना के तहत छीजन की पुनरीक्षित सीमा 1 अप्रैल 2011 से अनुमोदित की गई। हमने मई 2012 एवं मई 2013 के मध्य 21 सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी[14] कार्यालयों के देशी मदिरा भाण्डागारों के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों से अवलोकित किया कि उच्चतम वास्तविक छीजन या निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमत्य छीजन अर्थात 31 जुलाई 2011 तक 0.5 प्रतिशत तथा 01 अगस्त 2011 से क्रमशः प्लास्टिक एवं कांच की

[14] बड़वानी, भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, गुना, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सागर, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

बोतलों पर 0.1 एवं 0.25 प्रतिशत वास्तविक छीजन के रूप में अभिलिखित की गई। यह दर्शाता है कि प्रभारी अधिकारी छीजन को निर्धारित सीमा के अनुसार अंकित कर रहे थे, जबकि वास्तविक छीजन निर्धारित सीमा से कम थी। इससे देशी मदिरा परिवहन के दौरान वास्तविक हानियों को अंकित किये जाने के विभागीय अनुदेशों की पूर्ति नहीं हुई। परिणामस्वरूप, जहां वास्तविक छीजन शासन द्वारा निर्धारित सीमा से कम थी, वहां शासन को हानि हुई।

हमने आगे अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान आठ बोतल भराई इकाईयों[15] से 52 देशी मदिरा भाण्डागारों[16] को बोतल बंद देशी मदिरा के परिवहन के दौरान 3,451 प्रकरणों में 54,487.14 प्रूफ लीटर देशी मदिरा की अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर न्यूनतम शास्ति आरोपणीय थी, लेकिन शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी क्योंकि देशी मदिरा भाण्डागारों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजे गये। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्र. 3.8 में वर्णित अनुसार ₹ 1.24 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/वसूली नहीं हुई।

तालिका क्र. 3.8

मदिरा का प्रकार	परिवहित मात्रा प्रू.ली.	दूसरे छोर पर प्राप्त मात्रा प्रू.ली.	छीजन हानियां प्रू.ली.	अनुमत्य छीजन प्रू.ली.	अधिक छीजन प्रू.ली.	आरोपण योग्य शास्ति (₹)
1	2	3	4	5	6	7
देशी मदिरा	17331583.25	17255581.59	76001.66	21514.52	54487.14	1,23,88,421

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2013) कि 3451 प्रकरणों में से 1328 प्रकरणों में राशि ₹ 48.89 की शास्ति आरोपित की जा चुकी है और शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रगति पर है।

15 मै. ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि. ग्वालियर, मै. एसोसियेटेड एल्कोहल तथा ब्रेवरीज लि. खरगोन, मै. ग्रेट गैलन लि. धार, मै. कॉक्स इन्डिया लि. छतरपुर, मै. सोम डिस्टीलरी प्रा.लि. रायसेन, मै. सोम डिस्टीलरी प्रा.लि. छिंदवाड़ा , मै. विंध्याचल डिस्टीलरी प्रा.लि. राजगढ़ तथा मै. ओएसिस डिस्टीलरी लि. धार

16 आगर, अमानगंज, अमरवाड़ा, बड़नगर, बड़वानी, बरेली, भिण्ड, भोपाल, ब्यावरा, दमोह, देवास, गाडरवारा, गैरतगंज, गुना, हट्टा, इन्दौर, जमाई, जतारा, झाबुआ, जीरापुर, कन्नौद, करैरा, खाचरौद, खेतिया, खुरई, लहार, महिदपुर, महू, नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर, निवाड़ी, अब्दुलागंज, पन्ना, परासिया, पेटलावद, पिछोर, रायसेन, रेहली, सागर, सारंगपुर, सेंधवा, शाजापुर, शुजालपुर, सीधी, सिहोरा, सोनकच्छ, सौंसर, सुसनेर, तराना, टीकमगढ़, उज्जैन और उमरिया,

3.7.10.2 निर्यात/परिवहन के दौरान विदेशी मदिरा एवं बीयर की अधिक छीजन (हानियाँ)

विदेशी मदिरा की अधिक हानियों पर ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/ वसूली न होना

हमने अक्टूबर 2012 एवं जून 2013 के मध्य विदेशी मदिरा भाण्डागार भोपाल एवं जबलपुर तथा चार जिलों[17] की तीन विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों[18], दो यवासवनियों[19] तथा एक एफ.एल.–6 अनुज्ञप्तिधारी[20] के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों से अवलोकित किया कि अक्टूबर 2011 तथा मई 2013 के मध्य 4747 प्रकरणों में निर्यात/परिवहन के दौरान 57433.005 प्रू.लि. विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एवं 36840.12 व. ली. बीयर की छीजन अनुज्ञेय सीमा से अधिक पाई गई जिस पर ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति आरोपणीय थी, जैसा कि तालिका क्र. 3.9 में उल्लेख किया गया है ।

तालिका क्र. 3.9

मदिरा का प्रकार	निर्यात/परिवहन की गई मात्रा प्रू.ली./व.ली.	दूसरे छोर पर प्राप्त की गई मात्रा प्रू.ली./व.ली.	हानियाँ प्रू.ली./व.ली.	अनुमत्य छीजन प्रू.ली./व.ली.	अधिक छीजन प्रू.ली./व.ली.	आरोपणीय शास्ति (₹)
1	2	3	4	5	6	7
विदेशी मदिरा (स्पिरिट)	13871635.29	13781471.156	90164.134	32727.129	57437.005	95,13,993
बीयर	8598223	8541457.86	56765.14	19925.02	36840.12	8,15,357
					योग	**1,03,29,350**

तथापि, यह देखा गया कि इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों ने एक से 18 माह व्यतीत होने के पश्चात भी शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजे । आगे यह देखा गया कि भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर जिलों में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जनवरी 2011 एवं जून 2013 के मध्य शास्ति के रूप में राशि ₹ 56.17 लाख जमा की गई । इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को, अवधि जिससे राशि सम्बंधित थी, का भी पता नहीं था ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि 4747 प्रकरणों में से 2956 प्रकरणों में ₹ 30.19 लाख की शास्ति आरोपित की गई है, जिसमें से 2923 प्रकरणों में राशि ₹ 25.73 लाख की वसूली हो चुकी है । विभाग ने आगे बताया कि शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रगति पर है ।

17 ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर तथा रायसेन

18 मै. परनोड रिकॉर्ड इन्डिया प्रा.लि., ग्वालियर , मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि. रायसेन तथा मै. यूनाईटेड स्पिरिट लि. सरवार भोपाल

19 मै. माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि. इन्दौर तथा मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि. रायसेन

20 सैन्य कैन्टीन थोक लायसेंस जबलपुर

3.7.10.3 निर्यात/परिवहन के दौरान एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) की अधिक हानियाँ

ई.एन.ए. की अधिक हानियों पर ₹ 16.77 लाख की शास्ति का अनारोपण/ वसूली न होना

हमने फरवरी एवं जून 2013 के मध्य तीन जिलों[21] की एक आसवनी[22] तथा दो विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाइयों[23] के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों से अवलोकित किया कि अगस्त 2011 एवं जून 2013 के मध्य 141 प्रकरणों में 4603741 प्रू. ली. ई. एन. ए. आसवनी से निर्यात की गई एवं विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों को परिवहित की गई, जिसमें से 4576355.64 प्रू.ली. प्राप्त की गई। इस प्रकार आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों में 27385.36 प्रू.ली.ई.एन.ए. की हानि दर्शायी गई थी, जो अनुज्ञेय सीमा 9126.71 प्रू.ली. से 18258.65 प्रू.ली. अधिक थी । अनुज्ञेय सीमा से अधिक हानियों पर ₹ 16.77 लाख की शास्ति आरोपणीय थी । तथापि, यह देखा गया कि इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों ने शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजे । इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.77 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि 141 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में शास्ति की राशि ₹ 31,367 आरोपित की जाकर वसूल की गई है । शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

21 भिण्ड, भोपाल तथा खरगोन

22 मै. एसोसियेटेड एल्कोहल तथा ब्रेवरीज लि. खरगोन

23 मै.ग्वालियर डिस्टीलरी प्रा.लि. भिण्ड तथा मै.जुबली ब्रेवरीज लि., भोपाल

3.7.11 भंडारण के दौरान स्पिरिट एवं विदेशी मदिरा की अधिक छीजन, कमी

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि एफ.एल.–9 तथा एफ.एल.–9ए अनुज्ञप्ति के लिए रैकिंग, भण्डारण, वाष्पीकरण, कमी एवं अन्य कारणों से स्पिरिट की हानियों की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 1.5 प्रतिशत प्रति तिमाही होगी जिसकी गणना पूर्ववर्ती तिमाही के अन्त में संगणित वास्तविक हस्तगत अतिशेष में तब तक विनिर्मित और प्राप्त मात्रा को जोड़कर तथा पुनः आसवन के लिए जारी किये गये स्टॉक को घटाकर की जायेगी। आगे एफ. एल.–6, एफ.एल.–10ए, एफ.एल.–10बी एवं विदेशी मदिरा भाण्डागारों में रखी गई बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन की छूट अनुज्ञेय नहीं है । नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सीमा से अधिक सभी कमियों पर अनुज्ञप्तिधारक आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, शासन द्वारा समय पर निर्धारित दरों से आरोपित शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन होगा ।

ई.एन.ए./विदेशी मदिरा की अधिक हानियों पर ₹ 27.82 लाख की शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना ।

3.7.11.1 हमने फरवरी 2013 में एक विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई[24] में ई.एन.ए. के स्कन्ध (स्टॉक) एवं प्रदाय पंजी एवं विदेशी मदिरा की विनिर्माण पंजियों से अवलोकित किया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा दिसम्बर 2007 एवं अगस्त 2010 में स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें पाया गया कि अनुज्ञेय सीमा से 1644.5 प्रू.ली. ई.एन.ए./विदेशी मदिरा की कमी थी। नियमानुसार इस कमी पर ₹ 27.82 लाख की शास्ति आरोपित की जानी थी। तथापि हमने देखा कि प्रभारी अधिकारी ने शास्ति के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्रमांक 3.10 में वर्णित अनुसार ₹ 27.82 लाख की शास्ति का अनारोपण हुआ/ वसूली नहीं हुई।

तालिका क्र. 3.10

सत्यापन का दिनांक	मदिरा का प्रकार	प्रारम्भिक शेष प्रू.ली.	सत्यापन पर शेष प्रू.ली.	कमी प्रू.ली.	अनुज्ञेय सीमा प्रू.ली.	अनुज्ञेय सीमा से अधिक कमी (3–4)	आरोपण योग्य शास्ति	
							दर (₹) प्रू.ली.	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12.2007	**ई.एन.ए.**	10718.8	10338.9	379.2	160.8	218.4	25	5,460
	विदेशी मदिरा	3379.5	3293.25	86.25	16.9	69.35	65	4,508
10.8.2010	**ई.एन.ए.**	10338.9	8799.7	1539.2	458.4	1080.8	681x3	22,08,074
	विदेशी मदिरा	3293.25	2968.1	325.15	49.2	275.95	681x3	5,63,766
योग		**14097.6**	**11767.8**	**2329.8**	**685.3**	**1644.5**		**27,81,808**

[24] मै. गोल्ड वाटर ब्रेवरीज प्रा.लि., भिण्ड

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि शास्ति आरोपण का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि छीजन हानियां अनुज्ञेय सीमा में ही थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रभारी अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार छीजन/कमी अनुज्ञेय सीमा से अधिक थी। अतः प्रभारी अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार अधिक छीजन तथा कमी पर शास्ति आरोपण योग्य थी।

विदेशी मदिरा की कमी पर ₹ 10.83 लाख की शास्ति का अनारोपण/ वसूली नहीं होना

3.7.11.2 हमने मई 2013 में विदेशी मदिरा भाण्डागार, ग्वालियर में विदेशी मदिरा/बीयर के स्कन्ध एवं प्रदाय लेखों से अवलोकित किया कि सितम्बर 2012 एवं मार्च 2013 में किये गये बोतल बंद मदिरा के स्कन्ध के भौतिक सत्यापन में 1206.06 पेटी विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एवं 242 पेटी बीयर की कमी परिलक्षित हुई। इनमें से सितम्बर 2012 में जानकारी में आई कमियों के प्रकरण को छः माह बाद मार्च 2013 में उपायुक्त आबकारी को प्रेषित किया गया तथा दूसरा प्रकरण लेखापरीक्षा दिनांक (मई 2013) तक प्रेषित नहीं किया गया। नियमानुसार, कमी पर ₹ 10.83 लाख की शास्ति आरोपण योग्य थी परन्तु प्रकरणों को शास्ति आरोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने/ प्रस्तुत न किये जाने के कारण आरोपित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्र. 3.11 में वर्णित अनुसार शास्ति का आरोपण/वसूली नहीं हुई।

तालिका क्र. 3.11

स. क्र.	सत्यापन का दिनांक	कम पाई गई पेटियों की संख्या		आरोपित की जाने वाली शास्ति (₹)
		विदेशी मदिरा (स्पिरिट)	बीयर	
1	2	3	4	5
1	30.9.2012	1003.00	184	8,91,146
2	30.3.2013	203.06	58	1,91,534
योग		**1206.06**	**242**	**10,82,680**

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि सितम्बर 2012 के अंत में स्कन्ध सत्यापन के दौरान पायी गई कमी के प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है तथा जांच के परिणाम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। विभाग ने आगे बताया कि शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रचलित है।

3.7.12 शास्ति की वसूली न होना

आबकारी अधिनियम में प्रावधान है कि अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के किसी प्रावधान के अनुरूप आबकारी राजस्व से सम्बंधित शासन को देय सभी राशियां, उस व्यक्ति से जो प्राथमिक तौर पर भुगतान के लिये दायी है, भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेंगी। राज्य शासन द्वारा जुलाई 1968 में जारी की गई अधिसूचना के तहत समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अपर तहसीलदार की शक्ति प्रदान की गई है ताकि जिला आबकारी अधिकारी आबकारी देयताओं की वसूली तहसीलदार की हैसियत से भू–राजस्व के बकाया की भांति कर सकें।

शास्ति की राशि ₹ 3.76 करोड़ की वसूली आठ से 64 माह व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं की गई थी।

हमने फरवरी एवं जून 2013 के मध्य चार जिलों[25] की एक विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई[26], एक यवासवनी[27], दो उपायुक्त आबकारी कार्यालयों[28] एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार, इन्दौर के शास्ति वसूली विवरण पत्रकों से अवलोकित किया कि सम्बंधित सम्भाग के उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता द्वारा जुलाई 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि के दौरान 2699 प्रकरणों में राशि ₹ 3.79 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई। यद्यपि प्रभारी अधिकारियों द्वारा मांग सूचना पत्र समय पर जारी किये गये थे, परन्तु इन्दौर जिले के प्रकरण में (मार्च 2010 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 56 प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारकों से केवल ₹ 3.22 लाख की राशि वसूल की गई तथा शेष राशि ₹ 3.76 करोड़ की वसूली नहीं हुई। राशि आठ से 64 माह (नवम्बर 2013) व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वसूल नहीं हुई। जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों ने शेष राशि भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि 2699 प्रकरणों में से, 1227 प्रकरणों में राशि ₹ 1.58 करोड़ की वसूली की गई है तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है।

विभाग द्वारा शास्ति भुगतान के लिये प्राथमिक तौर पर दायी व्यक्ति को मांग सूचना पत्र जारी करने के पश्चात वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

25 भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर तथा उज्जैन

26 मै. परनोड रिकार्ड इण्डिया प्रा.लि., ग्वालियर

27 मै. माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि., इन्दौर

28 भोपाल तथा उज्जैन

3.7.13 आरोपण योग्य शास्ति को अनियमित रूप से माफ करने के कारण राजस्व हानि

मध्य प्रदेश मदिरा नियमों में प्रावधान है कि अनुज्ञेय सीमा से अधिक विदेशी मदिरा/ई.एन.ए. की हानियों के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारक शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा। इसके अतिरिक्त, यदि आबकारी आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी अतिरिक्त कमी या हानि किन्हीं अपरिहार्य कारणों जैसे आग या दुर्घटना के कारण थी और सम्बंधित पुलिस थाने में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गयी थी, तो वह नियमों के अंतर्गत आरोपणीय शास्ति को माफ कर सकता है।

हमने जून 2013 में उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, भोपाल के अभिलेखों से अवलोकित किया कि मई एवं नवम्बर 2010 के मध्य एक प्रकरण में मै. यूनाईटेड स्पिरिट लिमिटेड, भोपाल से परिवहन के दौरान दो प्रकरणों में 1090.91 प्रू.ली. बोतलों में भरी विदेशी मदिरा एवं एक प्रकरण में मै. ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि. ग्वालियर से मै. यूनाईटेड स्पिरिट लिमिटेड, भोपाल को परिवहन के दौरान 8649.8 प्रू.ली. ई.एन.ए. की अधिक छीजन हानि हुई थी, जिस पर ₹ 1.99 करोड़ की शास्ति आरोपण योग्य थी। तथापि, यह देखा गया कि आरोपण योग्य शास्ति उपायुक्त आबकारी द्वारा दुर्घटना के प्रकरण मानकर माफ कर दी गई जबकि नियमानुसार सम्बंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि वाहन चालकों द्वारा दुर्घटना की सूचना सम्बंधित पुलिस थाने में दी गई थी और शास्ति उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर माफ की गई थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि म.प्र. विदेशी मदिरा नियमों के अनुसार, शास्ति को माफ करने के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की शर्त पूरी की जानी थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभाव में शास्ति को माफ किये जाने की शक्ति उपायुक्त आबकारी के पास नहीं थी।

3.7.14 निष्कर्ष

परिवहन, निर्यात एवं विनिर्माण के दौरान मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति की चोरी को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। अधिक हानियों पर शास्ति के आरोपण पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों का संधारण उचित रूप से किया जाए। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इनका संधारण नहीं किया गया था । आबकारी आयुक्त/उपायुक्त कार्यालयों द्वारा परिवीक्षण में कमी के कारण शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजे गये/ विलम्ब से भेजे गये। आरोपित शास्ति की राशि के बिलम्बित भुगतान के सम्बंध में विभाग द्वारा कोई परिवीक्षण नहीं किया गया। आन्तरिक लेखापरीक्षा, जो आन्तरिक नियंत्रण कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण अवयव है, भी निष्प्रभावी हो गया क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने अधिक हानियों से सम्बंधित अभिलेखों की जांच नहीं की और उसके द्वारा नमूना जांच किये गये जिलों के प्रतिवेदनों में इस सम्बंध में कोई भी प्रेक्षण नहीं पाया गया। शासन के लिये आरोपित शास्ति की राशि की त्वरित वसूली के साथ–साथ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों में कार्रवाई हेतु प्रणाली तथा प्रक्रिया पर गहराई से ध्यान देना आवश्यक है।

3.8 बेसिक लायसेंस फीस की कम प्राप्ति

आबकारी आयुक्त (ई.सी.) द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 05 फरवरी 2011 में वर्ष 2011–12 में दुकानों के माध्यम से मदिरा विक्रय की शर्तों में प्रावधान है कि एक मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य उसकी बेसिक लायसेंस फीस (बी.एल.एफ.) और वार्षिक लायसेंस फीस (ए.एल.एफ.) के योग के बराबर होगा। स्थान के अनुसार दुकान के वार्षिक मूल्य का 50 और 60 प्रतिशत के मध्य बी.एल.एफ. निर्धारित की जायेगी और शेष राशि ए.एल.एफ. के तौर पर वसूल होगी। बी.एल.एफ. और ए.एल.एफ. दोनों 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा को क्रय करने के लिए जमा किये गये शुल्क की राशि दुकान की ए.एल.एफ. की पाक्षिक किस्त के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक द्वारा बी.एल.एफ. के रूप में भुगतान की गई राशि पर मदिरा के प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। आगे, यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी पक्ष के लिए निर्धारित ए.एल.एफ. की राशि से अधिक की मदिरा क्रय करता है तो उसका समायोजन आगामी पाक्षिक अवधि की ए.एल. एफ. के विरूद्ध किया जायेगा। आगे, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र दिनांक 3 मार्च 2005 में प्रावधान है कि उपायुक्त आबकारी और सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार की विनिर्माण इकाईयों का विस्तृत निरीक्षण प्रत्येक तिमाही और छःमाही के अंतराल पर करना होगा।

बी.एल.एफ. की वसूली न होने के कारण ₹ 20.42 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति ।

हमने आबकारी आयुक्त कार्यालय में उपायुक्त आबकारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से अवलोकित किया कि वर्ष 2011–12 में 26 जिलों की 1668 देशी मदिरा और 600 विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए ए.एल.एफ. ₹ 973.88 करोड़ थी। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ₹ 994.71 करोड का शुल्क जमा करके मदिरा क्रय की गई थी, जो दुकानों के लिए निर्धारित ए.एल.एफ. से ₹ 20.83 करोड़ अधिक थी। अधिक जमा का बी.एल.एफ. एवं ए.एल.एफ. दोनों के भुगतान के विरूद्ध समायोजन करने के बजाय, समस्त राशि मदिरा क्रय हेतु शुल्क के भुगतान के विरूद्ध अनुमत्य की गई। समायोजित की गई राशि की मदिरा क्रय के विरूद्ध शुल्क के भुगतान हेतु संगणना किये जाने पर न्यूनतम निर्धारित बी.एल.एफ. 50 प्रतिशत मानकर दुकान मालिकों से वसूली योग बी.एल.एफ. की राशि ₹ 20.83 करोड़ आंकलित की गई । हमने देखा कि कुछ अनुज्ञप्तिधारकों ने बी.एल.एफ. के

एक भाग की राशि ₹ 40.81 लाख जमा की थी। इस प्रकार, अनुज्ञप्तिधारकों से कम वसूल की गई बी.एल.एफ. की राशि ₹ 20.42 करोड़ संगणित होती है।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि शासन द्वारा निर्धारित नीति के अंतर्गत, ए.एल.एफ. और बी.एल.एफ. के रूप में दुकान का वार्षिक मूल्य जमा होने के बाद अनुज्ञप्तिधारक को अतिरिक्त बी.एल.एफ. जमा कराये बिना केवल शुल्क के भुगतान पर मदिरा को प्रदाय करने का प्रावधान है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि मदिरा प्रदाय के लिए शुल्क के भुगतानों को अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा जमा की गई अधिक राशि को बी.एल.एफ. के तदनुरूप भाग की वसूली किये बिना समायोजित किया गया और नीति में अपेक्षित बी.एल.एफ. जमा किये बिना अधिक मदिरा के प्रदाय का प्रावधान नहीं है।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को अप्रैल 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

3.9 विदेशी मदिरा/बीयर का अनियमित निर्यात/परिवहन तथा अभिस्वीकृति प्राप्त न की गई मदिरा[29] पर आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों के नियम 12,13 और 14 के अनुसार, विदेशी मदिरा/बीयर का निर्यात/परिवहन शुल्क के भुगतान पर अथवा अंतर्निहित शुल्क की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ प्रारूप एफ.एल.–23* में बंध–पत्र निष्पादित करने पर अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारक गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी (ओ.आई.सी.) से आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन (ई.वी.सी.) प्राप्त करेगा और उस प्राधिकारी को, जिसने परिवहन/निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किया था, को अनुज्ञापत्र की कालावधि समाप्ति से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारक द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में, अंतर्निहित शुल्क अनुज्ञप्तिधारक द्वारा जमा की गई निक्षेप राशि, प्रस्तुत बैंक गारंटी अथवा निष्पादित किये गये बंध–पत्र से वसूल की जायेगी।

विभाग द्वारा अनियमित रूप से जारी किये गये निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्रों तथा ई.वी.सी. प्राप्त न होने के कारण ₹ 4.58 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति न होना।

हमने अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 के मध्य चार जिलों[30] की विदेशी मदिरा की तीन बोतल भराई इकाईयों[31] (एफ.एल.–9), दो यवासवनियों[32] (बी.–3) और बाह्य विनिर्माण (एफ.एल–10ए) के दो केन्द्रीय भाण्डागारों[33] में निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र पंजियों और ई.वी.सी. प्राप्त पंजियों से अवलोकित किया कि अनुज्ञप्तिधारकों ने अक्टूबर 2011 और दिसम्बर 2012 के मध्य जारी किये 9,243 अनुज्ञापत्रों में से 178 अनुज्ञापत्रों पर बोतल बंद विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की 50,163 पेटियां और बीयर की 55,000 पेटियां निर्यात/परिवहित की थीं। यह देखा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन कर विभाग ने विहित शुल्क वसूल किये बिना अथवा अंतर्निहित शुल्क की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त किये बिना अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ

29 मदिरा जिसके लिए गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

30 भिण्ड, इन्दौर, रायसेन तथा शाजापुर

31 मै. गोल्ड वाटर ब्रेवरीज प्रा. लि., मालनपुर, भिण्ड, मै. सोम डिस्टीलरी प्रा.लि., सेहतगंज, रायसेन तथा मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि., रोजराचक, रायसेन

32 मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि., रोजराचक, रायसेन तथा मै. रीजेंट बीयर एण्ड वाइन लि., मक्सी, शाजापुर

33 मै. बीम ग्लोबल स्पिरिट एण्ड वाइन इंडिया प्रा. लि. इन्दौर तथा मै. अम्बर डिस्टीलरी लि., इन्दौर

* बंध पत्र में निर्यात/परिवहन पर एफ.एल.9/एफ.एल.9 ए./ एफ.एल.10 ए./ एफ.एल.10 बी./बी–3 अनुज्ञप्ति के अनुज्ञात परिसर से विदेशी मदिरा के निष्कासन पर निष्पादित किये जाने वाले बंध–पत्र का प्रारूप

बंध–पत्र निष्पादित कराये बिना निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्रों को जारी किया था। आगे यह देखा गया कि यद्यपि अनुज्ञेय अवधि के बाद दो से 399 दिनों के व्यतीत होने के बाद भी अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा निर्यात/परिवहित की गई मदिरा की मात्रा की प्राप्ति के सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये थे, विभाग ने बैंक गारंटी अथवा बंध–पत्र से शुल्क को समायोजित करने की कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.58 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्तों/जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा और सभी आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगें। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि विहित अवधि 40 दिनों के भीतर ई.वी.सी. प्राप्त नहीं हुए थे, अतः सभी प्रकरणों में शुल्क वसूली योग्य था और लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद ई.वी.सी. प्राप्त करना यह इंगित करता है कि राज्य के राजस्व हित की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा है और अनुपालन अनुज्ञप्तिधारकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को जनवरी 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

3.10 बीयर का अनियमित निर्यात और कमी

मध्य प्रदेश यवासवनी एवं मघ नियमों के नियम 12 सहपठित मध्य प्रदेश मदिरा नियमों के नियम 9(6) के अनुसार, सम्यक रूप से पंजीकृत अथवा नवीनीकरण कराये बिना किसी भी निर्माता द्वारा किसी नामपत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा । नामपत्रों का नवीनीकरण न किये जाने के प्रकरण में, आबकारी आयुक्त किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित नवीनीकरण न कराये गये नामपत्रों के स्टॉक के निवर्तन के सम्बंध में उपयुक्त आदेश जारी कर सकेगा और राज्य शासन अनुज्ञप्तिधारक को किसी हानि या नुकसान के लिए किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी नहीं होगा ।

बीयर के कम स्टॉक के कारण ₹ 79.13 लाख के राजस्व की हानि

हमने अक्टूबर 2012 में मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि., रायसेन (बी–3 अनुज्ञप्ति) [34] में बीयर की स्टॉक और प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ''पावर 5000 सुपर स्ट्रांग'' नामपत्र की बीयर का वर्ष 2012–13 के लिए नवीनीकरण नहीं करवाया गया था और इस प्रकार उस नामपत्र की बीयर का वर्ष 2012–13 में

[34] बीयर/मदिरा के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति

निर्यात/परिवहन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। तथापि, यह देखा गया कि माह अप्रैल 2012 में इस नामपत्र की बीयर की 64,000 पेटियों का स्टॉक था जिसमें से अनुज्ञप्तिधारक ने 1,200 पेटियों का निर्यात किया, जो अनियमित था। इकाई के प्रभारी अधिकारी ने उस बीयर के नामपत्र की जांच नहीं की जो अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निर्यात की गई थी । इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार शेष स्टॉक 62,800 पेटियों को इकाई की स्टॉक एवं प्रदाय पंजी में लेखाबद्ध नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.13 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आयुक्त आबकारी, रायसेन ने बताया (अक्टूबर 2012) कि बीयर के निपटारे के लिए आबकारी आयुक्त को पत्र भेजा जायेगा। तथापि, जैसा कि हमने इंगित किया था कि इकाई के स्टॉक एवं प्रदाय पंजी में बीयर उपलब्ध नहीं थी, और स्टॉक में बीयर की अनुपस्थिति में उसके निपटारे की कार्यवाही सम्भव नहीं थी। उपायुक्त आबकारी तथा सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी ने भी अपने निरीक्षण के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया था।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को जनवरी 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

3.11 होटल बार अनुज्ञप्तियों पर अनुज्ञप्ति फीस का कम आरोपण

राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2010 द्वारा निर्धारित किया कि वर्ष 2010–11 के लिए होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल. 3) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस, जहां बार स्थित है उस नगर/शहर की जनसंख्या के आधार पर होगी। वर्ष 2011–12 और 2012–13 में मदिरा के विक्रय हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचनाओं में प्रावधान है कि वर्ष 2011–12 के लिए एफ.एल.–3 की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस वही होगी जो 2010–11 में थी और वर्ष 2012–13 के लिए, वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस में 20 प्रतिशत वृद्धि कर, अगले ₹ 10,000 में पूर्णांकित कर संगणित किया जायेगा।

हमने फरवरी और मई 2012 के मध्य आबकारी आयुक्त कार्यालय और सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय उज्जैन में एफ.एल.–3 की अनुज्ञप्ति फाइलों से अवलोकित किया कि वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लिए चार शहरों/नगरों[35] में 25 होटल बार अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत की गईं थीं जिन पर जनगणना 2011 के अनुसार शहरों/नगरों की जनसंख्या के अनुसार आरोपणीय राशि ₹ 3.47 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2.81 करोड़ अनुज्ञप्ति फीस आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति फीस ₹ 66 लाख कम जमा हुई। इस अन्तर राशि की वसूली के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की ।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुज्ञप्ति फीस की वसूली न होने के कारण ₹ 66 लाख की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि कम जमा हुई अनुज्ञप्ति फीस की वसूली के लिए अनुदेश जारी किये जा रहे हैं। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)। उन नगरों के जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति फीस में परिवर्तन के मुद्दे को, जहां अनुज्ञप्तियां जारी की गईं थीं, उपायुक्त आबकारी तथा सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षणों के

[35] बैतूल– जनगणना (2001) के अनुसार, अनुज्ञप्ति फीस ₹ 3.65 लाख थी तथा जनगणना (2011) के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 4.40 लाख तथा 2012–13 के लिए ₹ 5.30 लाख थी।
ग्वालियर– जनगणना (2001) के अनुसार, अनुज्ञप्ति फीस ₹ 5.85 लाख थी तथा जनगणना (2011) के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 7.30 लाख तथा 2012–13 के लिए ₹ 8.80 लाख थी।
नागदा– जनगणना (2001) के अनुसार, अनुज्ञप्ति फीस ₹ 3.65 लाख थी तथा जनगणना (2011) के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 4.40 लाख थी।
उज्जैन– जनगणना (2001) के अनुसार, अनुज्ञप्ति फीस ₹ 5.10 लाख थी तथा जनगणना (2011) के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 5.85 लाख थी।

दौरान इंगित नहीं किया गया जो विभाग की आन्तरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का निष्प्रभावी होना दर्शाता है।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को अप्रैल 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

3.12 पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना/कम वसूली होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों के नियम 3 (17) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारक पूर्णरूपेण पर्यवेक्षण कार्य हेतु बोतल भराई इकाईयों में पदस्थ आबकारी स्टाफ के वेतन एवं अन्य दावों पर किये गये व्यय को आंशिक या पूर्ण रूप से चुकाने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से पर्यवेक्षण प्रभारों का अग्रिम भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2012 द्वारा विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई के लिए पर्यवेक्षण प्रभारों हेतु ₹ 8.40 लाख प्रति वर्ष की दर निर्धारित की थी जिसकी वसूली उस जिले में की जायेगी जहां ऐसी बोतल भराई इकाई स्थित है।

पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली के कारण ₹ 54.80 लाख के राजस्व की प्राप्ति न होना।

हमने अक्टूबर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य पांच जिलों की अनुज्ञप्ति फाइलों से अवलोकित किया कि चार जिलों[36] की छः विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों[37] के अनुज्ञप्तिधारकों में से प्रत्येक ने ₹ 8.40 लाख की दर से ₹ 50.40 लाख के पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान नहीं किया था। छिन्दवाड़ा जिले के एक अनुज्ञप्तिधारक[38] ने ₹ 4 लाख का भुगतान करने के बाद वर्ष 2012–13 हेतु देय शेष राशि ₹ 4.40 लाख का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.80 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई। उपायुक्त आबकारी तथा सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी ने भी अपने निरीक्षण में कम वसूली को इंगित नहीं किया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आयुक्त आबकारी, उज्जैन ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹ 8.40 लाख की राशि वसूल कर ली गई है जबकि सहायक आयुक्त आबकारी, जबलपुर और जिला आबकारी अधिकारी छिन्दवाड़ा एवं भिण्ड ने बताया (दिसम्बर

36 भिण्ड, जबलपुर, रायसेन तथा उज्जैन

37 मै. गोल्ड वाटर ब्रेवरीज प्रा.लि. मालनपुर, भिण्ड, मै. एस.जी. डिस्टीलरी जबलपुर, मै. रेडसन डिस्टीलरी लि. जबलपुर, मै. सोम डिस्टीलरी प्रा.लि. सेहतगंज, रायसेन, मै. सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लि. रोजराचक, रायसेन तथा मै. महाकाल डिस्टीलरी प्रा.लि.,नरवर, उज्जैन

38 मै. गोल्डेन ऑरेन्ज डिस्टलर्स, बोरगाँव, छिन्दवाड़ा

2012 और जनवरी 2013 के मध्य) कि अनुज्ञप्तिधारकों से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि वसूल करने के लिए सूचना पत्र/पत्र जारी किये गये हैं और वसूली होने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। सहायक आयुक्त आबकारी, रायसेन ने बताया (अक्टूबर 2012) कि अनुज्ञप्तिधारकों से पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को अप्रैल 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

3.13 स्पिरिट के कम लेखांकन के कारण आबकारी शुल्क की हानि

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के नियम 4 (3) तथा 37 के अनुसार, आसवक आसवनी परिसर में स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा। आसवनी में विनिर्मित स्पिरिट के प्रत्येक बैच के नमूनों का प्रदाय के पूर्व प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जायेगा। नमूने आसवनी के आसवनी अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन लिए जायेंगे। स्पिरिट का तब तक प्रदाय नहीं किया जायेगा जब तक आसवनी अधिकारी द्वारा इसकी मात्रा तथा शक्ति को सत्यापित न कर लिया जाए। आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (अप्रैल 1997) के अनुसार, आसवनी का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में एक बार उत्पादित परिशोधित स्पिरिट के नमूने उनके रासायनिक परीक्षण हेतु विभागीय प्रयोगशाला या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत या अनुमोदित किसी प्रयोगशाला को भेजेगा ।

स्पिरिट के कम लेखांकन के कारण ₹ 29.60 लाख के राजस्व की हानि ।

हमने मार्च 2012 और मार्च 2013 के मध्य दो जिलों[39] की दो आसवनियों[40] की स्पिरिट स्टॉक पंजियों एवं रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदनों से अवलोकित किया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 48,65,462.5 बल्क लीटर (बी.एल.) स्पिरिट को 81,03,288.5 प्रूफ लीटर (पी.एल.) लेखाकिंत किया गया था । तथापि, हमने देखा कि शासन से प्राधिकृत प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर स्पिरिट की वास्तविक मात्रा लेखापरीक्षा द्वारा गणना किये जाने पर 81,31,005.59 पी.एल. संगणित की गई । इस प्रकार 27,717.15 पी.एल. स्पिरिट का कम लेखांकन हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.60 लाख के राजस्व की हानि हुई।

39 धार तथा राजगढ़

40 मै. ओएसिस डिस्टीलरी लि., धार तथा मै. विन्ध्याचल डिस्टीलरी प्रा. लि., राजगढ़

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) राजगढ़ ने बताया (मार्च 2012) कि अलग–अलग उपकरणों के कारण शक्ति में अन्तर हुआ होगा। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि उपकरणों की शुद्धता तथा आसवनी द्वारा ली गई मापों की जांच आबकारी अधिकारियों द्वारा की जानी थी। एक अन्य प्रकरण में यह बताया गया (मार्च 2013) कि प्रकरण आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेजे जायेंगे। जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) धार ने बताया (अप्रैल 2012) कि मामूली अन्तर होने के कारण कार्रवाई नहीं की जायेगी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आबकारी आयुक्त ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि हानियों के निर्धारण के लिए, शासन द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन ही मान्य आधार होना चाहिए। उपायुक्त आबकारी तथा सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी ने भी निरीक्षण के दौरान इस असंगति को इंगित नहीं किया और इस प्रकार आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली भी निष्प्रभावी रही।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को अप्रैल 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

3.14 परिवहन शुल्क की वसूली न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों के नियम 14 (1) के अनुसार, एफ.एल.9, एफ.एल.9 ए तथा बी–3 (विदेशी मदिरा/बीयर बोतल भराई इकाईयां) तथा एफ.एल. 10 ए, एफ.एल.10 बी (केन्द्रीय भाण्डागार) का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा भाण्डागार में भंडारण के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन कर सकता है । इस उद्देश्य के लिए, वह विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र बोतल भराई इकाईयों/भाण्डागारों के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 के लिए टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2012 के अनुदेशों के अनुसार, जारी किये गये प्रत्येक अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा/या परिवहन अनुज्ञापत्र के लिए, ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां परिवहन फीस परिवहित की जाने वाली विदेशी मदिरा की मात्रा पर विचार किये बिना पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है, ₹ 100 की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

हमने अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 के मध्य तीन सहायक आयुक्त आबकारी[41] तथा जिला आबकारी अधिकारी, शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण पत्र और परिवहन अनुज्ञापत्रों से सम्बंधित अभिलेखों से अवलोकित किया कि अप्रैल 2012 और फरवरी 2013 के मध्य चार जिलों [42] के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 11,162 अनुज्ञापत्रों पर विदेशी मदिरा का परिवहन किया गया था। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ₹ 11.16 लाख की परिवहन फीस जमा नहीं की गई थी। विभाग ने राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और परिवहन फीस प्रभारित किये बिना परिवहन के लिए एन.ओ.सी./ अनुज्ञापत्र जारी किये । उपायुक्त आबकारी ने अपने निरीक्षण में इस पहलू को नहीं देखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.16 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आयुक्त आबकारी इन्दौर ने मै. एम. पी.बीयर प्रोडक्ट्स के सम्बंध में और जिला आबकारी अधिकारी शाजापुर ने बताया (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 के मध्य) कि आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, परिवहन फीस

41 सहायक आयुक्त आबकारी, इन्दौर, जबलपुर तथा रायसेन

42 इन्दौर, जबलपुर रायसेन तथा शाजापुर

एन.ओ.सी. अथवा परिवहन अनुज्ञापत्र पर वसूली योग्य है और एन.ओ.सी. प्राप्ति के समय राशि जमा की गई थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि एन.ओ.सी. जारी करने तथा परिवहन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए अलग–अलग परिवहन फीस जमा की जानी थी। सहायक आयुक्त आबकारी, इन्दौर ने मै. माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि. के सम्बंध तथा सहायक आयुक्त आबकारी रायसेन, ने बताया (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 के मध्य) कि वरिष्ठ अधिकारियों से दिशानिर्देश प्राप्त होने पर वसूली की कार्रवाई की जायेगी। सहायक आयुक्त आबकारी जबलपुर ने बताया कि एफ.एल.–6 अनुज्ञप्तिधारक से वसूली के लिए पत्र जारी किया गया है तथा एफ.एल.–1 और एफ.एल.–7, अनुज्ञप्तिधारकों के प्रकरणों में, सम्बंधित अनुज्ञप्तिधारकों से यथाशीघ्र राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। सहायक आयुक्त आबकारी इन्दौर ने अन्य अनुज्ञप्तिधारकों के सम्बंध में बताया (फरवरी 2013) में कि सम्बंधित अनुज्ञप्तिधारकों से वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

परिवहन फीस की वसूली न होने के कारण ₹ 11.16 लाख के राजस्व की प्राप्ति न होना ।

हमने प्रकरण विभाग और शासन को अप्रैल 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

अध्याय – 4

वाहनों पर कर

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने अंतर्राज्यीय वाहन यातायात को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंध, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सम्मिलित है, सम्बंधी एक कंडिका प्रस्तुत की है, जिसमें परिवहन आयुक्त (प.आ.) एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.) के कार्यालयों में मोटर वाहन कर/शुल्क/शास्ति के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 19.71 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरण एवं ₹ 2.23 करोड़ के राजस्व प्रभाव समाहित हैं, जहॉ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में मोटर वाहनों से संग्रहित कर विगत वर्ष की तुलना में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण तीव्रगति से कम्प्यूटरीकरण होना बताया गया।
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने 2,53,801 प्रकरणों में ₹ 114 करोड़ के राजस्व से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होने/कम वसूली होने एवं कर की गलत दर इंगित किया था। इनमें से विभाग /शासन ने 16,676 प्रकरणों में अर्न्तनिहित ₹ 80.90 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था एवं 5,266 प्रकरणों में ₹ 12.19 करोड़ वसूल किये ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)	वर्ष 2012–13 में, हमने मोटर वाहन कर से सम्बंधित 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की और 8,51,964 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 31.70 करोड़ कर के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रेक्षणों का पता चला । विभाग ने 1,777 प्रकरणों में ₹ 7.32 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा 2012–13 के

	दौरान इंगित किया था । वर्ष 2012–13 के दौरान 118 प्रकरणों में राशि ₹ 23.75 लाख की वसूली की गई थी ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए नियंत्रण प्रणाली के उन्नतिकरण सहित आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे हमारे द्वारा बताई गई सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाया जाकर उन्हें भविष्य में रोका जाए। यह भी आवश्यक है कि हमारे द्वारा इंगित किए गए कर एवं शास्ति के अनारोपण आदि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए विशेषकर उन प्रकरणों में जहां हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय – 4
वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है । चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता हैं । जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है । मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं । अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं । वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 तथा
- मध्य प्रदेश मोटरयान नियम (नियम),1991

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल (मैन्युअल), 2012 की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों से सम्बंधित शेष बकाया राशि एवं वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक मांग सम्मिलित/प्रक्षेपित की जानी चाहिए । मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सम्बंधित विभाग/शासन से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त करने के पश्चात राजस्व अनुमानों को तैयार किया जाना अपेक्षित है ।

2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वाहनों पर कर की वास्तविक प्राप्तियां तथा उसी अवधि से संबंधित कुल कर प्राप्तियां तालिका क्रं. 4.1 में दर्शाए गए हैं :

तालिका क्र. 4.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	1,000.00	772.56	(-) 227.44	(-) 22.74	13,613.50	5.68
2009-10	900.00	919.01	(+) 19.01	(+) 2.11	17,272.77	5.32
2010-11	1,130.00	1,198.38	(+) 68.38	(+) 6.05	21,419.33	5.59
2011-12	1,285.00	1,357.12	(+) 72.12	(+) 5.61	26,973.44	5.03
2012-13	1,500.00	1,531.25	(+) 31.25	(+) 2.08	30,581.70	5.01

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखें)

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 22.74 से लेकर (+) 6.05 के मध्य रहा।

वर्ष 2012–13 में, वाहनों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा तीव्रगति से कम्प्यूटरीकरण होना बताया गया।

4.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान वाहनों पर कर की प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ तालिका क्र. 4.2 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	1,198.38	32.90	2.75	3.07
2011-12	1,357.12	40.40	2.97	3.71
2012-13	1,531.25	40.07	2.62	2.96

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखें)

हम यह स्वीकार करते हैं कि संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी । आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है ।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं ।

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 236 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल 105 इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। इकाईयों के निरीक्षण के प्रतिशतता की कमी दर्शाता है कि विभाग द्वारा इकाईयों की लेखापरीक्षा की समुचित योजना नहीं बनाई जाती है एवं आंतरित लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 37 कंडिकाओं में ₹ 72.86 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 30 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 51.66 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा ₹ 12.11 करोड़ वसूल किए। विवरण तालिका क्र. 4.3 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 4.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2013 तक वसूल की गई राशि
2007–08	11	21.18	9	18.28	6	2.89
2008–09	7	20.22	7	19.79	7	3.40
2009–10	8	11.49	8	6.21	8	4.86
2010–11	7	10.49	3	4.56	3	0.79
2011–12	4	9.48	3	2.82	2	0.17
योग	**37**	**72.86**	**30**	**51.66**	**26**	**12.11**

विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है क्योंकि उच्च राशि की आपत्तियों में वसूली नहीं की गई है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

4.5.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 2,53,801 प्रकरणों में ₹ 114 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 16,676 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 80.90 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा ₹ 12.19 करोड़ वसूल किए (31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार) । विवरण तालिका क्रमांक 4.4 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 4.4

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि पर वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2007-08	19	7,125	49.18	7,125	49.18	1,253	2.89	5.88
2008-09	28	5,962	21.88	4,851	19.09	1,422	3.48	18.23
2009-10	27	5,534	18.44	2,209	5.19	1,949	4.86	93.64
2010-11	26	3,845	11.46	1,849	4.56	534	0.79	17.32
2011-12	17	2,31,335	13.04	642	2.88	108	0.17	5.90
योग		**2,53,801**	**114.00**	**16,676**	**80.90**	**5,266**	**12.19**	

वर्ष 2009–10 को छोड़कर विगत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमने इस मुद्दे को विभाग प्रमुख एवं शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (अगस्त 2013) ।

4.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित 51 में से 36 इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें ₹ 1089.69 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जांच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 31.70 करोड़ के 8,51,964 प्रकरण प्रकट हुए जो तालिका क्र. 4.5 में निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

तालिका क्र. 4.5

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**"सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों की कार्यप्रणाली"**	1	2.23
2.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,928	12.59
3.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,772	6.05
4.	अन्य	8,48,263	10.83
		8,51,964	**31.70**

वर्ष के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं सम्बंधी ₹ 7.32 करोड़ के 1,777 प्रकरणों, जो वर्ष 2012–13 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे, को स्वीकार किया एवं 118 प्रकरणों में ₹ 23.75 लाख की वसूली की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए '' सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों'' की कार्यप्रणाली पर ₹ 2.23 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित एक कंडिका एवं ₹ 19.71 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने विभिन्न परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा की एवं अधिनियमों/नियमों/ शासन की अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कर, शुल्क आदि की वसूली न होना/कम होना आदि के कई प्रकरण पाए गए जैसा कि इस अध्याय की आगामी कंडिकाओं में वर्णित है। ये प्रकरण उदाहरणार्थ हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। परिवहन प्राधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की चूकें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाएं एवं पूर्व में लिए गए इसी प्रकार के प्रेक्षणों के लिए संदर्भ **परिशिष्ट –1** में दिए गए हैं, परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरन्तर बनी रहती हैं और लेखापरीक्षा किये जाने तक प्रकाश में नहीं आती । शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों से बचा जा सके।

4.7 सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबन्धों की कार्यप्रणाली

4.7.1 प्रस्तावना

एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य माल का अंतर्राज्यीय वाहन यातायात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के तहत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना एवं द्विपक्षीय अनुबंधों के द्वारा नियमित होता है। देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से सड़क मार्ग से लंबी दूरी की अंतर्राज्यीय यात्राओं एवं माल के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को पारस्परिक आधार पर दूसरे राज्यों के साथ वाहन यातायात के लिए द्विपक्षीय अनुबंध करने के अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय मार्गों पर मोटर वाहनों पर संचालित कर एवं शुल्क का निर्धारण एवं आरोपण तथा शास्ति का अधिरोपण, मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा नियमित होता है।

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8(5) के अनुसार, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप धारा (12) के अधीन अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाला कोई मोटरयान मध्य प्रदेश में चलाए जाने के लिए वैध प्राधिकार पत्र सहित मध्य प्रदेश में प्रवेश के समय, परिवहन जांच चौकी पर कर का भुगतान करेगा । भुगतान नकद में या परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश को ग्वालियर में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा और उसका पृष्ठांकन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया जाएगा तथा इस प्रकार पृष्ठांकित प्राधिकार पत्र सदैव ही माल यान के साथ रखा जाएगा और निरीक्षण के लिए परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सहायक परिवहन उप निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा । इस प्रकार संयुक्त कर के रूप में विभिन्न जांच चौकियों/उड़नदस्तों एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण के कराधान प्राधिकारियों से प्राप्त ड्राफ्ट शासन के खाते मे ंजमा कराए जाते हैं। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राजस्व की वसूली की निगरानी राज्य शासन के परिवहन विभाग के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन सम्बंधित राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा की जाती है । इस योजना/अनुबन्धों के अंतर्गत आने वाले वाहन सामान्यतः स्टेज यान, अनुबंधित यान/पर्यटक टैक्सी एवं माल यान हैं ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई 2010 में पुरास्थापित एक नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली, अनुज्ञापत्र धारकों को निर्धारित समेकित शुल्क के भुगतान पर सम्पूर्ण देश में संचालन के लिए समर्थ बनाती है ।

4.7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित की थी कि क्या :

- द्विपक्षीय अनुबंधों के आधार पर संचालित वाहनों के सम्बंध में कर/शास्ति के आरोपण/वसूली से सम्बंधित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र मौजूद है एवं वैध दस्तावेजों रहित तथा कर देयताओं वाले वाहनों (प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित) को पकड़ने के लिए प्रवर्तन शाखा को सशक्त बनाया गया है;
- मालयानों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र को जारी करने/नवीनीकरण करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू करने के लिए केन्द्रीय मोटर यान (संशोधित) नियम, 2010 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों (मई 2010) के अनुसार विभाग द्वारा लागू की गई नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली का पालन किया गया है; एवं
- अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए अधिनियम में प्रावधानित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

4.7.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्पादन के दौरान, लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न पर आधारित थे :

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाएं/अनुदेश; एवं
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मई 2010 में अधिसूचित केन्द्रीय मोटरयान (संशोधित) नियम 2010

4.7.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

विषय के अध्ययन के लिए हमने लेखापरीक्षा आयोजना 2013–14 में यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा चयनित 20 इकाईयों में से वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए मई से जुलाई 2013 के मध्य छः[1] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की । लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा करने के लिए 21 जून 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। विभाग का प्रतिनिधित्व परिवहन आयुक्त एवं अन्य कार्यपालकों द्वारा किया गया। अपर परिवहन आयुक्त के साथ एक निर्गम सम्मेलन 29 अक्टूबर 2013 को आयोजित किया गया एवं उत्तरों को समुचित रूप से कंडिकाओं में समाविष्ट किया गया है।

4.7.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किए गए सहयोग को स्वीकार करता है।

[1] क्षे.प.का.– ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, अ.क्षे.प.का. – धार एवं गुना

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

4.7.6 मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों[2] से सम्बंधित कर संग्रहण में परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं इकाई कार्यालयों के मध्य अनुश्रवण एवं समन्वय का अभाव

मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का IV) की धारा 88 (1) में प्रावधान है कि कोई अनुज्ञापत्र राज्यों के मध्य हुए द्विपक्षीय अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 69 (2) में उल्लेख है कि वाहन स्वामी वांछित दस्तावेजों के साथ उस क्षेत्र के राज्य परिवहन प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन करेगा । अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात, राज्य परिवहन प्राधिकारी वाहन स्वामी को एक निश्चित स्थान (क्षे.प.का./अ.क्षे.प.का./जि.प.का.) पर कर का भुगतान करने तथा कर का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए उस स्थान के कराधान प्राधिकारी को प्रकरण के म्बंध में सूचित करेगा ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिवीक्षण एवं समन्वय के अभाव में द्वि–पक्षीय अनुबंधों पर संचालित किये जा रहे लोकसेवा वाहनों पर कर का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

हमने वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए (जून 2013) मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित अन्य राज्यों के लोकसेवा वाहनों के कर के भुगतान सम्बंधित दस्तावेजों[3] की जांच की। हमने पाया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कराधान प्राधिकारियों जैसे क्षे.प.अ. (जबलपुर, मुरैना) एवं अ.क्षे.प.अ. (गुना) को द्विपक्षीय अनुबंध के आधार पर संचालित 13 वाहनों के सम्बंध में कर संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया था, परन्तु इन तीन क्षेत्रीय कार्यालयों[4] में प्रति सत्यापन करने पर यह अवलोकित किया गया कि इन 13 वाहन स्वामियों द्वारा न तो इन कार्यालयों में कर का भुगतान किया जा रहा था और न ही इन वाहनों से सम्बंधित कोई अभिलेख ही संधारित किया गया था। यह स्पष्ट रूप से परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य अनुश्रवण एवं समन्वय का अभाव तथा मुद्दे को क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अनुसरण करने में परिवहन आयुक्त कार्यालय की विफलता को इंगित करता है।

2 लोक सेवा वाहन (वाणिज्यिक वाहन)

3 प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों की सूची/पंजियां एवं प्रकरण नस्तियां

4 क्षे.प.का. जबलपुर, मुरैना एवं अ.क्षे.प.का. गुना

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति सहमति व्यक्त की एवं आश्वस्त किया कि एक नवीन सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेण्ट स्पेसीफिकेशन (एस.आर.एस.) को लागू करने से अन्य राज्यों के वाहन स्वामियों के कर भुगतानों का डाटाबेस तैयार करने में सहायता मिलेगी तथा विचाराधीन/विकसित/लागू किये जाने वाला डाटाबेस एवं नवीन एस. आर.एस. को लागू करने से जिला स्तर पर बकाया संग्रहण पर नियंत्रण को सुनिश्चित करेगा।

कर राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए जब तक नया सॉफ्टवेयर लागू होता है तब तक शासन द्विपक्षीय अनुबंधों के अन्तर्गत यातायात के संचालन से सम्बंधित उपलब्ध केन्द्रीय डाटा को समेकित करने तथा सम्बंधित इकाईयों के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए एक प्रणाली निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार कर सकता है ।

4.7.7 जांच चौकियों द्वारा संग्रहीत बैंक ड्राफ्टों की वसूली

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 7 (1) तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (मार्च 2000) के अनुसार, संयुक्त कर के रूप मे कराधान प्राधिकारियों/जांच चौकियों द्वारा प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को शासकीय खाते में जमा करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकारी को भेजा जाता है । राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जांच चौकियों/उड़नदस्ता तथा कराधान प्राधिकारियों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में एक पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है । राज्य परिवहन प्राधिकारी इस बात की जांच करेगा कि इस प्रकार प्राप्त सभी बैंक ड्राफ्टों की नियमित रूप से एवं त्वरित ढंग से वसूली कर उन्हें सम्यक रूप से शासकीय खाते में जमा किया जाता है ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में नमूना जांच के दौरान यह अवलोकित किया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त के अनुदेशों (मार्च 2000) का पालन नहीं किया गया था जिनमें राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में बैंक ड्राफ्ट पंजी संधारित की जानी अपेक्षित थी।

कर के भुगतान के विरूद्ध प्राप्त चैकों तथा बैंकों द्वारा दी गई वास्तविक क्रेडिट के साथ बैंक में जमा राशि का मिलान करने में विभागीय विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमने आगे राज्य परिवहन प्राधिकारी शाखा में अवधि 2008–09 से 2009–10 (मई 2010 में नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के लागू होने से पूर्व) से सम्बंधित चालान पंजी में देखने पर पाया कि कराधान प्राधिकारियों/जांच चौकियों द्वारा संग्रहित संयुक्त कर के भुगतान हेतु संग्रहीत बैंक ड्राफ्टों को बैंकों में प्रेषित किया जाना दर्शाया गया था । कोषालय अभिलेखों से प्रेषित बैंक ड्राफ्टों की वसूली के सत्यापन के दौरान हमने पाया कि ₹ 1.38 करोड़ की राशि के बैंक ड्राफ्टों, जिन्हें बैंकों में प्रेषित किया जाना प्रतिवेदित किया गया था, को वास्तविक रूप से शासकीय लेखे में जमा नहीं किया गया था ।

विभाग निर्गम सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ और बताया कि संग्रहण हेतु बैंक को प्रस्तुत करने के लिए प्रवेश बिंदुओं पर प्राप्त डिमांड ड्राफ्टों का लेखांकन एवं मिलान सुनिश्चित करने के लिए नवीन सॉफ्टवेयर को विकसित करने में पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी एवं यह भी आश्वस्त किया कि शासकीय लेखे में जमा न किए गए/क्रेडिट न किए गए ड्राफ्टों की समीक्षा करने के लिए कम्प्यूटर द्वारा एम.आई.एस. प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

4.7.8 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के प्राधिकार की स्वीकृति पर समेकित शुल्क की कम वसूली एवं भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन न किया जाना

भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 मई 2010 द्वारा एक नई राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू की गई । राज्य में दिनांक 15 सितम्बर 2010 से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के परामर्श से राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रदान करने की इलेक्ट्रानिक प्रणाली विकसित की गई । नई प्रणाली में अनुज्ञापत्र धारक समेकित फीस (शुल्क) के रूप में ₹ 15000 का भुगतान कर पूरे देश में संचालन कर सकते थे । इस फीस को दिनांक 1 अप्रैल 2012 से बढ़ाकर ₹ 16500 प्रति वर्ष किया गया था । परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की संख्या तथा समेकित फीस पर एक समेकित प्रतिवेदन आगामी माह की 5 वीं तारीख तक मंत्रालय को भेजा जाना था जिससे राज्यों को निधियों का शीघ्र वितरण सुगमता से किया जा सके ।

साफ्टवेयर को अद्यतन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 391 प्रकरणों में समेकित फीस की कम प्राप्ति हुई ।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू किये जाने से सम्बंधित अधिसूचना दिनांक 7 मई 2010 के अनुसार, वाहन स्वामियों को ₹ 15,000 के भुगतान पर अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना था । यह शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 2012 से बढ़ाकर ₹ 16,500 कर दिया गया । नई प्रणाली के अंतर्गत अनुज्ञापत्र धारक सम्पूर्ण देश में संचालन कर सकता था ।

(i) हमने पांच कार्यालयों[5] में उपलब्ध राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजियों, प्राधिकार पत्र पंजियों एवं कम्प्यूटर डाटाबेस की जांच की (जून 2013) और पाया कि 1 अपैल से 26 अप्रैल 2012 की अवधि के दौरान 391 वाहनों/प्रकरणों के सम्बंध में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार हेतु समेकित शुल्क ₹ 16,500 की लागू दर के बजाय संशोधन पूर्व दर ₹ 15,000 लागू किये जाने के कारण कम वसूला गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.87 लाख की कम वसूली की गयी।

[5] क्षे.प.का.– ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना तथा अ.क्षे.प.का.–गुना

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ एवं कम समेकित शुल्क की वसूली का आश्वासन दिया।

विभाग मासिक प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करने से सम्बंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा ।

(ii) हमने आगे देखा (जुलाई 2013) कि विभाग द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों एवं समेकित शुल्क के भुगतान का मासिक प्रतिवेदन आगामी माह की 5 तारीख तक सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय को भेजने से सम्बंधित मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि मासिक अनुज्ञापत्र एक निजी एजेन्सी द्वारा भेजे गये थे जिसे अनुज्ञापत्र जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था । उत्तर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों (मई 2010) के अनुसार नहीं है, जिनके अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की संख्या एवं समेकित शुल्क के भुगतान आदि की समेकित जानकारी आगामी माह की 5 वीं तारीख तक मंत्रालय को भेजी जानी अपेक्षित थी ।

अनुपालन सम्बंधी कमियां :

4.7.9 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित माल वाहनों पर कर एवं शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार, कर का उदग्रहण किया जायेगा । यदि वाहन स्वामी अग्रिम त्रैमासिक कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा जो कर की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी ।

हमने पांच कार्यालयों [6] (जून 2013) में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्रों की पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी जहां ऐसी पंजियां संधारित थीं एवं कम्प्यूटर डाटाबेस का परीक्षण किया । हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2009 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि से सम्बंधित नमूना जांच किये गये 437 वाहनों में से 145 प्रकरणों पर वाहन कर की राशि ₹ 40.75 लाख का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी । इसके अतिरिक्त, ₹ 28.03 लाख की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 68.78 लाख के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। विभाग द्वारा मांग एवं

बकाया देय राशियों को वसूल करने में विभाग द्वारा अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप 145 प्रकरणों में राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

[6] क्षे.प.का.– ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना तथा अ.क्षे.प.का.–गुना

वसूली पंजी संधारित नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप लम्बित बकाया राशियों की वसूली का अनुसरण नहीं हुआ । कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार मांग सूचना पत्र भी जारी नहीं किये गये थे ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि केवल सम्बंधित वित्तीय वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए कर की कम वसूली आरोपणीय है, न कि पांच वर्ष की सम्पूर्ण अनुज्ञापत्र अवधि के लिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्राधिकार के नवीनीकरण से पूर्व वसूली सुनिश्चित की जाती है । आगे यह बताया गया कि उन प्रकरणों में, जिनमे अनुज्ञापत्र जारी रहने के बावजूद नवीनीकरण नहीं चाहा गया था, वाहन संचालित न किये जाने के कारण कर भुगतान की चूक नहीं हो सकती है ।

उत्तर म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसमें राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पर प्रचालित माल वाहनों के सम्बंध में अग्रिम तिमाही कर के भुगतान का स्पष्ट रूप से प्रावधान है । बकाया कर की वसूली करने में अपनी विफलता के समर्थन में विभाग ने तर्क दिया कि वाहन स्वामी संभवतः अपने वाहन संचालित नहीं कर रहे हैं, यद्यपि उनके पास अनुज्ञापत्र हैं, परन्तु उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि वाहन स्वामियों द्वारा वार्षिक प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, फिर भी अनुज्ञापत्रों के विरूद्ध कर वसूली योग्य था, विभाग को बकाया कर की वसूली हेतु कार्रवाई करनी चाहिए थी।

4.7.10 मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंध पर प्रचालित अन्य राज्यों के माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

विभाग 178 प्रकरणों में द्विपक्षीय अनुबंधों पर मध्य प्रदेश में संचालित किये जा रहे माल वाहनों पर वाहन कर की वसूली करने में विफल रहा।

अधिनियम 1991 के प्रावधानों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में द्विपक्षी अनुबंध के अंतर्गत संचालित किये जा रहे अन्य राज्यों के प्रत्येक माल वाहन पर अधिनियम में निर्दिष्ट दर के 85 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायेगा । यदि देय कर का भुगतान पदांकित प्राधिकारी को नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा जो कर की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगा । साथ ही, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, वाहन स्वामी द्वारा अपने कर भुगतान की पुष्टि में एक घोषण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत मांग एवं वसूली पंजी एवं जानकारी के परीक्षण के दौरान हमने पाया कि अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि में चार राज्यों[7] के द्विपक्षीय अनुबंधों के तहत् प्रचालित 178 माल वाहनों पर वाहन कर की

[7] दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

राशि ₹ 70 लाख का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधीकारी द्वारा इसकी वसूली की गयी इसके अतिरिक्त, ₹ 78.26 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 148.26 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2013) के दौरान विभाग लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ तथा एक मुश्त कर की राशि प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के सम्बंध में आश्वासन दिया ।

4.7.11 निष्कर्ष

राज्य परिवहन प्राधिकारी तथा इकाई कार्यालयों के मध्य समन्वय का अभाव देखा गया जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षी अनुबंधों पर संचालित किये जा रहे वाहनों से सम्बंधित करों का भुगतान नहीं हुआ । मांग एवं वसूली पंजी संधारित न होने से द्विपक्षीय अनुबंध पर संचालित वाहनों पर लंबित बकाया कर पर निगरानी नहीं रखी जा सकी। विभाग वाहन स्वामियों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति को कोषालय अभिलेखों के साथ सत्यापित करने में असफल रहा। शासन ने निधियों के सामायिक वितरण को सुगम बनाने के लिए आगामी माह की 5 वीं तारीख को जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों एवं समेकित शुल्क के भुगतान पर मासिक समेकित प्रतिवेदन की मंत्रालय को प्रस्तुति से सम्बंधित सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (मई 2010) द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हीं किया ।

4.8 वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की असंदत्त राशि पर धारा 13 के अनुसार चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा/होगी, जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी। साथ ही, अधिनियम की धारा 22 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, कराधान प्राधिकारी द्वारा कर की वसूली पर निगरानी रखने के लिये एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है। यह भी अपेक्षित है कि वह निश्चित कालावधि में रजिस्टर की समीक्षा करेगा और चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र क्रमांक 10/12 दिनांक 15.12.1992 द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण अवश्य करना चाहिए।

4.8.1 हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) अभिलेखों[8] की जाँच की ओर पाया कि जून 2005 और मार्च 2012 के मध्य की अवधि से संबंधित नमूना जांच किये गये 24,756 वाहनों में से 2,487 वाहनों पर कर की राशि ₹ 7.52 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। अभिलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा रहा था अथवा उन्हें किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.31 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी,

[8] माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञा–पत्र समर्पण पंजी के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

आरोपित नहीं की गई। हमने यह भी पाया कि नौ कार्यालयों[9] में मांग एवं वसूली पंजी संधारित/अद्यतन नहीं की गई थी। कराधान प्राधिकारियों द्वारा उज्जैन (2010–11) को छोड़कर सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्रमांक 4.6 में दर्शाये गये अनुसार ₹ 12.83 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई :

तालिका क्र. 4.6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी/वाहनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग
1	27[10]	मालवाहन 1, 144	4/06 से 3/12	2.43	1.76	4.19
2	26[11]	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोक सेवा वाहन 520	2/06 से 3/12	2.48	1.43	3.91
3	18[12]	नियमित प्रक्रम वाहन अनुज्ञा–पत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहन 173	6/05 से 3/12	1.31	1.16	2.47
4	25[13]	मैक्सी कैब/टैक्सी कैब 650	4/08 से 3/12	1.30	0.96	2.26
	योग	**2,487**		**7.52**	**5.31**	**12.83**

[9] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – गुना, जि.प.का. – भिण्ड, देवास एवं सीहोर

[10] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर एवं सिवनी तथा जि.प.का. – भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया एवं विदिशा

[11] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी और जि.प.का.भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, उमरिया एवं विदिशा

[12] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – गुना, कटनी, खरगोन एवं मंदसौर और जि.प.का. – भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, श्योपुर एवं शिवपुरी

[13] क्षे.प.का. – भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी और जि.प.का. – भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) सात कराधान प्राधिकारियों[14] ने बताया (सितम्बर 2012 एवं मई 2013 के मध्य) कि 75 प्रकरणों मे ₹ 19.27 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं 478 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे।

4.8.2 हमने (दिसम्बर 2011 एवं सितम्बर 2012 के मध्य) सात जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[15] में अभिलेखों[16] की जांच की और पाया कि 988 वाहनों की नमूना जाँच में 93 मोटर वाहनों के लिये वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि के दौरान एक माह से लेकर 30 माह तक के विलम्ब से किया गया था। किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा न तो कर के साथ शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि क्षे.प.का.– रीवा द्वारा मांग एवं वसूली पंजी संधारित/अद्यतन नहीं की गई थी। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.42 लाख की शासित की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा (दिसम्बर 2011 एवं सितम्बर 2012 के मध्य) इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, छतरपुर ने बताया (मार्च 2012) कि छः प्रकरणों मे ₹ 15,138 की राशि वसूल की जा चुकी थी और तीन प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे एवं तीन कराधान प्राधिकारियों[17] ने बताया (दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य) कि मांग सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं/वसूली कर सूचित किया जायेगा/वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

14 क्षे.प.का. – मुरैना, रीवा, अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, गुना, खरगौन, जि.प.का. – सिहोर एवं विदिशा

15 क्षे.प.का. – रीवा, शहडोल, अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, जि.प.का. – नरसिंहपुर, रायसेन, श्योपुर एवं शिवपुरी

16 मांग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी के साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

17 जि.प.का. – नरसिंहपुर, रायसेन एवं श्योपुर

4.9 मोटर वाहनों पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जायेगा। लोकसेवा/निजी सेवा वाहन के प्रकरण में कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जायेगी। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 22 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[18] के अभिलेखों[19] की जांच की और पाया कि 3,842 वाहनों की नमूना जाँच में 331 मोटर वाहनों का जुलाई 2007 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित वाहन कर, कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण वाहन स्वामियों द्वारा कम जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि सात कराधान प्राधिकारियों[20] द्वारा माँग एवं वसूली पंजियाँ संधारित/अद्यतन नहीं की गई थीं। उज्जैन (2010–11) को छोड़कर कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था लेकिन उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.37 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, असंदत्त कर की राशि पर आरोपणीय ₹ 29.90 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य), तीन कराधान प्राधिकारियों[21] ने बताया (सितम्बर एवं मई 2013 के मध्य) कि 29 प्रकरणों में राशि ₹ 95,106 वसूल की जा चुकी है एवं 15 प्रकरणों में माँग सूचना पत्र जारी किये गये हैं जबकि नौ कराधान प्राधिकारियों[22] ने बताया (मार्च एवं अगस्त 2012 के मध्य) कि वसूली की कार्रवाई के सम्बंध में सूचित किया जायेगा/वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

18 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – धार, कटनी, खरगोन, मन्दसौर, सिवनी, जि.प.का. – देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया एवं विदिशा

19 माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, अनुज्ञापत्र समर्पण पंजी, वाहन समर्पण पंजी के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

20 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन, जि.प.का. – देवास, सिहोर, टीकमगढ़

21 अ.क्षे.प.का. – खरगोन, जि.प.का. – सिहोर एवं विदिशा

22 क्षे.प.का. – रीवा, शहडोल, अ.क्षे.प.का. – कटनी, सिवनी, जि.प.का. – पन्ना, रायसेन, शाजापुर, श्योपुर एवं सीधी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

4.10 अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

दिनांक 28 दिसम्बर 2007 की अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहनों जैसे क्रेन, लोडर, अर्थमूवर, हार्वेस्टर इत्यादि के कर की दरों में उनके लदान रहित भार के अनुसार दरों में संशोधन किया गया था अर्थात 7,000 किलोग्राम तक ₹ 3,700 प्रति तिमाही और तत्पश्चात प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये ₹ 500 प्रति तिमाही। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 19 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[23] में अभिलेखों[24] की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित नमूना जाँच किये गये 2,455 वाहनों में से 370 वाहनों (हार्वेस्टर, अर्थमूवर, क्रेन इत्यादि) पर कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि यह दर्शाता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.69 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर आरोपणीय ₹ 47.48 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, हमने अवलोकित किया कि मांग एवं वसूली पंजियाँ सात कार्यालयों[25] द्वारा संधारित/अद्यतन नहीं की गयीं थीं।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मई 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य), छः कराधान प्राधिकारियों[26] ने बताया (सितम्बर एवं मई 2013 के मध्य) कि छः प्रकरणों में राशि ₹ 2.63 लाख वसूल की जा चुकी हैं एवं 109 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये गये हैं जबकि छः कराधान प्राधिकारियों[27] ने बताया (जून एवं नवम्बर 2012 के मध्य) कि लेखापरीक्षा को वसूली कर सूचित किया जावेगा/राशि की वसूली के प्रयास प्रगति पर हैं।

23 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, धार, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी, जि.प.का. – भिण्ड, राजगढ़, सिहोर, शिवपुरी, सीधी एवं विदिशा

24 माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

25 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा एवं उज्जैन, जि.प.का. – भिण्ड एवं सिहोर

26 क्षे.प.का. – मुरैना एवं रीवा, अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, खरगोन, जि.प.का. – सिहोर एवं विदिशा

27 क्षे.प.का. – जबलपुर, शहडोल, अ.क्षे.प.का. – कटनी, सिवनी, जि.प.का. – भिण्ड एवं सीधी

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

4.11 व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार, किसी व्यवसायी द्वारा व्यापार प्रमाण–पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र–16 में उसके साथ उपरोक्त अधिनियम के नियम–81 में उल्लिखित फीस (मोटर साइकिल के लिये ₹ 50 एवं अन्य के लिये ₹ 200 प्रति वाहन) संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवसायी द्वारा बेचे गये प्रत्येक वाहन पर फीस प्रभारणीय है। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.01.2012 के अनुसार नियमानुसार व्यापार फीस वसूलनी थी।

हमने (मार्च 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) 17 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[28] में व्यापार फीस पंजी तथा व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों (जहाँ उपलब्ध थी) एवं कराधान प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 और मार्च 2012 के मध्य विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 5,12,491 वाहन पंजीकृत किये गये थे, फिर भी व्यवसाइयों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी। कराधान प्राधिकारी बेचे गये उन वाहनों की वास्तविक संख्या भी सुनिश्चित नहीं कर सके जिनके विरूद्ध व्यापार प्रमाण–पत्र जारी किये गये और व्यापार फीस की सही राशि वसूल नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा (मार्च 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कराधान प्राधिकारी, सिवनी ने बताया (जून 2012) कि व्यवसाईयों से व्यापार कर का संग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाता है। उत्तर में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत व्यापार फीस की वसूली न होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि 11 कराधान प्राधिकारियों[29] ने बताया (मई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) कि मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त कार्रवाई की

[28] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, गुना, कटनी, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी, जि.प.का. – रायसेन, राजगढ़, सिहोर, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा

[29] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, गुना, कटनी, खरगोन, जि.प.का. – राजगढ़, सिहोर, सीधी एवं विदिशा

जायेगी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किये थे कि व्यापार फीस की वसूली केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अनुसार की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

4.12 आधिक्य भार ले जाने वाले मालयानों से शमन शुल्क की कम वसूली

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार, मालयानों द्वारा आधिक्य भार को ले जाने के लिये शमन शुल्क न्यूनतम ₹ 2,000 और अतिरिक्त राशि ₹ 1,000 प्रथम टन के लिये और उसके बाद ₹ 500 प्रति टन या उसके भाग आधिक्य भार के लिये होगा।

हमने (नवम्बर 2012 और मार्च 2013 के मध्य) सात सीमा चैक पोस्टों[30] में अवधि अप्रैल 2007 और मार्च 2012 के मध्य की अपराध पंजी के साथ म.प्र.को.सं.–6[31] की जाँच की और पाया कि 2014 मालयानों द्वारा एक टन से 51 टन आधिक्य भार अपने रजिस्ट्रीकृत लदान वजन (आर.एल.डब्ल्यू.) से अधिक ले जाया गया था। प्रभारी अधिकारी ने वाहन स्वामियों से वसूली योग्य शुल्क ₹ 69.96 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 29.68 लाख शमन शुल्क आरोपित एवं वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.28 लाख का शमन शुल्क कम प्राप्त हुआ।

हमारे द्वारा (नवम्बर 2012 और मार्च 2013 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, पाँच प्रभारी अधिकारियों[32] ने बताया (नवम्बर 2012 और मार्च 2013 के मध्य) कि भविष्य में मोटरयान अधिनियम के अनुसार वसूली की जायेगी। जबकि प्रभारी अधिकारी मालथौन ने बताया (मार्च 2013) कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) में अपराध के लिये दण्ड का प्रावधान है जो कि हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है और यह माननीय न्यायालय का अधिकार है। प्रभारी अधिकारी बड़वानी ने बताया (मार्च 2013) कि शमन शुल्क नियमानुसार वसूला गया है। दोनों उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निर्धारित दरों के अनुसार शमन शुल्क कराधान प्राधिकारियों द्वारा आरोपित किया जाना था।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

30 कैमहा, मझगवाँ (सतना), मालथौन (सागर), मुरैना, पहाड़ीबंधा, संजयनगर (छतरपुर) एवं सेंधवा (बड़वानी)

31 मध्य प्रदेश कोषालय संहिता – 6

32 कैमहा (छतरपुर), मझगवाँ (सतना), मुरैना, पहाड़ीबंधा एवं संजयनगर (छतरपुर)

4.13 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रें पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्धारित दर से देय है। यदि देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो अधिनियम में उल्लिखित चार प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च और दिसम्बर 2012 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जबलपुर एवं जिला परिवहन कार्यालय, देवास में अभिलेखों[33] की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 27 वाहनों में से छः प्रचालकों ने अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रें पर प्रचालित नौ लोकसेवा वाहनों के सम्बन्ध में जुलाई 2008 और मार्च 2012 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित वाहन कर का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों को अप्रचालित घोषित नहीं किया गया तथा वाहन स्वामियों द्वारा कथित अनुज्ञापत्रें को अभ्यर्पित भी नहीं किया गया। कराधान प्राधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि यह दर्शाता है कि निरीक्षण अप्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.37 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.47 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च और दिसम्बर 2012 के मध्य), कराधान प्राधिकारी, जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राशि ₹ 75,200 (केवल कर शास्ति बकाया) दो प्रकरणों में लेखापरीक्षा के उपरांत पर जमा की गयी थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

[33] माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञापत्र जमा पंजी, के साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

4.14 स्लीपर/डीलक्स वाहनों में बैठक क्षमता के गलत निर्धारण के कारण कम वसूली होना

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जायेगा। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट चार प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जबलपुर में पंजीयन अभिलेखों की जाँच की (दिसम्बर 2012) और पाया कि तीन डीलक्स/स्लीपर वाहनों (क्षे. प.का. जबलपुर, अ.क्षे.प.का. सिवनी एवं जि.प.का.नरसिंहपुर) में चालक को छोड़कर पंजीकृत बैठक क्षमता 35 एवं 36 थी। निरीक्षण दल के अभिलेखों (पंचनामा) के साथ पारस्परिक मिलान करने पर इन्हीं वाहनों की बैठक क्षमता 43 और 50 के मध्य पायी गयी। इन वाहनों की बैठक क्षमता के अनियमित पंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 11.52 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 12.73 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कराधान प्राधिकारी, जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वसूली कर सूचित किया जायेगा जबकि अन्य कराधान प्राधिकारियों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

अध्याय – 5

भू–राजस्व

कार्यपालन सारांश

हमने इस अध्याय में प्रमुखता से जो दर्शाया है	इस अध्याय में हमने तहसीलदारों तथा कलेक्टरों के कार्यालयों में प्रीमियम तथा भू–भाटक की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, भू–राजस्व तथा उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना, सेवा प्रभारों का अनारोपण आदि से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जांच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 35.55 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय हैं कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में, भू–राजस्व से प्राप्त कर संग्रहण में, विगत वर्ष की तुलना में 58.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा इस वृद्धि का कारण नहीं बताया गया।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 6,00,616 प्रकरणों में ₹ 2,177.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों का पंजीयन न होना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 1,314.57 करोड़ के 5,23,534 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 7,722 प्रकरणों में ₹ 173.11 करोड़ वसूल किये । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 1.69 प्रतिशत से 37.10 प्रतिशत के मध्य रहा, जो बहुत कम था ।
वर्ष 2012–13 के निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति	वर्ष 2012–13 में, हमने भू–राजस्व से सम्बन्धित 55 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 12,481 प्रकरणों में ₹ 70.76 करोड़ की राशि से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2012–13 में हमारे द्वारा इंगित किये गये

	12,103 प्रकरणों में ₹ 23.35 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान तथा उपकर के अवनिर्धारण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय – 5
भू–राजस्व

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है । प्रधान राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख होता है । संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं । प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । जिले के उप–संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है । किसी उप–संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाएं । राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (एस.एल.आर./ए.एस.एल.आर.) की पदस्थापना की जाती है । तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है । राज्य में दस राजस्व संभाग हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है, 50 जिले जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है तथा 341 तहसीले हैं ।

भू–राजस्व प्राप्तियों का विनियमन निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है :

- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.), 1959;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (एम.पी.पी.आर.ए.), 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम (एम.पी.एल.ए.), 1987; तथा
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.)

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल, 2012 की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों की बकाया देय राशि तथा वर्ष के दौरान उसकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक मांग शामिल/प्रदर्शित की जाना चाहिये। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, सम्बंधित विभाग/शासन से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग द्वारा राजस्व अनुमान तैयार किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान भू–राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका क्रमांक 5.1 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 5.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिक (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	156.01	338.84	(+) 182.83	(+) 117.19	13,613.50	(+) 2.49
2009-10	161.81	180.03	(+) 18.22	(+) 11.26	17,272.77	(+) 1.04
2010-11	182.46	360.81	(+) 178.35	(+) 97.75	21,419.38	(+) 1.68
2011-12	475.00	279.06	(-) 195.94	(-) 41.25	26,973.44	(+) 1.03
2012-13	550.00	443.59	(-) 106.41	(-) 19.35	30,581.70	(+) 1.45

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 में, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 164.53 करोड़ (58.96 प्रतिशत) भू–राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई। वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 41.25 तथा 117.19 के मध्य रहा । विभाग ने भिन्नता का कारण नहीं बताया ।

5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

आंतरिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है कि विभागीय क्रियाकलाप लागू कानून, विनियमों तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययता एवं निपुणता के साथ प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किये जाते हैं, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेख, रजिस्टर/अकाउन्ट बुक उचित तरीके से एवं सही–सही संधारित कर रहे हैं और राजस्व का संग्रहण न होने/कम संग्रहण या अपवंचन की रोकथाम के लिए समुचित रक्षोपाय किये जा रहे हैं ।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है । इसके अभाव में सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा लंबित थी ।

प्रणाली की कमजोरियों, दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और परिणामतः राजस्व के रिसाव को समाप्त करने के लिए नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया जा सकता है ।

5.4 भू–राजस्व का बकाया

विभाग ने प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013) कि कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त[1], मध्य प्रदेश, भोपाल एक नवीन सृजित (2010–11) कार्यालय है । इसलिए भू–राजस्व बकाया की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है । जानकारी जिलों से एकत्रित की जा रही है ।

5.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने ₹ 342.72 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम तथा भू–भाटक का अवनिर्धारण, शासकीय लेखाओं में भू–राजस्व तथा उपकर[2] का प्रेषण न किये जाने, सेवा प्रभारों का अनारोपण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना, व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण आदि से सम्बंधित प्रकरणों को इंगित किया था । जबकि विभाग ने ₹ 258.71 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 31 मार्च 2013 तक केवल ₹ 143.14 करोड़ की राशि वसूल की जैसा कि तालिका क्र. 5.2 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 5.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2013 तक वसूल राशि
2007–08	5	4.75	3	3.18	3	2.29
2008–09	7	5.22	7	3.52	6	0.86
2009–10	1	314.60	1	239.84	1	139.87
2010–11	6	3.90	2	1.95	1	0.12
2011–12	7	14.25	2	10.22	–	–
योग	**26**	**342.72**	**15**	**258.71**	**11**	**143.14**

1 तहसील कार्यालयों के विभागाध्यक्ष

2 पंचायत उपकर जो भू–राजस्व का 50 प्रतिशत है ।

विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष 2007–08 और 2009–10 को छोड़कर, स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये ।

5.5.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 6,00,616 प्रकरणों में ₹ 2,177.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल[3] भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाण पत्र का पंजीयन न होना आदि को इंगित किया था । इनमें से, विभाग/शासन ने 5,23,534 प्रकरणों में ₹ 1314.57 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 7,722 प्रकरणों में ₹ 173.11 करोड़ वसूल किये (31 मार्च 2013 की स्थिति)। विवरण तालिका क्र. 5.3 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 5.3

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2007-08	110	2,37,557	110.81	2,37,557	110.81	7,021	11.69	10.55
2008-09	121	33,807	274.22	33,807	274.22	327	5.37	1.96
2009-10	94	1,36,783	628.68	72,803	378.94	21	140.60	37.10
2010-11	45	1,72,568	870.47	1,60,044	272.58	130	10.76	3.95
2011-12	66	19,901	293.20	19,323	278.02	223	4.69	1.69
योग		**6,00,616**	**2,177.38**	**5,23,534**	**1,314.57**	**7,722**	**173.11**	

विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमने यह मामला विभागाध्यक्ष एवं शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (अगस्त 2013)।

[3] शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि ।

5.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनोंकी स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान भू–राजस्व की 55 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 12,481 प्रकरणों में ₹ 70.76 करोड़ के राजस्व अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें तालिका क्रमांक 5.4 अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है :

तालिका क्र. 5.4

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण	2	0.02
2.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों का पंजीयन न होना	135	2.36
3.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम का अवनिर्धारण	5,381	1.37
4.	नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना	57	0.47
5.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम तथा शास्ति की मांग सृजित न करना	4,187	0.56
6.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	253	0.96
7.	अन्य प्रेक्षण	2,466	65.02
योग		**12,481**	**70.76**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 12,103 प्रकरणों में ₹ 23.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 35.55 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की जांच की जिससे प्रीमियम एवं भू–भाटक के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं और ये हमारे द्वारा की गयी नमूना जांच पर आधारित हैं। निर्धारण प्राधिकारियों की ओर से पायी गयी इस प्रकार की कमियां विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई कंडिकाओं तथा विगत में इंगित किये गये समान प्रेक्षणों का सन्दर्भ **परिशिष्ट–1** में उल्लिखित है, परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरंतर बनी हुई हैं, बल्कि इनका लेखापरीक्षा होने तक पता नहीं चला था। अतः शासन को ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आंतरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

5.7 सेवा प्रभारों का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

भूमि अधिग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रोत्साहन प्रदान करने और इस संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए शासन ने जुलाई 1991 में उन विभागों/संगठनों से, जिनकी ओर से भूमि अधिग्रहण किया जाना था, अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार वसूल करने का निर्णय लिया । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व, अवार्ड की अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत सम्बंधित विभागों/संगठनों से जमा कराया जाना था । अंतिम अवार्ड के पश्चात, सेवा प्रभार की शेष राशि (अंतिम अवार्ड तथा अनुमानित अवार्ड के अंतर पर आंकलित) भी वसूल की जानी थी । इस प्रकार, वसूल की गई राशि शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष **'0029' भू–राजस्व** के अंतर्गत प्रेषित की जानी थी। मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग–I के नियम 7(i) में भी प्रावधानित है कि शासन के पक्ष में संग्रहीत धनराशि बिना अनावश्यक विलंब के शासन के खाते में जमा की जाना चाहिये। राजस्व परिपत्र पुस्तक–II–1 की कंडिका 34 के अनुसार संभागीय आयुक्त द्वारा प्रत्येक कलेक्टर और तहसील कार्यालय के राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण क्रमशः दो और तीन वर्ष में किया जाना चाहिये तथा कलेक्टर द्वारा जिले की सभी तहसीलों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये।

कलेक्टर कार्यालय, धार में भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2012) कि 86 प्रकरणों में ₹ 79.33 करोड़ का भूमि अवार्ड निर्णीत किया जा चुका था एवं सेवा प्रभार की राशि ₹ 7.93 करोड़ दिसम्बर 2010 और अक्टूबर 2012 के मध्य वसूल हो गयी थी। नियमानुसार, सेवा प्रभार बिना किसी विलंब के शासन के खाते[4] में जमा की जाना अपेक्षित थी । लेकिन, हमने यह देखा कि लेखापरीक्षा दिनांक तक (दिसम्बर 2012) ये राशियां शासकीय खाते में जमा कराने के बजाय भू–अर्जन अधिकारी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउन्ट (पी.डी.ए.) में रखी गयी । इस प्रकार, सेवा प्रभारों का प्रेषण न किये जाने के कारण राजकोष ₹ 7.93 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया । इस कार्यालय का निरीक्षण संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर द्वारा भी नहीं किया गया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, भू–अर्जन अधिकारी, धार ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सेवा प्रभार शासन के खाते में जमा नहीं कराये जा सके क्योंकि संग्रहीत एवं पी.डी.ए. में रखी गयी राशि जिला न्यायालय, धार द्वारा जब्त की गयी थी । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि संग्रहण के बाद राशि तुरन्त शासकीय खाते में जमा की जानी चाहिये थी । इसके

[4] मुख्यशीर्ष "0029" भू–राजस्व के अन्तर्गत

अलावा, 1 जनवरी से 14 मार्च और 21 जुलाई से 5 नवम्बर 2012 के दौरान पी.डी.ए. जब्त नहीं रहा था । अतः इस अवधि के दौरान सेवा प्रभार शासकीय खाते में जमा किया जा सकता था ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

5.8 ब्याज का अनारोपण/वसूल न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल (एम.पी. एच.बी.) नोडल एजेंसी के रूप में तथा मेंसर्स दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डी.आई.पी.एल.) के मध्य निष्पादित विकास अनुबंध (अप्रैल 2008) के अनुच्छेद 29.2 के अनुसार, यदि कोई राशि इस अनुबंध के किसी प्रावधान के अंतर्गत एक पक्ष से दूसरे पक्ष को भुगतान योग्य हो जाती है और यदि नियत समय सीमा में इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो भुगतान का दायित्व जिस पक्ष का है यह माना जायेगा कि यह ऋण है जो उसके द्वारा राशि प्राप्त करने वाले पक्ष से प्राप्त किया गया है। ऐसी राशि पर देय तिथि से भुगतान तिथि अथवा अन्य प्रकार से वसूली की अवधि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आगे, मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग–I के नियम 7(i) के अनुसार शासन के पक्ष में संग्रहीत धनराशियां बिना अनावश्यक विलंब के शासन के खाते में जमा की जाना चाहिये।

राजधानी परियोजना (नजूल), भोपाल के अभिलेखों (विकास अनुबंध, आवंटन फाइल एवं वसूली से सम्बंधित दस्तावेज) से हमने अवलोकित किया (मार्च 2013) कि 15 एकड़ नजूल भूमि ₹ 338.00 करोड़ में अप्रैल 2008 में डी.आईपी.एल. को आवंटित की गयी थी। यह प्रतिफल राशि डी. आई.पी.एल. द्वारा तीन किश्तों में भुगतान की जानी थी तथा आवंटिती को सौंपी गई भूमि की वास्तविक माप के अनुसार यह प्रतिफल राशि पुनरीक्षित की जानी थी। डी.आई.पी.एल. द्वारा ₹ 101.40 करोड़ की दो किस्तों का भुगतान अप्रैल और अगस्त 2008 के मध्य किया गया तथा प्रीमियम की अंतिम किश्त अप्रैल 2009 में देय थी । प्रीमियम राशि पुनरीक्षित कर ₹ 335.30 करोड़ की गयी क्योंकि कंपनी को 15 एकड़ के स्थान पर 14.88 एकड़ का कब्जा दिया गया था (नवम्बर 2008) । हमने यह देखा कि अंतिम किश्त ₹ 132.50 करोड़ का पट्टेदार द्वारा भुगतान, देय तिथि के 469 दिन बाद जुलाई 2010 में किया गया। अतः विलंबित अवधि हेतु ₹ 25.54 करोड़ का ब्याज भी देय था। तथापि हमने देखा कि न तो विभाग द्वारा ब्याज की मांग की गई और न ही पट्टेदार द्वारा इसका भुगतान

किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 25.54 करोड़[5] का ब्याज प्राप्त नहीं हुआ ।

हमने यह भी अवलोकित किया कि शासन की ओर से एम.पी.एच.बी को 31 जुलाई 2010 को भुगतान की गई उपरोक्त वर्णित तीसरी किस्त ₹ 132.50 करोड़ एम.पी.एच.बी. द्वारा इसकी प्राप्ति के 16 दिन बाद 18 अगस्त 2010 को कोषालय में जमा की गई जिसके कारण शासन ₹ 87.12 लाख[6] के ब्याज से वंचित हो गया। इसकी मांग भी एम.पी.एच.बी. से नहीं की गई । इस प्रकार, शासन को देय राशियों के विलंब से भुगतान पर ब्याज के अनारोपण तथा कोषालय में विलंब से जमा करने के परिणामस्वरूप ₹ 26.41 करोड़ का ब्याज प्राप्त नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार नजूल ने बताया (मार्च 2013) कि शासन हित में सम्बंधित दस्तावेजों की जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

5.9 भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (भाग एक) के नियम 7 (i) सहपठित नवम्बर 2001 में जारी शासन की अधिसूचना के अनुसार, तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय को प्रेषित कर शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष ''0029'' भू–राजस्व के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिये ।

हमने जून एवं दिसम्बर 2012 के मध्य सात तहसील कार्यालयों[7] के मांग एवं वसूली के विवरण पत्रक तथा चालानों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया कि तहसील कार्यालयों द्वारा अक्टूबर 2011 तथा सितम्बर 2012 के मध्य संग्रहीत ₹ 85.28 लाख का भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के

5 469 दिन के विलंब से जमा राशि (17.04.09 से 30.07.10) – ₹ 1,32,49,60,000
वार्षिक ब्याज : 1,32,49,60,000 × 15 प्रतिशत= 19,87,44,000
एक दिन का ब्याज : 19,87,44,000 ÷ 365 दिन = 5,44,504.10
कुल ब्याज : 5,44,504.10 × 469 दिन = 25,53,72.427 अथवा ₹ 25.54 करोड़

6 16 दिन (02.08.10 से 17.08.10) विलंब से जमा राशि = ₹ 1,32,49,60,000
1,32,49,60,000 × 15 प्रतिशत = ₹ 19,87,44,000 वार्षिक ब्याज
एक दिन का ब्याज : 19,87,44,000 ÷ 365 = ₹ 5,44,504.10
कुल ब्याज : 5,44,504.10 × 16 दिन = ₹ 87,12,064 अथवा ₹ 87.12 लाख

7 आष्टा (सीहोर), देवास, जैथारी (अनूपपुर), कोतमा (अनूपपुर), मंझोली (सीधी), पोरसा (मुरैना) और सहवाल (सीधी)

अंतर्गत जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा किया गया । इस प्रकार, राजकोष ₹ 85.28 लाख़ के राजस्व से वंचित हो गया । यह त्रुटि विभाग द्वारा इंगित नहीं की गयी यद्यपि आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा कोतमा तहसील का निरीक्षण मार्च तथा सितम्बर 2012 में किया गया था जो कि अप्रभावी निरीक्षण का द्योतक है ।

हमारे द्वारा सितम्बर एवं दिसम्बर 2012 के मध्य इसे इंगित किये जाने के बाद, चार तहसीलदारों[8] ने बताया (सितम्बर और दिसम्बर 2012 के मध्य) कि भू–राजस्व तथा उपकर मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व के अंतर्गत जमा किया जायेगा । तहसीलदार, आष्टा (सीहोर) ने सितम्बर 2012 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर को ये राशियां शासन के खाते में जमा कराने के लिये पत्र लिखा गया है। तहसीलदार, देवास एवं तहसीलदार पोरसा (मुरैना) ने क्रमशः जून और नवम्बर 2012 में बताया कि जिला पंचायत से यह राशि यथाशीघ्र वापस प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जायेगी । आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

5.10 नजूल प्रीमियम और भू–भाटक का अवनिर्धारण

बाजार मूल्य मार्गदर्शिका 2010–11 के उपबंध क्रमांक 1 के अनुसार कार्नर स्थित भूखण्डों का मूल्यांकन उसमें निर्धारित सामान्य मूल्य में 10 प्रतिशत जोड़कर किया जायेगा ।

अनुविभागीय अधिकारी (शहर वृत्त), भोपाल के अभिलेखों (राजस्व प्रकरण पंजी एवं नजूल प्रकरण) से हमने अवलोकित किया (मार्च 2013) कि 2024.16 वर्गमीटर रकवे का एक नजूल भूखण्ड मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एम.पी.आर.डी.सी.) को स्थायी पट्टे पर शासन द्वारा आवंटित किया गया (अक्टूबर 2010) । नजूल भूखण्ड के आवंटन की स्वीकृति आदेश के उपवर्णनों से ज्ञात हुआ कि प्रीमियम की संगणना वर्ष 2010–11 की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं उसमें विहित दरों के अनुसार की जानी थी । तदनुसार, ₹ 3.67 करोड़ का प्रीमियम और ₹ 27.55 लाख प्रति वर्ष भू–भाटक प्रभार्य था । तथापि, हमने देखा कि विभाग द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि कार्नर भूखण्ड होने के कारण सामान्य मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन किया जाना था, प्रीमियम ₹ 3.34 करोड़ तथा भू–भाटक ₹ 25.05 लाख प्रति वर्ष प्रभारित किया । इस प्रकार प्रीमियम के अवनिर्धारण

[8] जैथारी (अनूपपुर), कोतमा (अनूपपुर), मझौली (सीधी) तथा सहवाल (सीधी)

के परिणामस्वरूप ₹ 33.40 लाख के प्रीमियम एवं ₹ 2.50 लाख प्रतिवर्ष भू–भाटक योग ₹ 35.90 लाख[9] का कम आरोपण/वसूली हुई ।

हमारे द्वारा इंगित (मार्च 2013) किये जाने के बाद, अनुविभागीय अधिकारी (नजूल) ने बताया (मार्च 2013) कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

[9] वर्ष 2010–11 की मार्गदर्शिका में व्यवसायिक भूखण्ड दर ₹ 16,500 प्रति वर्गमीटर,
प्रीमियम 2024.16 × 16,500 = 3,33,98,640+ कार्नर नजूल भूमि के लिए 10 प्रतिशत
अतिरिक्त = ₹ 3,67,38,504;
आरोपणीय भू–भाटक (7.5 प्रतिशत की दर से) : 3,67,38,504 × 7.5% = ₹ 27,55,388 प्रतिवर्ष,
हानि प्रीमियम : 3,67,38,504 – 3,33,98,640 = ₹ 33,39,864
हानि भू–भाटक : 27,55,388 – 25,04,898 = 2,50,490 प्रतिवर्ष,
प्रति वर्ष कुल हानि : 33,39,864 + 2,50,490 = ₹ 35,90,354

अध्याय – 6

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने उप पंजीयक कार्यालयों में राजस्व की प्राप्ति न होने/कम प्राप्ति होने, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत छूट आदि से सम्बन्धित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों में से चयनित ₹ 173.05 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित **"विकास अनुबंधों एवं विकासशील भूमि के बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण"** पर एक कंडिका तथा अन्य उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह चिंता का विषय है कि यद्यपि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार इसी प्रकार की चूकों को हमारे द्वारा इंगित किया गया है, फिर भी विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार अधिक दस्तावेजों के पंजीयन तथा अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 20.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 22,998 प्रकरणों में ₹ 212.91 करोड़ के राजस्व से सन्निहित अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के गलत निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवनिर्धारण, दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण, गलत छूट, उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब आदि को इंगित किया था। इनमें से, विभाग/शासन ने ₹ 82.59 करोड़ के 16,738 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 1,681 प्रकरणों में ₹ 13 करोड़ वसूल किये ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति 2012–13	वर्ष 2012–13 में, हमने मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बंधित 101 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 2,299 प्रकरणों में ₹ 188.74 करोड़ के, प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति, गलत छूट तथा अन्य प्रेक्षणो को पाया।

	विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये 1,578 प्रकरणों में ₹ 154.99 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2012–13 के दौरान 12 प्रकरणों में ₹ 3.51 लाख की राशि वसूल की गई थी ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाने के साथ ही आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे प्रणालीगत कमियों की ओर ध्यान दिया जा सके तथा हमारे द्वारा संसूचित की गई चूकों से भविष्य में बचा जा सके । विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनारोपण/कम आरोपण के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अध्याय–6

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

6.1 कर प्रशासन

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश (आई.जी.आर.) विभाग प्रमुख हैं । दो संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन (जे.आई.जी.आर.), एक उप महानिरीक्षक पंजीयन (डी.आई.जी.आर.), एक वरिष्ठ जिला पंजीयक (एस.डी.आर.), एक जिला पंजीयक (डी.आर.) और एक लेखा अधिकारी (ए.ओ.) मुख्यालय पर कार्यरत हैं। राज्य में 50 पंजीयन जिले अधिसूचित हैं । पन्द्रह पंजीयन जिलों में से प्रत्येक में एक वरिष्ठ जिला पंजीयक तथा शेष जिलों में से प्रत्येक में एक जिला पंजीयक है। राज्य में 233 उप पंजीयक कार्यालय हैं। विलेखों का पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालयों में किया जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर पंजीयन प्रशासन का प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश में पंजीयन विभाग की प्राप्तियों के दो प्रमुख अवयव हैं: मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, जिसका संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विनियमित किया जाता है :

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- पंजीयन अधिनियम, 1908;
- भारतीय मुद्रांक (मध्य प्रदेश विलेखों के न्यून मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1975;
- मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शिका को तैयार करना एवं पुनरीक्षण नियम, 2000;
- मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम, 1942;
- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956;
- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993; तथा
- मध्य प्रदेश पंचायत उपकर अधिनियम, 1982

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल (मैन्युअल), 2012 की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों से सम्बन्धित शेष बकाया राशि एवं वर्ष के दौरान उनकी वसूली की प्रायिकता सहित वास्तविक माँग सम्मिलित/प्रक्षेपित की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग/शासन से आवश्यक जानकारी/आँकड़े प्राप्त करने के पश्चात राजस्व अनुमानों को तैयार किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि से सम्बंधित कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका क्र. 6.1 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 6.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2008-09	1700.00	1479.29	(-) 220.71	(-) 12.98	13613.50	10.87
2009-10	1650.00	1783.15	(+) 133.15	(+) 8.07	17272.77	10.32
2010-11	2200.00	2514.27	(+) 314.27	(+) 14.29	21419.33	11.74
2011-12	2800.00	3284.41	(+) 484.41	(+) 17.30	26973.44	12.18
2012-13	3450.00	3944.24	(+) 494.24	(+) 14.33	30581.70	12.90

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, पुनरीक्षित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (-) 12.98 तथा (+) 17.30 के मध्य रहा। विगत पाँच वर्षों में इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में 18.55 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से प्राप्त राजस्व संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 659.83 करोड़ (20.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा अचल सम्पत्तियों के बाजार मूल्य तथा पंजीकृत विलेखों की संख्या में वृद्धि होना बताया गया।

6.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के सकल संग्रहण, इसके संग्रहण पर किया गया व्यय, सकल संग्रहण की तुलना में व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ तालिका क्र. 6.2 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
2010-11	2,514.27	52.22	2.08	2.47
2011-12	3,284.41	63.71	1.94	1.60
2012-13	3,944.24	79.00	2.00	1.89

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

वर्ष 2010–11 के दौरान संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से काफी कम था। तथापि, यह वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक था।

शासन द्वारा संग्रहण की लागत को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिये।

6.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के चार पद, लेखा अधिकारी का एक पद तथा कोषालय अधिकारी का एक पद स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध एक आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, एक लेखा अधिकारी तथा एक कोषालय अधिकारी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कार्यरत हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार किये गये रोस्टर के अनुसार निष्पादित की जाती है ।

विभाग की 233 इकाइयों में से, 73 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई जिनमें से आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 26 इकाइयों का निरीक्षण किया गया । आन्तरिक लेखापरीक्षा के दौरान दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण तथा सम्पत्तियों के न्यून मूल्यांकन से सम्बन्धित आपत्तियाँ ली गईं। अनुरोध के बावजूद, लिए गये प्रेक्षणों की संख्या तथा अंतर्निहित राशि से सम्बन्धित जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा पाई गई विसंगतियों में सुधार करने के सम्बंध में कार्रवाई करने हेतु इकाईयों को अनुदेश जारी किये।

6.5 राजस्व का बकाया

पंजीयन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के बकाया की स्थिति तालिका क्र. 6.3 में दी गई है :

तालिका क्र. 6.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अंतः शेष
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2008-09	49.59	25.78	75.37	12.63	62.74
2009-10	62.74	19.99	82.73	15.63	67.10
2010-11	67.10	23.35	90.45	18.28	72.17
2011-12	72.17	19.46	91.63	19.25	72.38
2012-13	72.38	33.44	105.82	20.50	85.32

(स्रोतः विभाग से प्राप्त जानकारी)

₹ 32.67 करोड़ की बकाया राशि न्यायालयों में लम्बित थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2013 के अंत तक ₹ 34.25 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। बकाया राशि को कम करने के लिए विभाग के पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं था।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग द्वारा वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित कर बकाया राशि को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

6.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

6.6.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 22,998 प्रकरणों में ₹ 212.91 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के गलत निर्धारण, दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण, अनियमित छूट, उप पंजीयकों द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब आदि के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि को इंगित किया था । इनमें से, विभाग/शासन ने 16,738 प्रकरणों में राशि ₹ 82.59 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 1,681 प्रकरणों में ₹ 13 करोड़ वसूल किये (31 मार्च 2013 की स्थिति में)। विवरण तालिका क्र. 6.4 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 6.4

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि में से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2007-08	66	3,021	16.10	1,607	5.40	537	1.49	27.59
2008-09	82	10,113	52.42	8,374	29.96	698	7.87	26.27
2009-10	64	5,809	31.95	4,415	8.05	154	0.85	10.56
2010-11	64	2,188	52.28	1,474	27.61	287	0.81	2.93
2011-12	51	1,867	60.16	868	11.57	5	1.98	17.11
Total		**22,998**	**212.91**	**16,738**	**82.59**	**1,681**	**13.00**	

(स्रोतः विभाग से प्राप्त जानकारी)

विगत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है । हम इस मुद्दे को विभाग प्रमुख के साथ–साथ शासन के वित्त सचिव के ध्यान में लाये हैं (अगस्त 2013) ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को वसूली की स्थिति में, कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में, सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए ।

6.6.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बंधित 101 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,299 प्रकरणों में ₹ 188.74 करोड़ से अंतर्निहित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति, गलत छूट तथा अन्य प्रेक्षणों का पता चला, जिन्हें तालिका क्र. 6.5 में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

तालिका क्र. 6.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1	**"विकास अनुबंधों तथा विकासशील भूमि के बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण"**	1	138.23
2.	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	765	10.01
3.	संपत्तियों के अवमूल्यांकन/गलत छूट के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	933	13.33
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट	67	0.24
5.	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की कम प्राप्ति	24	0.30
6.	अन्य प्रेक्षण	509	26.63
योग		**2,299**	**188.74**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,578 प्रकरणों में ₹ 154.99 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान, लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 12 प्रकरणों में ₹ 3.51 लाख की राशि वसूल की गई थी।

"विकास अनुबंधों तथा विकासशील भूमि के बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण" पर एक कंडिका तथा कुछ अन्य उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 173.05 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

6.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की तथा अधिनियमों नियमों/शासकीय अधिसूचनाओं/अनुदेशों के प्रावधानों का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति न होना/ कम प्राप्ति के कई प्रकरण तथा अन्य प्रकरण पाये जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं। पंजीयन प्राधिकारियों की ऐसी चूकों को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकायें तथा पूर्व में लिए गए इसी प्रकार के प्रेक्षणों का संदर्भ **परिशिष्ट–1** में दिया गया है लेकिन न केवल ये अनियमितताएं बनी रहती हैं, बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक असंसूचित रहतीं हैं। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें ऐसी चूकों से बचा जा सके।

6.8 "विकास अनुबंधों तथा विकासशील भूमि के बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण"

6.8.1 प्रस्तावना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 5 (घ) में प्रावधान है कि किसी भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि के विकास से सम्बन्धित अनुबंधों की लिखतों पर समय–समय पर निर्धारित दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 (म.प्र.न.पा.नि.) के नियम 12 के अनुसार, किसी कॉलोनाइजर को उपरोक्त नियम में निर्धारित मानकों के अनुसार, भूमि का विकास करना होता है तथा भूमि के विकास पर व्यय के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में स्थानीय प्राधिकारियों के पक्ष में भूमि/भू–खण्ड का 25 प्रतिशत बंधक रखना होता है। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि ऐसे बंधक विलेखों तथा भू–स्वामी/पट्टेदार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि पर विकास/निर्माण से सम्बन्धित अनुबंध की लिखतों का पंजीयन अनिवार्य है।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या प्राक्कलित विकास व्यय के संदर्भ में विकासशील भूमि के विकास अनुबंधों तथा बंधक विलेखों पर उचित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की गई थी, अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं/विभाग द्वारा जारी आदेशों के प्रावधानों का पालन किया गया तथा विकास अनुबंध/बंधक विलेखों के संदर्भ में शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त थी।

हमने अप्रैल तथा जुलाई 2013 के मध्य 14 नगर निगम जिलों में से उप पंजीयक कार्यालयों में प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के आधार पर छः जिलों[1] में उप पंजीयक कार्यालयों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरण तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालयों में 2008–09 से 2012–13 की अवधि से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया। महानिरीक्षक पंजीयन तथा उप सचिव (वाणिज्यिक कर विभाग) के साथ दिनांक 22 मई 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन

[1] जिला/नगर निगम : भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर, तथा उज्जैन अनुविभागीय अधिकारी : बड़नगर (उज्जैन), बागली (देवास), बैरसिया (भोपाल), भिचोली हप्सी (इन्दौर), देपालपुर (इन्दौर), देवास, घटिया (उज्जैन), ग्वालियर, हातोद (इन्दौर), हुजूर (भोपाल), जबलपुर, कनाडिया (इन्दौर,) कस्बा इन्दौर, महिदपुर (उज्जैन), महू (इन्दौर), नागदा (उज्जैन), पाटन (जबलपुर), राउ (इन्दौर), सांवेर (इन्दौर), सिहोरा (जबलपुर), सोनकच्छ (देवास) तथा उज्जैन उप पंजीयक कार्यालय : भोपाल, देवास, नागदा (उज्जैन), नवलखा (इन्दौर), सुखलिया (इन्दौर), तथा उज्जैन, विकास प्राधिकरण इन्दौर

आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 4 सितम्बर 2013 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा में बहुत सी प्रणालीगत तथा अनुपालन सम्बंधी कमियों का पता चला जिनका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है। विभाग ने निर्गम सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया (सितम्बर 2013) कि जिला पंजीयकों को लेखापरीक्षा में इंगित किये गये सभी प्रकरणों को पंजीकृत कर तीन माह के भीतर इन प्रकरणों को निर्णीत करने के अनुदेश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सभी जिला पंजीयकों को प्रभावी एवं नियमित रूप से लोक कार्यालयों[2] का निरीक्षण करने तथा क्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों को प्रतिमाह जिला पंजीयकों के निरीक्षण का पर्यवेक्षण करने के अनुदेश जारी किये गये थे।

6.8.2 लोक कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा की प्रभावकारिता तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय का अभाव

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि प्रत्येक लोक अधिकारी के लिए असम्यक रूप से मुद्रांकित* विलेख को परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। पंजीयन विभाग के कार्यपालिक अनुदेशों की कंडिका 469 के अनुसार, जिला पंजीयक द्वारा यह देखने के लिए लोक कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है कि क्या मुद्रांक शुल्क सही ढंग से चुकाया जा रहा है तथा ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीयन आवश्यक है, उप पंजीयक कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाते हैं।

* उचित मूल्य से मुद्रांकित न किये गये विलेख

हमने जिला पंजीयक इन्दौर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया कि मई 2010 में नगर निगम, इन्दौर विकास प्राधिकरण तथा तहसील कार्यालय इन्दौर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण टीप से पता चला कि केवल सामान्य प्रकृति[3] की आपत्तियाँ ली गई थीं तथा राजस्व हानि का कोई प्रकरण इंगित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुरोध के बावजूद लोक कार्यालयों के किये गये निरीक्षण की

2 अधिसूचना क्र 196–छः–एस.आर.–80 दिनांक 20 मार्च 1980 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उद्देश्य से शासकीय विभागों, हाउसिंग बोर्डो, स्थानीय निकायों, निगमों तथा बैंकों को लोक कार्यालय घोषित किया गया था।

3 नगर निगम तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण के निरीक्षण के दौरान, केवल विभिन्न प्रकार की लिखतों के पंजीयन की आवश्यकता से सम्बन्धित अनुदेश जिला पंजीयक द्वारा जारी किये गये जबकि तहसील कार्यालयों में नामान्तरण प्रकरण इंगित किये गये। कोई राजस्व हानि इंगित नहीं की गई थी।

जानकारी/विवरण न तो सम्बन्धित जिला पंजीयकों और न ही पाँच जिलों[4] के लोक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया गया।

इसी प्रकार के प्रेक्षण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 की कंडिका क्र.5.2.9 में भी इंगित किये गये थे जिसके प्रत्युत्तर में महानिरीक्षक पंजीयन तथा शासन ने बताया था (जुलाई तथा अक्टूबर 2008 के मध्य) कि जिला पंजीयकों को लोक कार्यालयों के और अधिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं तदापि, हमें इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि जिला पंजीयक, इन्दौर को छोड़कर, जिला पंजीयकों ने लोक कार्यालयों का निरीक्षण किया था।

हमने यह भी अवलोकित किया कि विभाग ने मुद्रांक शुल्क का सामयिक तथा सही भुगतान पर निगरानी रखने के लिए लोक अधिकारियों द्वारा लोक कार्यालयों को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का विवरण दर्शाने वाला कोई प्रतिवेदन या विवरणी निर्धारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप सारभूत राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जिसे अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रमुखता से दर्शाया गया है।

आरोपणीय मुद्रांक शुल्क के रिसाव को रोकने के लिए शासन को लोक कार्यालयों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का विवरण दर्शाते हुए जिला पंजीयकों को प्रेषित करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार करना चाहिए।

6.8.3 विकास/निर्माण अनुबंध पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 5 (घ) में प्रावधान है कि किसी भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि के विकास से सम्बन्धित अनुबंधों की लिखतों पर 31 मार्च 2011 तक भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था।

विकसित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

6.8.3.1 नगर निगम भोपाल तथा उज्जैन में, 9.963 हेक्टेयर भूमि के विकास के लिए दो विकास अनुबंध अप्रैल 2008 तथा सितम्बर 2010 में क्रमशः ₹ 100 तथा ₹ 500 के स्टाम्प पेपर पर गलत ढंग से निष्पादित किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा ऑकलित सम्बन्धित जिलों की बाजार मूल्य गाइडलाइन के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य ₹ 341.60 करोड़ था जिस पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.83 करोड़ के मुद्रांक शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई। हमने यह भी अवलोकित किया कि इन दस्तावेजों का पंजीयन भी नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ के पंजीयन फीस की प्राप्ति नहीं हुई।

[4] भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन

अप्रैल 2011 से, मुद्रांक शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 5 (घ) के अंतर्गत निर्धारित दर से विलेख में उल्लिखित प्राक्कलित विकास एवं निर्माण व्यय के आधार पर प्रभारित किया जाता है। मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम तथा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम के नियम 2 में प्रावधान है कि विकास व्यय वह व्यय है जो सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम कमिश्नर/ अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमोदन से उसमें निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि को विकसित करने में किया जाता है।

145 प्रकरणों में लिखतें केवल ₹ 10 से ₹ 100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्राक्कलित विकास व्यय/निर्माण व्यय का उल्लेख किये विना गलत ढंग से निष्पादित की गई थीं।

6.8.3.2 दस अनुविभागीय अधिकारियों[5] तथा दो नगर निगम कार्यालयों[6] में विकास/निर्माण अनुबंधों की लिखतों की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया कि 145 प्रकरणों में, जिनमें 640.910 हैक्टेयर भूमि अंतर्निहित थी, लिखतें मात्र ₹ 10 से ₹ 100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्राक्कलित विकास/ निर्माण व्यय का उल्लेख किये बिना गलत ढंग से निष्पादित[7] की गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित नगर निगमों तथा मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा लागू दरों[8] के आधार पर प्राक्कलित विकास/निर्माण व्यय की राशि ₹ 1514.17 करोड़ आँकलित की गई। इन विलेखों पर प्राक्कलित विकास/निर्माण व्यय के आधार पर मुद्रांक शुल्क आरोपित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.56 करोड़ का कम आरोपण हुआ। हमने यह भी देखा कि इन दस्तावेजों का पंजीयन नहीं कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.99 करोड़ की पंजीयन फीस का अनारोपण हुआ।

5 अनुविभागीय अधिकारी : मिचोलीहप्सी, देपालपुर, घटिया, हातोद, हुजूर, इन्दौर, कनाडिया, कस्बा इन्दौर, महू तथा सांवेर

6 नगर निगम : भोपाल तथा उज्जैन

7 अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य निष्पादित

8 नगर निगम भोपाल तथा इन्दौर द्वारा विकास दरें निर्धारित की गई है। जहां नगर निगमों तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं है, सम्बन्धित हाउसिंग बोर्ड की दरें लागू की गई है । निर्माण दरें जिलों की निर्मित संपत्तियों के बाजार मूल्य से सम्बंधित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से ली गयी हैं ।

मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 (म.प्र.न.पा.नि.) तथा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबन्धन तथा शर्तें), नियम 1999 (म.प्र.ग्रा.पं.नि.) के नियम 8 के अनुसार, प्रत्येक कॉलोनाइजर को कॉलोनी के विकास के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। विकासकर्ता/कॉलोनाइजर द्वारा उस सम्पत्ति के स्वत्वाधिकार तथा हित से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसके विकास की अनुमति उसके द्वारा माँगी जाती है।

6.8.3.3 नगर निगम भोपाल, इन्दौर जिले के पाँच अनुविभागीय अधिकारियों[9] तथा उप पंजीयक, सुखलिया (इन्दौर) कार्यालयों में विकास अनुमति की नस्तियों की संवीक्षा के दौरान, हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य 16 प्रकरणों में आयुक्त, नगर निगम भोपाल तथा सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) द्वारा 147.155 हैक्टेयर भूमि के विकास के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। इनमें से 12 प्रकरणों में विकास के लिए, दो प्रकरणों में विकास तथा निर्माण के लिए तथा दो प्रकरणों में केवल निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। इन प्रकरणों में, लेखापरीक्षा द्वारा मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड तथा सम्बन्धित जिलों की बाजार मूल्य गाइडलाइनों द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर प्राक्कलित विकास तथा निर्माण लागत की राशि ₹ 251.59 करोड़ ऑकलित की गई। तथापि, हमने देखा कि विकास तथा निर्माण से सम्बन्धित लिखतों का न तो निष्पादन किया गया था और न ही उनका पंजीयन कराया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 करोड़ (मुद्रांक शुल्क ₹ 6.09 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 2.02 करोड़) का अनारोपण हुआ/प्राप्ति नहीं हुई।

विकास अनुमति प्राप्त की गई लेकिन विकास अनुबंध न तो निष्पादित किये गये और न ही पंजीकृत कराये गये।

6.8.3.4 पाँच कार्यालयों[10] में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य पंजीकृत विकास अनुबंधों के 17 विलेखों में, 28.487 हैक्टेयर भूमि विकसित की जानी थी। हमने अवलोकित किया कि विकासकर्ताओं/कॉलोनाइजरों द्वारा विकास व्यय के रूप में दस्तावेजों में उल्लिखित ₹ 21.35 करोड़ पर मात्र ₹ 43.04 लाख मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 13.75 लाख पंजीयन फीस आरोपित की गई। चूँकि विलेखों में उल्लिखित प्राक्कलित विकास व्यय के आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित करने के लिए अधिनियम में प्रावधान है, अतः विकासकर्ताओं द्वारा प्राक्कलित विकास व्यय को कम बताने की संभावना/प्रवृत्ति है। उपरोक्त 17 प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा नगर

विकासकर्ताओं द्वारा लिखतों में उल्लिखित प्राक्कलित विकास व्यय की शुद्धता की जाँच करने के लिए कोई प्रणाली निर्धारित नहीं है।

9 मिचोली हप्सी, हातोद, हुजूर, महू तथा सांवेर

10 नगर निगम भोपाल तथा जबलपुर, अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर, उप पंजीयक भोपाल तथा उज्जैन

निगम/मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में लागू दरों के आधार पर प्राक्कलित विकास व्यय की राशि ₹ 129.63 करोड़ आँकलित की गई जिसमें ₹ 2.29 करोड़ का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 66 लाख की पंजीयन फीस अंतर्निहित थी । लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्राक्कलित विकास व्यय की शुद्धता की जाँच करने के लिए अधिनियम या नियमों में कोई निर्धारित प्रावधान नहीं है यद्यपि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि मुद्रांक शुल्क का आरोपण ऐसे प्राक्कलित व्यय पर निर्भर करता है।

लोक कार्यालयों द्वारा जिला पंजीयकों को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों तथा सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं पाये गये दस्तावेजों की संख्या पर एक आवधिक विवरणी निर्धारित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए। शासन द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के प्रयोजन हेतु सम्बन्धित जिलों की बाजार मूल्य गाइडलाइनों[11] में भूमि के विकास के लिए दरें निर्धारित की जानी चाहिए। चूँकि लोक कार्यालय विकास/निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करते हैं, अतः उन्हें भी मुद्रांक शुल्क के सही भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जबाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला पंजीयकों द्वारा लोक कार्यालयों के नियमित निरीक्षण हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए।

11 बाजार मूल्य गाइड लाइन से तात्पर्य मध्य प्रदेश बाजार मूल्य गाइडलाइन को तैयार करना तथा संशोधन नियमावली, 2000 के अनुसार समय–समय पर सम्बन्धित समिति द्वारा तय किया गया राज्य में विभिन्न ग्रामों, नगर निगमों, निगमों तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में स्थित स्थावर सम्पत्तियों के मूल्यों के समूह से है।

6.8.4 विलेखों का गलत वर्गीकरण

1 अप्रैल 2011 से प्रभावी भारतीय स्टाम्प अधिनियम के संशोधित अनुच्छेद 5 (घ) के अनुसार, मुद्रांक शुल्क प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था। अप्रैल 2013 में जारी विभागीय अनुदेशों में प्रावधान है कि जहाँ भूमि स्वामी द्वारा विकासकर्ता को भूमि के विक्रय का अधिकार दिया जाता है तो विकास अनुबंध शीर्षक के अंतर्गत लिखतों पर हस्तान्तरण की तरह पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया जायेगा। अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि अप्रैल 2011 से पंजीकृत ऐसे सभी विलेखों की समीक्षा की जाये। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि प्रत्येक लोक अधिकारी के लिए असम्यक रूप से स्टाम्पित प्रकरणों को परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कर्रवाई करना अनिवार्य होगा।

"विकास अनुबंध" शीर्षक के अंतर्गत दस्तावेजों को निष्पादक द्वारा पंजीकृत नहीं करवाया गया था। साथ ही, इन दस्तावेजों के उप वर्णनों से इंगित होता था कि इन प्रकरणों में विक्रय का अधिकार हस्तान्तरित किया गया था । अतः इस प्रकार इन्हें हस्तान्तरण विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया था।

6.8.4.1 हमने चार कार्यालयों[12] के अभिलेखों से अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 तथा जुलाई 2012 के मध्य 133 विलेख विकास अनुबंध के रूप में ₹ 100 से ₹1000 के स्टाम्प पेपर पर गलत ढंग से निष्पादित किये गये थे। इन विलेखों के उपवर्णनों से पता चला कि भू–स्वामी द्वारा विकासकर्ता को 47.934 हैक्टयर भूमि को विक्रय करने का अधिकार हस्तान्तरित किया गया था। अतः ये विलेख हस्तान्तरण की तरह प्रभारणीय थे तथा तदनुसार ₹ 3.28 करोड़ का मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, इन विलेखों का पंजीयन भी नहीं कराया गया यद्यपि यह अनिवार्य था। परिणामस्वरूप ₹ 52.78 लाख की पंजीयन फीस वसूल नहीं की जा सकी। इस प्रकार शासन ₹ 3.81 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया।

लोक अधिकारियों ने भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन दस्तावेजों पर आरोपणीय उचित शुल्क के निर्धारण हेतु अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

[12] इन्दौर विकास प्राधिकरण, अनुविभागीय अधिकारी : ग्वालियर तथा कस्बा इन्दौर एवं उप पंजीयक उज्जैन

21 विलेखों को विकास अनुबंध के रूप में पंजीकृत किया गया। हालांकि, इन विलेखों के उप वर्णनों से इंगित होता था कि इन प्रकरणों में विक्रय का अधिकार हस्तान्तरित किया गया था और इस प्रकार इन्हें हस्तान्तरण विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया था।

6.8.4.2 हमने छः कार्यालयों[13] के अभिलेखों से अवलोकित किया कि अक्टूबर 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य विकास अनुबंध शीर्षक के अंतर्गत 21 विलेख पंजीकृत किये गये जिनके अनुसार 46.909 हैक्टेयर भूमि विकासकर्ता द्वारा विकसित की जानी थी। विलेखों के उपवर्णनों से इंगित होता था कि भूमि–स्वामी ने 22.589 हैक्टयर भूमि के विक्रय का अधिकार विकासकर्ता के पक्ष में हस्तान्तरित किया था। इस प्रकार, ये विलेख हस्तान्तरण की तरह प्रभारणीय थे तथा ₹ 1.56 करोड़ का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 20.37 लाख का पंजीयन फीस आरोपणीय थी। तथापि, हमने देखा कि विलेखों को हस्तान्तरण के बजाय विकास अनुबंध मानकर केवल ₹ 36.64 लाख का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 10.07 लाख की पंजीयन फीस आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ (मुद्रांक शुल्क ₹ 1.19 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 10.51 लाख) का कम आरोपण हुआ। लोक अधिकारी तथा सम्बन्धित उप पंजीयक[14] सही मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण के सम्बन्ध में विफल रहे।

विलेखों के गलत वर्गीकरण से सम्बन्धित दिसम्बर 2011 में जारी विभागीय अनुदेशों में प्रावधान है कि जहाँ किसी मुखत्यारनामा विलेख में विकास या/तथा निर्माण के अधिकार अभिकर्ता को दिये जाते हैं, तो ऐसे विलेख को विकास अनुबंध मानकर प्रभारित किया जायेगा। महानिरीक्षक पंजीयन के अनुदेश दिनांक 14.12.2011 में भी यह प्रावधान था कि 1 अप्रैल 2011 से तथा इसके बाद निष्पादित/पंजीकृत विलेखों की उप पंजीयकों/जिला पंजीयकों द्वारा समीक्षा की जानी थी।

"मुखत्यारनामा" शीर्षक के अंतर्गत एक दस्तावेज को निष्पादक द्वारा पंजीकृत नहीं करवाया गया था। साथ ही, दस्तावेज के उप वर्णनों से इंगित होता था कि विकास का अधिकार प्रदान किया गया था। अतः इस विलेख विकास अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया था।

6.8.4.3 हमने जून 2013 में अनुविभागीय अधिकारी, महू के अभिलेखों से अवलोकित किया कि जून 2012 में एक मुखत्यारनामा विलेख ₹ 100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था। विलेख के उप वर्णनों से पता चला कि अभिकर्ता को 9.768 हैक्टेयर भूमि के विकास तथा 7551 वर्गमीटर पर निर्माण के अधिकार दिये गये थे तथा इस प्रकार विलेख को विकास अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था जिस पर ₹ 25.40 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था, जो नहीं किया गया था। विलेख का पंजीयन भी नहीं कराया गया था, यद्यपि यह अनिवार्य था। अनुविभागीय अधिकारी ने इस प्रकरण में न तो पक्षकारों से दस्तावेज का पंजीयन कराने का आग्रह किया और न ही उप पंजीयकों ने दिसम्बर 2011 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार कोई कार्रवाई की। परिणामस्वरूप ₹ 11.86 लाख की पंजीयन फीस भी प्राप्त नहीं हुई।

[13] नगर निगमः ज
नागदा बलपुर तथा उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर, उप पंजीयक भोपाल, देवास तथा

[14] भोपाल, देवास, जबलपुर, नागदा (उज्जैन) तथा उज्जैन

पाँच विलेखों को मुखत्यारनामा के रूप में पंजीकृत किया गया। हालांकि, इन विलेखों के उप वर्णनों से इंगित होता था कि इन प्रकरणों में विकास का अधिकार प्रदान किया गया था तथा इस प्रकार इन्हें विकास अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया।

6.8.4.4 हमने तीन कार्यालयों[15] के अभिलेखों से अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 तथा अक्टूबर 2012 के मध्य मुखत्यारनामा के पाँच विलेख (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 की पंजीयन फीस सहित ₹ 1100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर) पंजीकृत किये गये थे। विलेख के उप वर्णनों से पता चला कि अभिकर्ता को 8.281 हैक्टेयर भूमि के विकास के अधिकार प्रदान किये गये थे और इस प्रकार विलेख को विकास अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था जिस पर ₹ 34.38 लाख का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 10.36 लाख की पंजीयन फीस आरोपणीय थी जो नहीं किया गया। उप पंजीयक ने दिसम्बर 2011 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.74 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

6.8.5 कॉलोनाइजरों/विकासकर्ताओं द्वारा निष्पादित बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 38 (ख) सहपठित शासन की अधिसूचना दिनांक 24.09.2007 तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 में बंधक विलेख (कब्जा रहित) पर ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूत राशि के एक प्रतिशत की दर से शुल्क के आरोपण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम तथा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम के नियम 12 के अंतर्गत, प्रत्येक कॉलोनाइजर को उपरोक्त नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि को विकसित करना होता है तथा भूमि के विकास पर व्यय के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में भूमि/ भू–खण्ड का 25 प्रतिशत स्थानीय प्राधिकारियों के पक्ष में बंधक रखना होते है। ऐसे प्रकरणों में, विकास व्यय जिस पर दो प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार विकासकर्ताओं से वसूल किया जाता है, प्रत्याभूत राशि होगी। साथ ही, पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि ऐसे बंधक विलेख का पंजीयन अनिवार्य है।

विकास व्यय, जिस पर इन नगर निगमों द्वारा विकासकर्ताओं से पर्यवेक्षण प्रभार वसूल किया गया था, के बजाय स्वयं कॉलोनाइजरों द्वारा विलेखों में उल्लिखित राशियों के आधार पर बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की गई।

6.8.5.1 हमने नगर निगम, भोपाल तथा इन्दौर के अभिलेखों से अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 तथा मार्च 2013 के मध्य पंजीकृत कॉलोनाइजरों द्वारा निष्पादित बंधक विलेख की 118 लिखतों के प्रकरण में, पंजीयन प्राधिकारियों ने विकास व्यय, जिस पर विकासकर्ताओं से इन नगर निगमों द्वारा पर्यवेक्षण प्रभार वसूल किया गया था, के बजाय कॉलोनाइजरों द्वारा विलेखों में उल्लिखित राशियों के आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.45 करोड़ के मुद्रांक

[15] अनुविभागीय अधिकारी – बैरसिया तथा हुजूर तथा नगर निगम जबलपुर

शुल्क तथा ₹ 5.21 करोड़ के पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

मुद्रांक शुल्क सम्पूर्ण प्राक्कलित विकास व्यय के बजाय बंधक रखी गई 25 प्रतिशत भूमि के बाजार मूल्य पर प्रभारित की गई।

6.8.5.2 हमने 19 कार्यालयों[16] के अभिलेखों से अवलोकित किया कि मई 2008 तथा मार्च 2013 के मध्य पंजीकृत 301 विलेखों में मुद्रांक शुल्क सम्पूर्ण प्राक्कलित विकास व्यय के बजाय बंधक रखी गई 25 प्रतिशत भूमि के बाजार मूल्य पर प्रभारित किया गया। इन विलेखों का पंजीकृत मूल्य ₹ 206.48 करोड़ था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा म.प्र. हाउसिंग बोर्ड में लागू दरों के आधार पर कुल प्राक्कलित विकास व्यय ₹ 2063.34 करोड़ आँकलित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.20 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 14.87 करोड़ की पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

बंधक विलेखों को निष्पादित किया गया था लेकिन उनका पंजीयन नहीं कराया गया।

6.8.5.3 हमने 19 कार्यालयों[17] में अभिलेखों तथा संग्रहीत जानकारी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 तथा मई 2013 के मध्य 193 प्रकरणों में नगर निगम तथा अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) द्वारा भूमि के विकास हेतु अनुमति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार 1092.04 हैक्टेयर भूमि, जिसमें म.प्र. हाउसिंग बोर्ड में लागू दरों के आधार पर ₹ 1012.61 करोड़ का प्राक्कलित विकास व्यय अंतर्निहित था, कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित की जानी थी। यद्यपि कॉलोनाइजरों द्वारा इस अवधि के दौरान 25 प्रतिशत भू–खंड बंधक रखे गये थे, लेकिन बंधक विलेखों की लिखतों को ₹ 10 तथा ₹ 100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विकास व्यय का उल्लेख किये बिना गलत तरीके से निष्पादित किया गया। इस प्रकार, कॉलोनाइजरों द्वारा न तो लागू मुद्रांक शुल्क चुकाया गया और न ही उनके द्वारा बंधक विलेखों की इन लिखतों को पंजीकृत करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.25 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 8.10 करोड़ के पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

विकास अनुमति प्राप्त की गई किन्तु बंधक विलेख न तो निष्पादित किये गये और न ही पंजीकृत कराये गये ।

6.8.5.4 हमने 33 प्रकरणों में अवलोकित किया कि अक्टूबर 2006 तथा मार्च 2013 के मध्य नगर निगम, उज्जैन, इन्दौर तथा दस अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व)[18] द्वारा 575.890 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु कॉलोनाइजरों को अनुमति प्रदान की गई थी।

उन्होंने 33 प्रकरणों में से 26 में पर्यवेक्षण प्रभार भी वसूल किया। हमने आगे देखा कि 25 प्रतिशत भू–खण्डों के बंधक विलेख की लिखतों को निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं करवाया गया यद्यपि विकास की अनुमति प्रदान करने के पूर्व यह वांछित था। लेखापरीक्षा द्वारा म.प्र.

16 अनुविभागीय अधिकारी–बड़नगर, मिचौलीहप्सी, देपालपुर, ग्वालियर, हुजूर, जबलपुर, कस्बा इन्दौर, महू, राउ, सांवेर तथा उज्जैन, उप पंजीयक कार्यालय : भोपाल, महिदपुर, नवलखा एवं सुखालिया (इन्दौर) नगर निगम–देवास, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन

17 नगर निगम, जबलपुर; अनुविभागीय अधिकारी.बैरसिया, मिचालीहप्सी, देपालपुर, देवास, घटिया, ग्वालियर, हातोद, जबलपुर, कस्बा इन्दौर, कनाडिया, महिदपुर, महू, नागदा, पाटन ,राउ, सांवेर, सिहोरा तथा उज्जैन

18 बड़नगर, बागली, भिचोलीहप्सी, देवास, जबलपुर, महू, नागदा, पाटन, सांवेर, तथा सोनकच्छ

हाउसिंग बोर्ड में लागू दरों के आधार पर कुल प्राक्कलित विकास व्यय ₹ 489.26 करोड आंकलित किया गया। इन विलेखों पर ₹ 2.06 करोड़ का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 3.91 करोड़ की पंजीयन फीस आरोपणीय थी। इस प्रकार बंधक विलेखों की लिखतों का निष्पादन न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.97 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति नहीं हुई।

शासन द्वारा शासकीय राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए प्राक्कलित विकास व्यय निर्धारित करने हेतु बाजार मूल्य गाइडलाइनों में भूमि के विकास की दरें तथा एक कार्यप्रणाली निर्धारित करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिससे बंधक विलेख में विकास व्यय का सही निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। शासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के सम्बंध में भी विचार किया जाना चाहिए कि विकास हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के पूर्व बंधक विलेखों का पंजीयन तथा उन्हें सम्यक रूप से स्टाम्पित किया जाता है।

6.9 पट्टा विलेखों की लिखतों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/शस्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार, खनन पट्टों हेतु अनुबंध के प्रकरणों में आवेदन या माइनिंग प्लान में दर्शाई गई खनिजों की प्रत्याशित मात्रा पर, देय रायल्टी, जो भी अधिक हो, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क की गणना हेतु विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पंजीयन अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान है कि वसीयत विलेख को छोड़कर कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि उसे उसके निष्पादन के दिनांक से चार माह के भीतर उचित अधिकारी को उस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यदि प्रस्तुतीकरण में विलम्ब चार माह के प्रारम्भिक अनुग्रह अवधि से एक माह से अधिक लेकिन दो माह से कम है, तो पंजीयन फीस की तालिका के अनुच्छेद–XV(ख) के अनुसार आरोपणीय पंजीयन फीस की चार गुना शास्ति प्रभारणीय होगी।

अक्टूबर तथा नवम्बर 2012 के मध्य उप पंजीयक कार्यालय कटनी तथा सतना में पंजीकृत विलेखों तथा सम्बंधित जिला खनिज कार्यालयों से संग्रहीत जानकारी की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि जनवरी 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य निष्पादित पांच खनिज पट्टों का पंजीयन अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य किया गया। हमने देखा कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण पट्टा अवधि के बजाय केवल पांच वर्षो के लिए प्राक्कलित राज्यांश का औसत लेकर प्राक्कलित राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण इन विलेखों पर,

₹ 12.49 करोड़[19] (मुद्रांक शुल्क ₹ 7.29 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 5.20 करोड़) के विरूद्ध ₹ 2.75 करोड़ का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 2.05 करोड़ की पंजीयन फीस आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.54 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 3.15 करोड़ की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ जैसा कि तालिका क्र. 6.6 में उल्लेख किया गया है:

तालिका क्र. 6.6

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप पंजीयक/ लेखापरीक्षा का दिनांक	पट्टों की संख्या/पट्टे की अवधि	पट्टा विलेख के पंजीयन/ निष्पादन का दिनांक	औसत प्राक्कलित वार्षिक राज्यांश		मुद्रांक शुल्क/उपकर/पंजीयन फीस		
				माइनिंग प्लान के अनुसार	विभाग द्वारा निर्धारित	आरोपणीय	आरोपित	कम आरोपित
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	कटनी अक्टूबर तथा नवम्बर 2012	2 30 वर्ष	8.2.12 31.1.12	1394.88	581.49	348.72 17.44 261.54	152.65 निरंक 114.48	196.07 17.44 147.06
			7.3.12 13.2.12	40.84	13.84	10.11 0.50 7.58	3.65 निरंक 2.74	6.46 0.50 4.84
2.	सतना अक्टूबर 2012	3 30 वर्ष	21.10.2011 20.1.2011	665.15	210.92	249.43 12.47 187.07	83.05 निरंक 62.29	166.38 12.47 124.78
			15.12.2011 5.9.2011	284.20	130.21	71.05 3.55 53.29	34.18 0.34 25.64	36.87 3.21 27.65
			4.2.2012 14.12.2011	58.31	1.86	14.58 0.73 10.93	0.78 निरंक 0.58	13.80 0.73 10.35
						693.89 **34.69** **520.41**	**274.31** **0.34** **205.73**	**419.58** **34.35** **314.68**
					कुल योग	**1248.99**	**480.38**	**768.61**

19 1 अप्रैल 2011 के पूर्व निष्पादित 30 वर्ष के पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क औसत प्राक्कलित वार्षिक राज्यांश के पांच गुने के 7.5 प्रतिशत की दर से, 1 अप्रैल 2011 से औसत प्राक्कलित वार्षिक राज्यांश के पांच गुने के 5 प्रतिशत की दर से, उपकर–मुद्रांक शुल्क की राशि का 5 प्रतिशत, तथा पंजीयन फीस, मुद्रांक शुल्क की राशि का तीन चौथाई आरोपणीय है ।

इसके अतिरिक्त, हमने यह भी अवलोकित किया कि 20 जनवरी 2011 को निष्पादित एक पट्टा विलेख पट्टेदार द्वारा 19 जुलाई 2011 को पंजीयन हेतु उप पंजीयक कार्यालय सतना में प्रस्तुत किया गया । यद्यपि पट्टा विलेख चार माह की प्रारम्भिक अनुग्रह अवधि की समाप्ति से एक माह तथा 29 दिन व्यतीत हो जाने के बाद पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया था, फिर भी पंजीयन प्राधिकारी ने आरोपणीय पंजीयन फीस ₹ 1.87 करोड़ की चार गुना शास्ति ₹ 7.48 करोड़ आरोपित नहीं की ।

इस प्रकार, शासन ₹ 4.54 करोड़ के मुद्रांक शुल्क, ₹ 3.15 करोड़ की पंजीयन फीस के कम आरोपण तथा ₹ 7.48 करोड़ की शास्ति के अनारोपण के कारण शासन ₹ 15.17 करोड़ के राजस्व से बंचित हो गया ।

इन कार्यालयों का निरीक्षण भी सम्बन्धित जिला पंजीयकों द्वारा नहीं किया गया था ।

हमारे द्वारा अक्टूबर 2012 में प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक, सतना ने बताया (अक्टूबर 2012) कि प्राक्कलित राज्यांश का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया गया था, अतः पट्टे का पंजीयन कर उस प्राक्कलित राज्यांश के अनुसार मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया गया था । हालांकि, उत्तर में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण की वसूली के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया । विलम्बित प्रस्तुतीकरण तथा शास्ति के अनारोपण के सम्बंध में, यह बताया गया (अक्टूबर 2012) कि पट्टा विलेख का पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 24 के अनुपालन में किया गया था । उत्तर पंजीयन तथा जिला खनिज कार्यालय के अभिलेखों में तथ्यों के अनुरूप नही हैं जिनसे इंगित होता था कि पट्टा विलेख 20 जनवरी 2011 को निष्पादित किया गया था तथा 19 जुलाई 2011 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार पट्टेदारों से कम राशि को वसूल करने के लिए इन प्रकरणों की समीक्षा की जाना अपेक्षित थे । उप पंजीयक कार्यालय, कटनी के प्रकरण में, जिला पंजीयक, कटनी ने फरवरी 2013 में बताया कि प्रकरण पंजीकृत कर पट्टेदार को नोटिस जारी किया जा चुका है। प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

6.10 नजूल भूमि के पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

जुलाई 2009 में जारी मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र में भूमि के आवंटन के कारण प्रीमियम के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के भीतर पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन का प्रावधान है। निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित न किये गये पट्टा विलेख के प्रकरण में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। हस्तान्तरण विलेख पर शुल्क की दर 1 अप्रैल 2011 से बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 9 में 30 वर्ष या अधिक अवधि के पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के पाँच प्रतिशत की दर से उपकर भी प्रभारणीय है। पंजीयन फीस की तालिका के अनुच्छेद–II के अनुसार, पट्टा विलेख पर आरोपित मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन फीस प्रभारणीय है। साथ ही राजस्व पुस्तक परिपत्र II-1 की कंडिका 34 में प्रावधान है कि संभाग के आयुक्त को प्रत्येक कलेक्टर एवं तहसील कार्यालय के राजस्व न्यायालयों का क्रमशः दो तथा तीन वर्ष में निरीक्षण करना चाहिए जबकि कलेक्टर को अपने जिले की प्रत्येक तहसील का प्रति वर्ष निरीक्षण करना चाहिए।

मार्च 2013 में राजधानी परियोजना (नजूल), भोपाल में नजूल भूमि[20] के आवंटन से सम्बन्धित नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि 14.88 एकड़ शासकीय भूमि एक पट्टेदार को ₹ 335.30 करोड़ के प्रीमियम के प्रतिफल पर वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु आवंटित की गई थी (अप्रैल 2008)। प्रतिफल का भुगतान तीन किस्तों में किया जाना था। अंतिम किस्त का भुगतान 31 जुलाई 2010 को किया गया था। चूँकि 31 जुलाई 2010 को प्रीमियम का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका था, अतः 31 जुलाई 2010 से 90 दिन के भीतर कलेक्टर भोपाल तथा पट्टेदार के मध्य पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था जिस पर ₹ 26.40 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 18.86 करोड़ की पंजीयन फीस का भुगतान किया गया होता तथापि, हमने अवलोकित किया कि पट्टा विलेख प्रीमियम के पूर्ण भुगतान के दिनांक से 90 दिन के बाद 10 माह तथा 23 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात

[20] नजूल भूमि– शासकीय भूमि जो निर्माण या सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बाजार या मनोरंजन स्थलों के लिए उपयोग की जाती है। इस भूमि का स्थल मूल्य होता है लेकिन कृषि सम्बन्धी महत्व नहीं होता है।

22 सितम्बर 2011 को निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया। चूँकि शुल्क की दर 1 अप्रैल 2011 से 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी, परिणामस्वरूप ₹ 17.60 करोड़ का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 12.57 करोड़ की पंजीयन फीस आरोपित की गई। इस प्रकार, पट्टेदार को लाभ दिया गया तथा राजकोष ₹ 15.09 करोड़ (मुद्रांक शुल्क ₹ 8.80 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 6.29 करोड़) के राजस्व से वंचित हो गया। पट्टा विलेख के विलम्बित निष्पादन के कारण भी अभिलेख में नहीं पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार हस्तान्तरण पर शुल्क की दर वर्ष 2011–12 से 7.5 प्रतिशत से घटाकर पाँच प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान संभाग के आयुक्त तथा जिले के कलेक्टर द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण भी नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार, राजधानी परियोजना (नजूल), भोपाल ने बताया (मार्च 2013) कि अभिलेखों की संवीक्षा के उपरान्त शासकीय राजस्व के हित में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

शासन द्वारा पट्टा विलेख के विलम्बित निष्पादन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए।

6.11 उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों का निराकरण न होना/बाजार मूल्य का गलत निर्धारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, की धारा 47–क के अंतर्गत, यदि पंजीयन अधिकारी किसी विलेख का पंजीयन करते समय यह पाता है कि उल्लिखित संपत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य गाइडलाइन में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिए। जुलाई 2004 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार, उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा सम्पत्तियों के सही बाजार मूल्य एवं उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर को संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण हेतु तीन माह की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गणना बाजार मूल्य गाइड लाइन में निर्धारित दरों एवं प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

6.11.1 हमने मार्च 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य पाँच उप पंजीयक कार्यालयों[21] में उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों की पंजी से अवलोकित किया कि अगस्त 2008 तथा मार्च 2012 के मध्य सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए उप पंजीयकों द्वारा 436 प्रकरण कलेक्टर को संदर्भित किये गये थे। इनमें से 182 प्रकरण तीन माह की निर्धारित अवधि के बाद 20 माह तक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निराकृत नहीं किये गये थे । इन प्रकरणों में, उप पंजीयकों द्वारा आंकलित बाजार मूल्य के आधार पर मुद्रांक शुल्क का अंतर ₹ 2.25 करोड़ वसूली योग्य था । इन दस्तावेजों को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर ₹ 37 लाख की पंजीयन फीस वसूली योग्य थी इस प्रकार, इन प्रकरणों का निराकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, उप पंजीयक, कटनी ने 25 प्रकरणों के सम्बन्ध में बताया (मई 2013) कि 11 प्रकरणों में मई तथा दिसम्बर 2012 के मध्य ₹ 2.88 लाख की वसूली की गई थी तथा शेष 14 प्रकरणों में ₹ 10.02 लाख के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। जिला पंजीयक, नरसिंहपुर ने करेली (नरसिंहपुर) के आठ प्रकरणों के सम्बन्ध में जून 2013 में बताया कि जुलाई 2012 में एक प्रकरण में लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹ 62,500 की वसूली की गई थी तथा शेष सात प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण किया जायेगा। शेष 149 प्रकरणों के सम्बंध में सम्बंधित उप पंजीयकों ने मई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य

[21] छिन्दवाड़ा, इन्दौर, करेली (जिला नरसिंहपुर), कटनी तथा मंदसौर

बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प से अनुरोध किया जायेगा। प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

6.11.2 हमने मई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य 16 उप पंजीयक कार्यालयों[22] में अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 तथा मार्च 2012 के मध्य पंजीकृत 158 विलेखों में ₹ 51.63 करोड़ के पंजीकृत मूल्य के विरूद्ध, विभाग द्वारा सम्बन्धित वर्षों हेतु जारी बाजार मूल्य गाइडलाइनों के अनुसार, सम्पत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 74.97 करोड़ था। उप पंजीयकों ने इन विलेखों में सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन को संसूचित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्र. 6.7 में किये गये उल्लेख के अनुसार ₹ 1.52 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 18.67 लाख की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ:

तालिका क्र. 6.7

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप पंजीयक कार्यालयों/ विलेखों की संख्या	पंजीयन की अवधि	अनियमितताओं की प्रकृति	आरोपणीय/आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1.	9 36	4/2011 तथा 3/2012 के मध्य	गाइडलाइनों में निर्धारित रोड पर स्थित सम्पत्ति या कार्नर के भू–खण्डों से सम्बन्धित प्रावधानों का पालन न किया जाना	286.43 204.24	82.19
2.	12 97	4/2008 तथा 3/2012 के मध्य	गाइडलाइनों में निर्धारित नगर निगम सीमा के भीतर स्थित भूमि सम्पत्तियों/विशिष्ट नगरीय ग्रामों से सम्बन्धित प्रावधानों का पालन न किया जाना	170.81 112.34	58.47
3.	5 17	5/2008 तथा 3/2012 के मध्य	भवन/भू–खण्ड सम्पत्तियों से सम्बन्धित दरों का गलत लागू किया जाना	54.54 35.18	19.36
4.	5 8	4/2011 तथा 2/2012 के मध्य	सिंचित भूमि को असिंचित मानकर मूल्यांकन किया गया	24.57 14.09	10.48
योग	**16** **158**			**536.35** **365.85**	**170.50**

[22] बैरसिया (भोपाल), बेगमगंज (रायसेन), बैतूल, बीना (सागर), छिन्दवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा), ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, करेली (नरसिंहपुर), मुरैना, नसरूल्लागंज (सीहोर), राजपुर (बड़वानी), सबलगढ़ (मुरैना), उज्जैन तथा विजयपुर (श्योपुर)

10 उप पंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण सम्बन्धित जिला पंजीयकों द्वारा नहीं किया गया । यद्यपि शेष छः कार्यालयों[23] का निरीक्षण सम्बन्धित जिला पंजीयकों द्वारा (जुलाई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) किया गया था, फिर भी उनके द्वारा चूक को संसूचित नहीं किया गया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, उप पंजीयक बैतूल ने चार विलेखों के सम्बन्ध में बताया (अगस्त 2012) कि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं थी, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भू–खण्डों की दरें लागू नहीं की गई थीं। उत्तर अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप नहीं है; दस्तावेजों में उल्लिखित भूमि की चतुर्सीमा में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित थी । उप पंजीयक, जबलपुर ने दो विलेखों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया तथा बताया (नवम्बर 2012) कि भूमि दो विभिन्न मार्गों पर स्थित थी, अतः इन मार्गों के लिए लागू दरों को अनुपातिक रूप से लगाया गया था । उन्होंने यह भी बताया कि दस्तावेज को कलेक्टर आफ स्टाम्प को संदर्भित किया जायेगा । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सम्पत्ति विक्रेताओं (जो परिवार के सदस्य भी थे) के मध्य विभाजित नहीं की गई थी और इस प्रकार सम्पूर्ण सम्पत्ति को एक इकाई माना जाना था । इसके अतिरिक्त, अनुपातिक मूल्यांकन के बारे में बाजार मूल्य गाइडलाइन में कोई प्रावधान नहीं था । उप पंजीयक, उज्जैन ने एक विलेख के सम्बंध में दिसम्बर 2012 में बताया कि भूमि असिंचित थी । उत्तर दस्तावेज के साथ संलग्न खसरा की प्रति के अनुरूप नहीं है जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि भूमि सिंचित थी । जहाँ तक शेष 151 विलेखों का सम्बंध है, सम्बन्धित उप पंजीयकों ने मई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य बताया कि प्रकरणों को कलेक्टर आफ स्टाम्प को संदर्भित किया जायेगा । आगामी प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

23 बैतूल, बीना (सागर), चौरई (छिन्दवाड़ा), मुरैना, नसरूल्लागंज (सीहोर) तथा उज्जैन

6.12 मुखत्यारनामा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 45 (घ) के अनुसार, जब मध्य प्रदेश में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से संक्रात करने हेतु बिना प्रतिफल के किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत करते हुए मुखत्यारनामा दिया जाता है तो ऐसे विलेखों पर ₹ 1000 का शुल्क (मार्च 2011 तक ₹ 100) प्रभारणीय है। पुनश्च, जब ऐसे अधिकार प्रतिफल सहित या विना प्रतिफल के एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रदान किये जाते हैं या जब यह अप्रतिसंहरणीय हों या जब यह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हों तो ऐसे विलेखों पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण के समान शुल्क प्रभारणीय है।

हमने मई तथा नवम्बर 2012 के मध्य तीन उप पंजीयक कार्यालयों[24] में अवलोकित किया कि जुलाई 2009 तथा अगस्त 2011 के मध्य पंजीकृत/निष्पादित आठ मुखत्यारनामा विलेखों में यद्यपि विभाग द्वारा जारी सम्बन्धित वर्षों की बाजार मूल्य गाइडलाइनों के अनुसार ₹ 3.94 करोड़ मूल्य की स्थावर सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार प्रदान किया गया था, दस्तावेजों में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि मुखत्यारनामा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दिया गया था। इन प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 20.04 लाख का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 3.16 लाख की पंजीयन फीस आरोपणीय थी। तथापि, हमने देखा कि इन सभी प्रकरणों में विलेखों को एक साल से अनधिक अवधि के लिए विना प्रतिफल के विक्रय करने हेतु मुखत्यारनामा माना गया। विभाग द्वारा ₹ 7100 का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 800 की पंजीयन फीस प्रभारित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.12 लाख (मुद्रांक शुल्क ₹ 19.97 लाख तथा पंजीयन फीस ₹ 3.15 लाख) का अनारोपण हुआ। उप पंजीयक कार्यालय, इन्दौर का निरीक्षण भी जिला पंजीयक, इन्दौर द्वारा नहीं किया गया, जबकि मुरैना तथा बदनावर (धार) के प्रकरणों में चूक को संसूचित नहीं किया जा सका यद्यपि उप पंजीयक कार्यालयों मुरैना तथा बदनावर (धार) का निरीक्षण मई 2010 तथा अगस्त 2011 के मध्य किया गया था जो उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निष्प्रभावी निरीक्षण का परिचायक है।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, उप पंजीयक मुरैना तथा बदनावर ने सात प्रकरणों के सम्बंध में मई तथा जुलाई 2012 के मध्य बताया कि दस्तावेजों की छायांकित प्रति मुद्रांक संग्राहक (कलेक्टर आफ स्टाम्प्स) को संदर्भित की जायेगी । शेष एक प्रकरण में उप पंजीयक इन्दौर ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2012 में बताया कि

[24] बदनावर (धार), इन्दौर तथा मुरैना

अधिक कार्यभार के कारण सही शुल्क आरोपित करने में चूक हुई । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

अध्याय – 7

खनन प्राप्तियाँ

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने जिला खनिज अधिकारियों के कार्यालयों में अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण/प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर आदि के अनिर्धारण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 46.43 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अंतर्निहित **"मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियां"** पर समीक्षा को प्रस्तुत किया है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय हैं कि यद्यपि इस प्रकार की चूकों को हमारे द्वारा विगत कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार इंगित किया गया है, फिर भी विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में खनन प्राप्तियों से संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 19.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गई	विभाग ने प्रतिवेदित किया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई थी। इसके अभाव में, सभी खनन इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा लम्बित थी ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,694 प्रकरणों में ₹ 3077.74 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित खनन प्राप्तियों के अनारोपण/कम आरोपण/प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण, हानि आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 4,716 प्रकरणों में ₹ 2209.33 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 764 प्रकरणों में ₹ 316.60 करोड़ वसूल किए ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)	वर्ष 2012–13 में हमने खनन प्राप्तियों से सम्बंधित 35 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 992 प्रकरणों में ₹ 190.35 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये

	901 प्रकरणों में ₹ 142.90 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति/अनारोपण/कम आरोपण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किए गए राज्यांश की प्राप्ति न होने/कम प्राप्ति, शास्ति का अधिरोपण न किये जाने, ब्याज के अनारोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है; विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय–7
खनन प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग सचिव, खनन, मध्य प्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर उप संचालक तथा जिला स्तर पर जिला खनिज अधिकारी होते हैं । जिला खनिज अधिकारियों की सहायता के लिये सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक होते हैं । जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं ।

खनन प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के तहत संग्रहीत की जाती हैं:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988;
- संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम, 2002;
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996;
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006;
- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005;
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004; तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957

7.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वास्तविक खनिज प्राप्तियाँ, उसी अवधि के दौरान कुल कर–भिन्न प्राप्तियों सहित तालिका क्र. 7.1 में प्रदर्शित की गई हैं :

तालिका क्र. 7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर–भिन्न प्राप्तियों	कुल कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2008-09	1225.00	1361.08	(+) 136.08	(+) 11.10	3342.86	40.72
2009-10	1566.00	1590.47	(+) 24.47	(+) 1.56	6382.04	24.92
2010-11	2250.00	2121.49	(-) 128.51	(-) 5.71	5719.77	37.09
2011-12	1500.00	2038.31	(+) 538.31	(+) 35.89	7482.73	27.24
2012-13	2350.00	2443.39	(+) 93.39	(+) 3.97	7000.22	34.90

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

वर्ष 2012–13 में, खनिज प्राप्तियों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 19.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता (-) 5.71 प्रतिशत तथा (+) 35.89 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं वास्तविकता के बीच विविधता का कारण कोयला के राज्यांश में वृद्धि होना बताया गया।

7.3 बकाया राजस्व

31 मार्च 2013 में राशि ₹ 14.19 करोड़ का राजस्व बकाया था। वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति तालिका क्र. 7.2 में दी गई है :

तालिका क्र. 7.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अंतशेष	वसूली का लक्ष्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2008-09	11.68	0.51	12.19	0.12	12.07	निरंक
2009-10	12.07	-	12.07	0.37	11.70	निरंक
2010-11	11.70	0.72	12.42	0.43	11.99	निरंक
2011-12	11.99	-	11.99	-	11.99	निरंक
2012-13	11.99	2.40	14.39	0.20	14.19	निरंक

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान विभाग ने मात्र ₹ 1.12 करोड़ की वसूली की। विभाग ने बकाया राशि की वसूली हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और परिणामस्वरूप 31 मार्च 2013 को बकाया राशि बढ़कर ₹ 14.19 करोड़ हो गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग द्वारा वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर बकाया राशि को कम करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए ।

7.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.4.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 43 कंडिकाओं में ₹ 1142.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित अवनिर्धारण, राज्यांश/अनिवार्य किराए/संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली/विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण, शास्ति का अनारोपण आदि के प्रकरणों को इंगित किया था। जबकि विभाग ने ₹ 670.82 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया, लेकिन विभाग ने मात्र ₹ 69.05 करोड़ की राशि वसूल की (मार्च 2013 की स्थिति) तालिका क्र. 7.3 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 7.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली हुई	31.03.2013 तक वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2007-08	1	395.76	1	318.83	1	63.33
2008-09	8	102.93	7	99.99	5	2.28
2009-10	11	447.89	8	144.41	6	2.63
2010-11	11	115.46	8	83.67	5	0.81
2011-12	12	80.34	3	23.92	-	-
योग	**43**	**1142.38**	**27**	**670.82**	**17**	**69.05**

वर्ष 2007–08 को छोड़कर विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशियों की वसूली करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

7.4.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,694 प्रकरणों में ₹ 3077.74 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित अनारोपण/कम आरोपण/वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण, खनन प्राप्तियों की हानि आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 2209.33 करोड़ के 4,716 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 764 प्रकरणों में ₹ 316.60 करोड़ वसूल किए (31 मार्च 2013 तक) विवरण तालिका क्र. 7.4 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र. 7.4

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2007-08	34	1474	513.88	1457	97.25	82	9.15	9.40
2008-09	34	433	333.73	368	240.07	221	40.76	16.98
2009-10	34	1384	1774.20	674	1431.55	156	165.11	11.53
2010-11	37	1087	283.98	1072	269.66	267	92.18	34.18
2011-12	32	1316	171.95	1145	170.80	38	9.40	5.50
	योग	**5694**	**3077.74**	**4716**	**2209.33**	**764**	**316.60**	

विगत पाँच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है । हमने इस तथ्य को विभाग प्रमुख तथा शासन के वित्त सचिव के ध्यान में भी लाया (अगस्त 2013) ।

7.4.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान खनिज प्राप्तियों से सम्बंधित 51 इकाईयों में से 35 इकाईयों (राजस्व ₹ 1816.20 करोड़) के अभिलेखों की नमूना जाँच में 992 प्रकरणों में ₹ 190.35 करोड़ से अंतर्निहित राजस्व की वसूली न होना/ कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई जिन्हें तालिका क्र. 7.5 में उल्लिखित निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

तालिका क्र. 7.5

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.
1.	**" मध्य प्रदेश में खनिज प्राप्तियाँ" एक समीक्षा**	1	46.43
2.	अनिवार्य किराया/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	300	25.98
3.	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनिर्धारण	142	99.41
4.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	104	1.23
5.	अन्य प्रेक्षण	445	17.30
	कुल	**992**	**190.35**

वर्ष के दौरान विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 901 प्रकरणों में ₹ 142.90 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली/अनारोपण/कम आरोपण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।

पूर्व वर्ष की लेनदेन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित ₹ 46.43 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित **"मध्य प्रदेश में खनिज प्राप्तियाँ"** पर एक समीक्षा का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।

7.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने जिला खनिज कार्यालयों में पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन शुल्क में राज्यांश, अनिवार्य किराया, देय राशियों के विलंबित भुगतानों पर ब्याज व सड़क विकास कर की संवीक्षा की जिसमें अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने, अनिवार्य किराया/राज्यांश/संविदा राशि/सड़क विकास कर के अनारोपण/कम आरोपण के कई प्रकरण तथा अन्य प्रकरणों का पता चला जिनका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई इस तरह की त्रुटियाँ पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई थीं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं तथा पूर्व में लिए गये इसी तरह के प्रेक्षणों का सन्दर्भ **परिशिष्ट–1** में दिया गया है, लेकिन फिर भी ये अनियमितताएं न केवल बनीं हुई है, बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक असंसूचित रहतीं है । शासन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे ऐसी चूकों से बचा जा सके ।

7.6 "मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ" एक समीक्षा

प्रमुख विशेषताएं

- अनुमोदित खनन योजना के अतिरिक्त खनिजों की अनधिकृत खुदाई व निष्कासन करने पर सात पट्टाधारकों से ₹ 8.01 करोड़ की राशि के खनिजों की कीमत वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 7.6.17)

- अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचाई गई ।

(कंडिका 7.6.18)

- राज्यांश एवं अनिवार्य किराए के विलंबित भुगतानों पर ₹ 1.43 करोड़ की संविदा राशि तथा ₹ 1.94 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हुई/ कम वसूली हुई ।

(कंडिका 7.6.19 एवं 7.6.20)

- विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 6.88 करोड़ के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 7.6.21 एवं 7.6.22)

- ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में ₹ 28.97 करोड़ का कम आरोपण एवं संग्रहण हुआ ।

(कंडिका 7.6.23 एवं 7.6.24)

7.6.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश देश के खनिज सम्पदा से समृद्ध राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश में बाक्साइट, कोयला, कॉपर अयस्क, हीरा, चूना पत्थर, मैगनीज, राकफास्फेट इत्यादि के भण्डार हैं। खनिजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है– मुख्य खनिज एवं गौण खनिज। गौण खनिजों में पत्थर, फर्शीपत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, संगमरमर, रेत, मुरम एवं अन्य खनिज जिन्हें केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा गौण खनिज माना जाये शामिल हैं। अन्य दूसरे खनिज जैसे–बाक्साइट, कोयला, कॉपरअयस्क, हीरा, चूना पत्थर, मैगनीज, राकफास्फेट, डायस्पोर, पायरोफाइलाइट एवं आकर्स मुख्य खनिज के रूप में मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं।

खनिज प्राप्तियों में मुख्यतः पट्टे/अनुज्ञापत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवेदन पत्र शुल्क, राज्यांश, अनिवार्य किराया, सतह किराया, जुर्माना एवं शास्ति, देय राशियों के विलम्बित भुगतान ब्याज एवं सड़क विकास कर शामिल हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण सम्बंधी खनिज संसाधन विभाग की कार्यशैली की समीक्षा की गई। इसके दौरान प्रणालीगत एवं अनुपालन संबंधी अनेक कमियों का पता चला जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.6.2 राज्य खनिज नीति

खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग एवं खनिज क्षेत्र के सतत विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 तैयार की गई थी। सभी राज्य सरकारों को एक मॉडल राज्य खनिज नीति, 2010 राष्ट्रीय खनिज नीति के दायरे में, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों के लिए उपयुक्त खनिज नीति विकसित करने के लिए परिचालित की गई थी । खनिज संसाधनों तथा सभी पर्यावरणीय एवं परिस्थितिकीय विषयों के वैज्ञानिक, क्रमबद्ध तथा स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग ने खनिज नीति, 2010 निर्मित की।

7.6.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्य प्रणाली

वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की अवधि को समाहित कर खनन प्राप्तियों की समीक्षा खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु प्रणाली का परीक्षण करने के लिए की गई थी । हमने खनिज संसाधन विभाग की 50 इकाईयों में से 13 इकाईयों[1] का चयन किया। हमने इन 13 चयनित इकाइयों में अवधि अप्रैल 2013 एवं जून 2013 के मध्य 805 मुख्य खनिज पट्टों में से 224 एवं 2046 गौण खनिज पट्टों (उत्खनि पट्टा एवं व्यापारिक खदान

[1] अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दमोह, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल, सीधी एवं टीकमगढ़

पट्टा) मे से 679 पट्टों की नमूना जांच की। इसके अतिरिक्त, हमने 22 इकाईयों[2] की लेनदेन लेखापरीक्षा करते समय विगत वर्षों में पाई गई अनियमितताओं को भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया है। मई 2013 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन में सचिव, खनिज संसाधन विभाग के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडो तथा कार्यविधि पर चर्चा की गई। अगस्त 2013 में प्रारूप समीक्षा प्रतिवेदन शासन तथा विभाग को अग्रेषित किया गया तथा अगस्त 2013 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई। सचिव ने शासन का प्रतिनिधित्व किया जबकि संचालक ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। शासन के दृष्टिकोण को, जहाँ भी प्राप्त हुआ है, सम्मिलित किया गया है।

7.6.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि क्या

- खनन प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली कुशल एवं प्रभावी थी।
- खनन प्राप्तियों का निर्धारण एवं संग्रहण करने लिए पर्याप्त प्रावधान अस्तित्व में थे तथा विभाग द्वारा उनका पालन किया गया था।
- चूक या खनिजों के अवैध उत्खनन के प्रकरणों में की गई कार्यवाहीं प्रभावी थी; और
- विभाग में राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

7.6.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए :

- खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957;
- खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988;
- खनिज रियायत नियम,1960;
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996;
- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005;
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006;
- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908;
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1908 एवं

[2] अशोक नगर, भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, धार, डायमण्ड अधिकारी (पन्ना), ग्वालियर, होशंगाबाद, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा

- जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

7.6.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, खनिज संसाधन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करता है।

7.6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अवयव है और सामान्यतः इसे नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि निर्धारित प्रणालियां यथोचित रूप से कार्यरत हैं।

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा अस्तित्व में नहीं थी।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा विद्यमान नहीं थी। इसके अभाव में वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान खनिज इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि प्रणाली में कमियों तथा दोषपूर्ण प्रचलनों के परिणामस्वरूप राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियाँ

7.6.8 मानव संसाधन प्रबंधन

राजस्व वसूली की सुरक्षा हेतु, शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदों के अनुसार पर्याप्त मानव शक्ति की पदस्थापना की जानी चाहिए ।

जनशक्ति की कमी स्वीकृत जनशक्ति का लगभग एक तिहाई थी जिससे राजस्व का निर्धारण एवं वसूली प्रभावित हुई।

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान अपने क्रियाकलापों का संचालन, अपर्याप्त मानव शक्ति के साथ किया । मानवशक्ति में कमी 31 प्रतिशत से 37.5 प्रतिशत के मध्य रही । और यह स्वीकृत पद की लगभग एक तिहाई थी । इससे निर्धारण, आधारभूत अभिलेखों के संधारण, प्रावधानों के अनुसार खानों का निरीक्षण, राजस्व के बकाया की वसूली आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । विभाग अवैध खनन एवं परिवहन क्रिया कलापों को रोकने में भी असफल रहा। कार्यरत पदों की तुलना में स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्र. 7.6 में दिया गया है :

तालिका क्र. 7.6

स. क्र.	वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	कमी का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2008–09	790	540	250	31.64
2.	2009–10	789	542	247	31.30
3.	2010–11	842	526	316	37.53
4.	2011–12	842	556	286	33.97
5.	2012–13	841	570	271	32.00

(स्रोतः संचालनालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2013), विभाग ने बताया (जून 2013) कि रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव शासन को समय–समय पर प्रेषित किया गया था एवं उसकी प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है।

7.6.9 विवरणियों की प्रस्तुति

7.6.9.1 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी

खनिज रियायत नियम,1960 के नियम 16 (1)(2) के अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा किये गये कार्य के सम्बंध में राज्य शासन को प्रत्येक छः माह में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित क्षेत्र में किए गए पूर्वेक्षण कार्यवाहियों से सम्बंधित उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। खनिज संरक्षण तथा विकास नियमों, 1988 के नियम 8 (1) के अनुसार, संचालित की गई पूर्वेक्षण कार्यवाही से सम्बंधित वार्षिक प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रपत्र "बी" में प्रस्तुत किया जायेगा। आगे, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 15 (2) भाग–III के उप नियम (1),जोर देता है कि विवरणियां न प्रस्तुत करने की दशा में राज्य सरकार 30 दिन का नोटिस देकर सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके किसी भाग को राजसात कर सकती है।

अनुज्ञप्तिधारकों ने पूर्वापेक्षी खनन संक्रियायों के सम्बंध में निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत नहीं की । विभाग में विवरणियों की प्रस्तुति पर निगरानी रखने के लिए अभिलेख/पंजियां संधारित नहीं की।

अप्रैल तथा जून 2013 के मध्य 12 जिला खनिज कार्यालयों[3] की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति[4] की प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच से पता चला कि छमाही/ वार्षिकी प्रतिवेदनों पर निगरानी रखने हेतु कोई पंजी/अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे। वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्रस्तुति हेतु नियत 200 विवरणियों के विरूद्ध केवल 10 छमाही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं। वार्षिक विवरणी किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा शास्ति आरोपण सहित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

[3] अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल, सीधी एव टीकमगढ़

[4] पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति से आशय ऐसी अनुज्ञप्ति से है जिसे खनिजों की खोज के लिए अतिरिक्त संक्रिया करने के अक्रम के आशय से मंजूर की गयी है

7.6.9.2 उत्खनि पट्टे

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (20)(ए)(बी)(सी) के अनुसार प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारी को निर्धारित प्रपत्रों में निर्दिष्ट तिथियों को मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणी जिला खनिज अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। इसमें विफल रहने पर पट्टा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित करेगा जो वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दो गुना से अधिक नहीं होगी।

हमने 13 जिला खनिज कार्यालयों में कुल 1410 उत्खनि पट्टों[5] में से उत्खनि पट्टों की 459 प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच की (जनवरी तथा जून 2013 के मध्य) और पाया कि 459 वार्षिक, 918 छःमाही एवं 5508 मासिक विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु बकाया थीं। हमने देखा कि तीन जिला खनिज कार्यालयों[6] में 37 पट्टाधारियों द्वारा अवधि 2008–13 हेतु 678 मासिक, 111 छःमाही एवं 54 वार्षिक विवरणियां उपरोक्त नियम के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई। ना तो विभाग द्वारा पट्टाधारी का अनुसरण कर विवरणियों की प्रस्तुति करने हेतु सुनिश्चित किया गया और न ही पट्टाधारी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा नियमानुसार शास्ति भी अधिरोपित नहीं की गई। शासन द्वारा पट्टेदारों से निर्धारित विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु कोई पंजी निर्धारित नहीं की गई है ।

शासन द्वारा खनिज प्राप्तियों के निर्धारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पट्टेधारियों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति पर निगरानी रखने हेतु उपयुक्त पंजियों का संधारण निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए । शासन द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शास्ति प्रावधान भी लागू किया जाना चाहिये।

5 उत्खनि पट्टे से तात्पर्य गौण खनिज के लिए खनि पट्टा

6 इन्दौर, सीधी एवं टीकमगढ़

7.6.10 मांग एवं संग्रहण पंजी का संधारण न होना

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जारी अनुदेशों (सितम्बर 2005) के अनुसार, जिला खनिज अधिकारियों द्वारा मांग एवं संग्रहण पंजी (खतौनी) संधारित किया जाना अपेक्षित है जिसमें सतह कर, अनिवार्य किराया, कुल निश्चित मांग, भुगतान की गई राशि, भुगतान का दिनांक, उत्खनित खनिज की मात्रा, देय राज्यांश, ब्याज आदि के विवरण के साथ खनि एवं उत्खनि पट्टे हेतु निश्चित (अनिवार्य किराया) एवं अनिश्चित मांग (राज्यांश) का विवरण रहता है।

13 जिला खनिज अधिकारियों में से नौ द्वारा मांग एवं वसूली पंजी के आधारभूत अभिलेख उचित ढंग से संधारित नहीं किये गये थे।

विभाग में खतौनी के उचित संधारण एवं उच्च प्राधिकारियों को उसकी प्रस्तुति सामायिक पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रणाली प्रचलित नहीं थी।

हमने 13 जिला खनिज कार्यालयों में खतौनी के संधारण की नमूना जांच की और पाया कि चार जिला खनिज कार्यालयों[7] में मांग एवं संग्रहण पंजी का उचित ढ़ंग से संधारित नहीं थी। खतौनी पंजी दो जिला खनिज कार्यालयों (अलीराजपुर एवं बालाघाट) में बिल्कुल भी संधारित नहीं थी । सात जिला खनिज कार्यालयों[8] में मूल अभिलेख संधारित थे, लेकिन मांग एवं संग्रहण से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज नहीं पायी गयी । इसके परिणामस्वरूप विभाग सतह किराया, अनिवार्य किराया, कुल निश्चित मांग, भुगतान की गई राशि, भुगतान का दिनांक, उत्खनित खनिज की मात्रा, राज्यांश एवं उस पर देय ब्याज के संबंध में विवरण सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था।

7.6.11 अनुज्ञापत्रों को जारी करने हेतु अभिलेखों का संधारण न किया जाना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 68 (1) के अनुसार किसी विभाग के कार्य हेतु किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए कलेक्टर द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। आगे, अनुसूचि–III में विनिर्दिष्ट दरों से गणना किये गये अग्रिम राज्यांश का भुगतान करने पर ही ऐसी अनुमति जारी की जा सकेगी।

13 जिला खनिज कार्यालयों में (अप्रैल से जून 2013 के मध्य) केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों के लिए गौण खनिजों के निष्कासन हेतु अस्थायी अनुज्ञापत्रों से सम्बंधित अभिलेखों से पता चला कि जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्रों की संख्या एवं भुगतान किए गये राज्यांश पर निगरानी रखने हेतु विभाग

[7] दमोह, कटनी, सतना एवं शहडोल

[8] अनूपपुर, बैतूल, छतरपुर, इन्दौर, जबलपुर, सीधी एवं टीकमगढ़

द्वारा किसी अभिलेख/पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अभिलेखों के संधारण के अभाव में खनिजों के निष्कासन पर राज्यांश की प्राप्ति में विलम्ब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

7.6.12 पर्यावरण सम्बंधी मापदण्डों का अनुपालन

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में खनन और वन एवं पर्यावरण सम्बंधी मुद्दों के बीच घनिष्ठ सम्बंध को मान्यता दी गई है। यह जैव विविधता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास एक ढांचे के विकास तथा यह सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि खनन गतिविधियों के साथ पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ।

7.6.12.1 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से अतिरिक्त उत्पादन

वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 21 के अनुसार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) द्वारा एक साल में एक खदान से खनिज के अधिकतम उत्पादन के संबंध में अनुमति पर्यावरण की सुरक्षा से सम्बंधित सभी पहलुओं पर विचार कर दिया जाता है और विभाग का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति में दिये गये अनुदेशों का पालन करें। शासन ने अगस्त 2011 में जारी अपने परिपत्र में सभी कलेक्टरों को पर्यावरण सम्बंधी अनुमति में उल्लिखित अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा में उत्खनन किया था। ऐसे सभी पट्टाधारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अग्रेषित करने के निर्देश दिये थे जिन्होंने खनन योजना में अनुमोदित या मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमत्य मात्रा से अधिक खनन किये जाने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विभाग ने पर्यावरण को हुई क्षति के लिए पट्टेदारों से प्रशमन व्यय वसूल नहीं किया।

जिला खनिज कार्यालयों सीधी एवं टीकमगढ़ में उत्खनि पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि नमूना जांच किये गये 110 पट्टों में से चार पट्टों में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 85928 क्यूबिक मीटर गिट्टी एवं बोल्डर के उत्पादन की अनुमति दी गई थी। तथापि पट्टेदारों द्वारा, जनवरी एवं दिसम्बर 2012 के मध्य अवैध रूप से 151228 क्यूबिक मीटर माल (गिट्टी एवं बोल्डर) का उत्पादन किया जो अनुमत्य सीमा से 65300 क्यूबिक मीटर अधिक था। अनुमत्य सीमा से अधिक खनन से न केवल पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति की वापसी की स्थिति के परिणामस्वरूप राज्यांश के रूप में विभाग को हानि हो सकती थी। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा न तो पट्टेदारों को अनुज्ञेय सीमा के भीतर अपनी खनन गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी गई और न ही पट्टेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

इस उल्लंघन की सूचना दी गई। इसके अलावा, प्रकरण नस्तियों में भी पर्यावरण को पहुँचाये गये नुकसान के लिए पट्टेदार से शमन लागत की वसूली के लिए विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के कोई संकेत नहीं मिले।

7.6.12.2 पर्यावरण अनुमति के बिना खदानों का संचालन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना (सितम्बर 2006) के अनुसार, हर पट्टेदार मंजूरी की तारीख से छः महीने के भीतर पांच से अधिक हेक्टेयर के पट्टे के संबंध में पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

दो पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति के बिना खनन संक्रियायें प्रारम्भ की गई।

हमने देखा (मई 2013) कि जिला खनिज कार्यालय, अनूपपुर में बाक्साइट खानों के पांच पट्टों में से दो प्रकरणों में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी अभिलेख में नहीं पाई गई जबकि ये पट्टेदार खनन कार्य जारी रखे हुए थे और विभाग ने भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वांछित प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, पट्टेदारों ने वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रमशः 305630 मैट्रिक टन एवं 311881.06 मैट्रिक टन बाक्साईट का उत्पादन किया था। यह पर्यावरण सम्बंधी मानदण्डों के प्रति उदासीनता को इंगित करता है ।

7.6.12.3 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुदेशों का पालन न किया जाना

नियमानुसार, प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा धारक, क्षेत्र में पूर्वेक्षण, खनन लाभकारी या धातुकर्मी संक्रियाओं का संचालन करते समय पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए समस्त सम्भव सावधानियां बरतेगा ।

प्रकरण नस्तियों से ज्ञात हुआ कि पट्टेदार द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निम्नलिखित का पालन करने के अनुदेशों के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया गया था।

- खदानों में सभी उत्सर्जन बिन्दुओं पर उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संस्थापित एवं संचालित किये जायेंगे तथा इनका हर समय सदैव चालू हालत में रहना सुनिश्चित किया जायेगा।
- पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करने हेतु कारखाना परिसर में और उसके चारों तरफ और अधिक वृक्षारोपण करना होगा।
- खदान के आस–पास की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रतिवेदन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से तीन माह में एक बार प्रस्तुत की जायेगी।

हमने नमूना जाँच किये गये 13 जिला खनिज कार्यालयों में से चार में अवलोकित किया कि पट्टेदारों द्वारा म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था।

जिला खनिज अधिकारियों द्वारा भी पट्टेदारों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करते समय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों को अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके बावजूद, अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का नियमित रूप से नवीनीकरण किया गया था। इस प्रकार सम्बंधित जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया।

7.6.13 अकार्यशील खदानों के पट्टों का निरस्तीकरण न किया जाना

खनिज रियायत नियमों, के नियम 28 (1) के अनुसार, यदि किसी पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन दिनांक से एक वर्ष* के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ नहीं की जाती हैं या ऐसी संक्रियाओं के प्रारम्भ करने के पश्चात उन्हें एक वर्ष की सतत अवधि के लिए रोक दिया जाता है तो राज्य शासन एक आदेश द्वारा खनन पट्टे को व्यपगत घोषित कर सकेगा।

* जुलाई 2012 से इसको पुनरीक्षित कर दो वर्ष कर दिया गया था।

विभाग ने खनन संक्रियाओं को रोक दिये जाने पर अकार्यशील खानों को निरस्त कर बेहतर खनिज विकास हेतु अन्य इच्छुक व्यक्तियों के साथ पुनर्व्यस्थापन नहीं किया।

मई एवं जून 2013 के मध्य दो जिला खनिज कार्यालयों (बालाघाट एवं बैतूल) में खनन पट्टों[9] से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि विभाग द्वारा नियमानुसार तीन प्रकरणों मे पट्टों को व्यपगत घोषित करने का नियम लागू नहीं किया गया। जिला खनिज कार्यालय बालाघाट में, एक पट्टेदार ने 2001 से खनन कार्य बंद कर दिया था और अन्य दो प्रकरणों में एक पट्टेदार ने 54 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया और दूसरे पट्टेदार ने 2010 में खनन कार्य रोक दिया था। इन पट्टो में खनन कार्य दो और 11 वर्ष के मध्य की अवधि के लिए बंद रहा। विभाग ने दो वर्ष की सतत अवधि के लिए खनन कार्य रोके जाने पर अकार्यशील खदानों को निरस्त नहीं किया और न ही बेहतर खनिज विकास के लिए अन्य प्रत्याशित पट्टाधारकों के साथ पुनःस्थापन किया गया।

[9] खनन पट्टे का तात्पर्य खनन कार्य प्रारम्भ करने के प्रयोजन हेतु प्रदान किये पट्टे से है और इसमें ऐसे प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया उप पट्टा भी सम्मिलित है।

7.6.14 खनिज व्यवसायी अनुज्ञप्ति का जारी करना

मध्य प्रदेश खनि (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निषेध) नियम, 2006 के अध्याय चार के नियम 7 (1) के अनुसार खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति खनिज भण्डारण करने के इच्छुक व्यापारियों को जारी किए जाते है। हालांकि विभाग द्वारा आवेदनों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

हमने 11 जिला खनिज कार्यालयों[10] (अप्रैल से जून 2013 के मध्य) से जानकारी से अवलोकित किया कि खनिज व्यवसायी अनुज्ञप्ति[11] को जारी करने के लिए वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्राप्त 889 आवेदनों में से केवल 469 आवेदनों का निराकरण कर अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं। विवरण तालिका क्र. 7.7 में दिया गया है :

तालिका क्र. 7.7

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	वर्ष के दौरान निराकृत आवेदन	संचयी अंतशेष
1.	2.	3.	4.	5.
2008–09	19	120	101	38
2009–10	38	94	46	86
2010–11	86	109	52	143
2011–12	143	266	115	294
2012–13	294	281	155	420

(स्रोत : खनिज कार्यालयों से प्राप्त जानकारी)

आवेदनों के सामायिक निराकरण हेतु प्रावधानों के अभाव के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति हेतु अनिराकृत आवेदन काफी संख्या में एकत्र हो गये थे।

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदनों के सामयिक निराकरण पर निगरानी रखने के लिए प्रावधान के अभाव के कारण काफी अधिक संख्या में अनिराकृत आवेदन जमा हो गये थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा राजस्व के हित में तथा खनिजों के अवैध परिवहन और भण्डारण की संभावना को न्यूनतम करने के लिए व्यवसायी अनुज्ञप्ति आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए।

10 अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दमोह, इंदौर, कटनी, सतना, सीधी, एवं टीकमगढ़

11 खनिज व्यवसायी अनुज्ञप्ति मुख्य खनिजों के परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार करने के उद्देश्य के लिए प्रदान किए जाते हैं एवं गौण खनिजों के परिवहन, भण्डारण व्यापार एवं निर्माण कार्यों के उद्देश्य के लिए प्रदान किए जाते है।

7.6.15 खनिज निरीक्षकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

मार्च 1978 में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पट्टाधारकों द्वारा पट्टा विलेखों में निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों का पालन किया जा रहा है, तथा खनिजों का उत्खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से नहीं किया जा रहा है, खनिज निरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल से सितम्बर तथा अक्टूबर से मार्च के मध्य प्रत्येक छः माह में एक बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

खनन निरीक्षक द्वारा प्रत्येक छः माह में एक बार खानों का निरीक्षण नहीं किया गया।

अवधि 2008–09 से 2012–13 हेतु नमूना परीक्षित जिला खनिज कार्यालयों में खनिज निराक्रम द्वारा किए गये खानों के निरीक्षण से सम्बन्धित जानकारी से पता चला कि तीन जिलों अनूपपुर, सीधी एवं टीकमगढ़ में खनिपट्टों के निरीक्षण में कमी 50 प्रतिशत से 77.3 प्रतिशत के मध्य रही जबकि उत्खनि पट्टों के प्रकरण में यह 46 प्रतिशत से 79.2 प्रतिशत के मध्य रही।

हमने आगे देखा (जून 2013) कि दमोह एवं शहडोल जिलों में खनिज निरीक्षक द्वारा अवधि 2008–09 एवं 2012–13 के मध्य की अवधि से सम्बंधित कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खनन निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राधिकारियों को खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु एक आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित किये जाने के सम्बंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

7.6.16 ई–नीलामी का प्रावधान न होना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के नियम 36 (2) के अनुसार नीलामी की सूचना, सम्बंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम जहाँ खदानें स्थित हैं के कार्यालय के सूचना पटल पर या किसी सहज दृश्य स्थान पर ऐसी सूचना की एक प्रति चस्पा कर नीलामी से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रारूप में प्रकाशित की जायेगी।

ई–नीलामी के प्रावधान के अभाव में शासन प्रतिस्पर्धात्मक दरों से वंचित हो गया।

हमने 13 जिला खनिज कार्यालयों में अवलोकित किया (अप्रैल एवं जून 2013 के मध्य) कि व्यापारिक खदानों[12] की नीलामी, ई–नीलामी द्वारा नहीं की गई थी । नियमों/अनुदेशों में विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में शासन ने ई–नीलामी द्वारा व्यापक प्रचार से प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने का अवसर खो दिया। हमनें

[12] व्यापारिक खदान से तात्पर्य ऐसी खदान से है जिसके लिए कार्य का अधिकार नीलाम किया जाता है।

आगे देखा कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बेहतर दरें प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बोलियां आमंत्रित करता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरें पाने हेतु व्यापारिक खदानों की ई–नीलामी हेतु शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

अनुपालन में कमियाँ

7.6.17 अनधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/वसूली न करना

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 के नियम 13 (1) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टा धारक अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियाओं को संचालित करेगा। यदि खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियाएं संचालित नहीं की जाती हैं तो क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो (आई वी एम) या प्राधिकृत अधिकारी समस्त या किन्हीं खनन संक्रियाओं के निलंबन का आदेश दे सकता है। आगे, खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के अनुसार जब कमी कोई व्यक्ति, किसी विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहां ऐसा खनिज पहले से निराकृत कर दिया गया हो, राज्यांश के साथ उसका मूल्य वसूल कर सकेगी।

चार जिलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम का अनुपालन न किये जाने के कारण ₹ 8.01 करोड़ के खनिजों के मूल्य की वसूली नहीं हुई।

हमने जिला खनिज कार्यालयों में खनि पट्टों से सम्बंधित अभिलेखों में देखा (अप्रैल तथा जून 2013) कि नमूना परीक्षित किये गये 13 जिला खनिज कार्यालयों में से चार जिला[13] खनिज पट्टाधारियों ने पुनरीक्षित के पूर्व खनन योजना अनुमोदन के बिना अनुमोदित खनन योजना[14] में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया। यद्यपि पट्टाधारकों ने अधिक उत्खनन पर देय राज्यांश का भुगतान किया था। हमने आगे अवलोकित किया कि निर्धारित आवधिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना अभिलेखों में नहीं पाया गया। विवरणियों के अभाव में जिला खनिज अधिकारी खनन योजना में अनुमोदित खनिजों की मात्रा के अतिरिक्त अधिक उत्खनन का पता लगाने की स्थिति में नही

13 अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर एवं सतना

14 खनन योजना प्रस्तावित खनिजों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए तैयार की जाती है जिसमें वैध एवं वैज्ञानिक खनन पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल रहता है और भरतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा प्रमाणित भू–वैज्ञानिक द्वारा तैयार की जाती है।

हैं। इस प्रकार अनुमत्य सीमा से अधिक उत्पादन अवैध था जिस पर खनिजों का मूल्य ₹ 8.01 करोड[15] वसूली योग्य था जैसा कि तालिका क्र. 7.8 में दिया गया है :

तालिका क्र. 7.8

स. क्र.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	खनिज	अवधि	खनन योजना के अनुसार मात्रा (मी.टन में)	वास्तविक रूप से उत्खनित मात्रा (मी.टन में)	अधिक उत्पादन (मी.टन में)	खनिज का मूल्य (मी.टन में)	वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	अनूपपुर	बॉक्साइट	2011-12	110745	181035	70290	115	80.83
2.	सतना	चूना पत्थर	2011-12	9531	21600	12069	72	8.69
3.	जबलपुर	आयरनओर	2010-11	60000	451030	391030	167	653.02
4.	जबलपुर	आयरनओर	2010-11	81000	93625	12625	167	21.08
5.	बालाघाट	मैगनीज	2009-10	400.80	2229.490	1828.69	960	17.55
6.	बालाघाट	मैगनीज	2009-10	0.00	1190	1190	960	11.42
7.	बालाघाट	मैगनीज	2009-10	900	1770.52	870.52	960	8.36
							महायोग	**800.95 (अर्थात ₹ 8.01 करोड़)**

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अगस्त 2013) शासन ने बताया कि विभाग ने पूर्व में ही चूककर्ताओं के विरूद्ध खनिपट्टों के निरस्तीकरण एवं अभियोजन कार्यवाही हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए परिपत्र जारी कर दिये हैं (अगस्त 2011) ।

15 खनिजों के मूल्य का निर्धारण आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित उस वर्ष की न्यूनतम दरों के आधार पर किया गया है।

7.6.18 अवैध खनन के कारण पर्यावरण की अपूरणीय क्षति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, की धारा 21 (5) के अनुसार, जब कभी कोई व्यक्ति, किसी विधि सम्मत प्राधिकार के बिना, किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहां ऐसा खनिज पहले से ही निराकृत कर दिया गया हो उसका मूल्य राज्यांश के साथ वसूल कर सकेगी। आगे, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1966 के नियम 53 (5) के अनुसार, उस व्यक्ति से जिसने गौण खनिज का अवैध खनन अथवा परिवहन किया है। इस प्रकार निष्कासित खनिज का मूल्य, खनिज के बाजार मूल्य से 10 गुना या राज्यांश का 20 गुना इनमें से जो भी अधिक हो, वसूल किया जायेगा।

खनिज नीति, 2010 के अनुसार अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय विश्लेषण उपग्रह डाटा को उपयोग में लाया जायेगा। खनन पट्टों की स्वीकृति/नवीकरण के समय खनन क्षेत्र की सटीक अवस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड आधारित मानचित्र अनिवार्य कर दिये जायेंगे। संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म में अवैध खनन से सम्बंधित नस्तियों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि ₹ 3.88 करोड़ की राशि से अंतर्निहित गौण खनिजों के अवैध उत्खनन के 2920 प्रकरण एवं ₹ 34.47 करोड़ की राशि से अंतर्निहित अवैध परिवहन के 27820 प्रकरण अवधि 2008–09 एवं 2012–13 के मध्य पंजीकृत किये गये जिसका विवरण तालिका क्र. 7.9 में दिया गया है :

तालिका क्र. 7.9

वर्ष	पंजीकृत प्रकरणों की संख्या			वसूल हुई शास्ति की राशि (₹ लाख में)		
	अवैध उत्खनन	अवैध परिवहन	कुल	अवैध उत्खनन	अवैध परिवहन	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2008-09	461	4066	4527	50.48	268.85	319.33
2009-10	528	5693	6221	36.09	406.88	442.97
2010-11	412	5227	5639	66.93	653.71	720.64
2011-12	879	6419	7298	91.66	972.99	1064.65
2012-13	640	6415	7055	142.38	1144.38	1286.76
महायोग	**2920**	**27820**	**30740**	**387.54 अर्थात ₹ 3.88 करोड़**	**3446.81 अर्थात ₹ 34.46 करोड़**	**3834.35 अर्थात ₹ 38.34 करोड़**

(स्रोत : संचालनालय से प्राप्त जानकारी)

चूंकि यह कार्य राज्यांश व अन्य प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए गुप्त रूप से किया गया था। इसलिए कोई वैज्ञानिक खनन पद्धति नहीं अपनाई गई। ऐसे प्रकरणों मे पर्यावरण को

अपूरणीय क्षति हुई थी परन्तु प्रावधानों के अभाव में, कोई क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं की जा सकी। आगे हमने (जून 2013) देखा कि खनिजों का अवैध खनन/परिवहन पकड़े जाने पर पंचनामा तैयार किया जाता है एवं मूल्य की वसूली पर निगरानी रखने हेतु उन्हें पंजी में दर्ज किया जाता है। खनिजों अवैध उत्खनन एवं निकासी के प्रकरणों में या तो खनिज के मूल्य की वसूली का समझौता कर लिया जाता है या पुलिस के माध्यम से अदालत में प्रकरण दर्ज कराया जाता है। प्रकरणों के निगरानी हेतु संधारित की गई पंजियां अपूर्ण थीं क्योंकि पंजी में पंजीकृत अवैध खनन के प्रकरण, खनिज के मूल्य की वसूली, जब्त खनिजों की मात्रा एवं उस पर अधिरोपित की गई शास्ति तथा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से सम्बंधित कोई प्रविष्टि अभिलेखित नहीं पाई गई। विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/ निकासी रोकने के लिए निरीक्षण के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे। विभाग की खनिज नीति 2010 की आवश्यकतानुसार अवैध खनन का पता लगाने हेतु उच्च स्तरीय रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा की स्थापना करने में विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अगस्त 2013) शासन ने बताया कि उच्च स्तरीय रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एवं अन्य सम्बंधित संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।

हम अनुशंसा करते हैं कि अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को पहुँचाई गई क्षति तथा क्षेत्र के सुधार की लागत की वसूली के लिए प्रावधान तथा पर्यावरण को हुई अपूरणीय क्षति से बचने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

7.6.19 संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1966 के नियम 37 (i) एवं व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i)/9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को नियत दिनांक पर संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। तत्पश्चात संविदा राशि या अन्य कोई बकाया का एक माह से अधिक तक भुगतान नहीं होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं खदान की पुनर्नीलामी की जायेगी। परिणामस्वरूप खदान की पुनर्नीलामी होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

संविदा राशि ₹ 1.43 करोड़ को वसूल करने में विभाग की निष्क्रियता।

हमने 26 जिला खनिज कार्यालयों में नमूना परीक्षित 935 व्यापारिक खदानों में से 320 व्यापारिक खदानों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान (मार्च 2012 एवं जून 2013 के मध्य) अवलोकित किया कि 25 जिला खनिज कार्यालयों[16] में 149 ठेकेदारों पर भुगतान हेतु ₹ 1.78 करोड़ की संविदा राशि बकाया थी फिर भी ठेकेदारों ने मात्र ₹ 35.33 लाख का भुगतान किया। हमने यह भी अवलोकित किया कि इन इकाईयों में मांग एवं संग्रहण पंजी भी संधारित की गई थी। जिला खनिज अधिकारियों को नियत दिनांक पर देय संविदा राशि की किश्त एकत्र करनी चाहिए थी। न तो संविदा राशि एकत्र की गयी और न ही प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने या व्यापारिक खदानों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–10** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 1.43 करोड़ की संविदा राशि की कम वसूली हुई।

[16] अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दमोह, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल, सीधी एवं टीकमगढ़ (राशि ₹ 61.50 लाख) भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, होशंगाबाद, मंदसौर, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी एवं उमरिया (राशि ₹ 81.22 लाख)।

7.6.20 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/वसूली न होना

7.6.20.1 खनि पट्टा

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 (क) के अनुसार, पट्टाधारक राज्यांश, अनिवार्य किराए का भुगतान नियत दिनांक तक निर्धारित दरों के अनुसार करने का दायी होगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में वह निर्धारित दिनांक की समाप्ति के 60 वें दिन से ऐसे राज्यांश के भुगतान के दिनांक तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज के भुगतान के दायित्वाधीन होगा।

विलम्बित भुगतानों के कारण ₹ 1.94 करोड़ के ब्याज की वसूली न होना।

हमने नमूना परीक्षित 14 जिला खनिज कार्यालयों मे से पांच जिला खनिज कार्यालयों[17] में खनि पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान (जून 2012 एवं जून 2013 के मध्य) अवलोकित किया कि नमूना परीक्षित किये गये खनि पट्टों से सम्बंधित 73 पट्टादारों में से पांच पट्टादारों द्वारा जिन्होंने मासिक विवरणियां प्रस्तुत की थीं, अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान राज्यांश का भुगतान 25 से 630 दिन विलम्ब से किया था। जिला खनिज अधिकारियों[18] द्वारा इन प्रकरणों मे विवरणियों की संवीक्षा के उपरान्त ब्याज आरोपण की कोई कार्रवाई नहीं की गई। शेष 68 प्रकरणों मे यदि कोई ब्याज आरोपणीय था, तो उसे निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इन प्रकरणों में पट्टेदारों ने निर्धारित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–11** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 1.37 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

17 अनूपपुर, पन्ना, सतना, सागर एवं सीधी

18 अनूपपुर, सतना एवं सीधी (राशि ₹ 1.34 करोड़) हीरा अधिकारी, पन्ना एवं जिला खनिज अधिकारी, सागर (राशि ₹ 3.01 लाख)

7.6.20.2 व्यापारिक खदान

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i) के तहत व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों को उनके संविदा अनुबंध में दर्शित दिनांक को या उसके पूर्व संविदा राशि का भुगतान करना आवश्यक है जिसमें विफल रहने की स्थिति में ठेकेदार संविदा राशि के अतिरिक्त भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान हेतु दायी होगा।

हमने 23 जिला खनिज कार्यालयों में से 18 जिला खनिज कार्यालयों[19] की व्यापारिक खदानों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों एवं चालानों की संवीक्षा के दौरान (मई 2012 एवं जून 2013 के मध्य) अवलोकित किया कि 275 ठेकेदारों में से 98 ठेकेदारों ने संविदा राशि भुगतान 6 से 548 दिनों के विलंब से किया था। जिला खनिज अधिकारी ने विलंबित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–12** के विवरण के अनुसार ₹ 29.22 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ।

[19] अनूपपुर, बालाघाट, दमोह, इन्दौर, कटनी, शहडोल, सीधी एवं टीकमगढ़ (राशि ₹ 17.38 लाख) अशोक नगर, भोपाल, होशंगाबाद, पन्ना, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, उज्जैन एवं उमरिया (राशि ₹ 11.84 लाख)।

7.6.20.3 उत्खनि पट्टा

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (i) (डी) के अनुसार, उत्खनि पट्टे के प्रत्येक पट्टेदार द्वारा उप नियम (क) एवं (ख) के तहत नियत दिनांक तक अनिवार्य किराए या राज्यांश का भुगतान राज्य शासन को किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टेदार नियमों के तहत की जाने वाली किसी दण्डात्मक कार्रवाई के अलावा भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान हेतु दायी होगा। उपरोक्त नियमों के नियम 30 (क) की शर्तों के तहत जिला खनिज अधिकारी को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के प्रारम्भ में सभी पट्टेदारों को अनिवार्य किराये के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करने चाहिए।

हमने 26 जिला खनिज कार्यालयों में से 23 जिला खनिज कार्यालयों[20] में 828 उत्खनि पट्टों में से 170 पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों तथा चालानों की संवीक्षा के दौरान (मार्च 2012 से जून 2013 के मध्य) अवलोकित किया कि पट्टेदारों द्वारा अनिवार्य किराये तथा राज्यांश के भुगतान मे 5 से 1267 दिनों का विलम्ब हुआ। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा चालानों तथा विवरणियों की संवीक्षा के पश्चात इन प्रकरणों में ब्याज की वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–13** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 27.88 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

7.6.21 राज्यांश की कम वसूली

7.6.21.1 खनि पट्टा

जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणियों की संवीक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्यांश की वसूली नहीं हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (i) के अनुसार, खनि पट्टे से सम्बंधित प्रत्येक पट्टेधारक को उसके द्वारा हटाए गये या उपयोग किए खनिजों के लिए अनुसूची में निर्धारित दरों से राज्यांश का भुगतान करना होगा।

जिला खनिज कार्यालय, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार एवं सागर के खनन पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2012 से मार्च 2013) कि नमूना जांच किये गये 50 पट्टेदारों मे से पांच पट्टेदारों ने मैगनीज अयस्क,

[20] अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, दमोह, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल एवं सीधी (राशि ₹ 13.27 लाख) अशोक नगर, भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, मंदसौर, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, उज्जैन एवं उमरिया (राशि ₹ 14.61 लाख)।

आयरन अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं कोयले के उपयोग/परिवहन हेतु अवधि 2011–12 में राज्यांश की देय राशि ₹ 10.90 करोड़ के विरूद्ध ₹ 10.75 करोड़ का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राज्यांश की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई (मार्च 2013)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.95 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। यदि जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणियों की संवीक्षा समय से की गई होती तो राज्यांश वसूली में विलम्ब से बचा जा सकता था। शेष 45 प्रकरणों में यदि कोई राज्यांश वसूली योग्य था तो वह इन प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा निर्धारित विवरणियों तथा चालानों को प्रस्तुत न किये जाने से सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

7.6.21.2 व्यापारिक खदान

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 37 की शर्त क्र. 5 (2) के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन करता है अथवा बाहर ले जाता है तो वह ऐसी अधिक उत्खनित या हटाई गई मात्रा के लिए प्रचलित दर से राज्यांश का भुगतान करने का दायी होगा।

जिला खनिज कार्यालयों अनूपपुर, बालाघाट, भोपाल, सिवनी एवं शिवपुरी की व्यापारिक खदानों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों से ज्ञात हुआ (मार्च 2012 एवं मई 2013 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 76 ठेकेदारों में से 16 ठेकेदारों ने पट्टा क्षेत्र से हटाए गये खनिजों के लिए भुगतान योग्य राशि ₹ 1.35 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.14 करोड़ के राज्यांश का भुगतान किया था। शेष 60 प्रकरणों मे राज्यांश का कम भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि ठेकेदारों द्वारा इन प्रकरणों में निर्धारित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 21.06 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। प्रकरण नस्तियों से आगे पता चला कि जिला खनिज अधिकारियों ने राज्यांश की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

7.6.21.3 उत्खनि पट्टा

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (1)(ख) में उल्लिखित उत्खनि पट्टे की सामान्य शर्तों के अनुसार पट्टेदार को प्रत्येक खनिज के सम्बंध में, अनिवार्य किराया या राज्यांश में जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा लेकिन दोनों का नहीं। पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उपयोग या परिवहन किये जाने हेतु खनिज अभिप्रेत की मात्रा के सम्बंध में राज्यांश का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई अनिवार्य किराये की राशि उपयोग या परिवहित किये गये खनिज पर राज्यांश के बराबर हो जाती है।

नौ जिला खनिज कार्यालयों[21] के उत्खनि पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों से ज्ञात हुआ (जून 2012 एवं जून 2013 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 343 पट्टेदारों में से 35 पट्टेदारों ने हटाए गए खनिजों के सम्बंध भुगतान योग्य राशि ₹ 1.98 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.45 करोड़ के राज्यांश का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.43 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। जिला खनिज अधिकारियों ने इन प्रकरणों में विवरणियों की संवीक्षा कर बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की, शेष 308 प्रकरणों में यदि वसूली हेतु कोई राज्यांश था तो वह सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि पट्टेदारों ने इन प्रकरणों में निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थीं।

[21] अलीराजपुर, बैतूल, इन्दौर, कटनी, सतना, शहडोल एवं टीकमगढ़ (राशि ₹ 46.16 लाख) अशोक नगर एवं पन्ना (राशि ₹ 6.29 लाख)।

7.6.22 अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

7.6.22.1 खनि पट्टा

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, की धारा 9 क (i) एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, खनि पट्टों के प्रत्येक पट्टेदार का पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बंध में अधिनियम की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों पर राज्य शासन को प्रतिवर्ष अनिवार्य किराए का भुगतान करना होता है। जहां पट्टेदार हटाए गये या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए राज्यांश के भुगतान का दायी हो जाता है तो वह उस क्षेत्र के सम्बंध मे ऐसे राज्यांश या अनिवार्य किराये जो अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा। आगे, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (शर्तें) के उप नियम (5) के अनुसार, यदि पट्टेदार राज्यांश या अनिवार्य किराये के भुगतान में कोई चूक करता है तो राज्य शासन पट्टेदार को देय राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान करने हेतु नोटिस देगा जिसकी प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन के भीतर उसको राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा और यदि राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य शासन पट्टे को निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके भाग को राजसात कर सकेगी।

₹ 6 करोड़ के अनिवार्य किराये को वसूल करने में विभाग की निष्क्रियता।

12 जिला खनिज कार्यालयों[22] से प्राप्त जानकारी से (मार्च 2012 एवं जून 2013 के मध्य) हमने पाया कि खनि पट्टों के सम्बंध में नमूना जांच किए गये 231 पट्टेदारों में से 195 पट्टेदारों ने जनवरी 2011 से जनवरी 2013 की अवधि हेतु देय अनिवार्य किराए ₹ 3.46 करोड़ के विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया। फिर भी विभाग ने बकाया अनिवार्य किराये की राशि को जमा कराने या पट्टे को निरस्त करने तथा प्रतिभूति जमा राशि को राजसात करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.46 करोड़ के अनिवार्य किराए की वसूली नहीं हुई।

[22] अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, सतना एवं शहडोल (राशि ₹ 3.14 करोड़) छिंदवाड़ा, नीमच, पन्ना, रीवा एवं उमरिया (राशि ₹ 32.38 लाख)

7.6.22.2 उत्खनि पट्टा

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30(i)(क) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेधारक, प्रथम वर्ष को छोड़कर, सम्पूर्ण वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह की बीस तारीख को या उससे पूर्व अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट दरों पर अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा। आगे, इस नियम की शर्त क्र. 26 में प्रावधान है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पट्टेधारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर उसे लिखित में नोटिस जारी कर नोटिस के दिनांक से तीस दिन के भीतर उल्लंघन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा और यदि उल्लंघन का सुधार नहीं किया जाता है या उचित नहीं दर्शाया जाता है तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टे को समाप्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके किसी भाग को राजसात कर सकेगा या विकल्प के रूप में उल्लंघन के लिए पट्टेदार से उक्त छमाही अनिवार्य किराये की राशि के चार गुने से अनधिक ऐसी शास्ति, जो पट्टादाता नियत करे, प्राप्त कर सकेगा।

हमने 32 जिला खनिज कार्यालयों[23] के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मार्च 2012 एवं जून 2013 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये उत्खनि पट्टों से सम्बंधित 1211 पट्टेदारों में से 299 पट्टेदारों ने जनवरी 2010 से जनवरी 2013 की अवधि हेतु देय अनिवार्य किराये की राशि ₹ 2.88 करोड़ के विरूद्ध ₹ 33.70 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति हुई। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा नियमों के अंतर्गत शास्ति के आरोपण एवं अनिवार्य किराये की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई।

[23] अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दमोह, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल, सीधी एवं टीकमगढ़ (राशि ₹ 1.39 करोड़), अशोकनगर, भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, धार, ग्वालियर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा,सागर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा (राशि ₹ 1.15 करोड़)

7.6.23 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का आरोपण एवं संग्रहण

7.6.23.1 ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्यशील खदानों पर सड़क विकास कर का विलंबित भुगतान

सड़क विकास कर, एक अतिरिक्त संसाधन के रूप में, ग्रामीण एवं मुख्य रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना एवं सड़क विकास के लिए खनिजों की खानों पर आरोपित किया जाता है। यह पट्टेदारों से त्रैमासिक उत्पादन के आधार पर वसूल किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर नियमों में सड़क विकास कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के आरोपण का प्रावधान नहीं है जबकि खनिज रियायत नियम 64 (क) के प्रावधानों के अनुसार जो मुख्य खनिज को विनियमित करता है, के अनुसार, विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज आरोपणीय है।

सड़क विकास कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपण हेतु प्रावधान का अभाव

अनूपपुर एवं शहडोल में सड़क विकास कर के अभिलेखों के परीक्षण में हमने अवलोकित किया (मई एवं जून 2013 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये नौ प्रकरणों में से दो प्रकरणों में पट्टेदारों ने 2005–06 से 2009–10 की अवधि हेतु ₹ 317.36 करोड़ के कर का भुगतान चार माह से पांच वर्ष तक के विलंब से किया। ब्याज आरोपण के प्रावधान के अभाव में शासन सारभूत राजस्व से वंचित हो गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा राजस्व के हित में सड़क विकास कर के विलंबित भुगतान के प्रकरणों में ब्याज आरोपण को निर्धारित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

7.6.23.2 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का भुगतान न किया जाना/कम भुगतान

ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर को वसूल करने में विभाग की निष्क्रियता।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं अधिसूचना (सितम्बर 2005) के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से किया जायेगा। अधिनियम में आगे प्रावधानित है कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों/लेखाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण करेगा तथा प्रति वर्ष मई माह के अंत में कर का निर्धारण कर उसकी मांग करेगा। कर का भुगतान न होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी धारा 4 (2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी। किन्तु इसके पूर्व पट्टेदार को अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी कर एवं शास्ति की राशि यदि उसका भुगतान नहीं किया गया है, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालयों, दमोह, कटनी, नीमच, सतना, शिवपुरी एवं सीधी में खनन पट्टों के सम्बंध में मुख्य खनिजों के उत्पादन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया (नवम्बर एवं दिसम्बर 2012 के मध्य) कि आठ पट्टेदारों ने देय सड़क विकास कर ₹ 4.97 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2.33 करोड़ का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारियों ने न तो मांग पत्र जारी किए और न ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की। इसके परिणामस्वरूप आरोपणीय शास्ति के अलावा ₹ 2.64 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई जैसा कि **परिशिष्ट–14** में विवरण दिया गया है :

7.6.23.3 शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का भुगतान न किया जाना

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से खनि पट्टों के पट्टाधारकों पर किया जायेगा।

जिला खनिज कार्यालयों अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, कटनी, नीमच, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया में मुख्य खनिजों के खनि पट्टों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने अवलोकित किया (अक्टूबर 2012 तथा जून 2013 के मध्य) कि 192 पट्टेदारों ने 2008 से 2013 की अवधि हेतु शिथिल खदानों पर ₹ 11.06 करोड़ के सड़क कर का न तो भुगतान किया और न ही जिला खनिज अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–15** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 11.06 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

7.6.24 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण

7.6.24.1 औसत वार्षिक राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

खनन पट्टों के औसत वार्षिक राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण ₹ 8.80 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग के अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार, नये खनि पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर औसत वार्षिक राज्यांश पर आरोपणीय है जिसकी गणना, खनि पट्टे हेतु आवेदन में दर्शायी गई मात्रा या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्रा जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालय, कटनी के खनन पट्टों की प्रकरण नस्तियों के परीक्षण के दौरान हमने देखा कि 10 से 30 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टों को स्वीकृत करते समय पट्टा विलेख उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा अवधि हेतु प्रस्तावित उत्पादन के औसत के बजाय माइनिंग प्लान में दर्शाये गये प्रथम पांच वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर निष्पादित/पंजीकृत किये गये थे (सितम्बर 2011 तथा नवम्बर 2012 के मध्य) चूनापत्थर और संगमरमर के पट्टेदारों ने आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की

राशि ₹ 12.89 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4.09 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.80 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम आरोपण/वसूली हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट–16** में दिया गया है।

जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक ने भी पट्टा अनुबंध के पंजीयन के समय सही मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली सुनिश्चित नहीं की।

7.6.24.2 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त उत्पादन अनुमति के संदर्भ में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि

मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग, के अनुदेशो (मार्च 1993) के अनुसार, नए उत्खनि पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस औसत वार्षिक राज्यांश पर आरोपणीय है जिसकी गणना आवेदन पत्र में दर्शायी गई मात्रा या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्रा, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालय, छतरपुर के उत्खनि पट्टों से सम्बंधित अभिलेखों के परीक्षण के दौरान हमने अवलोकित किया (अप्रैल 2013) कि पांच पट्टेदारों ने, आवेदन/माइनिंग प्लान में औसत वार्षिक उत्पादन के अनुसार निष्कासित किये जाने वाले खनिज की प्रत्याशित मात्रा 10190 घन मीटर दी थी। जबकि इन्हीं पट्टेदारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 151717 घन मीटर खनिज के प्रत्याशित वार्षिक उत्खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की थी। यद्यपि ये अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध थे, फिर भी जिला खनिज अधिकारी, उच्चतर मात्रा हेतु शुल्क व फीस की मांग करने में विफल रहे। पट्टेदारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त उत्पादन अनुमति के आधार पर आंकलित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.68 करोड़ के विरूद्ध ₹ 29.01 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार शासन मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में ₹ 1.39 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया जैसा कि **परिशिष्ट–17** में दर्शाया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त उत्पादन अनुमति के संदर्भ में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण हेतु प्रावधान के अभाव के कारण शासन राजस्व से ंचित हो गया।

हमने पूर्व में ही इस प्रतिवेदन के कंडिका क्र. 7.6.12.1 में इंगित किया है कि जिला खनिज कार्यालय सीधी तथा टीकमगढ़ में दो प्रकरणों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित मात्रा 85928 घन मीटर के विरूद्ध पट्टेदारों ने 151228 घन मीटर खनिजों का उत्पादन/निष्कासन किया। यह स्पष्ट था कि माइनिंग प्लान में पट्टेदार द्वारा मात्रा का निर्धारण वास्तविकता पर आधारित नहीं था और मात्रा के गलत निर्धारण की स्थिति में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व की हानि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हम अनुशंसा करते हैं कि पट्टेदार को वार्षिक उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करते समय खनिज संसाधन विभाग तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परस्पर हानि तथा पर्यावरण सम्बंधी चिंताओं पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके।

7.6.24.3 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

मध्य प्रदेश शासन के अनुदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति।

मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 जारी अनुदेशों के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु संविदा राशि की सम्पूर्ण राशि को प्रीमियम माना जायेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालयों छतरपुर एवं जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) को स्वीकृत पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों से पता चला कि मई 2010 तथा जनवरी 2012 के मध्य निगम ने तीन ठेकेदारों से ₹ 47.23 करोड़ में दो से 10 वर्षों के लिये अनुबंध किया। इस संविदा में, मुद्रांक शुल्क ₹ 2.90 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 2.18 करोड़ आरोपणीय एवं वसूलीयोग्य था। तथापि, म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के स्टाम्प पेपर संविदा निष्पादित की। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–18** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 5.08 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

7.6.25 अस्थायी अनुज्ञापत्रों को अनियमित रूप से जारी किया जाना

अनुज्ञापत्रों में दर्शाई गई खनिजों की मात्रा पर अग्रिम राज्यांश की वसूली न होने के परिणामस्वरूप राज्यांश की कम प्राप्ति।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के नियम 68 (i) के अनुसार, कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान से किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। आगे, ऐसी अनुमति अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों से गणना किए गए राज्यांश का अग्रिम भुगतान करने पर ही दी जायेगी।

हमने सात जिला खनिज कार्यालयों[24] में अनुज्ञापत्र धारकों की प्रकरण नस्तियों तथा चालानों से 60 अस्थायी अनुज्ञापत्रों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर 2012 तथा जून 2013 के मध्य) कि 17 ठेकेदारों को निर्माण कार्य (2011–12) के लिए 21 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। जिला खनिज अधिकारियों ने अनुज्ञापत्रों में दर्शायी गई खनिजों की

[24] अनूपपुर, छतरपुर (₹ 33.37 लाख), पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर तथा विदिशा (₹ 24.86 लाख)

मात्रा पर आरोपणीय अग्रिम शास्ति वसूल नहीं की थी। उपरोक्त ठेकेदारों ने ₹ 1.12 करोड़ के देय राज्यांश के विरूद्ध ₹ 54.25 लाख का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.23 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

7.6.26 पारगमन पत्र (ट्रांजिट पास) के उपयोग में अनियमितताएं

राजस्व के रिसाव/अपवंचन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निषेध) नियम, 2006 के नियम 3 (1) के अनुसार, पट्टेदार या कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी वैध पारगमन पत्र (ट्रांजिट पास) के बिना पट्टा क्षेत्र से खनिजों का परिवहन नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियमों के नियम 5 (iv) एवं 6 (3,4) के परन्तुक यह सुनिश्चित करता है कि पारगमन पत्र की मूल प्रति वाहन के चालक को एवं कार्बन प्रति पारगमन पत्र पुस्तिका में रखी जायेगी। पारगमन पत्र जारी करने वाला व्यक्ति उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। जांच चौकी पर पारगमन पत्र को प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय लिखने में चूक या पारगमन पत्र पर उपरिलेखन करने पर शास्ति आरोपित की जाती है। एक वाहन को प्रत्येक ट्रिप के लिए केवल एक पारगमन पत्र जारी किया जायेगा। खनिज जांच चौकी पर पारगमन में दी गई जानकारी, राजस्व के रिसाव/अपवंचन को रोकने के लिए, जांच चौकी पंजी में दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

पारगमन पत्र नियमानुसार उचित ढंग से संधारित नहीं किये गये थे।

पारगमन पत्रों से सम्बंधित अभिलेखों में निम्न अनियमितताएं पाई गई :

- जिला खनिज कार्यालय में नमूना जांच किये गये 250 पारगमन पत्रों में से, 51 पारगमन पत्रों मे दर्ज वाहन पंजीयन संख्या को मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक साइट से प्रति सत्यापित किये जाने पर वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत नहीं पाये गये ।
- जिला खनिज कार्यालय छतरपुर में नमूना जांच किये 100 पारगमन पत्रों में से पांच प्रकरणों में पारगमन पत्रों में उपरिलेखन पाया गया ।
- जिला खनिज कार्यालय शहडोल में नमूना जांच किये गये पारगमन पत्रों में से 50 प्रकरणों में पट्टेदार के नाम का उल्लेख पारगमन पत्र में नहीं किया गया था । तथापि विभागीय अधिकारियों ने इसके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की ।
- जिला खनिज कार्यालय अनूपपुर में नमूना जांच किये गये 350 पारगमन पत्रों में से 100 प्रकरणों में खनिज का मूल्य पारगमन पत्रों में उल्लिखित नहीं था ।
- जिला खनिज कार्यालय, अनूपपुर एवं शहडोल में नमूना जांच किये गये 350 पारगमन पत्रों में से 91 प्रकरणों में दिनांक तथा समय (91 प्रकरण), वाहन संख्या (09 प्रकरण) आदि का विवरण पारगमन पत्रों में उल्लिखित नहीं किया गया था ।

जिला खनिज अधिकारी द्वारा निर्धारण के समय परिवहित/हटाये गये खनिज की मात्रा की गणना के प्रयोजन हेतु पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत मूल प्रतियों तथा अन्य विवरणों की जांच की जानी अपेक्षित है। लेकिन जिला खनिज अधिकारी नियमों के अनुसार जांच करने में विफल रहे।

7.6.27 व्यापारिक खदान की पुनर्नीलामी हेतु कार्रवाई प्रारम्भ न करना

व्यापारिक खदान हेतु ठेका अनुबंध की शर्त क्र. 9 तथा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 37 के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को नियत दिनांक पर संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। यदि संविदा राशि या अन्य किसी बकाया का एक माह से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा खदान की पुनर्नीलामी की जायेगी। फलस्वरूप पुनर्नीलामी होने पर शासन को यदि कोई हानि होती है तो वह चूक कर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालय, बालाघाट में संविदा प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया (मई 2013) कि एक ठेकेदार द्वारा ब्याज सहित ₹ 2.25 लाख की किस्त का भुगतान न करने के कारण ठेका निरस्त किया गया था (जून 2012)। ठेका निरस्त करने के पश्चात, इसकी शेष अवधि के लिए पुनर्नीलामी की जानी चाहिए थी। तथापि, हमने अवलोकित किया कि न तो व्यापारिक खदान की शेष अवधि के लिए पुनर्नीलामी की गई और न ही जिला खनिज अधिकारी ने नियमानुसार किश्त की राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। शासन ₹ 5.76[25] लाख के राजस्व से वंचित हो गया।

7.6.28 लम्बित रासायनिक एवं मृदा (सेरेमिक) प्रयोगशाला नमूने

संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जबलपुर में रासायनिक विश्लेषण, मृदा (सेरेमिक) परीक्षणों एवं माल के अन्य प्रकार के विश्लेषण हेतु एक शासकीय प्रयोगशाला स्थापित की गई थी।

हमने पाया कि रासायनिक परीक्षणों, मृदा विश्लेषण आदि के लिए लंबित नमूनों की संख्या 1512 (2008–09) से असामान्य रूप से बढ़कर 2775 (2012–13) हो गई। लंबित रासायनिक विश्लेषण/परीक्षणों से राज्यांश निर्धारणों के निराकरण/निपटारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अन्ततः राजस्व वसूली में विलम्ब होता है।

[25] ₹ 3.51 लाख की तीन बकाया किस्तों के अतिरिक्त, निरस्तीकरण के दिनांक को वसूली योग्य राशि ₹ 2.25 लाख

राजस्व की वसूली में विलंब से बचने के लिए लंबित रासायनिक विश्लेषण/परीक्षण, समय पर किये जाने चाहिए।

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित खनिज संसाधन विभाग की समीक्षा में भी प्रणालीगत कमियों से सम्बंधित बिन्दुओं को इंगित किया गया था। यद्यपि इस प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की बैठकों में चर्चा की जा चुकी है फिर भी की गई अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है।

7.6.29 निष्कर्ष

खनन प्राप्तियों के आरोपण, निर्धारण तथा वसूली हेतु खनन विभाग द्वारा संस्थापित प्रणालियां अपर्याप्त थीं। पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा किया गया कार्य, पट्टाधारकों द्वारा मासिक, वार्षिक विवरणियों को प्रस्तुतीकरण, मांग एवं वसूली पंजी का संधारण, परिवहन अनुज्ञापत्रों को जारी तथा अभ्यर्पित किये जाने जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के परिवीक्षण के अभाव के फलस्वरूप प्रणाली राजस्व हानि को रोकने के लिए असुरक्षित थी। खनन देय राशियों के संग्रहण की प्रणाली कामचलाउ/तदर्थ थी तथा विभाग पट्टाधारकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ो को स्वीकार करता रहा है। विवरणियों की संवीक्षा न किये जाने तथा खतौनियों के अनुचित संधारण के कारण विवरिणयों में कमियों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई। निर्धारण काफी समय से लंबित थे, क्योंकि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी जो यथोचित आश्वासन प्रदान कर सके। विभाग द्वारा अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप खनन प्राप्तियों की बड़ी राशि की वसूली नहीं हुई।

7.6.30 अनुशंसाएं

शासन द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है :

- विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थापना करने तथा आरोपण एवं संग्रहण को सशक्त बनाने के लिए कार्योलयों की नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना;
- पूर्वेक्षण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारकों से प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए उपयुक्त अभिलेखों का संधारण निर्धारित करना;
- खतौनी के उचित संधारण के प्रभावी परिवीक्षण हेतु निर्धरित समयांतरालों पर उच्चतर प्राधिकारियों को इसके प्रस्तुतीकरण को निर्धारित करना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि खदानों का कार्य संचालन पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार है, प्रणाली निर्धारित करना;
- खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को पहुँचाई गई क्षति तथा क्षेत्र के सुधार पर की वसूली हेतु उपायों को लागू करना;

- शासकीय राजस्व की त्वरित प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु सड़क विकास कर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण के लिए प्रावधान निर्धारित करना; तथा
- एक ऐसी प्रणाली निर्धारित करना जिसमें पारगमन पत्रों में दिये गये विवरणों को पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों से प्रतिमाह प्रतिसत्यापित किया जा सके।

(डी. के. शेखर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक 5 मार्च, 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 14 मार्च 2014

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

अध्याय–2 : वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कण्डिकायें

इस रिपोर्ट की कंडिका क्रं.	कंडिका क्रं. एवं वर्ष जिनमें समान प्रवृत्ति की आपत्ति पाई गई
2.9	2.6 (2007–08), 2.5 (2008–09), 2.12 (2010–11)
2.10	2.8 (2007–08), 2.15 (2011–12)
2.11	2.19 (2009–10), 2.13 (2010–11)
2.12	2.13 (2007–08), 2.17 (2009–10), 2.15 (2010–11)
2.13	2.9 (2007–08), 2.8 (2008–09), 2.15 (2009–10), 2.11 (2010–11)
2.14	2.17 (2007–08), 2.18 (2008–09), 2.25 (2009–10), 2.19(2010–11)
2.15	2.14 (2007–08), 2.15 (2008–09), 2.17 (2011–12)
2.16	2.7 (2007–08), 2.7 (2008–09), 2.14 (2009–10), 2.16 (2010–11)

अध्याय–3 : राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कण्डिकायें

इस रिपोर्ट की कंडिका क्रं.	कंडिका क्रं. एवं वर्ष जिनमें समान प्रवृत्ति की आपत्ति पाई गई
3.10	3.5.14.4 (2011–12)

अध्याय–4 : वाहनोंपर कर विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कण्डिकायें

इस रिपोर्ट की कंडिका क्रं.	कंडिका क्रं. एवं वर्ष जिनमें समान प्रवृत्ति की आपत्ति पाई गई
4.8	4.2 (2007–08), 4.3.1 (2008–09), 4.7 (2009–10), 4.8 (2010–11)
4.9	4.4 (2007–08), 4.3.4 (2008–09), 4.9 (2009–10), 4.10 (2010–11)
4.11	4.9 (2011–12)
4.13	4.3 (2007–08), 4.3.2 (2008–09), 4.14 (2009–10), 4.13 (2010–11)

अध्याय–5 : भू–राजस्व विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कण्डिकायें

इस रिपोर्ट की कंडिका क्रं.	कंडिका क्रं. एवं वर्ष जिनमें समान प्रवृत्ति की आपत्ति पाई गई
5.7	5.2.26 (2009–10)
5.8	5.2.18 (2009–10)
5.9	5.7 (2011–12)
5.10	5.6 (2011–12)

अध्याय–6 : मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कण्डिकायें

इस रिपोर्ट की कंडिका क्रं.	कंडिका क्रं. एवं वर्ष जिनमें समान प्रवृत्ति की आपत्ति पाई गई
6.9	5.2.12 (2007–08), 5.8 (2008–09), 6.4.1 (2009–10)
6.11.1	5.4 (2006–07), 5.2.20 (2007–08), 5.7 (2008–09)
6.11.2	5.2.16 (2007–08)
6.12	5.2.13 (2007–08)

अध्याय–7 : खनन प्राप्तियां से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कण्डिकायें

इस रिपोर्ट की कंडिका क्रं.	कंडिका क्रं. एवं वर्ष जिनमें समान प्रवृत्ति की आपत्ति पाई गई
7.6	7.2 (2007–08)

परिशिष्ट–2

कंडिका क्रमांक 2.8.7.2 (वापसी प्रकरणों के निर्धारण में विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी, टिन	प्रकरण क्र., अवधि/ निर्धारण का माह	वापसी की राशि (₹)	लेखापरीक्षा का अभिमत	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	वाकअ– ।।।, ग्वालियर मै. एम.पी.एस. जादौन, ग्वालियर, 23825307888	2075/10(वैट), 2009–10, 20.03.2012	103210	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	व्यापारी के वापसी के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।	विभाग द्वारा वापसी के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
2	वाकअ– ।।।, ग्वालियर मै. एम.एम.कंस्ट्रक्शन, ग्वालियर, 23775307576	2013/10(वैट), 2009–10, 16.02.2012	95992	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	व्यापारी के वापसी के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।	विभाग द्वारा वापसी के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
3	वाकअ– ।।।, ग्वालियर मै. श्रीमान नारायण शर्मा, भिंड रोड, ग्वालियर, 23575304507	2258/10(वैट), 2009–10, 30.06.2012	25235	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	व्यापारी के वापसी के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।	विभाग द्वारा वापसी के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
4	वाकअ– ।।।, ग्वालियर मै. पवन कुमार बुढमल, गिरवाई नाका, ग्वालियर, 23985104876	60/10(वैट), 2009–10, 30.06.2012	371273	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	व्यापारी के वापसी के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।	विभाग द्वारा वापसी के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
5	वाकअ– ।।।, ग्वालियर मै. के. गुप्ता एण्ड कं., लश्कर, 23825307888	2262/10(वैट), 2009–10, 30.06.2012	72635	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	व्यापारी के वापसी के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।	विभाग द्वारा वापसी के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

1	2	3	4	5	6	7
6	वाकअ–X, इन्दौर मै. केएचके प्रेसिंग्स फ्रोजिंग प्रा.लि., 23741003654	257/10(वैट), 2009–10, 28.06.2012	996459	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
7	वाकअ–X, इन्दौर मै. ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी टेक्नो प्रोडक्ट्स प्रा.लि., 23591001748	231/10(प्रवेश कर) 2009–10 31.05.2012	34336	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
8	वाकअ–X, इन्दौर मै. सिनर्जी इण्डिया मार्केटिंग प्रा.लि., 23491002579	93/10(वैट), 2009–10, 25.06.2012	427215	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
9	वाकअ–X, इन्दौर मै. सिनर्जी इण्डिया मार्केटिंग प्रा.लि., 23491002579	94/10(वैट), 2009–10, 25.06.2012	16981			
10	वाकअ–X, इन्दौर मै. अमृत एजेन्सीज इन्दौर प्रा.लि., 23541000757	68/2009(वैट), 2008–09, 20.04.2011	67034	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
11	वाकअ–X, इन्दौर मै. अमृत एजेन्सीज इन्दौर प्रा.लि., 23541000757	210/10(वैट), 2009–10, 30.04.2012	67974			

1	2	3	4	5	6	7
12	वाकअ–X, इन्दौर मै. फारचुन मार्केटिंग प्रा.लि., 23601004022	99/2009(प्रवेश कर) 2008–09 19.05.2010	19607	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
13	वाकअ–X, इन्दौर मै. फारचुन मार्केटिंग प्रा.लि., 23601004022	267/2010(प्रवेश कर) 2008–09 19.05.2010	34663			
14	वाकअ–X, इन्दौर मै. गोविन्द स्टील एजेन्सी., 23961403464	338/2010(प्रवेश कर) 2009–10 23.05.2012	1285	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
15	वाकअ–X, इन्दौर मै. जी एस पी कॉर्प. साईंस प्रा.लि., 23521004357	192/2010(प्रवेश कर) 2009–10 26.06.2012	16466	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
16	वाकअ–X, इन्दौर मै. जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा. लि., यूनिट–2 23481004185	177/2010 (केन्द्रीय) 2009–10 27.06.2012	8336	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

1	2	3	4	5	6	7
17	वाकअ–X, इन्दौर मै. अडमानुम पैकेजिंग 23411001459	72/2010 (केन्द्रीय) 2009–10 30.06.2012	8792	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
18	वाकअ–X, इन्दौर मै. मैके पॉल्स 2318000373	जुलाई 10 (वैट रिमाण्डेड) 2005–06 30.11.2012	34572	व्यापारी के लिए वापसी के भुगतान के सम्बंध में व्यापारी की अद्यतन स्थिति	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्त में कोई सहायक आयुक्त पदस्थ नहीं होने के कारण, वैसे प्रकरण जो सहायक आयुक्त के मौद्रिक सीमा में आते हैं, वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकी । हालांकि ऐसे प्रकरणों की देख रेख के लिए सहायक आयुक्त को नियुक्त किया जा चुका है एवं सात दिनों में वापसी प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा ।	तथ्य वही है कि विभाग द्वारा समय पर वापसी सुनिश्चित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
19	स.आ. खण्डवा, मै. वी सी वियादी प्रोजेक्ट्स सनावद, खण्डवा 23962106520	मार्च 2012 2006–07 24/रिओपन/10 वैट	2133735	विभाग द्वारा 31.03.12 को प्रकरण वापसी के लिए निर्धारित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि विभाग ने पुनरीक्षित निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित भुगतान आदेश का जारी होना प्रस्तुत नहीं कर सका ।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण की जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।	

1	2	3	4	5	6	7
20	वाकअ, वृत्त– ।।, ग्वालियर मै. सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्वालियर 23205404647	जून 2012 2009–10 13/10 (वैट)	4642872	विभाग द्वारा 31.03.12 को वापसी के लिए प्रकरण को निर्धारित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि विभाग ने पुनरीक्षित निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित भुगतान आदेश का जारी होना प्रस्तुत नहीं किया	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण की जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।	
		कुल	**9178672**			

परिशिष्ट–3

कंडिका क्रमांक 2.8.7.5 (स्वीकृत सीमा से अधिक वापसी की अनियमित स्वीकृति)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी	अवधि/निर्धारण का दिनांक	वापसी की राशि (₹)	सक्षम प्राधिकारी जो वापसी स्वीकृत करने हेतु अधिकत था	वापसी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाकअ–XIII, इन्दौर मै. आर बारकेले एण्ड कं.23641303148, 1592/10(वैट)	2009–10 13.04.12	657502	उपायुक्त	वा.क.अ.	नि.प्र./हा.मा.–06/ 5.13	उत्तर नहीं	वाकअ ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
2	वाकअ–XIII, इन्दौर मै. गंगोत्री कंस्ट्रक्शन 23401302504, 3191/10–11 (केन्द्रीय)	2009–10 24.01.13	559755	उपायुक्त	वा.क.अ.	नि.प्र./हा.मा.–08/ 5.13		वाकअ ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
3	वाकअ–I, जबलपुर मै. जैन सन इंडस्ट्रीज, 0832,481/10, 09–10वैट	2009–10 01.06.12	138967	स.आ.	वा.क.अ.	हा.मा.–63/30.06.01 (सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा)		वाकअ ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
4	वाकअ–XI, इन्दौर मै. मान इण्डिया लि. 23471101336, 2001–2002, 110/2002	2001–02 12.01.04, 14.06.12	685274	उपायुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन (सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा)	–	स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
5	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, स.आ., धार मै. कृष्णा प्रोफाईल्स प्रा.लि., 23681604020, 2009–10, 137/10 वैट	2009–10 23.12.11	2437835	अति. आयुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन	–	स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
6	वाकअ–X, इन्दौर मै. मित्तल उद्योग, 2351404388, 73/09 (वैट) 2012–13	2008–09 31.05.11	1817340	अति. आयुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन	–	स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	वाकअ–X, इन्दौर मै. मित्तल उद्योग, 2351404388, 73/09 (प्रवेश) 2012–13	2008–09 31.05.11	1020480	अति. आयुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन	–	स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
8	वाकअ–X, इन्दौर मै. रमेश टेक्सटाईल्स इण्डिया प्रा .लि., 23700300524, 01/10–11 (वैट)	2010–11 18.04.11	551318	उपायुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
9	वाकअ–X, इन्दौर मै. रमेश टेक्सटाईल्स इण्डिया प्रा .लि., 23700300524, 01/10–11	2010–11 30.08.11	756372	उपायुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
10	वाकअ–X, इन्दौर मै. रमेश टेक्सटाईल्स इण्डिया प्रा .लि., 23700300524, 01/10–11	2010–11 30.08.11	641023	उपायुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
11	वाकअ–III, ग्वालियर मै. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., 23411001168, 98–99, 01/05	14.01.08	8998452	अति. आयुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
12	वाकअ–III, ग्वालियर मै. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., 23411001168, 01/05 (केन्द्रीय)	14.01.08	2505148	अति. आयुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
13	वाकअ–III, ग्वालियर मै.हाकिम सिंह बिल्डर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर्स, 23435304077, 08–09, 06/12 वैट	2008–09 25.02.11	1737838	अति. आयुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन (सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा)		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
14	वाकअ–III, ग्वालियर मै. एन एच के स्प्रिंग इण्डिया लि. 23685304085	23.09.08	708005	उपायुक्त	स.आ.	सूचना ज्ञापन		स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	वाकअ–III, ग्वालियर मै. भवानीप्रसाद शर्मा, माधवगंज, ग्वालियर 23045101804	2009–10	100151	स.आ.		हा.मा.–76/03.07.13		
16	वाकअ–III, ग्वालियर मै. सियाराम (कान्ट्रेक्टर) लश्कर, ग्वालियर 23305304003	2009–10	263008	स.आ.		हा.मा.–76/03.07.13		
17	वाकअ, हरदा मै. सैयदअली, 23914602018, 120/08–09	2008–09 02.06.11	219924	स.आ.	वाकअ	सूचना ज्ञापन		वाकअ ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
18	वाकअ, हरदा मै. गंगोत्री कंस्ट्रक्शन, 23054602685, 726/09–10	2009–10 25.05.12	109115	स.आ.	वाकअ	सूचना ज्ञापन		वाकअ ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
19	वाकअ, हरदा, मै. अमृतलाल जैन, ठेकेदार, 23684602193, 521/09–10	2009–10 11.06.12	206513	स.आ.	वाकअ	सूचना ज्ञापन		वाकअ ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
20	वाकअ–II, ग्वालियरमै. लखपत सिंह कॉन्ट्रेक्टर, ग्वालियर 23985203525, 203/08 वैट	2007–08 08.02.10, 26.04.12	805178	उपायुक्त	स.आ.	23/472–497, हा.मा.–07/20.06.13	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी	स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
21	वाकअ–II, ग्वालियर मै. ए.के. ट्रेडर्स, ग्वालियर 23115204343, 1291/10 वैट	2009–10 27.04.12, 01.07.12	736586 (487694+ . 248892)	उपायुक्त	स.आ.	23/445–451, हा.मा.–08/20.06.13	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी	स.आ. ने स्वयं वापसी स्वीकृत किया
			25655784					

परिशिष्ट–4

कंडिका क्रमांक 2.7.9.1 (कर की गलत दर लागू करना)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी	निर्धारण अवधि निर्धारण का माह	करयोग्य टर्नओवर(₹)	आरोपणीय कर की दर/आरोपित किया (%)	कम करारोपण की गईराशि (₹)	वापसी की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वाकअ,वृत्त– I, जबलपुर मै. बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन एण्ड एसोसिएट्स, सिद्ध नगर, जबलपुर2391580937 7 845/10वैट	2009–10 जून 2012	710025	12.5 5	53252 शास्ति 159756 213008	111441	₹ 7,10,025 की सीमेन्ट के विक्रय मूल्य पर 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया । अतः 7.5 प्रतिशत की अंतर दर पर कर ₹53,252 है । अत:₹2,13,008 की मांग आरोपणीय थ (कर ₹ 53,252 एवं शास्ति ₹ 1,59,756)	इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि रेत (बालू) एवं पत्थर सामग्री का भी सीमेन्ट के साथ उपयोग किया गया । इसके अलावा व्यापार खाते में ₹ 67,05,650 का एक बंद भण्डार था जिसमें कुछ ऐसी वस्तुयें शामिल है जो 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है	उत्तर तथ्य की सही व्याख्या नहीं करता चूंकि व्यापार खाता एवं क्रय सूची स्पष्ट रूप से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य सीमेन्ट के क्रय एवं खपत दर्शाता है तथा खपत के लिए प्रारंभिक स्टॉक की अपेक्षा अंतिम स्टॉकबहुत कम है ।
2	वाकअ,वृत्त– I, जबलपुर मै. जैन सन इण्डस्ट्रीज, बेदीनगर, जबलपुर 23755800832 481/10वैट	2009–10 जून 2012	8481355	12.5 5	636102 शास्ति 1908306 2544408	138967	मोटर पाट्र्स एवं स्पेअर पाट्र्स पर 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय 5 प्रतिशत की गलत दर से करारोपण किया । इसलिए कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 84,81,355 पर 7.5 प्रतिशत की अंतर दर से कर आरोपणीय था। ₹25,44,408 (कर ₹ 6,36,102 एवं शास्ति ₹19,08,306) की अतिरिक्त मांग को अनियत इस सीमा तक वापसी प्रदान करतीहै।	इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि प्रविष्ट क्र. II/II/71-Aके अनुपालन में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की इकाइयों में उपयोग किये जाने वाले मात्र 5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। राशि ₹ 74,69,209 का विक्रय रक्षा विभाग को किया गया।	जबाव तथ्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता। चूंकि विभाग ने ₹19,56,820 (8481355–7469209+944 674) के विक्रय के संबंध में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया एवं वैट अनुसूची में लेन–देन की अवधि में नामांकरण II/II/71-A की प्रविष्टि नहीं हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	वाकअ,वृत्त–।।।, ग्वालियरमै. डी.के. एसोसिएट्स, गांधीनगर, ग्वालियर 23845303609 906/10वैट	2009–10 जून 2012	2468955	5 4	24690	11404	निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 3,65,686 के विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर पर कर का आरोपण किया जबकि विवरणी के अनुसार विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य राशि ₹ 28,34,641 संगठित हुई। ₹ 24,68,955 (2834641–365686) के शेष विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। अतः ₹ 26,48,955 के विक्रय मूल्य पर एक प्रतिशत के (5–4) अंतर दर से कर आरोपणीय है।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी।	
4	वाकअ–XI इन्दौर, मै. हिमालया ड्रग कं., इन्दौर 23511104903, 322/10 (वैट)	2009–10 अप्रैल 2012	3011056	5 4	30111	(80090)	व्यवसाई स्टॉक स्थानांतरण एवं माल के विक्रय पर माल प्राप्त करने का व्यापार करताहै। निर्धारण आदेश में यह चर्चा की गई कि फर्म के समेकित लेखों को मंगलौर, कर्नाटक में इसके पंजीकृतकार्यालय में तैयार किये जातेहै। एवं अंकेक्षित किये जाते हैं। शाखा कार्यालय के लिये इन्दौर में केवल स्टॉक प्राप्ति रजिस्टर, वीजक विक्रय बिलों/रजिस्टरों को उल्लेखित किया जाता है। व्यापारी के द्वारा कोई भी व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रय प्रकरण में व्यापारी के कर का निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 5,66,47,382 पर चार प्रतिशत की दर से एवं कर योग्य ₹ 11,86,07,720 पर पांच प्रतिशत की दर से कर का आरोपण किया लेकिन स्टॉक विक्रय विवरणी एवं सामानों के प्राप्त स्टॉक में अन्य शाखाओं के लिये स्टॉक स्थानांतरण की कटौती देने के बाद चार प्रतिशत की दर से कर	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी।	

							आरोपणीय है। यह निष्कर्ष निकलता है कि समान माल का विक्रय मूल्य ₹ 5,36,36,326 था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30,11,056 (56647382–53636326) के विक्रय पर कर की चार प्रतिशत न्यूनतम दर लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30,11,056 के विक्रय पर एक प्रतिशत (5–4) की दर होने पर ₹ 30,111 के कर का कम आरोपण हुआ।		
5	श्री एच.एल. रामटेके, स.आ.वा.क., सतना, मै. जैनब्रदर्स, मैहर 23257100519, 25/11 (वैट)	2010–11 नवम्बर 2012	1593975	13 12.5	7970	11328	निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने राशि ₹ 1593975 के कर योग्य टर्नओवर पर 13 प्रतिशत की बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 7970 के कर का कम आरोपणहुआ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।	
	योग		**16265366**		**752125** **शास्ति** **2068062** **2820187**	**273140**			

परिशिष्ट–5

कंडिका क्रमांक 2.8.9.2 (करयोग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी	निर्धारण अवधि निर्धारण का माह	निर्धारित करयोग्य टर्नओवर (₹)	आरोपणीय कर की दर (%)	कम आरोपणीय राशि (₹)	वापसी की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वाकअ वृत्त देवास मै. सुरेश देवलिया कॉन्ट्रेक्टर प्रा.लि., देवास 23102304776, सीएस48802(वैट)	2010–11 मार्च 2013	676363 732726 1409089	5 12.5	33818 91591 125409	21418	निर्धारण प्राधिकारी ने टर्नओवर के ₹ 47,36,275 पर कर आरोपित किया जबकि लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 61,45,364 संगणित हुई। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 14,09,089 का कम निर्धारण एवं ₹ 1,25,409 का कम आरोपण हुआ ।	(1) इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने न्यायिक निर्णय को संदर्भित करते हुये ज्ञापन में निर्धारण को सही ठहराया एवं बताया कि अंत स्थलीय सामग्री परिवहन, फेब्रीकेशन कार्य श्रम प्रभार, मशीन भाड़ा प्रभार, वाहन खर्चो में सकल टर्नओवर से कटौती को सही तरीके से अनुमति दी गई।	(1) जबाव सही तरीके से तथ्य की व्याख्या नहीं करता । तात्कालिक प्रकरणों में श्रम, मजदूरी, टी.डी.एस. इत्यादि की छूट की पहले ही अनुमति दी गई।
2	वाकअ वृत्त देवास मै. मनीष अग्रवाल, देवास 23442303522, 409/10 (वैट)	2009–10 जून 2012	1811094 579196 2390290	5 12.5	90555 72399 162954	201847	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 1,19,51,456 पर कर का आरोपण किया जबकि लेखापरीक्षित लेखों में कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 1,43,41,746 संगणित हुई। जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की राशि ₹ 23,90,290 का कम निर्धारण हुआ इस कम निर्धारित टर्नओवर पर ₹ 1,62,954 के कर का कम आरोपण हुआ ।	(2) इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन के बाद कारवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	वाकअ वृत्त देवास मै. रजनीश अग्रवाल, देवास 23132304711, 436/10 (वैट)	2009–10 जून 2012	4141107 1774760 5915867	5 12.5	207055 221845 428900 ब्याज173276 602176	336237	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 17,14,123 पर कर का आरोपण किया । आंकलन के पहले कोई अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया यद्वपि यह नियमों के अंतर्गत आवश्यक था। कोई वापसियां भी व्यवसाई के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । टी. डी. एस. के कारण उठाई गई मांक के विरूद्ध राशि ₹ 7,64,333 को समायोजित किया गया। टी.डी.एस. के आधार पर जी.टी.ओ. ने राशि ₹ 3,82,16,650 संगणित की । जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 59,15,867 का कम निर्धारण हुआ, एवं ब्याज के साथ कर के ₹ 6,02,176 का कम आरोपण हुआ ।	(3) इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि शासकीय विभागों द्वारा व्यवसाई को प्रदान किये गये फाइल एवं टी.डी.एस. में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार टर्नओवर का निर्धारण किया गया।	(3) जबाव तथ्य के अनुरूप नहीं है चूंकि टर्नओवर, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा जॉच में पाया कि व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं विभाग द्वारा स्वीकार किया गया , टी.डी.एस. का 50 गुना है ।
4	वाकअ– I, जबलपुर मै. हर्ष एसोसिएट्स, जबलपुर 23845809270, 839/10(वैट)	2009–10 जून 2012	828893 1942397 2771290	12.5 4	103612 77696 181308	49011	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 27,29,916 पर कर का आरोपण किया । उप पट्टे के कार्य के कारण टर्नओवर में ₹ 23,95,324 की छूट दी गई परन्तु नियमों के अनुसार समान उद्देश्य के लिये आवश्यक फार्म 3 फाइल में उपलब्ध नहीं था। अतः अंकेक्षित लेखा के अनुसार सकल टर्नओवर राशि ₹ 55,01,206 संगठित की जिसके परिणामस्वरूप श्रम इत्यादित की छूट देने के बाद ₹ 27,71,290 का कम निर्धारण हुआ एवं राशि ₹ 1,81,308 के कर का कम आरोपण हुआ।	(4) इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि विचाराधीन अवधि के दौरान व्यवसाई ने नहर कार्य एवं मिट्टी कार्य किया एवं श्रम की छूट (टर्नओवर का 68 प्रतिशत) नियम के अनुसार दी ।	(4) जबाव तथ्य के अनुरूप नहीं है। चूंकि श्रम एवं श्रमकल्याण कर की राशि का लेखापरीक्षा लेखे एवं लेखों में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है एवं लेखापरीक्षा के द्वारा टर्नओवर को निर्धारित करते समय उसकी छूट पर पूर्व में ही विचार कर लिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	वाकअ– I, जबलपुर मै. अरोरा कंस्ट्रक्शन कं. जबलपुर 23175802606, 1011/10 (वैट)	2009–10 अप्रैल 2012	926904 272041 1198945	4 12.5	37076 34005 71081	34910	निर्धारण प्राधिकारी ने टर्नओवर के ₹ 26,19,283 पर कर का अरोपण किया जबकि अंकेक्षित लेखों के अनुसार टर्नओवर की राशि ₹ 38,18,228 संगणित हुई। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11,98,945 के टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ एवं उस पर ₹ 71,081 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि अंकेक्षित लेखों के अनुसार क्रय की गई सामग्री ₹ 20,02,493 की है । एवं माल भाड़ा एवं उस पर लाभ को जोड़ने के बाद टर्नओवर निर्धारित किया गया ।	जबाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित टर्नओवर अंकेक्षित लेखों की प्राप्तियों से श्रम एवं श्रमकल्याण कर की छूट अनुमति देने के बाद निकाला गया ।
6	वाकअ– III, ग्वालियर मै. उत्तम डेवलपर्स, लश्कर, ग्वालियर 23945104898, 66/10 (वैट)	2009–10 अप्रैल 2012	8665600	5	433280	158800	निर्धारण प्राधिकारी ने टर्नओवर के ₹ 2,34,58,11 पर कर का आरोपण किाय जबकि मैसर्स शेवर कन्सट्रक्शन के लिये भुगतान किये गये विदुमिन सड़क व्यय के कारण निर्धारित कर योग्य टर्नओवर में ₹ 86,65,600 की छुट दी गई। उप ठेकेदार ने न ही नियमों के अनुसार आवश्यक फार्म 3 प्रस्तुत किया और न ही शासन के लिये वाणिज्यिक कर के भुगतान का उत्तरदायित्व लेने के लिये अन्य तरीके से प्रमाणित किया । जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की राशि ₹ 86,65,600 का कम निर्धारण हुआ एवं राशि ₹ 4,33,280 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	वाकअ– ।।।, ग्वालियर मै. न्यू आर.के. कंस्ट्रक्शन, ग्वालियर 2369530694, 900/10 (वैट)	2009–10 मई 2012	130148 929816 818073 1878037	4 5 12.5	5206 46491 102259 153956	89069	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योगय टर्नओवर की राशि ₹ 98,41,240 को निर्धारित करने के बाद कर आरोपित किया । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत समेकित अंकेक्षित लेखों के अनुसार श्रम की मात्रा कुल प्राप्तियों का 28.55 प्रतिशत है । इसी प्रकार श्रम की छूट देने के पश्चात अर्थात् मध्य प्रदेश में किये गये कार्य की कुल प्राप्तियों का 28.55 प्रतिशत है । मध्य प्रदेश के कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 1,17,19,277 संगणित हुई । जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 18,78,037 का कम निर्धारण हुआ एवं राशि ₹ 1,53,956 के कर का कम आरोपण हुआ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा	
8	वाकअ, हरदा (2011.13) मै.एच.सी. विश्वासी, 2314602607,253/09; वैट	2008–09 अप्रैल 2011	1756997 596000 2352997	4 12.5	70280 74500 144780 शास्ति 434340 579120	215652	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 91,99,151 पर कर का आरोपण किया जबकि लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार कुल क्रय ₹ 81,68,103 थी उस पर 41.43 प्रतिशत लाभ जोड़ने के पश्चात व्यापारिक खातों के अनुसार लाभ प्रतिशत 41.43 था जिससे कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 1,15,52,148 संगठित हुई जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर ₹ 2,35,29,97 का कम निर्धारण हुआ जिससे ₹ 1,44,780 के कर एवं ₹ 4,34,340 की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	वाकअ, हरदा (2011.13) मै.अमृतलाल जैन, कान्ट्रेक्टर,हरदा 23684602193,521/10 (वैट)	2009–10 जून 2012	3230185 941988 4172173	4 12.5	129207 117748 246955 शास्ति 740865 987820	206513	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण के बाद कर योग्य टर्नओवर के ₹ 1,14,08,781 पर कर का आरोपण किया । निर्धारण आदेश के अनुसार गैर संगठित कार्य कुल प्राप्तियों का 35.11 प्रतिशत था । निर्धारण प्राधिकारी ने काम को 35.11 प्रतिशत की छूट ₹ 67,66,53,997 लेखा परीक्षित लेखों में अभिलेखित की गई । श्रम, व्यय एवं लाभ के लिये ₹ 1,20,68,982 की छूट प्रदान की । जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 41,72,173 नग कम निर्धारण हुआ । जिससे ₹ 2,46,955 के कर एवं ₹ 7,40,865 की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
10	वाकअ, हरदा (2011–13) मै. गोयल कन्स्ट्रक्शन, कान्ट्रेक्टर,हरदा 23274600818, 1030/10(वैट)	2009–10 जून 2012	212852 536101 748953	4 12.5	8187 59567 67754 ब्याज 27166 94920	32188	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 17,83,964 के कर का आरोपण किया । व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार प्राप्तियों से श्रम, श्रमकल्याण कर एवं व्ययों में कटौती की अनुमति देने के बाद कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 25,32,917 संगठित हुई। जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की राशि ₹ 7,48,953 का कम निर्धारण हुआ । जिससे उस पर राशि ₹ 94,920 के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
11	वाकअ, हरदा (2011–13) मै सैयदअली, कान्ट्रेक्टर,हरदा 23914602018, 120/09(वैट)	2008–09 जून 2011	5302060 2495087 7797147	4 12.5	212082 311886 523968	219924	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 1,89,56,050 पर कर का आरोपण किया जबकि लेखापरीक्षित व्यापार खाते के अनुसार कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 2,67,53,197 संगठित हुई जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 77,97,147 का कम निर्धारण हुआ जिस पर ₹ 5,23,968 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	वाकअ, हरदा, (2011–13) मै.एम.एच. सन्स, हरदा, 23094602760, 762/10(वैट)	2009–10 जून 2012	230357 230358 460715	5 12.5	11518 28795 40313	67984	निर्धारण प्राधिकारी ने श्रम प्रभार के कारण ₹ 60,68,435 के कटौती की अनुमति देने के बाद कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 234,76,778 पर कर का आरोपण किया । लेकिन लेखापरीक्षित लेखों में ₹ 56,07,720 के श्रम व्यय को दिखाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,60,715 के टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ एवं ₹ 40,313 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
13	वाकअ, हरदा, (2011–13), मै. ज्योति कन्स्ट्रक्सन कं. हरदा, 23154600884, 327/10(वैट)	2009–10 जून 2012	2709946 2196761 1382331 6289038	4 5 12.5	104229 104608 153592 362429	4066	निर्धारण प्राधिकारी ने पहले चरण में मृदा कार्य एवं श्रम कार्य के कारण एवं अगले चरण में श्रम प्रभार के कारण गैर प्रशमन कार्य के सकल टर्नओवर के 40 प्रतिशत के श्रम प्रभार के दुगुने ₹ 1,04,81,730 की कटौती की अनुमति देने के बाद कर योग्य टर्नओवर के ₹ 29,53,372 पर कर का आरोपण किया । इस तरीके से श्रम प्रभारों/श्रम कार्य के कारण दोगुनी कटौती की अनुमति दी गई । श्रम प्रभारों को व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों में उल्लेखित नहीं किया गया । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,04,81,730 के 40 प्रतिशत की कटौती करने बाद कर योग्य टर्नओवर के ₹ 62,89,038 का कम निर्धारण हुआ। फलस्वरूप ₹ 3,62,429 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	वाकअ–XIII, इन्दौर मै. आशीष इलेक्ट्रीकल्स, इन्दौर, 23781301713, सीएस0000000029535 (वैट)	2011–12 दिसम्बर 2012	731703 870832 2612497 4215032	1.5 13 5	10976 113208 130625 254809 शास्ति 764427 1019236	1080233	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 2,93,15,703 पर कर का आरोपण किया । व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार सकल टर्नओवर का ₹ 6,52,31,537 था (विक्रय लेखे ₹ 2,89,66,460+संविदा प्राप्तियां ₹ 3,55,33,369 +पुरानी कार का विक्रय ₹ 7,31,703) जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर के ₹ 42,15,032 का कम निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 2,54,809 के कर का एवं ₹ 7,64,427 की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
15	वाकअ–XIII, इन्दौर मै. आर बारकेले एण्ड कं. इन्दौर 23641303148, 1592/10 (वैट)	2009–10 अप्रैल 2012	1648128 3708080 5356208	4 12.5	65925 463510 529435	657502	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण करने के बाद कर योग्य टर्नओवर के ₹ 2,70,81,382 पर कर का आरोपण किया ।लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार सामग्री लागत ₹ 25,81,804 थी। इसमें, माल भाड़ा, उतार , चढ़ाव, परिवहन एवं ईधन खर्चे तथा लाभ को लेखापरीक्षित लेखेां के अनुसार जोड़ने पर यह ₹ 3,50,46,923 तक पहुंच जाता है । इमारती काष्ठ एवं विक्रय में वेट समायोजित करते हुये की छूट देने के बाद कर योग्य टर्नओवर राशि ₹ 3,24,37,500 संगणित हुई । जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 53,56,208 का कम निधीरण हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 5,29,435 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	वाकअ–XIII, इन्दौर मै. गंगोत्री कंस्ट्रक्शन, इन्दौर 23401302504,सीएस00 0000003191 (वैट)	2010–11 जनवरी 2013	474472 828792 1303264	5 12.5	23724 103599 127323	559755	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण करने के बाद कर योग्य टर्नओवर ₹ 2,32,09,078 पर कर का आरोपण जबकि व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 2,45,12,342 संगणित हुई, जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर के ₹ 1,30,32,264 का कम निर्धारण हुआ एवं जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 1,27,323 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
17	वाकअ–XI, इन्दौर मै. हिमालया ड्रग कं. इन्दौर 23511104903, 322/10 (वैट)	2009–10 अप्रैल 2012	2947562 7039968 9987530	5 12.5	147378 879996 1027374	80090	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण के बाद कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 2,17,21,44,126 पर कर का आरोपण किया । निर्धारण आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि फर्म के समेकित लेखों को फर्म के पंजीकृत कार्यालय के द्वारा मंगलौर, कर्नाटका में तैयार किये जाते है । शाखा कार्यालय के लिये भण्डार प्राप्ति रजिस्टर, बीजक विक्रय बिलों एवं रजिस्टरों को इंदौर लेजर में रखा जाता है । व्यवसाई के द्वारा प्रस्तुत की गई भण्डार प्राप्ति (अंतर्गमी) के सारांश के अनुसार सौन्दर्य प्रसाधन एवं दवाईयों के ₹ 23,56,57,269 की कुल प्राप्ति को दिखाया गया । कुल प्राप्तियों से अन्य शाखाओं को स्थानांतरित भण्डार, कर मुक्त विक्रयों एवं विक्रय वापसी की छूट लेने बाद कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 22,72,01,656 संगणित की गई । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 99,87,530 के टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 10,27,374 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	श्री प्रदीप दुबे, स.आ. इन्दौर मै. नेटको फार्मा लि. इन्दौर 23341300791, सीएस00000000791 (वैट)	2010–11 फरवरी 2013	117187856	5	5859393	9339	निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर के ₹ 17,35,80,600 पर कर का आरोपण किया । व्यवसाई के द्वारा न ही लेखापरीक्षित लेखें और न ही कोई अन्य व्यापार लेखा प्रस्तुत किया गया। व्यवसाई के प्रकरण में अवधिक वापसी एवं प्रवेश कर के निर्धारण आदेश के अनुसार समान अवधि के लिये दवाईयों के भण्डार स्थानांतरण पर कुल क्रय ₹ 31,06,03,060 था। वैट प्रकरणों के निर्धारण आदेश के अनुसार कुल विक्रय से कर मुक्त सामानों के लेखा, विक्रय विवरणी अन्य शाखाओं को स्थानांतरित भण्डार एवं विक्रय से संग्रहित वैट के कारण कटौती देने के बाद कर योगय टर्नओवर की राशि ₹ 29,07,68,456 संगणित हुई । जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 11,71,87,856 का कम निर्धारण हुआ और जिसके फलस्वरूप 5 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 58,59,393 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	श्री प्रदीप दुबे, स.आ., इन्दौर मै. गगन डंकराले एण्ड कं.लि., इन्दौर 23810901911, 44/09 (वैट)	2008–09 जून 2012	26764978 1408683 28173661	4 12.5	1070599 176055 1246684 ब्याज 729310 1975994	724062	व्यवसाई की ओर से उप ठेकेदार द्वारा किये गये काम के कारण निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरण का पुर्ननिर्धारण करते हुये 30.06.2012 को ₹ 4,69,56,102 के कटौती की अनुमति दी। नियमों के अनुसार/कर के भुगतान का उत्तरदायित्व उप ठेकेदार द्वारा लये जाने पर सबूत के रूप में आवश्यक फार्म–3 नहीं था। वापसी स्वीकृत प्राधिकारी के द्वारा भी फाईल में फार्म–3 की अनुपलब्धता को इंगित किया गया जिससे अनियमित कटौती प्रदान की गई । जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर ₹ 2,81,73,661 (राशि ₹ 4,69,56,102 का 60 प्रतिशत) का कम निर्धारण हुआ । फलस्वरूप राशि ₹ 12,46,684 के कर एवं ₹ 7,29,310 के ब्याज का कम आरोपण हुआ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
20	श्री एच एल रामटेके, स.आ. संभाग सतना मै. ए.के. कंस्ट्रक्शन, सतना 23637004075, 44/09 (वैट)	2009–10 जून 2012	515401 907915 424775 1848091	4 5 12.5	20616 45395 53097 119108	409161 (टर्नओवर की राशि थिम कंडिका टीडीएस में शामिल कर दी गई है ।	निर्धारण प्राधिकारी ने विभिन्न दरों पर कर योगय टर्नओवर के ₹ 1,85,64,842 पर कर का आरोपण किया । जबकि लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार कर योगय टर्नओवर की राशि ₹ 2,04,12,933 संगणित हुई। जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की राशि ₹ 18,48,091 का कम निर्धारण हुआ एवं जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 1,19,108 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	श्री एच एल रामटेके स.आ. संभाग सतना मै.के.डी. सिंह, कॉन्ट्रेक्टर, रीवा 23646905965, 64/10 (वैट)	2009–10 20.6.11 (यूआरडी) एवं 12.6.12 (आरडी)	757152 6165381 3893925 10816458	4 5 12.5	30286 308269 486741 825296	451804	व्यवसाई का दो चरणों में कर निर्धारण किया गया एक प्राधिकारी द्वारा यू.आर.डी. अवधि के लिये और दूसरेप्राधिकारी द्वारा पंजीयक अवधि के लिये । प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई कुल कर योग्य टर्नओवर जब दोनेां को एक साथ जोड़ा गया एवं व्यवसाई के द्वारा प्रस्तुत की गई वापसियों तथा व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों की अपेक्षा ₹ 1,08,16,458 तक कम थी । जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की रशि ₹ 1,08,10,459 का कम निर्धारण हुआ एवं राशि ₹ 8,25,296 के कर का कम आरोपण हुआ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात कार्रवाई करने का कहा।	
22	वाकअ– ।।, ग्वालियर मै. मनीष गोयल 23775207666 146/11	2010–11 / अगस्त 2012/ जून 2013	643665	13	83676 शास्ति 251028 334704	438795	प्रकरण की जॉच में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने सीमेंट के करी योग्य टर्नओवर की राशि ₹ 53,29,620 पर 13 प्रतिशत की दर पर कर का आरोपण किया । व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों में प्रारम्भिक शेष एवं अंत शेष का उल्लेख नहीं दिया गया सीमेंट की विक्रय सूची के अनुसार व्यवसाई ने कर रहित ₹ 59,14,770 की सीमेंट क्रय की एवं प्रकिया में उपयोग किया । जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की राशि ₹ 5,85,150 (₹ 59,14,770–₹ 53,29,620) का कम निर्धारण हुआ । 10 प्रतिशत के लाभ को जोड़ने के बाद टर्नओवर की राशि ₹ 6,43,665 का कम निर्धारण संगणित हुआ इसके परिणामस्वरूप निष्कर्षत ऊपर उल्लेखित कम निर्धारित टर्नओवर पर 13 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 83,676 के कर का एवं उस पर ₹ 2,51,028 की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि लेखापरीक्षा को नियमानुसार कार्रवाई कर सूचित किया जायेगा।	
		योग	**225581906**		**13016185** **शास्ति 2190660** **ब्याज 929752** **16136597**	**5639199**			

परिशिष्ट–6

कंडिका क्रमांक 2.8.9.3 (प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी	निर्धारण अवधि निर्धारण का माह	वापसी की राशि (₹) वैट/प्रवेश/केन्द्रीय प्रकरण में	करयोग्य टर्नओवर (₹)	कर की दर (%)/अंतर दर(%)	कर के अनारोपण/ कम आरोपण की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाकअ,वृत्त– I, जबलपुर मै. पंचम ट्रेडिंग, जबलपुर 23595808971, 161/10प्रवेश	2009–10 मई 2012	6,950 प्रवेश कर प्रकरण वापसी	4576192	1	45762 शास्ति 137286 183048	शीतल पेय के क्रय पर गलत तरीके से दो प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का आरोपण किया गया ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
2	वाकअ, हरदा (2011–13) मै. एम.एच. संस, हरदा 23094602760, 762/10प्रवेश	2009–10 जून 2012	67,984 वैटप्रकरण (समायोजन)	146466	1.5	ब्याज 38442	लौह स्टील, रेत, सीमेंट इत्यादि के लिये ₹ 1,46,466 के कर का प्रकरण निर्धारित किया गया एवं ₹ 20,877 के ब्याज का आरोपण किया गया । जबकि राशि ₹ 1,46,466 पर 27 महीने की अवधि के लिये 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज की राशि संगणित हुई । जिसके परिणामस्वरूप राशि₹ 38,442 के कर का कम आरोपण एवं राज्य प्रकरण में वापसी के विरूद्ध कम समायोजन हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
3	श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव, स.आ, धार मै.यूनीकेमलेबोरेटीज लिमि. 23981604340,128/10 (प्रवेश कर)	2008–09 जून 2012	29,660 प्रवेशकर प्रकरण वापसी	9237984	1	92380	निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरण को निर्धारित करते समय श्रम प्रभारों के कारण ₹ 92,37,984 की छूट की अनुमति दी। सामानों को प्राप्त/ क्रय करते समय श्रम प्रभारों में किया गया व्यय क्रय कीमत का एक हिस्सा है । व्यवसाई के लेखापरीक्षित लेखों के तथ्य की पुष्टि करते है । यह अनियमित छूट प्रदान करता है एवं जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 92,380 के कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	श्रीमतिसीमापान्डेय, स. आ., वृत–3 भोपाल मै . टेक्नोकोन, भोपाल, 23113803178, 414/10 प्रवेशकर	2009–10 जून 2012	1,05,208 (वैट समायोजनप्रकरण 19,369)	2007211	2	40144 शास्ति140504 180648	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुये ₹ 20,07,211 के लोहा एवं इस्पात जो मंडीदीप की एक उत्पादन इकाई जिसे कर प्रदत्त मानते हुये से क्रय किये गये, कटौती की अनुमति दी । क्रय सूची एवं क्रय बिलों की जांच में पता चला कि लोहाएवं स्टील के क्रय का कर भुगतान नहीं किया गया । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 40,144 के प्रवेशकर एवं ₹1,40,505 की शस्ति का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारणप्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
5	डा. आर.के. गुप्ता, उपायुक्त संभाग , सतना मै. कमल स्पंज स्टील एण्ड पावर लिमि., सतना, 23697002889, 7/10 (प्रवेश कर)	2009–10 अप्रैल 2012	1,28,343 केन्द्रीय प्रकरण में	18368127 28373153	1 1	183681 283732 467413 ब्याज168269 635682	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देतेहुये ₹1,83,68,127 के फरनेस ऑइल के क्रय पर कर का आरोपण नहीं किया जो अनुसूची III की वस्तु है । जो कि अन्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1,83,681 के कर का अनारोपण हुआ। आगे राशि ₹12,11,65,854 के कोयला, स्नेहक एवं लोहे के अंतर्राज्यीय क्रय पर आरोपण नहीं हुआ। इस पर दो प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। लेकिन इस क्रय में से केवल ₹ 9,27,901 पर दो प्रतिशत की दर से कर का आरोपण किया गया एवं शेष क्रय के ₹ 2,83,73,153 पर एक प्रतिशत की दर से कर का आरोपण हुआ जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2,83,732 के कर का कम आरोपण हुआ । कुल राशि ₹ 4,67,413 के कर का एवं उस पर ₹ 1,68,269 के ब्याज का अनारोपण एवं कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
6	श्री एच एल राम टे के, स.आ. सतना संभाग मै. ए के कंस्ट्रक्शन, सतना 23637004075, 103/10 प्रवेश कर	2009–10 जून 2012	4,09,161 वैट प्रकरण (प्रवेश कर प्रकरण में समयोजन राशि ₹ 1,57,326)	2632217 (लोहा एवं टॉवर सामग्री)	1(2–1)	26322 शास्ति92127 118449	निर्धारण प्राधिकारी ने लोहा एवं स्टील एवं दूर संचार टावर सामग्री के यू.आर.डी. क्रय पर प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक दो प्रतिशत की दर के बजाय गलत तरीके से एक प्रतिशत की दर से कर का आरोपण किया जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 26,322 के कर का कम आरोपण हुआ । व्यवसाई ने वापसियों एवं एक प्रतिशत की दर से क्रय पर कर को जमा किया अतः राशि ₹ 92,127 की शास्ति भी आरोपणीय है ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	वाकअ, सागर मै. साहिब कास्टिंग वर्क्स 23587502548, सीएस–18844 प्रवेश कर	2010.11 फरवरी 2013/ जून 2013	10,108 प्रवेश कर	3052811	2/1	30528 शास्ति91584 122112	निर्धारण प्राधिकारी ने लोहा एवं स्टील के आयात पर अधिनियम के प्रवेश क्र. II/3 के अनुपालन में दो प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत की दर से कर का आरोपण किया । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 30,528 के कर एवं उस पर ₹ 91,584 की शास्ति का कम आरोपण हुआ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
8	वाकअ– ।।, ग्वालियर मै. सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. 2320504647, 14/10 प्रवेश कर	2009–10/ जून 2012/ जून 2013	46,42,872 (वैट)/(प्रवेश कर प्रकरण में ₹ 6,09,896 के समायोजन के पश्चात)	(1) (i)1545668 (ii) 114084716 (2) 9093198	10/निरंक 1/निरंक 2/निरंक	154567 1140847 1295414 शास्ति 3886242 5181656 181864	(1) कुल करयोग्य टर्नओवर ₹ 21,38,55,064 है, निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय घोषणा पत्र फार्म 49 एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों के अनुसार कुल करयोग्य टर्नओवर ₹ 9,82,24,680 पर कर का आरोपण किया । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,56,30,384 (₹ 21,38,55,064 – ₹ 9,82,24,680) के क्रय पर कर का अनोरापण हुआ साथ–ही इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 12,95,414 के कर एवं उस पर ₹ 38,86,242 की शास्ति का कम आरोपण हुआ। चूंकि यह एक मोबाईल क्रेन है एवं मै. गुरु मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर के प्रकरण में सीसीटी एम.पी. आदेश क्र. 24/08/70/XI दिनांक 22.01.2009, न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 15,45,566 पर कर सहित 10 प्रतिशत की दर से एवं ₹ 11,40,84,716 पर एक प्रतिशत की दर से कर का आरोपण प्रस्तावित है । (2) आगे, निर्धारण प्राधिकारी नेअंतर्राज्यीय विक्रय–क्रयमूल्य होने के कारण ₹ 90,93,198 के कटौती की अनुमति दी । विक्रय सूची के अनुसार विक्रय टर्नओवर आयरन एवं स्क्रेप का था । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90,93,198 पर दो प्रतिशत की दर से राशि ₹ 1,81,864 के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	वाकअ,सागर मै. मनाली कंस्ट्रक्शन 23467504554, 255/10 प्रवेश कर	2009–10/ अप्रैल 2012 / जून 2013	1,91,135 (वैट)/(प्रवेश कर प्रकरण में ₹ 33,475 के समायोजन के पश्चात)	342347	1/निरंक	3423 शास्ति 10269 13692	पुनर्निर्धारण पर निर्धारण प्राधिकारी ने विटुमिन ₹ 3,42,347 की क्रय कीमत पर कर आरोपित किया जो क्रय सूची में शामिल नहीं किया गया चूंकि राज्य प्रकरण के निर्धारणआदेश में इसकी चर्चा की गई । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 3,42,347 पर एक प्रतिशत दर से ₹ 3,424 के कर एवं ₹ 10,272 की शास्ति का अनारोपण हुआ ।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
		कुल	**46718**	**193460140**		**2183250** शास्ति **4358013** **ब्याज 206711** **6747974**		

टीप : यह प्रवेश कर प्रकरण में ₹46,718 की वापसी, राज्य प्रकरण में ₹ 53,48,376 की वापसी एवंकेन्द्रीय विक्रय कर प्रकरण में ₹ 12,84,343 की वापसी प्रदान करता है जिसमें ₹ 4,85,386 [₹1,05,208 वैट (वाकअ–।।। भोपाल), ₹ 1,28,343 केन्द्रीय विक्रय कर (उपायुक्त, सतना), ₹ 2,51,835 वैट (स.आ. संभाग सतना)]के प्रवेश कर प्रकरण की निर्धारित मांग को प्रश्नाधीन समायोजित किया गया है ।

परिशिष्ट –7

कंडिका क्रमांक 2.8.9.4 (अमान्य आयकर विवरणी की अनुमति)

स. क्र	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसाई/ टिन/प्रकरण क्र	निर्धारण की अवधि/ निर्धारण का महीना	आक्षेपित आगत कर छूट की राशि (₹)	वापसी की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, सहा.आ. धार, मैसर्स रमेश चन्द्र सूरजमल, बदनावर,धार 23971600805, 16/10(वैट)	2009–10 जून 2012	40651	55891	निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 4007042 के कर एवं शास्ति के लिये व्यापारी को निर्धारित किया। सोयाबीन के क्रय एवं ₹ 40651 के पैकिंग मटेरियल के क्रय के विरूद्ध अनुमत आगत कर छूट के विरूद्ध प्राप्त ₹ 4022282 के स्त्रोत पर कर कटौती को समायोजित करने के बाद गलत तरीके से ₹ 55891 की वापसी की अनुमति दी। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 40651 के आगत कर छूट की अनियमित वापसी।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।
2.	वा.क.अ.–भिण्ड, मैसर्स कैलाश अग्रवाल , भिण्ड 23684802207, 108/07(वैट)	2006–7 जून 2009	63234	63234	व्यवसाई को ₹ 166423 की कर आगत छूट प्रदान की गई एवं ₹ 38147 के स्त्रोत पर कर कटौती को प्रस्तुत किया। इन दोनों का कुल योग ₹ 204570 को निर्धारित कर ₹ 103189 के विरूद्ध समायोजित किया गया। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारित कर को समायोजित किया एवं गलत तरीके से ₹ 38147 की वापसी का आदेश देने एवं ₹ 63234 की आयकर विवरणी की अधिकता को अग्रेषित करने की बजाय ₹ 101381 की वापसी का आदेश दिया। जिसके परिणामस्वरूप आयकर विवरणी राशि ₹ 63234 की अनियमित वापसी हुई।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।

1	2	3	4	5	6	7
	वा.क.अ.–-II ग्वालियर मैसर्स एम.वेकटराव इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि 23495208111 136/10(वैट)	2009–10 मई 2012	321980	2011065	दावा किये गये आयकर विवरणी राशि के सत्यापन के लिये 05.06.2012 को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा 2009–10 की अवधि के लिये वापसी प्रकरण को निर्धारण प्राधिकारी के लिये प्रत्यार्पित किया गया। फाइल में आयकर विवरणी के सत्यापन के लिये कोई सबूत नहीं था। हालांकि उपर्युक्त निर्देश के अगले ही दिन निर्धारण प्राधिकारी ने राशि ₹ 2011065 की वापसी से ₹ 366822 के प्रवेश कर प्रकरणों में समायोजन के बाद ₹ 1644243 के लिये 06.06.2012 को पुनरीक्षित भुगतान आदेश को जारी किया।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चातकार्रवाई की जायेगी।
4	वा.क.अ.–-II ग्वालियर, मैसर्स सेंचुरी कन्सट्रक्शन 23415208252 804/11(वैट)	2010–11 जून 2012	40761	146705	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय क्रेता एवं उस पर देय कर के सत्यापन के बिना आगत कर छूट की अनुमति दी। जिसके परिणामस्वरूप क्रय सूची के अनुसार आयात का कोई लेन–देन नहीं हुआ। ₹ 1014679 के क्रय पर ₹ 40761 के आगत कर छूट की अनियमित अनुमति दी गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40761 की आगत कर छूट एवं उस पर ₹ 422283 की शास्ति की अनियमित स्वीकृति प्रदान की।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।
	योग		**466626**	**2276945**		

परिशिष्ट–8

कंडिका क्र. 2.8.9.6 (अनियमित "कर स्रोतो पर कटौती" का समायोजन)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम,व्यवसाई, टिन,प्रकरण क्र.	अवधि/निर्धारण का महीना	अनियमित घोषणा पर अनुदान की कटौती (₹)	कम वसूली की राशि	वापसी की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री एच. एल. रामटेके, स. आ., संभाग, सतना, मै. ए.के. कन्सट्रकश्न, सतना, 23637004075, 103/10(वैट)	2009–10 जून 2012	251849	251849	409161	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय राशि ₹ 2,51,849 को तीन अनियमित स्त्रोत पर कर कटौती के समायोजन की अनुमति दी । तीन स्त्रोत पर कर कटौती में से दो स्त्रोत पर कर कटौती की राशि ₹ 2,51,849 को शासकीय कोषायल में जमा करने का विवरण नहीं था जबकि तीसरे स्त्रोत पर कर कटौती का संबंध पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेन–देन से था।	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
2	श्री ओ.पी.वर्मा,स.आ. वृत्त–पांच, भोपाल, मै. जूम कम्प्यूटर सिस्टम,भोपाल 23934008658, 982/11(वैट)	2010–11 जनवरी 2013	–	19090	33458	निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय राशि ₹ 19,090 को स्त्रोत पर कटौती के समयोजन की अनुमति उस वित्तीय वर्ष के लिए दिया जो उस वित्तीय वर्ष के स्त्रोत पर कर कटौती से सम्बंधित नहीं था ।	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
3	वाकअ, सागर मै. आनंद एग्रो, सागर 23307502508 रेमन्ड, 3/10(वैट)	2007–08 अप्रैल 2012	17229	2481	2245	निर्धारण प्राधिकारी ने विगत वर्ष के लेन–देनों के लिये जारी किये स्त्रोत पर कर कटौती के समयोजन की अनुमति दी । जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित कर के विरूद्ध ₹ 2,481 की अनियमित कटौती की अनुमति दी ।	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
4	वाकअ, सागर मै. स्मृति ट्रेडर्स, सागर, 23557402315 23957/(वैट)	2010–11 जनवरी 2013	232611	232611	5793	निर्धारण प्राधिकारी ने एक माह से ज्यादा के लेन–देन के लिये जारी किये स्त्रोत पर कर कटौती के समायोजन की अनुमति दी । जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित कर के विरूद्ध राशि ₹ 2,32,611 की अनियमित स्त्रोत पर कर कटौती का समायोजन किया ।	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8
5	वाकअ–II, ग्वालियर मै. ए.एन.एस. कंस्ट्रक्शन 23285205365 57/10 (वैट)	2009–10 अगस्त 2011	1649381	1649381	1647381	शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती के जमा के सत्यापन के लिये सक्षम प्राधिकारी ने 5.11.11 को वापसी प्रकरण को निर्धारण प्राधिकारी के लिये प्रत्यार्पित किया। शासकीय कोषालय में, स्त्रोत पर कर कटौती के जमा का कोई भी साक्ष्य फाइलों में नहीं पाया गया । हालांकि निर्धारण प्राधिकारी ने 8.11.11 को ऊपर उल्लेखित निर्देश के अनुसार राशि ₹ 16,47,381 से ₹ 2,000 के प्रविष्टि कर में मांग को समयोजित करने के बाद ₹ 16,45,381 के लिये 8.11.11 को पुनरीक्षित भुगतान आदेश जारी किया । आगे निर्धारण प्राधिकारी ने कार्यपालन यंत्री, हरसी सिंचाई डिवीजन, डबरा को 21.11.11 को अर्थात उस दिनांक को जब पुनरीक्षित भुगतान आदेश जारी किया गया, शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती की राशि के जमा के विवरण के लिये एक पत्र लिखा । वापसी फाइल के अनुसार स्त्रोत पर कर कटौती को सत्यापित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया । जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ एवं वापसी का अनियमित भुगतान हुआ क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी जॉच नहीं की गई	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
6	वाकअ–II, ग्वालियर मै. वेंकटराव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., 23495208111 136/10 (वैट)	2009–10 मई 2012	3799732	3799732	2011065	शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती की राशि को जमा सत्यापन के लिये 05.06.12 को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा 2009–10 की अवधि के वापसी प्रकरण को निर्धारण प्राधिकारी को प्रत्यार्पित किया। शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती के जमा का कोई भी साक्ष्य फाइलों में नहीं पाया गया । हालांकि निर्धारण प्राधिकारी ने, उपर्युक्त निर्देश के अगले ही दिन राशि ₹ 20,11,065 की वापसी से ₹ 3,66,822 के प्रविष्टि कर प्रकरणों में मांग को समायोजित करने के बाद ₹ 16,44,243 के लिये 06.06.12 के पुनरीक्षित भुगतान आदेश को जारी किया आगे निर्धारण प्राधिकारी ने 13.06.12 को या वह दिनांक जिसमें पुनरीक्षित भुगतान आदेश जारी किया गया । शासकीय कोषालय में जमा राशि के विवरण के लिये एक पत्र परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को लिखा । वापसी फाईल के अनुसार स्त्रोत पर कर कटौती के सत्यापित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ एवं वापसी का अनियमित भुगतान हुआ क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी जॉच नहीं की गई ।	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8
7	वाकअ–II,ग्वालियर मै. वेंकटराव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., 23495208111 231/11 (वैट)	2010–11 मई 2012	182039	182039	1788039	शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती की राशि जमा के सत्यापन के लिये 05.06.12 को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा 2010–11 की अवधि के वापसी प्रकरण को निर्धारण प्राधिकारी के लिये प्रत्यार्पित किया गया । शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती राशि के जमा का कोई साक्ष्य फाईल मे नहीं पाया गया । हालांकि निर्धारण प्राधिकारी ने अगले दिन उपर्युक्त निर्देश के लिये वापसी राशि ₹ 17,90,039 से ₹ 2,000 को प्रविष्टि कर प्रकरणों में मांग को समायोजित करने के बाद ₹ 17,88,039 के लिये 06.06.12 के पुनरीक्षित भुगतान आदेश जारी किया आगे निर्धारण प्राधिकारी ने 13.06.12 को अर्थात वह दिनांक जब पुनरीक्षित भुगतान आदेश जारी किया गया, शासकीय कोषालय में स्त्रोत पर कर कटौती की राशि के जमाओं के विवरण के लिये परियोजना अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर के लिय एक पत्र लिखा । वापसी फाइल के अनुसार स्त्रोत पर कर कटौती को सत्यापित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को अनुपालन नहीं किया गया, एवं वापसी का अनियमित भुगतान हुआ क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इसकी जॉच नहीं की गई ।	इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।
	योग		**6151931**	**6137183**	**5899142**		

परिशिष्ट–9

कंडिका क्रमांक 2.8.9.7 (शास्ति का अनारोपण)

(अ)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसाई/टिन	निर्धारण की अवधि/ निर्धारण का महीना	धारा–21 के अंतर्गत निर्धारण के बाद वापसी राशि (₹)	आगत कर की छूट/स्त्रोत पर कर कटौती राशि की अनुमति न देना (₹)	अनारोपित शास्ति की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वा.क.अ. –II ग्वालियर मै. लखपति सिंह, कांन्ट्रेक्टर्स 23985203525 203/08 (वैट)	2007–08 फरवरी–2010 एवं अप्रैल–2012 धारा–21	805178	352585 (आगत कर छूट)	1057755	सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारण प्राधिकारी को आयकर विवरणी के प्रकरण की जांच एवं उसकी पुनः समीक्षा का आदेश दिया । निर्धारण प्राधिकारी ने आवश्यक जांच निष्पादित करने के बाद ₹ 352585 की आयकर विवरणी के एक भाग को स्वीकार करने से मना कर दिया । प्रारंभ में व्यापारी के द्वारा यह दावा किया गया। अधिनियम की धारा–21 के प्रावधान के अंतर्गत सबूतों के द्वारा अयकर विवरणी के दावे को मना कर दिया एवं व्यवसाई को शास्ति के लिये उत्तरदायी ठहराया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1057755 की शास्ति का आरोपण एवं उसी सीमा तक मांग का कम निर्धारण हुआ । इससे प्रकरण में ₹ 805178 की वापसी की अनियमितता हुई।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।
2	वा.क.अ. –II ग्वालियर मै.नरेश कटारे कान्ट्रेक्टर्स 23285207305 130/08(वैट)	2007–08 जुलाई–2010 एवं जून 2012 (धारा–21) जून–2013	492367	106354 (आगत कर छूट) 1532 (स्रोत पर कर कटौती)	323658	सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारण को आगत कर छूट/स्त्रोत पर कर कटौती के प्रकरण की जांच एवं उसकी पुनः समीक्षा का आदेश दिया। निर्धारण प्राधिकारी ने आवश्यक जांच को निष्पादित करने के बाद आगत कर छूट/स्त्रोत पर कर कटौती ₹ 107886 के एक भाग को स्वीकार करने से मना कर दिया जिसका प्रारंभ में व्यापारी के द्वारा दावा किया गया। अधिनियम की धारा–21 के प्रावधान के अंतर्गत सबूतों के द्वारा आयकर विवरणी के दावे को इंकार कर दिया गया एवं व्यापारी को शास्ति का कम अनारोपण एवं उसी सीमा तक मांग का कम निर्धारण हुआ। जिससे ₹ 492367 की वापसी की प्रकरण में अनियमितता हुई।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
3	वा.क.अ. –II ग्वालियर मै.सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड 2320504647 13/10 (वैट)	2009–10/जून एवं अगस्त 2012 (धारा–21) जून–2013	4642872	1775682 (आगत कर छूट)	5327046	सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारण प्राधिकारी को आयकर विवरणी के प्रकरण की जांच एवं उसकी पुनः समीक्षा के आदेश दिये। निर्धारण प्राधिकारी ने आवश्यक जांच को निष्पादित करने के बाद आयकर विवरणी के ₹ 1775682 के एक भाग को स्वीकार करने से मना कर दिया। जिसका प्रारंभ में व्यापारी के द्वारा दावा किया गया। अधिनियम की धारा–21 के प्रावधान के अंतर्गत सबूतों के द्वारा आयकर विवरणी के दावे को मना कर दिया गया एवं व्यापारी को शास्ति के लिये उत्तरदायी ठहराया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5327046 की शास्ति का अनारोपण एवं उसी सीमा तक मांग का कम निर्धारण। इससे ₹ 4642872 की वापसी की प्रकरण में अनियमितता हुई।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।
	कुल(अ)		**5940417**	**2234621** **(आगत कर छूट)** **1532** **(स्रोत पर कर कटौती)**	**6708459**		

(ब)

स. क्र	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसाई/प्रकरण क्र.	निर्धारण की अवधि/ निर्धारण का महीना	धारा–21 के अंतर्गत निर्धारण के बाद वापसी राशि (₹)	राशि जिसके द्वारा करयोग्य टर्नओवर बढाया गया (₹)	अनारोपित शास्ति की राशि (₹)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	विभाग का उत्तर
1	वा.क.अ. सागर मै.मनाली कंस्ट्रक्शन्स 23467504554 255/10 (वैट)	2009–10 अप्रैल 2012 और जुलाई 2012 (धारा–21) जून–2013	191135	588222	298047	वापसी स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के कहने पर प्रकरण का पुनः निर्धारण किया गया। एक क्रय घोषणा के फार्म 49 के अनुसार, व्यापारी ने राशि ₹ 342347 की विटुमिन का क्रय किया था जिसकी घोषणा व्यापारी के द्वारा प्रस्तुत क्रयसूची में नहीं की गई। निर्धारण प्राधिकारी ने विटुमिन के विक्रय को निर्धारित किया एवं इसके लिये ₹ 99349 के कर को निर्धारित किया लेकिन शास्ति का आरोपण नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 298047 की शास्ति का अनारोपण हुआ। इसने प्रकरण में ₹ 191135 की वापसी की अनियमितता प्रदान की।	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी।
	योग- (ब)		**191135**	**588222**	**298047**		
	योग (अ+ ब)		**6131552**	**2824375**	**7006506**		

परिशिष्ट –10

कंडिका क्रमांक 7.6.19 के सन्दर्भ में

संविदा राशि का अनारोपण / कम आरोपण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	ठेकेदारों की संख्या	देय राशि (₹)	भुगतान राशि (₹)	शेष राशि (₹)	कुल (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	जिला खनन अधिकारी – अलीराजपुर	6	60,000 25,000 49,750 77,250 83,250 78,750	-- -- -- -- ----	60,000 25,000 49,750 77,250 83,250 78,750	3,74,000
2.	जिला खनन अधिकारी – अनूपपुर	4	1,26,000 1,43,750 1,21,000 65,000	50,400 76,680 -- 21,000	75,600 67,070 1,21,000 44,000	3,07,670
3.	जिला खनन अधिकारी – बालाघाट	2	1,27,500 1,29,710	-- --	1,27,500 1,29,710	2,57,210
4.	जिला खनन अधिकारी – छतरपुर	2	81,500 1,31,250	-- --	81,500 1,31,250	2,12,750
5.	जिला खनन अधिकारी – दमोह	6	1,45,000 1,11,000 1,65,000 1,50,000 77,500 90,000	-- 44,400 66,000 -- -- --	1,45,000 66,600 99,000 1,50,000 77,500 90,000	6,28,100
6.	जिला खनन अधिकारी – इन्दौर	5	1,40,000 57,500 2,50,250 75,250 22,800	54,000 -- -- -- --	86,000 57,500 2,50,250 75,250 22,800	4,91,800
7.	जिला खनन अधिकारी – जबलपुर	2	8,50,000 2,00,000	7,17,500 1,54,000	1,32,500 46,000	1,78,500

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	जिला खनन अधिकारी – कटनी	8	75,500 1,10,000 1,92,400 1,98,750 1,98,750 75,500 1,12,500 75,000	-- -- -- -- -- -- -- --	75,500 1,10,000 1,92,400 1,98,750 1,98,750 75,500 1,12,500 75,000	10,38,400
9.	जिला खनन अधिकारी – सतना	5	13,750 15,000 12,000 65,334 20,000	-- -- -- -- --	13,750 15,000 12,000 65,334 20,000	1,26,084
10.	जिला खनन अधिकारी – शहडोल 2011–12	15	12,890 24,036 12,018 2,53,731 40,666 14,635 25,005 11,750 1,73,317 51,800 13,956 17,000 17,000 19,333 1,21,000	-- -- -- 1,10,000 -- -- -- -- -- -- - -- - -- -	12,890 24,036 12,018 1,43,731 40,666 14,635 25,005 11,750 1,73,317 51,800 13,956 17,000 17,000 19,333 1,21,000	6,98,137
11.	जिला खनन अधिकारी – शहडोल 2012–13	3	3,00,000 25,000 22,500	-- 8,000 --	3,00,000 17,000 22,500	3,39,500
12.	जिला खनन अधिकारी – सीधी 2012–13	3	6,45,750 58,750	-- 29,250	6,45,750 29,500	6,75,250

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	जिला खनन अधिकारी – सीधी 2011–12	7	30,000 2,51,000 1,01,000 75,500 36,500 40,500 3,45,000	-- -- -- -- -- -- 2,10,000	30,000 2,51,000 1,01,000 75,500 36,500 40,500 1,35,000	6,69,500
14.	जिला खनन अधिकारी – टीकमगढ	2	1,09,125 3,25,000	-- 2,81,300	1,09,125 43,700	1,52,825
कुल		**69**	**79,72,256**	**18,22,530**	**61,49,726**	**61,49,726**

टीपः ₹ 81.22 लाख की एक राशि की, जिला खनन अधिकारियों भोपाल, छिंदवाडा, देवास, होशंगाबाद, मंदसौर, पन्ना, रायसेन , रीवा, सागर, सेंवनी, शिवपुरी एवं उमरिया के लेखापरीक्षा के दौरान आपत्ति ली गई ।

(अर्थात ₹ 1.43 करोड)

परिशिष्ट –11

कण्डिका क्रमांक 7.6.20.1 के सन्दर्भ में

खनन पटटे पर देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज का अनारोपण /प्राप्ति न होना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	सीमेंट की फैक्टरी का नाम	देय राज्यांश (₹ लाख में)/अवधि	भुगतान राज्यांश (₹ लाख में)/ चालान क. एवं दिनांक	दिनों में देरी	आरोपणीय ब्याज (₹ लाख में)	आरोपित ब्याज (₹ लाख में)	शेष (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	जिला खनन अधिकारी – अनूपपुर	एस ई सी एल, सोहागपुर	329.30/ जनवरी 2012 तक	178.10 8/18.2.2012 151.20 57/16.8.2012	-- 119	 11.83	 निरंक	 11.83
2.	जिला खनन अधिकारी – सतना	मैहर सीमेंट , सतना	594.15/ 4/ 2011 से 3/2012	619.59 67/15.5.2012	25 से 300	50.04	निरंक निरंक	50.04
3.	जिला खनन अधिकारी – सीधी	जे.पी. सीधी सीमेंट प्लांट, मझगांव	108.52/ 1/2009 से 3/2011 145.53/ 4/2011 से 3/2012	291.88 66/4.1.2013	630 तक 210	52.07 20.38	निरंक निरंक	52.07 20.38
कुल						**134.32**	**--**	**134.32**

टीपः ₹ 3.01 लाख की एक राशि की, हीरा अधिकारी , पन्ना एवं जिला खनन अधिकारी ,सागर की, लेनदेन लेखापरीक्षा के दौरान आपत्ति ली गई ।

(अर्थात ₹ 1.37 करोड)

परिशिष्ट –12

कंडिका क्रमांक 7.6.20.2 के सन्दर्भ में

व्यापारिक खदान पर देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज का अनारोपण /प्राप्ति न होना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	ठेकेदारों की संख्या	संविदा अवधि	देय संविदा राशि (₹)	भुगतान संविदा राशि (₹)	दिनों में देरी	आरोपणीय ब्याज (₹)	आरोपित ब्याज (₹)	शेष राशि (₹)	कुल (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	जिला खनन अधिकारी, अनूपपुर	8	4/11से 3/13 12/10 से 11/12 4/10 से 3/12 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/10 से 3/12 12/10 से 11/12	176250 160000 189000 101000 278000 131250 862500 451000	176250 160000 189000 101000 278000 131250 862500 451000	43 से 227 29 से 150 180 से 365 100 से 180 43 से 148 86 से 137 87 से 330 25 से 150	15645 9563 32508 9380 18964 10126 117888 28227	-- -- -- -- -- -- -- ----	15645 9563 32508 9380 18964 10126 117888 28227	242301
2.	जिला खनन अधिकारी, बालाघाट	8	4/11 से 3/13 5/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 5/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13	651292 730354 375750 123520 183104 1913312 113750 187500	651292 730354 375750 123520 183104 1913312 113750 187500	13 से 147 26 से 37 10 से 102 46 से 60 30 20 से 30 53 53	25373 7816 15071 4305 3662 31714 3964 6534	-- -- -- -- -- -- -- --	25373 7816 15071 4305 3662 31714 3964 6534	98439
3.	जिला खनन अधिकारी, दमोह	2	4/11 से 3/13 4/11 से 3/13	232500 232500	232500 232500	80 से 230 107 से 257	22930 27058	-- --	22930 27058	49988

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	जिला खनन अधिकारी, इन्दौर	6	10/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13	220000 140000 230000 250250 75250 218750	220000 124000 230000 250250 75250 218750	39 से 112 95 से 126 62 से 243 64 से 120 45 32 से 52	10921 8847 21323 12381 2227 6214	-- -- -- -- -- --	10921 8847 21323 12381 2227 6214	61913
5.	जिला खनन अधिकारी, कटनी	1	4/11 से 3/16	37750	37750	260	6436	--	6436	6436
6.	जिला खनन अधिकारी , शहडोल 2011–12	5	4/11 से 3/13 4/10 से 3/12 11/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13	57666 75000 253731 53666 20500	57666 75000 110000 53666 20500	187 से 307 75 से 165 54 45 से 109 150	9365 5917 3906 2718 2050	-- -- -- -- --	9365 5917 3906 2718 2050	23956
7.	जिला खनन अधिकारी, शहडोल 2012–13	1	10/11 से 3/13	177534	177534	45 से 92	8343	--	8343	8343
8.	जिला खनन अधिकारी, सीधी 2011–12	6	4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/10 से 3/12 4/10 से 3/12	645750 182500 162500 131250 66000 345000	645750 182500 162500 131250 66000 325000	30 से 231 169 से 259 262 से 352 29 से 83 52 से 321 82 से 252	33402 11080 23355 5380 8094 27551	-- -- -- -- -- --	33402 11080 23355 5380 8094 27551	108862

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	जिला खनन अधिकारी, सीधी 2012–13	6	4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 11/11 से 3/13 4/11 से 3/13	117500 101250 15003750 175000 73500 215250	96010 101250 12201250 175000 67376 215250	117 से 392 178 70 से 217 30 से 128 119 से 363 39	15089 11850 1000711 8831 10185 5520	-- -- -- -- -- --	15089 11850 1000711 8831 10185 5520	1052186
10.	जिला खनन अधिकारी, टीकमगढ	4	4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13 4/11 से 3/13	301500 36375 144000 325000	301500 36375 144000 314500	61 से 423 210 10 से 190 71 से 184	49695 5023 3569 27668	-- -- -- --	49695 5023 3569 27668	85955
कुल		**47**					**1738379**	**--**	**1738379**	**1738379**

टीपः ₹ 11.84 लाख की एक राशि की, जिला खनन अधिकारियों ,अशोक नगर , भोपाल, होशंगाबाद,पन्ना, रीवा, सागर, सीहोर , सेंवनी ,उज्जैन एवं उमरिया , के लेखापरीक्षा के दौरान आपत्ति ली गई ।

(अर्थात ₹ 29.22 लाख)

परिशिष्ट –13

कंडिका क्रमांक 7.6.20.3 के सन्दर्भ में

उत्खनि पटटा पर देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज का अनारोपण /प्राप्ति न होना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	इकाई का नाम	ठेकेदारों की संख्या	पटटा अवधि	देय अनिवार्य किराया / नियत तिथि (₹)	भुगतान अनिवार्य किराया (₹)	दिनों में देरी	आरोपणीय ब्याज (₹)	आरोपित ब्याज (₹)	शेष राशि (₹)	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	जिला खनन अधिकारी, अनूपपुर	10	6.4.05 से 5.4.15 31.3.08 से 30.3.18 28.5.05 से 27.5.15 3.9.08 से 2.9.18 17.2.05 से 16.2.15 28.5.05 से 27.5.15 10.11.05 से 9.11.15 12.7.05 से 11.7.15 23.7.08 से 22.7.18 23.9.09 से 22.9.19	90000/जनवरी 11 90000/जनवरी11 120000/जनवरी 11 60000/जनवरी 12 120000/जनवरी 12 120000/जनवरी 11 120000/जनवरी12 90000/जनवरी 12 60000/जनवरी 11 60000/जनवरी 12 60000/जनवरी 11 60000/जनवरी 12 50000/जनवरी 11 50000/जनवरी 12	52800 89760 105000 60000 26400 67200 52800 50400 60000 60000 60000 60000 48400 26400	98 से 276 173 से 329 336 से 339 233 95 330 105 162 65 से 323 46 से 150 330 157 260 से 339 150	6492 13270 23335 9190 1649 14784 3635 5369 8261 4196 13200 6194 9417 2640	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	6492 13270 23335 9190 1649 14784 3635 5369 8261 4196 13200 6194 9417 2640	121632
2.	जिला खनन अधिकारी, अनूपपुर	5	2.3.09 से 1.3.19 27.10.04 से 26.10.14 7.11.03 से 6.11.13 10.8.06 से 9.8.16 29.10.09 से 28.10.19	50000/जनवरी 11 60000/जनवरी 11 90000/जनवरी 11 90000/जनवरी 12 60000/जनवरी 11 75000/जनवरी 11 75000/जनवरी 12	30000 60000 90000 90000 60000 75000 45000	324 213 185 114 179 465 100	5691 8403 10948 6746 7062 22932 2959	-- -- -- -- -- -- --	5691 8403 10948 6746 7062 22932 2959	64741

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	जिला खनन अधिकारी, छतरपुर 2011–12	9	9.5.07 से 8.5.17 9.6.08 से 8.6.13 3.7.09 से 2.7.19 13.11.04 से 12.11.14 9.5.03 से 8.5.13 16.6.09 से 15.6.19 12.6.09 से 11.6.19	120000/ जनवरी 11 120000/ जनवरी 12 60000/ जनवरी.11 60000/ जनवरी 12 60000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 11 54739/ जनवरी 10 120000/ जनवरी 10 120000/ जनवरी 11 360000/ जनवरी 11 360000/ जनवरी 12 90000/ जनवरी 11 90000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 11	45000 120000 60000 60000 60000 100000 38096 120000 120000 360000 360000 90000 57200 120000	352 22 से 258 447 248 241 136 से 298 194 457 91 35 से 342 60 से 283 218 5 77	10415 19173 17635 9784 9508 19660 4860 36059 7180 30431 38233 12900 188 6076	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	10415 19173 17635 9784 9508 19660 4860 36059 7180 30431 38233 12900 188 6076	222102
4.	जिला खनन अधिकारी, छतरपुर 2011–12	5	8.10.08 से 7.10.18 12.6.09 से 11.6.19 24.2.11 से 23.2.21 30.9.03 से 29.9.13	90000/ जनवरी 12 90000/ जनवरी 13 100000/Jan.12 75000/ जनवरी 11 100000/ जनवरी 12 60000/ जनवरी 12	90000 90000 100000 75000 100000 60000	242 40 30 से 79 247 122 52	14321 2367 3262 12180 8022 2052	-- -- -- -- -- --	14321 2367 3262 12180 8022 2052	42204
5.	जिला खनन अधिकारी , दमोह	6	27.10.10 से 26.10.15 10.10.06 से 9.10.16 29.11.07 से 28.12.12 29.3.08 से 28.3.13 2.3.09 से 1.3.14	50000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 12	50000 120000 30000 30000 30000	110 120 236 294 262	3616 9600 2855 2800 3668	-- -- -- -- --	3616 9600 2855 2800 3668	22539

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	जिला खनन अधिकारी , इन्दौर (2011-12)	5	1.4.08 से 31.3.18 17.8.06 से 16.8.16 18.8.03 से 17.8.13 2.5.08 से 1.5.18 21.1.09 से 20.1.19	120000/ जनवरी 11 120000/ जनवरी 11 120000/ जनवरी 12 90000/ जनवरी 11 90000/ जनवरी 12 60000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 11	120000 120000 120000 90000 90000 60000 60000 60000	37 201 123 403 38 116 17 43	2919 15860 9679 23849 2243 4576 433 1669	-- -- -- -- -- -- -- --	2919 15860 9679 23849 2243 4576 433 1669	61255
7.	जिला खनन अधिकारी , इन्दौर (2012-13)	9	31.1.08 से 30.1.18 23.10.10 से 22.10.20 31.1.08 से 30.1.18 21.7.08 से 20.7.18 25.8.03 से 24.8.13 15.1.09 से 14.1.19 12.5.09 से 11.5.19 7.1.10 से 6.1.30 13.3.09 से 12.3.19	120000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 13 75000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 13 90000/ जनवरी 11 90000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी.13 120000/ जनवरी 13 75000/ जनवरी 12 88000/ जनवरी 13 120000/ जनवरी 13	120000 120000 120000 120000 120000 120000 90000 90000 120000 120000 75000 88000 120000	19 51 297 62 59 44 159 से 163 12 50 32 43 42 63	1499 4024 14647 4892 4655 3472 9528 651 3945 2524 2121 2430 4971	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1499 4024 14647 4892 4655 3472 9528 651 3945 2524 2121 2430 4971	59359
8.	जिला खनन अधिकारी , इन्दौर (2012-13) (राज्यांश पर)	2	20.8.08 से 19.8.18 31.1.08 से 30.1.18	96057/16.1.12 234817/16.7.11 222420/16.7.12	96057 234817 222420	387 86 82	24443 13278 11992	-- -- --	24443 13278 11992	49713

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	जिला खनन अधिकारी , जबलपुर	2	16.7.10 से 15.7.20 1.8.11 से 31.7.21	60000/ जनवरी 12 42000/20.8.12	60000 42000	70 114	2761 3148	-- --	2761 3148	5909
10.	जिला खनन अधिकारी , कटनी	7	18.11.03 से 17.11.13 12.5.05 से 11.5.25 11.6.02 से 10.6.12 6.11.08 से 5.11.18 6.11.08 से 5.11.18 31.5.08 से 20.5.18 7.2.08 से 6.2.18	681444/ जनवरी 11 1152050/दिसम्वर 11 229250/ दिसम्वर 11 100000/ जनवरी 11 100000/ जनवरी 11 75000/ जनवरी 11 100000/ जनवरी 11	548444 800000 186000 100000 100000 36000 100000	300 से 600 161 150 से 300 120 से 345 330 42 345	153089 84690 33475 17398 22000 994 22685	-- -- -- -- -- -- --	153089 84690 33475 17398 22000 994 22685	334331
11	जिला खनन अधिकारी , सतना (2011-12)	4	21.6.10 से 20.6.10 13.3.11 से 12.3.16 11.12.11 से 10.12.13 12.8.08 से 11.8.18	50000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 11	35375 30000 60000 60000 64000	420 383 322 144 392	9905 7555 12704 5681 16496	-- -- -- -- --	9905 7555 12704 5681 16496	52341
12	जिला खनन अधिकारी , शहडोल (2011-12)	8	22.12.05 से 21.12.15 28.2.07 से 27.2.17 4.3.08 से 3.3.18 28.7.05 से 27.7.15 23.5.07 से 22.5.17 31.3.07 से 30.3.17 22.12.05 से 21.12.15 14.8.08 से 13.8.13	60000/ जनवरी 12 30000/ जनवरी 11 90000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 11 90000/ जनवरी 12 30000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 12 30000/ जनवरी 12 30000/ जनवरी 11	60000 15000 50000 60000 90000 30000 30000 30000 30000	134 138 144 120 से 322 42 से 183 233 66 114 283	5287 3334 4734 8752 8048 4596 1302 2249 5582	-- -- -- -- -- -- -- -- --	5287 3334 4734 8752 8048 4596 1302 2249 5582	43884

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13	जिला खनन अधिकारी, सीधी (2011-12)	8	4.1.06 से 3.1.16 30.1.05 से 20.1.15 7.8.10 से 6.8.20 10.9.08 से 9.9.18 18.3.08 से 17.3.18 21.5.09 से 20.5.16 6.7.09 से 5.7.19 27.12.06 से 26.12.11	120000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 10 20140/अगस्त 11 32400/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 11 120000/ जनवरी 12 75000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 11	120000 60000 20140 32400 120000 120000 91200 70400 30000 30000	690 1020 480 330 232 से 266 64 से 393 11 से 112 128 से 155 240 100	55200 39580 6445 7128 9265 20894 3702 6551 4800 1973	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	55200 39580 6445 7128 9265 20894 3702 6551 4800 1973	155538
14	जिला खनन अधिकारी, सीधी (2012-13)	6	13.2.08 से 12.2.18 30.4.03 से 29.4.13 22.9.09 से 21.9.19 14.12.09 से 13.12.14 16.6.08 से 15.12.13 15.11.05 से 14.11.15	120000/ जनवरी 12 120000/ जनवरी 13 27500/ जनवरी 10 30000/ जनवरी 11 30000/ जनवरी 12 5573/ जनवरी 10 50000/ जनवरी 11 60000/ जनवरी 12 75000/ जनवरी 11 75000/ जनवरी 12 90000/ जनवरी 13 30000/ जनवरी 13 60000/ जनवरी 12	120000 120000 27500 30000 30000 5573 50000 60000 35200 75000 88000 30000 35200	242 58 742 377 12 1062 697 332 28 86 से 116 16 से 85 74 86	19095 4576 13417 7437 237 3891 22915 8098 648 5026 2922 1460 1990	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	19095 4576 13417 7437 237 3891 22915 8098 648 5026 2922 1460 1990	91712
कुल		**86**							**1327260**	**1327260**

(अर्थात ₹ 27.88 लाख)

परिशिष्ट –14

कंडिका क्रमांक 7.6.23.2 के सन्दर्भ में

ग्रामीण अवसरंचना एवं सडक विकास कर का कम भुगतान / भुगतान न होना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	इकाई का नाम	पटटा धारकों की संख्या	खनिज	वर्ष जिसके लिये कर देय है	उत्पादन मात्रा (मिलियन टन में)	सडक विकास कर की गणना (औसत उत्पादन प्रति वर्ष वाजार मूल्य पांच प्रतिशत	देय राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	जिला खनन अधिकारी , दमोह	2	चूना पत्थर	2011-12 2011-12	2009-10 - 969164.48 2010-11- 759287.31 **कुल 1728451.79** 2009-10 679350.66 2010-11 740294.66 **कुल 1419645.32**	864225.895 x 116.75 x 5 प्रतिशत 709822.66 x 128.62 x 5 प्रतिशत	50.45 45.65 96.10	76.06	20.04
2.	जिला खनन अधिकारी, कटनी	1	चूना पत्थर एवं मिट्टी	2011-12	चूना पत्थर 2009-10 3749250.77 2010-11 3990622.35 **कुल (i) 7739873.12** मिट्टी 2009-10 417250.35 2010-11 432722.71 **कुल (ii) 849973.06** **कुल (i)+(ii)= 8589846.18**	4294923.09 x 55.24 x 5 प्रतिशत	118.63	116.13	2.50
3.	जिला खनन अधिकारी, नीमच	1	चूना पत्थर	2010-11	2008-09 4941472 2009-10 4949041 **कुल** 9890513	336277446 x 5 प्रतिशत (जिला खनन अधिकारी से लिये गये खनन का औसत मूल्य)	168.14	37.67	130.47
4.	जिला खनन अधिकारी , सतना	2	चूना पत्थर	2011-12 2011-12	2009-10 362722.326 2010-11 1753741 **कुल 2116463.326** 2009-10 3298073 2010-11 3646997 **कुल 6945070**	1058231.663 x 42 x 5 प्रतिशत 3472535 x 34 x 5 प्रतिशत	22.22 59.04	-	22.22 59.04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	जिला खनन अधिकारी, शिवपुरी	1	डायस्पोर पायरोफिलाइट	2010-11 2010-11	2008-09 2043 2009-10 2117 **कुल 4160** 2008-09 19257 2009-10 27789 **कुल 47046**	2080 x 962 x 5 प्रतिशत 23523 x 281 x 5 प्रतिशत	1.00 3.31	2.65	1.66
6.	जिला खनन अधिकारी, सीधी	1	चूना पत्थर	2012-13	2010-11 1212768 2011-12 1113184 **कुल 2325952**	1162976 x 48.30 x 5 प्रतिशत	28.09	-	28.09
कुल							**496.53**	**232.51**	**264.02**

(अर्थात ₹ 2.64 करोड)

परिशिष्ट –15

कंडिका क्रमांक 7.6.23.3 के सन्दर्भ में

निष्क्रिय खदान पर म.प्र. ग्रामीण अवसरंचना एवं सडक विकास कर का भुगतान न होना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	इकाई का नाम/लेखापरीक्षा अवधि	पट्टा धारकों की संख्या	पट्टे का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष जिसके लिये कर देय है	प्रति हेक्टेयर दर (₹)	देय राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	जिला खनन अधिकारी, अनूपपुर (2011–12)	3	8511.469	2011–12	4000	340.46	–	340.46
2	जिला खनन अधिकारी, अनूपपुर (2012–13)	1	6889.274	2012–13	4000	275.57	–	275.57
3	जिला खनन अधिकारी, बालाघाट (2011–12)	2	137.147	2011–12	4000	5.49	–	5.49
4	जिला खनन अधिकारी, बालाघाट (2012–13)	5	40.465	2006–07 से 2012–13 (सात वर्ष)	4000	11.33	–	11.33
		2	137.147	2012–13	4000	5.49	–	5.49
5	जिला खनन अधिकारी, छतरपुर (2012–13)	17	90.975	2012–13	4000	3.64	–	3.64
6	जिला खनन अधिकारी, कटनी (2011–12)	92	635.499	2011–12	4000	25.42	–	25.42
7	जिला खनन अधिकारी, नीमच (2010–11)	1	500.452	2010–11	4000	20.02	–	20.02
8	जिला खनन अधिकारी, रीवा (2011–12)	14	100.600	2011–12	4000	4.02	–	4.02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9	जिला खनन अधिकारी, सागर (2011–12)	6	33.37	2011–12	4000	1.33	–	1.33
10	जिला खनन अधिकारी, सतना (2011–12)	16	3523.165	2011–12	4000	140.93	–	140.93
11	जिला खनन अधिकारी, सिवनी (2010–11)	4	9.694	2010–11 से 2011–12	4000	0.70	–	0.70
12	जिला खनन अधिकारी, शहडोल (2011–12)	12	2354.227	2011–12	4000	94.17	–	94.17
13	जिला खनन अधिकारी, शहडोल (2012–13)	8	2158.486	2012–13	4000	86.34	–	105.43
		3	119.847	2008–09 से 2012–13	4000	19.09	–	
14	जिला खनन अधिकारी, सीधी (2012–13)	1	60.671	2012–13	4000	2.43	–	2.43
15	जिला खनन अधिकारी, टीकमगढ (2012–13)	3	33.796	2005–06 से 2012–13	4000	3.06	–	3.06
16	जिला खनन अधिकारी, उमरिया (2011–12)	2	1661.046	2011–12	4000	66.44	–	66.44
कुल		**192**				**1105.93**	**–**	**1105.93**

(अर्थात ₹ 11.06 करोड़)

परिशिष्ट –16

कंडिका क्रमांक 7.6.24.1 के सन्दर्भ में

औसत वार्षिक राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	गांव/खनिज/ क्षेत्र	अनुवंध के निष्पादन की तिथि	खनन योजना में दिखाई गई मात्रा	मुद्रांक शुल्क की गणना के लिये आधारभूत राज्यांश राशि (₹)	मुद्रांक शुल्क की दर	देय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	जिला खनन अधिकारी – कटनी	**1** (11.11.2011 से 10.11.2041)	जमुवानी खुर्द पडरेही ,चेरी चूना पत्थर 889.760 हेक्टेयर	06-01-2012	4366761 घन मीटर	1,37,55,29,715 (4366761 x 63 x 5) 30 साल के पट्टे का 5 गुना	5 प्रतिशत	6,87,76,486 5,15,82,365	1,98,45,000 1,48,83,750	4,89,31,486 3,66,98,615
		1 (11.05.2012 से 10.05.32)	नीमस मार्बल्स 11.18 हेक्टेयर	02.11.2012	45000 घन मीटर	9,45,00,000 (45000 x 700 x 3) 20 साल के पट्टे का 3गुना	5 प्रतिशत	47,25,000 35,43,750	33,75,000 25,50,000	13,50,000 9,93,750
		1 (02.09.2011 से 01.09.2021)	छपरा मार्बल्स 3.42 हेक्टेयर	22.09.2011	3500 घन मीटर	36,75,000 (3500 x 700 x1.5)10 साल के पट्टे का 1.5 गुना	5 प्रतिशत	1,83,750 1,37,813	1,28,000 96,000	55750 41813
कुल								7,36,85,236 5,52,63,928	2,33,48,000 1,75,29,750	5,03,37,236 3,77,34,178
महायोग (मुद्रांक शुल्क + पंजीयन फीस)								**12,89,49,164**	**4,08,77,750**	**8,80,71,414**

(अर्थात ₹ 8.80 करोड)

परिशिष्ट –17

कंडिका क्रमांक 7.6.24.2 के सन्दर्भ में

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त उत्पादन स्वीकृती के सन्दर्भ में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारका की संख्या/ पट्टा अवधि	खनिज का नाम	खनन योजना के अनुसार उत्पादन मात्रा	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार (प्रति वर्ष)/ राज्यांश की दर/ मुद्रांक शुल्क की दर	अधिकतम मात्रा (6-5)	देय राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	जिला खनन अधिकारी, छतरपुर	1 5.5.2009 से 4.5.2029	ग्रेनाइट	निरंक	15000 घन मीटर/ 800/7.5 प्रतिशत	15000 घन मीटर	2700000 2025000	61890 46350	2638110 1978650
		1 5.5.2009 से 4.5.2029	ग्रेनाइट	निरंक	25000 मीट्रिक टन (15250 घन मीटर)/ 800/7.5 प्रतिशत	25000 मीट्रिक टन (15250 घन मीटर)	2745000 2058750	84440 63330	2660560 1995420
		1 4.12.2008 से 4.12.2018	गिट्टी	500 घन मीटर	100000 घन मीटर/ 28/7.5 प्रतिशत	99500 घन मीटर	315000 236250	6750 5063	308250 231187
		1 5.5.2009 से 4.5.2029	ग्रेनाइट	1690 घन मीटर	10000 घन मीटर/ 800/7. 5 प्रतिशत	8310 घन मीटर	1800000 1350000	65220 48920	1734780 1301080
		1 4.7.2008 से 3.7.2028	ग्रेनाइट	8000 घन मीटर	11467 घन मीटर/ 800/7.5 प्रतिशत	3467 घन मीटर	2064060 1548045	1440000 1080000	624060 468045
कुल				**10190 घन मीटर**	**151717 घन मीटर**	**141527 घन मीटर**	**9624060** **7218045**	**1658300** **1243663**	**7965760** **5974382**
महायोग (मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस)							**16842105**	**2901963**	**13940142**

(अर्थात ₹ 1.39 करोड)

परिशिष्ट –18

कंडिका क्रमांक 7.6.24.3 के सन्दर्भ में

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम बसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	उप पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	खनिज का नाम	संविदा राशि / मुद्रांक शुल्क की दर (₹)	देय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1	जिला खनन अधिकारी –जबलपुर	1 (18.1.2012 से 8.3.2013)	1 (13.12.2011 से 8.3.2013)	रेत	114316650/ 5 प्रतिशत	5715832 4286874	100 --	5715732 4286874
2.		1 (21.2.2011 से 8.2.2013)	1 (9.2.2011 से 8.2.2013)	रेत	67500000(प्रथम वर्ष) and 74250000(द्वितीय वर्ष)/5 प्रतिशत	7087500 5315625	100 --	7087400 5315625
3.	जिला खनन अधिकारी –छतरपुर	1 (5.3.1998 से 4.3.2018)	1 (5.5.2010 से 4.5.2020)	रॉक फास्फेट	216300000/7.5 प्रतिशत	16222500 12166875	100 --	16222400 12166875
कुल					**मुद्रांक शुल्क पंजीयन फीस**	29025832 21769374	300 --	29025532 21769374
महायोग					**मुद्रांक शुल्क + पंजीयन फीस**	**50795206**	**300**	**50794906**

(अर्थात ₹ 5.08 करोड)